आर्थिक सर्वेक्षण दिल्ली 2008–2009

सत्यमेव जयते

आर्थिक सर्वेक्षण दिल्ली
2008–2009

योजना विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

जून 2009

सत्यमेव जयते

आर्थिक सर्वेक्षण दिल्ली
2008–2009

योजना विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
जून 2009

योजना विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
छटा तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002

आर्थिक सर्वेक्षण 2008–09 को तैयार करने संबंधी टीम

टीम नेतृत्व

श्रीमती सुमति मेहता (प्रधान सचिव योजना)

टीम के सदस्य

डॉ बी.के. शर्मा, श्री एल.एन. मीणा, डॉ0 बी.एल. पाठक, श्री दीपक सेनगुप्ता, श्री बी.एस. रावत, श्री एन.टी.कृष्णा, श्री के.आर. नायडू, श्री एल.आर. मीणा, श्रीमती मंजूबाला साहू, श्री डी.बी. गुप्ता, श्री जे.के. भाटिया, श्री धर्मपाल, श्री आर.एस. चौहान, श्री शाबिर अली, श्री रवीश अग्रवाल, श्री के.सी. शर्मा, श्री डी.एन. रतूड़ी, श्री ए.एन. कश्यप, श्रीमती इन्दू मोहन, सुश्री रीता सक्सेना, श्री एस.सी. गोयल, सुश्री विभा कबटियाल, श्री पी.के. चक्रवर्ती,

सांख्यिकीय/ईडीपी सहयोग

श्री परवीन श्रीवास्तव, श्रमती मीना बरेजा, श्री बालकिशन, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री सुरेन्द्र पाल, श्रीमती रेनू अग्रवाल, श्री दीपक तोमर, श्री रंजन कुमार, श्री आशीष वर्मा, श्री वी.के. गुप्ता, श्री प्रवीण कुमार, श्री जितेश मीनोचा, श्री रवीन्द्र कुमार, सुश्री एच.राधा देवी,

Printed by:
Current Advertising (P) Ltd.
25, Rani Jhansi Road, New Delhi-110055
Ph. 23634319, 23678165
E-mail: currentad@gmail.com or currentad@rediffmail.com

विषय सूची

क्र.सं.	विषय सूची	पेज सं.
1.	प्रस्तावना	1
2.	राज्य घरेलू उत्पाद	11
3.	जन सांख्यिकीय रूपरेखा	20
4.	सार्वजनिक वित्त	39
5.	रोजगार एवं बेरोजगार	69
6.	मूल्य प्रवृत्तियां	76
7.	योजना परिव्यय	80
8.	पर्यावरणीय सरोकार	84
9.	औद्योगिक विकास	95
10.	कृषि और ग्रामीण विकास	109
11.	ऊर्जा	123
12.	परिवहन	136
13.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	151
14.	शहरी विकास	164
15.	शिक्षा	177
16.	स्वास्थ्य	192
17.	समाज सुरक्षा	209
18.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों का कल्याण	219
19.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	224
20.	व्यापार और वाणिज्य	228
21.	दिल्ली में गरीबी रेखा	238

तालिकाएँ

2.1	आर्थिक गतिविधियों द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर	243
2.2	आर्थिक गतिविधियों द्वारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर	244
2.3	आर्थिक गतिविधियों द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (1999–00) मूल्यों पर	245
2.4	आर्थिक गतिविधियों द्वारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (1999–00) मूल्यों पर	246
4.1	राजस्व प्राप्ति	247
4.2	2002–03 से 2008–09 की अवधि में दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्ति	248
4.3	दिल्ली सरकार की समेकित निधि से संवितरण	249
4.4	दिल्ली सरकार की प्राप्ति, व्यय और अधिशेष/धाटा का विवरण	250
4.4ए	प्राप्तियाँ, व्यय और वित्तीय /घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	251
4.5	योजना और गैर योजना–व्यय राजस्व और पूंजी विवरण सभी राज्यों का	252
4.6	गैर विशेष श्रेणी राज्य के कर राजस्व	253
4.6ए	तालिका संख्या	254
4.7	दिल्ली में वार्षिक योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संसाधन 2002–03 से2008–09	255
4.8	तुलनात्मक वित्तीय सूचकांक 2002–2003 से 2008–09	256
4.9	गैर विशेष श्रेणी राज्यों का राजस्व अधिशेष/घाटा	257
4.9ए	राजस्व अधिशेष (+) घाटा (-) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में (+)	258
4.10	2002–03 से 2008–09 के दौरान राज्यों का योजना व्यय/परिव्यय	259
4.10ए	राज्यों का योजना व्यय/परिव्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	260
4.11	संसाधनों का स्थानीय निकायों में हस्तांतरण/अन्तरण	261
4.12	विशेष श्रेणी इतर राज्यों/भारत सरकार का जीएसडीपी/जीडीपी प्रचलित मूल्यों पर	262
4.13	दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के दौरान संसाधनों की उपलब्धियां	263
4.14	दिल्ली तथा पूरे भारत में सूचना देने वाले बैंक कार्यालयों का प्रकार एवं क्षेत्रवार वितरण, कुल जमा तथा सकल बैंक ऋण – सितम्बर, 2008	264
5.1	राज्यवार जनसंख्या तथा कार्मिक (1991 व 2001 जनगणना)	265

5.2	जनसंख्या का वितरण–55वां 57वां 59वां 60वां 61वां और 62वां (राज्य नमूना)	266
5.3	दिल्ली में बेरोजगारी (चालू रजिस्टर के अनुसार)	267
5.4	एन.एस.एस.ओ सर्वेक्षण के 55 वें दौर और 60 वें दौर के अनुसार रोजगार और रोजगार प्रफुल्लता में वृद्धि	268
6.1	थोक मूल्य सूचकांक–अखिल भारत संपूर्ण भारत का महीनावार और वर्षवार थोक मूल्य सूचकांक	269
6.2	दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए वर्ष 2007 और 2008 के लिए समूह/उपसमूह वार उपभोगता मूल्य सूचकांक	270
6.3	आद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूंचकांक	271
6.4	महानगरों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए वर्गानुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2006 एवं 2007	272
6.5	शहरी गैर – श्रम कर्मचारियों के लिए राज्य/केन्द्रवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य सूचकांक)	273
7.1	9वीं 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिव्यय	275
7.1ए	10वीं पंचवर्षीय में खंडवाल योजना व्यय चालू मूल्यों तथा स्थायी (2000–01 मूल्यों पर)	277
7.2	सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत आवंटित योजना परिव्यय	278
7.3	योजना परिव्यय एवं व्यय – वार्षिक योजना 2007–08	279
7.4	योजना परिव्यय एवं व्यय–2008–09 और प्रस्तावित परिव्यय 2009–10	280
7.5	राष्ट्र राजधानी क्षेत्र की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं का अनुमोदित परिव्यय एवं व्यय	281
10.1	भू–प्रयोग पैटर्न	282
10.2	दिल्ली में खाद्यान्न उत्पादन	283
10.3	विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्र	284
10.4	पशुधन उत्पादन	285
10.5	दिल्ली में पशु चिकित्सा सेवाएं	286
10.6	वन क्षेत्रों एवं वृक्षारोपण का विवरण	287

10.7	दिल्ली की ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि	288
10.8	ग्रामीण जनसंख्या का क्षेत्रवार वितरण	289
11.1	बिजली की उपलब्धता	290
11.2	बिजली के उपभोक्ताओं की संख्या	291
11.3	बिजली की खपत का पैटर्न	292
12.1	दिल्ली में मोटर वाहनों की वृद्धि	293
12.2	दिल्ली में मोटर वाहनों की संख्या	294
12.3	दिल्ली में मोटर वाहनों का वर्तमान विवरण प्रतिशत में	295
12.4	दिल्ली में मोटर वाहनों की वार्षिक वृद्धि	296
12.5	दिल्ली में मानव/मवेशी चालित वाहन	297
12.6	दिल्ली में सड़कों की वृद्धि दर	298
12.7	दिल्ली में सड़कों की उपलब्धता	299
12.8	डी.टी.सी. की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	300
12.9	चुने हुए मल्टी मॉडल पब्लिक ट्रेन्जिट कॉरिडोर	301
13.1	दिल्ली में पानी की खपत	303
13.2	अनुमानित जनसंख्या, जल आपूर्ति, गंदे पानी का निर्माण– वर्ष 2006 के लिए	304
13.3	दिल्ली में 2021 में पानी की आवश्यकता संबंधी डी.यू. ई. आई. आई पी.के अनुमान	305
13.4	दिल्ली में विभिन्न प्रकार की बस्तियों में जल–मल सुविधाएं	306
13.5	वर्ष 2021 तक पानी की अनुमानित कुल मांग	306
13.6	पंचवर्षीय योजना के अंत में जल शोधन संयंत्रों की स्थापित क्षमता	307
13.7	पंचवर्षीय योजना के अंत में सीवरेज संयंत्रों की संचय क्षमता	308
13.8	जल के स्रोत (जनगणना 2001)	309
14.1	1991और 2001 जनगणना के अनुसार परिवारों की संख्या तथा उपलब्ध सुविधायें	310
14.2	1991और 2001 जनगणना के अनुसार खाना पकाने के लिए इंधन का प्रयोग	311

14.3	मकान गणना के आवासों की संख्या और उनका उपयोग	312
14.4	बसे हुये आवासों की दशा के अनुसार परिवारों की रिहायशी स्थिति	313
14.5	दिल्ली का क्षेत्रफल	314
14.6	शहरी जनसंख्या और घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्ति)	314
14.7	यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड खर्च	315
14.8	वर्षों में आयु के अनुसार मकानों का वितरण	316
14.9	नालियों की उपलब्धता के अनुसार परिवारों का विभाजन	317
14.10	प्रवेश रास्ते के अनुसार परिवारों का विभाजन	318
14.11	भू–स्वामित्व के आधार पर स्लम का विभाजन	319
14.12	स्थान के आधार पर स्लम क्षेत्रों का विभाजन	319
15.1	दिल्ली में स्कूलों की संख्या	320
15.2	भारत और राज्यों में साक्षरता दर	321
15.3	दिल्ली के स्कूलों में छात्रों का दाखिला	322
15.4	स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	323
15.5	उच्च शिक्षा संस्थाएं	323
15.6	दिल्ली सरकार के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा संस्थाएं	324
18.1	भारत और राज्यों में 2001 की गणना के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	325
18.2	दिल्ली की ग्रामीण–शहरी अनुसूचित जाति की जनसंख्या	325
18.3	दिल्ली में अनु जाति जनसंख्या की दशकीय वृद्धि	326
18.4	दिल्ली की अनुसूचित जाति की साक्षरता दर	326
18.5	अनुसूचित जाति कार्यबल–1991 जनगणना	327
18.6	अनुसूचित जाति श्रमबल का वर्गीकरण–2001 जनगणना	328
21.1	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का राज्यवार संख्या एवं प्रतिशतता	328

v/;k; 1
iLrkouk

1. भारत के उत्तर में बसी दिल्ली 28° –24′–17″ एवं 28° –53′–00″ उत्तरी अक्षांश और 76° –50′–24″ एवं 77° –20′–37″ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्यों से लगती हैं। दिल्ली का क्षेत्र 1,483 वर्ग किलोमीटर है। इसकी अधिकतम लम्बाई 51.90 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 48.48 किलोमीटर है।

2. यमुना नदी और अरावली पर्वतमाला का अंतिम छोर इस शहर की दो प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। अरावली पर्वत माला वनों से आच्छादित है जिन्हें रिज कहते हैं और जो पर्यावरण को बनाए रखने में सहायता की दृष्टि से शहर के लिये फेफड़ों का काम करते हैं। यमुना नदी अधिकतर दिल्ली वासियों के लिए धार्मिक दृष्टि से पवित्र होने के साथ साथ राजधानी में पेयजल का मुख्य स्रोत है।

3. दिल्ली में औसत वार्षिक वर्षा 714 मि.मी. है जिसका तीन–चौथाई हिस्सा जुलाई, अगस्त, और सितम्बर में बरसता है। यमुना के जल–ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण शहर में भीषण बाढ़ का खतरा भी हो जाता है। अप्रैल, मई और जून में गर्मी के दौरान शहर का तापमान जो 40–45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं दिसम्बर और जनवरी में सर्दी के मौसम में खासी ठंड के दौरान तापमान गिरकर 4–5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। जलवायु की दृष्टि से फरवरी, मार्च और अक्टूबर एवं नवंबर उत्कृश्ट महीने हैं।

4. दिल्ली में वनाच्छादित क्षेत्र 1980–81 में कुल क्षेत्रफल का मात्र 0.76 प्रतिशत था, जो 1995 में बढ़कर 1.75 प्रतिशत, 1999 में 5.9 प्रतिशत, 2001 में बढ़कर 10.2 प्रतिशत, 2003 में 18.07 प्रतिशत और 2005 में 19 प्रतिशत पर पहुंच गया है। दिल्ली के खनिज संसाधनों में मुख्य रूप से पत्थर एवं रेत हैं, जो निर्माण कार्यों के लिए उपयोगी हैं। किन्तु पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये 1984 से रिज क्षेत्र में पत्थर की खानें बंद कर दी गयी थीं।

5. सन 1901 में दिल्ली एक छोटा सा शहर था, जिसकी आबादी मात्र 4 लाख थी। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनते ही दिल्ली की आबादी बढ़ने लगी। देश के विभाजन के के समय बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान से दिल्ली आकर बसे। विभाजन के बाद दिल्ली में प्रवास का सिलसिला जारी रहा। 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 138. 51 लाख है। 1991–2001 के दशक में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 3.85 प्रतिशत और दशकीय वृद्धि दर 47.02 प्रतिशत रही है।

6. देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों की बहुतायत है, और रोजगार की बेहतर संभावनाएं हैं। यही वजह है कि देश के प्रत्येक कोने से लोग राजधानी की ओर खिंचे चले आते हैं। आज दिल्ली की

आबादी में लगभग सभी क्षेत्रों की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। दिल्ली सही मायने में भारत की संपदा और विविधता को दर्षाता है, जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं, रीतिरिवाजों और संस्कषतियों से संबद्ध लोग आपस में मिल–जुल कर रहते हैं। विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक समूहों के लगातार चलते सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के कारण दिल्ली त्यौहारों का शहर बन चुकी है।

7. तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। दिल्ली में ग्रामीण गांवों की संख्या 1921 में 314 थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 165 रह गयी है, दिल्ली की ग्रामीण आबादी भी 1901 के 47.24 प्रतिशत से घटकर 2001 में 6.99 प्रतिशत रह गयी है।

8. दिल्ली पर अंग्रेजों ने अपने सामान्य अधिनियमों की मदद से सन् 1805 में शासन शुरूकिया। राजधानी का नियंत्रण ब्रिटिश हुकूमत के प्रतिनिधि और मुख्य आयुक्त के अधीन था। 1857 तक मामूली संशोधनों के चलते यही व्यवस्था रही । 1958 में दिल्ली को सीमांत प्रांत के प्रांतीय शहर का दर्जा दे दिया और बाद में इसे उपराज्यपाल के अधीन नवगठित पंजाब प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया। 1950 तक भारत सरकार मुख्य आयुक्त के जरिए दिल्ली का प्रशासन चलाती रही।

9. राजधानी के कोलकाता से दिल्ली स्थानातंरित होने के साथ ही 25 मार्च, 1913 को इम्पीरियल दिल्ली कमेटी नाम की अलग समिति का गठन किया गया, ताकि नई राजधानी में निर्माण और नागरिक मामलों के प्रबंध की देखरेख की जा सके। 1916 में इस समिति को पंजाब म्युनिसिपल एक्ट 1911 के तहत रायसीना म्युनिसिपल कमेटी के रूप में अधिसूचित किया गया। इसका मुख्य उद्‌देश्य राजधानी के निर्माण में लगे श्रमिकों की सफाई संबंधी जरूरतें पूरी करना था। 16 मार्च, 1927 को इसे नई दिल्ली नगर समिति के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। 1932 में इसे प्रथम श्रेणी की म्युनिसिपैलिटी का दर्जा देकर प्रोन्नत किया गया और इसे नागरिक सेवाएं प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया। नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम 1994 के अंतर्गत नई दिल्ली नगर समिति का पुनर्गठन किया गया।

10. डा0 बी. पट्‌टाभि सीता रमैया की अध्यक्षता में 31 जुलाई 1947 को एक समिति बनायी गयी, जिसे दिल्ली सहित मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के प्रशासनिक ढांचे में संवैधानिक बदलाव के बारे में अध्ययन करने और रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा संविधान में अनुच्छेद–239 और 240 शामिल करने को राजी हो गयी। इन अनुच्छेदों में भाग–ग राज्यों का प्रशासन मुख्य आयुक्त या उप–राज्यपाल के जरिए चलाने का प्रावधान था। दिल्ली को 1951 में भाग–ग राज्यों में शामिल किया गया, जिसमें मंत्रिपरिषद और विधानमंडल की व्यवस्था की गयी।

11. दिसम्बर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की सिफारिश की कि राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली को राष्ट्रीय सरकार के नेतष्त्व में रखा जाना चाहिए। आयोग ने दिल्ली नगर निगम के गठन का भी सुझाव दिया। तदनुरूप 1 नवंबर, 1956 से दिल्ली की मंत्रिपरिषद और विधायिका का अस्तित्व समाप्त हो गया। उसके बाद से लेकर दिल्ली

प्रशासन अधिनियम, 1966 के अस्तित्व में आने तक संधशासित प्रदेश के रूप में दिल्ली का प्रशासन महामहिम राष्ट्रपति द्वारा धारा 239 के तहत नियुक्त मुख्य आयुक्त के जरिए चलाया जाता था।

12. 1957 में संसद ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम पारित किया, और 1958 में निर्वाचित सदस्यों के साथ दिल्ली नगर निगम का गठन किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई और 1962 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहला मास्टर प्लान (1961–81) प्रकाषित किया गया।

13. संसद द्वारा प्रशासन अधिनियम 1966 (1966 का 19वां) पारित किया गया, जिसका मकसद 56 निर्वाचित और 5 मनोनीत सदस्यों वाली महानगर परिषद की स्थापना करके दिल्ली को सीमित प्रतिनिधित्व वाली सरकार दिलाना था। राष्ट्रपति द्वारा एक कार्यकारी परिषद के गठन के साथ चार कार्यकारी पार्षदों, जिसमें मुख्य कार्यकारी पार्षद भी शामिल था, की नियुक्ति की गयी।

14. दिल्ली के ढांचे में एक और बदलाव आया जब संविधान में 69वां संषोधन करते हुए धारा 239–एए को शामिल करके दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य–क्षेत्र अधिनियम–1991 पारित किया गया। जनवरी 1992 से लागू इस अधिनियम में दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया, जो उपराज्यपाल को परामर्श एवं सहयोग देती हैं। राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर 6 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अधिनियम में 70 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया है और उसे केंद्र शासित प्रदेश से संबद्ध उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जो संविधान की राज्य एवं समवर्ती सूचियों में निर्दिष्ट हैं। परंतु कानून–व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि संबंधी मामले इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। 1993 के चुनाव के पश्चात् इस अधिनियम के तहत पहली विधानसभा का गठन किया गया। नवंबर 1998 में दूसरी विधानसभा गठित की गयी। तीसरी विधान का गठन दिसम्बर 2003 और चौथी विधानसभा दिसम्बर 2008 में गठित की गई।

15 दिल्ली में नई प्रशासनिक व्यवस्था के साथ कई अन्य परिवर्तन भी किए गए, जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बागडोर केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार के हाथ में आ गयी। इसी प्रकार दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम को दिल्ली विद्युत बोर्ड् के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसके स्थान पर अब छह कंपनियां बना दी गई हैं। दिल्ली जलापूर्ति और मल व्ययन उपक्रम को दिल्ली जल बोर्ड (दिजबो) के रूप में पुनर्गठित किया गया। जनवरी 1997 से पहले दिल्ली केवल एक जिला था, जिसे 9 जिलों और 27 सब–डिविजनों में विभाजित किया गया। **¼ekufp= 1-1½**

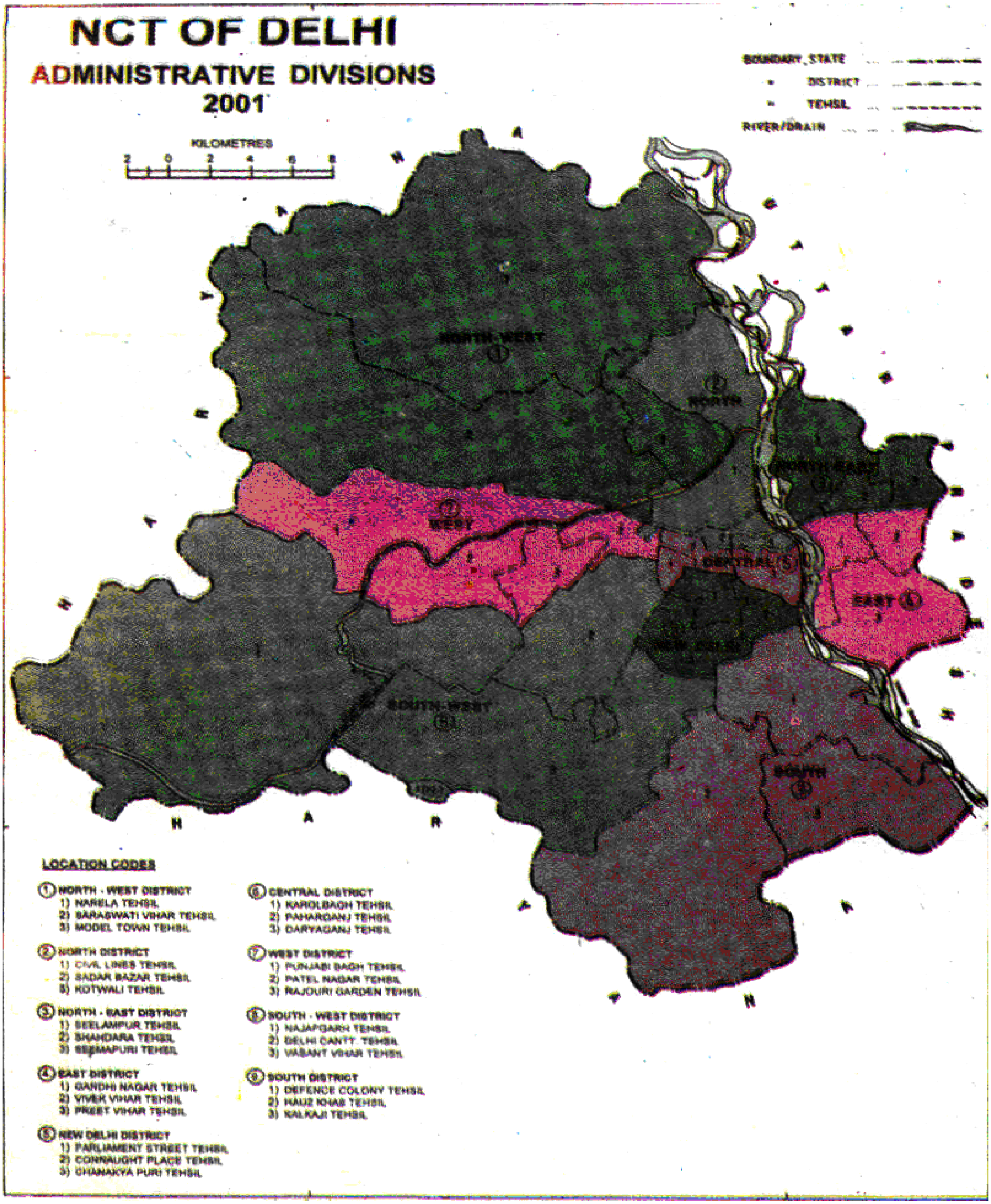
NCT OF DELHI
ADMINISTRATIVE DIVISIONS
2001
KILOMETRES
2 0 2 4 6 8
BOUNDARY, STATE
DISTRICT
TEHSIL
RIVER/DRAIN
NORTH-WEST
1
2
NORTH
NORTH EAST
3
7
WEST
CENTRAL 6
EAST 4
SOUTH-WEST
8
SOUTH
9
H
A
R
Y
A
N
A
U
T
T
A
R
P
R
A
D
E
S
H
LOCATION CODES
1 NORTH - WEST DISTRICT
1) NARELA TEHSIL
2) SARASWATI VIHAR TEHSIL
3) MODEL TOWN TEHSIL
2 NORTH DISTRICT
1) CIVIL LINES TEHSIL
2) SADAR BAZAR TEHSIL
3) KOTWALI TEHSIL
3 NORTH - EAST DISTRICT
1) SEELAMPUR TEHSIL
2) SHAHDARA TEHSIL
3) SEEMAPURI TEHSIL
4 EAST DISTRICT
1) GANDHI NAGAR TEHSIL
2) VIVEK VIHAR TEHSIL
3) PREET VIHAR TEHSIL
5 NEW DELHI DISTRICT
1) PARLIAMENT STREET TEHSIL
2) CONNAUGHT PLACE TEHSIL
3) CHANAKYA PURI TEHSIL
6 CENTRAL DISTRICT
1) KAROLBAGH TEHSIL
2) PAHARGANJ TEHSIL
3) DARYAGANJ TEHSIL
7 WEST DISTRICT
1) PUNJABI BAGH TEHSIL
2) PATEL NAGAR TEHSIL
3) RAJOURI GARDEN TEHSIL
8 SOUTH - WEST DISTRICT
1) NAJAFGARH TEHSIL
2) DELHI CANTT. TEHSIL
3) VASANT VIHAR TEHSIL
9 SOUTH DISTRICT
1) DEFENCE COLONY TEHSIL
2) HAUZ KHAS TEHSIL
3) KALKAJI TEHSIL

16. वर्ष 2007–08 के दौरान दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर 1,43,911 करोड़ रुपये आंका गया है। इसमें 1999–2000 के अनुमानित 55,220 करोड़ रुपये की तुलना में 12.72 प्रतिशत की दर से वार्षिक चक्र वृद्धि बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसी प्रकार, इस अवधि के लिए 1999–2000 के मूल्यों पर वार्षिक चक्र वृद्धि बढ़ोतरी की दर 8.9 प्रतिशत आंकी गयी है।

17. वर्ष 2007–08 के दौरान दिल्ली का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर 1,31,884 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें 1999–2000 के अनुमानित 51,175 करोड़ रुपये की तुलना में 12.56 प्रतिशत की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 1999–2000 के मूल्यों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद 2007–08 में 100877 करोड़ रुपये आंका गया है, जिसमें वार्षिक चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की दर 8.85 प्रतिशत रही है।

18. वर्तमान श्रृंखला के अनुसार दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर 2007–08 में 78,690 रुपये आंकी गई है, जबकि 2006–07 के दौरान यह 70,238 रुपये और 2005–06 के दौरान 60,951 रुपये आंकी गई थी। 2005–06 और 2006–07 के लिए वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 11.8 प्रतिशत और 15.2 प्रतिशत थी। त्वरित अनुमानों के अनुसार 2007–08 के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 12.0 प्रतिशत आंकी गई है।

19. 1999–2000 के मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2007–08 में 60,189 रुपये आंकी गई है जबकि 2006–07 के दौरान यह 54,821 रुपये थी। इसमें 9.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई। किन्तु, वास्तविक संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2007–08 के दौरान 24,295 रुपये रही, जिसमें 7.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुमान)। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर दोनों ही मूल्यों पर राष्ट्रीय औसत के दुगुनी से भी अधिक है।

20. सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार संरचना के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र (जिसमें कृषि, पशुधन, वानिकी, मछली पालन, खनन और उत्खनन शामिल हैं) और तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है (जिसके अंतर्गत व्यापार, होटल और रेस्तरा, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्त एवं बीमा, स्थावर संपत्ति, व्यापारिक सेवाएं, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं शामिल हैं), का योगदान घट रहा है जबकि द्वितीयक क्षेत्र (जिसमें विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और भवन निर्माण आते हैं) का योगदान नियमित रूप से बढ़ रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो 1999–2000 में 1.38 प्रतिशत था, वह प्रचलित मूल्यों पर 2007–08 में घटकर 0.69 प्रतिशत रह गया। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान आधार वर्ष के दौरान 18.26 प्रतिशत था, जो 2007–08 में बढ़कर 20.68 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1999–2000 में 80.36 प्रतिशत था, जो 2007–08 में घटकर 79.05 प्रतिशत रह गया।

21. सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार संरचना प्रचलित मूल्यों के समान 1999–2000 के मूल्यों के आधार पर भी समान प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। इसमें प्रतिशत का मामूली अंतर है। 2007–08 के दौरान प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान क्रमशः 0.65 प्रतिशत, 17.21 प्रतिशत और 82.14 प्रतिशत रहा।

22. वैष्विक आर्थिक मंदी का अनेक क्षेत्रों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। आर्थिक मंदी के कारण कर–वसूली भी प्रभावित हुई है। किन्तु, संगठित प्रयासों की बदौलत 2008–09 में 12180 करोड़ रुपये की वसूली कुल कर राजस्व के रूप में की गई, जो पिछले वर्ष की 11782.80 करोड़ रुपये की वसूली की तुलना में 3.38 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्शाती है। आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन कर और विलासिता कर पर अधिक पड़ा, जिनमें वर्ष के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज हुई। वैट और राज्य आबकारी की वसूली के मामले में क्रमशः 10.13 और 9.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

23 2008–09 के दौरान संशोधित वेतन नियम, 2008 लागू किये गये जिसके फलस्वरूप सरकार को अतिरिक्त वित्तीय देयता वहन करनी पड़ी। भारत सरकार से लघु बचत ऋण के प्रवाह में भारी कमी आई और ये ऋण 2006–07 के 4002.14 करोड़ रुपये से घटकर 2007–08 में 746.02 करोड़ रुपये रह गए। 2008–09 के दौरान भी इन ऋणों में कमी का सिलसिला जारी रहा। संकट की इस अवधि में भी सरकार 2008–09 के संशोधित अनुमान के अनुसार 3612.23 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष बनाये रखने में सफल रही।

24. दिल्ली मेट्रो के दूसरे चरण में नौ मार्गो पर निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रगति पर रहा। शाहदरा–दिलशाद गार्डन और दिल्ली विश्वविद्यालय–जहांगीर पुरी मार्गो पर निर्माण कार्य पूरा किया गया और निर्धारित तारीखों से पहले ही इन मार्गो पर यातायात शुरू हो गया।

25. 2007–08 और 2008–09 में डीटीसी के बेड़े में 625 नयी लो–फ्लोर बसें जोड़ने के अतिरिक्त 2500 नयी वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित लो–फ्लोर बसों की खरीद के लिए आदेश दिया गया।

26. ब्लू–लाइन बसों के मौजूदा बेड़े के स्थान पर कॉरपोरेट/सहकारी परिवहन ऑपरेटरों की बसों की व्यवस्था करने के लिए समूची दिल्ली को 17 समूहों में विभाजित किया गया। इन समूहों के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं और प्रथम समूह के लिए ऑपरेटर के चयन को अंतिम रूप दिया गया।

27. गीता कालोनी पुल, अप्रचलित (डिस्यूज्ड) नहर पर सड़क, मंगोलपुरी फ्लाईओवर, मुकरबा चौक फ्लाईओवर और मार्ग संख्या–63 पर आरओबी का निर्माण कार्य पूरा किया गया तथा अनेक फ्लाई ओवरों और आरओबी का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है।

28. अम्बेडकर नगर से दिल्ली गेट तक बीआरटी कॉरीडोर का निर्माण पूरा करने के लिए शेष भाग यानी मूलचंद से दिल्ली गेट तक बीआरटी कॉरीडोर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस तरह के चार अन्य बीआरटी कॉरीडोर बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम पूरा किया गया।

29. डीटीसी के बेड़े में 3000 से अधिक वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित लो–फ्लोर बसें शामिल करने तथा दिल्ली के 17 समूहों में कारपोरेट/सहकारी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को शामिल करते हुए सरकार की प्राथमिक परियोजनाओं में 6 हजार से अधिक बसों की पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था और उनकी मरम्मत तथा रख–रखाव के लिए डिपो बनाना शामिल है। डीटीसी के कुछ डिपो बनाने के लिए भूमि आवंटित की गई। शेष डिपो और टर्मिनलों तथा पार्किंग स्थलों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध दिल्ली विकास प्राधिकरण से किया गया।

30. द्वारका (50 एमजीडी) और ओखला (20 एमजीडी) में दो नये जल शोधन संयंत्रों का निर्माण कार्य शुरूकिया गया ताकि दक्षिण–पश्चिम और दक्षिणी दिल्ली में जल वितरण प्रणाली में सुधार लाया जा सके।

31. सभी जल शोधन संयंत्रों और भूमिगत जलाशयों के सभी प्रवेश और निर्गम बिन्दुओं पर 305 बॅल्क मीटर लगाने की परियोजना की प्रगति रही। इसके पूरा होने पर प्रत्येक जोन/बस्ती में जलापूर्ति का सही–सही जायजा लिया जा सकेगा ताकि ट्रांसमिशन और वितरण प्रक्रिया में जल की क्षति और साथ ही चोरी और अन्य कारणों से होने वाले पानी के नुकसान का पता चल सके।

32. पानी की सही मीटरिंग और जल–आपूर्ति प्रणाली का हिसाब रखने के लिए सभी खराब उपभोक्ता मीटरों को बदलने के वास्ते दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक लाख नये अत्याधुनिक उपभोक्ता मीटर खरीदे जा चुके हैं और ऐसे चार लाख नये मीटर खरीदे जाएंगे।

33. 55 किलोमीटर लंबे बकाया ट्रंक सीवरों की पुनर्स्थापना का कार्य आवंटित किया गया जो मार्च 2010 तक पूरा हो जाएगा। इस कार्य के पूरा होने के बाद 150 किलोमीटर की समूची ट्रंक सीवर प्रणाली पूरी तरह पुनर्स्थापित और परिचालित हो जाएगी।

34. सभी ग्रामीण गांवों में सीवर प्रणाली कायम करने की परियोजना प्रारंभ की गई, जिसके अन्तर्गत 27 ग्रामीण गांवों में कार्य प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार अनधिकृत कालोनियों में सीवर प्रणाली कायम करने का काम शुरूकिया गया और 22 अनधिकृत कालोनियों में इसे पूरा किया।

35. जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत बीएसयूपी उप–मिशन के तहत निम्न आय वर्ग के लिए आवास निर्माण की 15 परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा मंजूर की गईं। इसके अन्तर्गत झुग्गी–झोपड़ी वासियों और आर्थिक दृष्टि

से कमजोर वर्गो के लिए मकान उपलब्ध कराये जाएंगे। करीब 8 हजार फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा किया गया और सात हजार फ्लैटों का निर्माण कार्य जारी है।

36. कनाट प्लेस के पुनर्विकास की परियोजना जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 253 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर की गई थी। इसके अंतर्गत नदिनप को 22 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई।

37. तीन नये विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ दिल्ली, अम्बेडकर विश्वविद्यालय और इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), ने काम करना शुरूकर दिया है।

38. दिल्ली में सभी तकनीकी शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली नॉलिज डिवेलप्मेंट फाउंडेशन की स्थापना की गई है।

39. गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के द्वारका परिसर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है।

40. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने गीता कालोनी में निर्मित स्वयं के परिसर में काम करना शुरू कर दिया है।

41. वसन्तकुंज में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलिएरी साइंसिज के निर्माण का प्रथम चरण पूरा किया गया।

42. खेड़ा डाबर में चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक संस्थान का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है।

43. द्वारका में 750 बिस्तर के नये अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज और अशोक विहार में 200 बिस्तर के नये अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू किया गया।

44. 2008–09 के दौरान मालवीय नगर, पटेल नगर, मोती नगर, नसीरपुर, शस्त्री पार्क में नये अस्पतालों के चालू हो जाने और हरिनगर, मंगोलपुरी आदि में मौजूदा अस्पतालों के विस्तार के साथ 340 नये अस्पताल बिस्तरों की व्यवस्था करना संभव हुआ।

45. दिल्ली सरकार द्वारा 2008–09 के दौरान एक होम्योपैथिक, एक आयुर्वेदिक और पांच नये ऐलोपैथिक औषधालय शुरू किए गए।

46. उपराज्यपाल की अध्यक्षता में दिल्ली पार्कस एंड गार्डन सोसायटी की स्थापना की गई है। इस सोसायटी का मुख्य लक्ष्य सभी संबद्ध एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के जरिये दिल्ली में सभी पार्कों और उद्यानों के रखरखाव में सुधार लाना है। सोसायटी इस प्रयोजन के लिए संबद्ध एजेंसियों को तकनीकी जानकारी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।

47. बवाना में 1500 मेगावॉट क्षमता के कम्बाइन्ड साइकिल गैस स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर रहा, जो सितंबर 2010 तक पूरा हो जाएगा।

48. झज्जर में भी 1500 मेगावॉट के संयुक्त उद्यम ताप बिजलीघर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जिसके अक्टूबर 2010 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इस बिजलीघर से दिल्ली को 750 मेगावॉट बिजली मिलेगी।

49. सरकार द्वारा पिछले वर्ष शुरूकी गई 'लाडली' योजना के अन्तर्गत 1.25 लाख से अधिक जनवरी 2008 के बाद की नवजात लड़कियों और सरकारी स्कूलों में दाखिल हुई छात्राओं के नाम पंजीकृत किये गये। लाडली योजना की बढ़ती लोकप्रियता से महिला साक्षरता, अस्पतालों में प्रसव और दिल्ली में लिंग अनुपात में सुधार की व्यापक संभावनाएं पैदा हो गई हैं।

50. विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, स्वयं के पोलिटेक्निक संस्थानों और आईटीआई संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा शुरू किये गये कौशल सुधार कार्यक्रम से बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को कौशल सुधारने में मदद मिली है। इससे उन्हें बड़ी संख्या में कौशल सुधार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिले के अवसर मिले हैं। इन पाठ्यक्रमों की अवधि छह महीने से एक वर्ष तक की होती है। प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा स्वीकृत माड्यूलर पाठ्यक्रमों का डिजाइन डीजीई एडं टी, श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने तैयार किया।

51. समाज के कमजोर वर्गों की सहायता और सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने "स्वास्थ्य बीमा योजना", "आम आदमी बीमा योजना" और "जनश्री बीमा योजना" लागू की है।

52. 2008–09 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह की गई। 2008–09 के दौरान 2.4 लाख नागरिकों, 18400 विधवाओं और 840 बेरोजागार विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

53. 2008–09 के दौरान दिल्ली बाल आयोग की स्थापना की गई और आयोग ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया।

54. दिल्ली में महिलाओं एवं बच्चों के लक्षित समूहों को आईसीडीएस योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए आईसीडीएस परियोजनाओं की संख्या 28 से बढ़ाकर 50 की गई, जिससे लाभार्थियों की संख्या 7.32 लाख तक पहुंच गई। 11.51 लाख विद्यार्थियों को दोपहर के भोजन की योजना का लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने आईसीडीएस के पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी हिस्सेदारी प्रति लाभार्थी प्रतिदिन एक रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये करने का निर्णय किया।

55. दिल्ली सरकार 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध 59 परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इन परियोजनाओं में त्यागराज खेल परिसर का निर्माण, तालकटोरा, शिवाजी, छत्रसाल स्टेडियमों का नवीकरण और विस्तार तथा लुडलो कैसल में ट्रेनिंग इन्डोर स्टेडियम का निर्माण शामिल है। दिल्ली जल बोर्ड राष्ट्रमंडल गेम्स विलेज़

पर जल शोधन संयंत्र और मल–जल उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा करेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक क्रीड़ास्थल एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर मेडिकल सेन्टरों की स्थापना के अलावा गेम्स विलेज़ में एक पोलिक्लिनिक स्थापित किया जाएगा। खेलों में हिस्सा लेने वालों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मौजूदा अस्पतालों में विशेष इकाईयां कायम की गई हैं। आईटी विभाग को खेलों के लिए एक समर्पित संचार नेटवर्क प्रणाली परियोजना का काम सौंपा गया है।

56. सभी खेल स्थलों और खेल स्थलों को जोड़ने वाले सभी प्रमुख मार्गो के चौराहों के आसपास भूपरिदृश्यों के बारे में सुझाव देने और तत्संबंधी डिजाइन तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। सितंबर 2010 तक 18 नये फ्लाईओवर/आरओबी का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल शुरूहोने से पहले रेलवे क्रासिंगों पर 8 एफओबी और 19 आरओबी बनाये जाएंगे ताकि शहर के सभी मार्गो पर यातायात का प्रवाह उत्कृष्ट बना रहे। खेल स्थलों और खेल गावं को जोड़ने वाले सभी प्रमुख मार्गो के लिए नयी स्ट्रीट लाइटिंग और सड़क संकेतकों का डिजाइन तैयार किया गया है। कुश्क नाले और सुनहरी बाग नाले को कवर करते हुए दो नये पार्किग स्थल विकसित किए जा रहे हैं।

57. दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए 1657 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए गए हैं। भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की है और शेष 1257 करोड़ रुपये का योगदान सरकार ने अपने संसाधनों से किया है।

v/;k; 2
jkT; ?kjsyw mRikn

1. राज्य घरेलू उत्पाद मौद्रिक संदर्भ में एक ऐसा पैमाना है, जिससे एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के परिमाण का आकलन किया जाता है और यह ध्यान रखा जाता है कि तत्संबंधी गणना में कोई आवृत्ति न होने पाए। ये अनुमान राज्य की आर्थिक समृद्धि के प्रमुख संकेतक के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी राज्य–क्षेत्र दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विकास में सेवा क्षेत्र से बल मिला है और वह देश में एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है।

ipfyr eY;ks ij vueku

2. दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2006–07 में 125282 करोड़ रुपये था, यह उससे पिछले वर्ष के मुकाबले 18.4 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2007–08 के बारे में लगाए गए त्वरित अनुमानों के अनुसार जीएसडीपी 143911 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो प्रचलित मूल्यों पर 14.9 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी दर्शाता है।

3. वर्ष 2007–08 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) 131884 करोड़ रूपये था, जो उससे पिछले वर्ष के मुकाबले 15.3 प्रतिशत अधिक है।

1999&2000 ds eY;ks ij vueku

4. दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1999–2000 के मूल्यों के आधार पर वर्ष 2007–08 में उससे पिछले वर्ष के मुकाबले 12.5 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 109201 करोड़ रुपये था जबकि सकल घरेलू उत्पाद में अखिल भारतीय स्तर पर वृद्धि दर 9.0 प्रतिशत रही। यद्यपि वर्ष 2006–07 के दौरान दिल्ली की वास्तविक वृद्धि दर 15.1 प्रतिशत दर्ज हुई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 9.7 प्रतिशत थी।

5. 1999–2000 के मूल्यों के आधार पर वर्ष 2007–08 में एनएसडीपी 13.0 प्रतिशत वृद्धि के साथ 100877 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यद्यपि वर्ष 2006–07 में एनएसडीपी (89309 करोड़ रुपए) में वार्षिक वृद्धि 15.4 प्रतिशत संभावित है।

6. 2007–08 में जीएसडीपी में क्षेत्रवार वास्तविक बढ़ोतरी–प्राथमिक क्षेत्र में (–)3.7 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 4.6 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र में 14.4 प्रतिशत दर्ज हुई।

7. दिल्ली में गत 5 वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का सारांश प्रचलित और 1999–2000 के मूल्यों पर नीचे दिए गए विवरण में दर्शाया गया है।

fooj.k 2-1

fiNys o"kZ dh rqyuk esa ifr'kr of)

	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2006–07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1.प्रचलित मूल्यों पर 2. 1999–2000 के मूल्यों पर	11.4 5.7	15.8 11.7	14.9 11.0	18.4 15.1	14.9 12.5
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 1.प्रचलित मूल्यों पर 2. 1999–2000 के मूल्यों पर	11.3 5.4	14.5 10.8	15.1 11.4	18.6 15.4	15.3 13.0

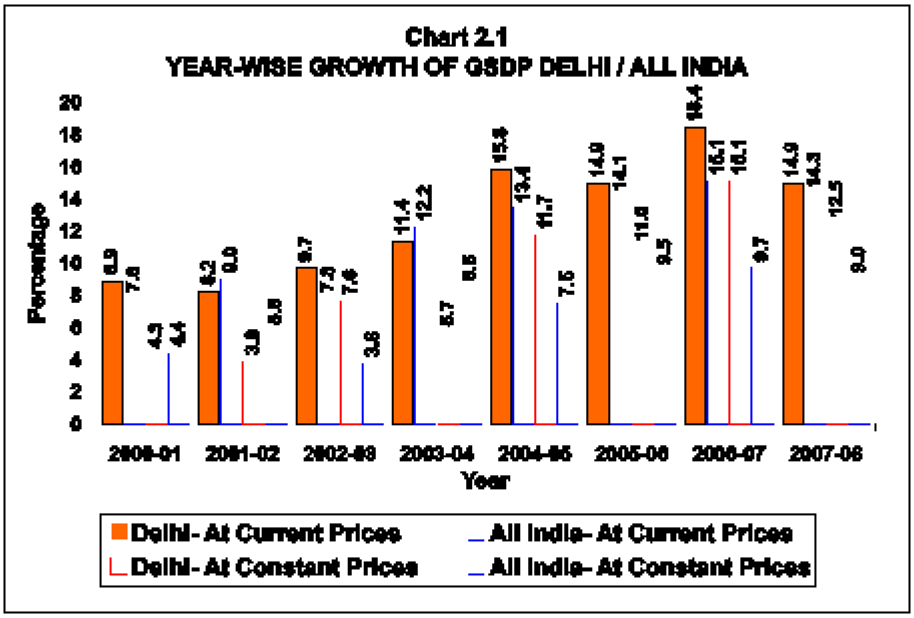

fodkl izofÙk

8. वर्ष 2007–08 में दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) प्रचलित मूल्यों पर 143911 करोड़ रुपये था, जिसमें 1999–2000 के जीएसडीपी, 55220 करोड़ रुपये, की तुलना में 12.72 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से वार्षिक बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसी प्रकार 1999–2000 के मूल्यों पर इसी अवधि के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि दर 8.9 प्रतिशत आंकी गई।

9. वर्ष 2007–08 में दिल्ली का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 131884 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह 1999–2000 में 51175 करोड़ रुपये था। इस तरह प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में 12.56 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से वार्षिक बढोतरी दर्ज हुई। 2007–08 में षुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 100877 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें 1999–2000 के मूल्यों पर 8.85 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से वार्षिक बढोतरी दर्ज हुई।

10. दिल्ली और अखिल भारतीय तुलनात्मक वार्षिक चक्र वृद्धि दर नीचे दिए गए विवरण में दर्शायी गयी है

fooj.k 2-2
okf"kd ifr'kr pØof) nj ¼1999&2000 ls 2007&08½

	दिल्ली	अखिल भारतीय
सकल राज्य घरेलू उत्पाद/शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद		
1.प्रचलित मूल्यों पर	12.72	11.67
2. 1999–00 के मूल्यों पर	8.90	7.26
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद/शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद		
1.प्रचलित मूल्यों पर	12.56	11.42
2. 1999–00 के मूल्यों पर	8.85	7.11

ifdk"B 2-1
jkT; ?kjsyw mRikn dk vuqeku yxkus dh lf{kIr fof/k

राज्य घरेलू उत्पाद के प्राक्कलनों की गणना उत्पादन पद्धति/ व्यय पद्धति/आय पद्धति के जरिए की जाती है। उत्पादन पद्धति का उपयोग कृषि, पशुधन, वानिकी, मछली पालन, खनन और उत्खनन तथा विनिर्माण (पंजीकृत) के आकलन के लिए किया जाता है। इस पद्धति में संबद्ध गतिविधि से प्राप्त उत्पाद को थोक मूल्यों से गुणा किया जाता है ताकि राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जा सके।

व्यय पद्धति केवल द्वितीयक क्षेत्र की निर्माण गतिविधियों के लिए प्रयोग की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजीगत व्यय को बजट दस्तावेज से लिया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र में इसका अनुमान सीमेंट और इस्पात की खपत से लगाया जाता है।

आय पद्धति का प्रयोग शेष आर्थिक गतिविधियों, जैसे विनिर्माण (गैर–पंजीकृत), विद्युत, जल प्रदाय के साथ–साथ समस्त तृतीयक क्षेत्र के कार्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है। इन कार्यों में व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय, बीमा, स्थावर संपदा, व्यवसायिक सेवाएं, सुरक्षा सहित लोक प्रशासन और अन्य सेवायें शामिल हैं। यह पद्धति सार्वजनिक और निजी, दो श्रेणियों में अंतर दर्शाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में आय की गणना आर्थिक और प्रयोजन संबंधी वर्गीकरण के अनुसार बजट दस्तावेज का विश्लेषण करके की जाती हैं। निजी क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि का आकलन करने के लिए प्रति श्रमिक वार्षिक सकल मूल्य वृद्धि को अनुमानित श्रमिक संख्या से गुणा किया जाता है।

ifr 0;fDr vk;

11 वर्तमान शृंखला के अनुसार दिल्ली में वर्ष 2007–08 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 78,690 रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 2006–07 और उससे पिछले वर्ष 2005–06 में क्रमशः 70,238 रुपए और 60,951 रुपए थी। वर्ष 2005–06 और 2006–07 में वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 11.8 और 15.2 प्रतिशत रही। त्वरित अनुमान के अनुसार 2007–08 के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 12.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

12 1999–2000 के मूल्यों के आधार पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2007–08 में 60,189 रुपए होने का अनुमान है, जबकि 2006–07 में यह 54,821 रुपए थी। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में 9.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 2007–08 के दौरान 24,295 रुपए रही है, जिसमें 7.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई (केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमान)।

13 दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित एवं स्थिर, दोनों मूल्यों पर राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय से दो गुणी से भी अधिक है। जैसे की नीचे दर्शाया गया है:

fooj.k 2-3

ifr 0;fDr vk;] fnYyh@vf[ky Hkkjrh;

	1999– 2000	2006–07*	2007–08#	एसीजीआर 1999–2000 से 2007–08
प्रचलित मूल्यों पर				
दिल्ली	38913	70238	76690	9.20%
अखिल भारतीय	15881	29524	33283	9.69%
स्थिर मूल्यों (1999–2000) पर				
दिल्ली	38913	54821	60189	5.60%
अखिल भारतीय	15881	22580	24295	5.46%

ukV % *& अस्थायी, # त्वरित, एसीजीआर– वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर

14 चार्ट संख्या 2.2 और 2.3 में प्रति व्यक्ति आय की आरेखीय प्रस्तुति की गई है।

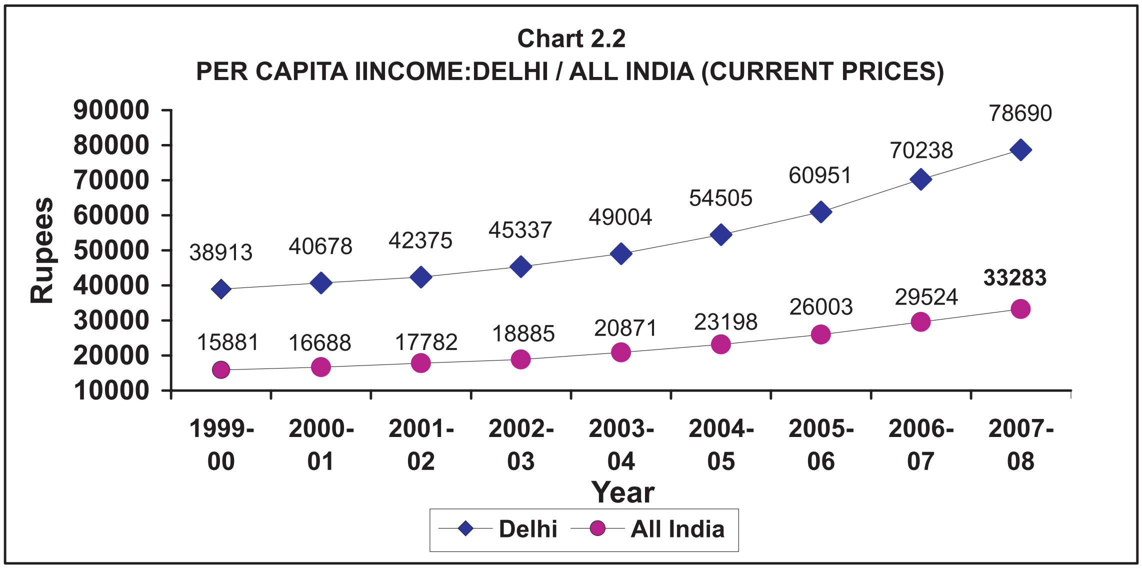

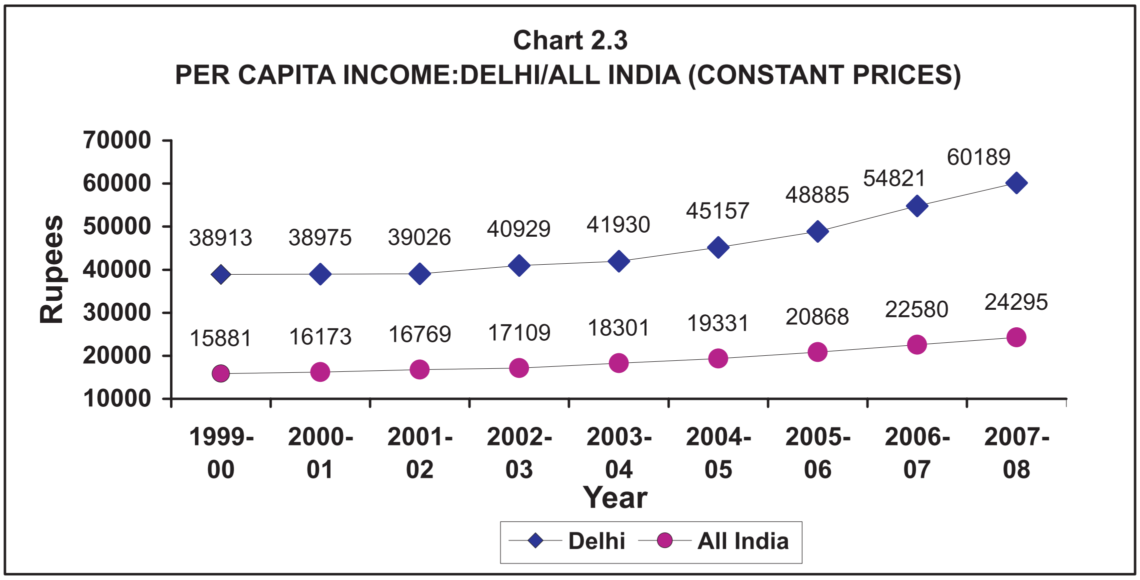

Idy jkT; ?kjyw mRikn dh {ks=okj lajpuk

15 स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार संरचना के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र (जिसमें कृषि, पशुधन, वानिकी, मछली पालन, खनन और उत्खनन शामिल हैं) का योगदान प्रचलित मूल्यों पर घट रहा है जबकि द्वितीयक क्षेत्र (जिसमें विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और भवन

निर्माण आते हैं) का योगदान और तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है (जिसके अंतर्गत व्यापार, होटल और रेस्तरा, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्त एवं बीमा, स्थावर संपत्ति, व्यापारिक सेवाएं, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं शामिल हैं), का योगदान मिश्रित रुझान प्रदर्शित कर रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो 1999–2000 में 1.38 प्रतिशत था, वह प्रचलित मूल्यों पर 2007–08 में घटकर 0.69 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार द्वितीयक क्षेत्र का योगदान आधार वर्ष के दौरान 18.26 प्रतिशत था, जो 2007–08 में बढ़कर 20.26 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1999–2000 में 80.36 प्रतिशत था, जो 2007–08 में घटकर 79.05 प्रतिशत रह गया।

fooj.k 2-4

fnYyh e§ ldy jkT; ?kjsyw mRikn dh {ks=okj lajpuk

क्षेत्र	1999–2000	2005–06		2006–07		2007–08	
		प्रचलित	स्थिर	प्रचलित	स्थिर	प्रचलित	स्थिर
प्राथमिक	1.38	0.85	0.87	0.76	0.76	0.69	0.65
द्वितीयक	18.26	20.50	19.89	20.12	18.49	20.26	17.21
तृतीयक	80.36	78.65	79.24	79.12	80.75	79.05	82.14
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

17 दिल्ली की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार संरचना में बदलाव का कारण तीव्र शहरीकरण को माना जा सकता है, जिसकी वजह से एक ओर कृषि और अनुषंगी गतिविधियों के लिए भूमि घटती जा रही है तथा दूसरी ओर द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र से संबद्ध गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण पर नियमित रूप से निगरानी रखने और नतीजतन प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद किए जाने से भी द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन में कमी आई है।

18 दिल्ली में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार संरचना में परिवर्तन का तुलनात्मक ब्योरा चार्ट 2.4 और 2.5 में दर्शाया गया है।

Chart 2.4
SECTORAL COMPOSITION OF GSDP, DELHI, 1999-2000

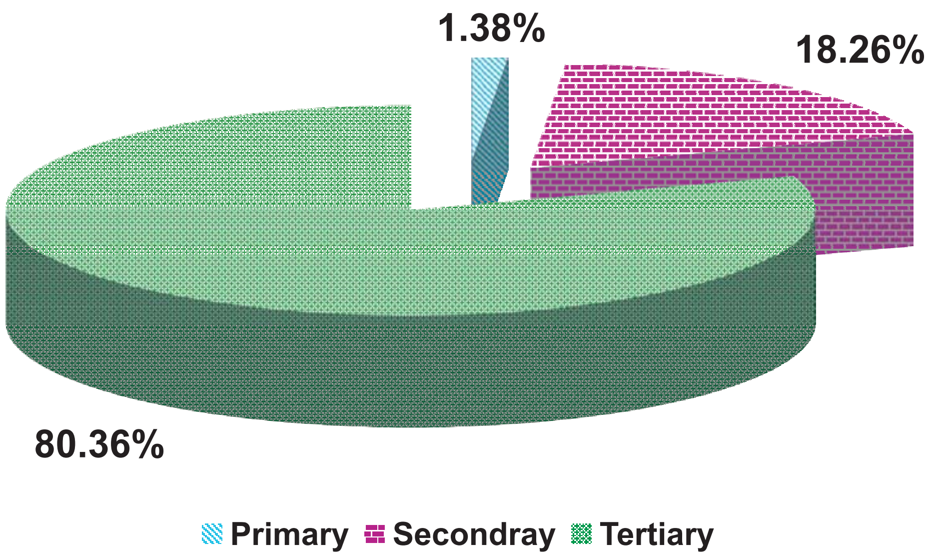

Chart 2.5
SECTORAL COMPOSITION OF GSDP, DELHI, 2007-08

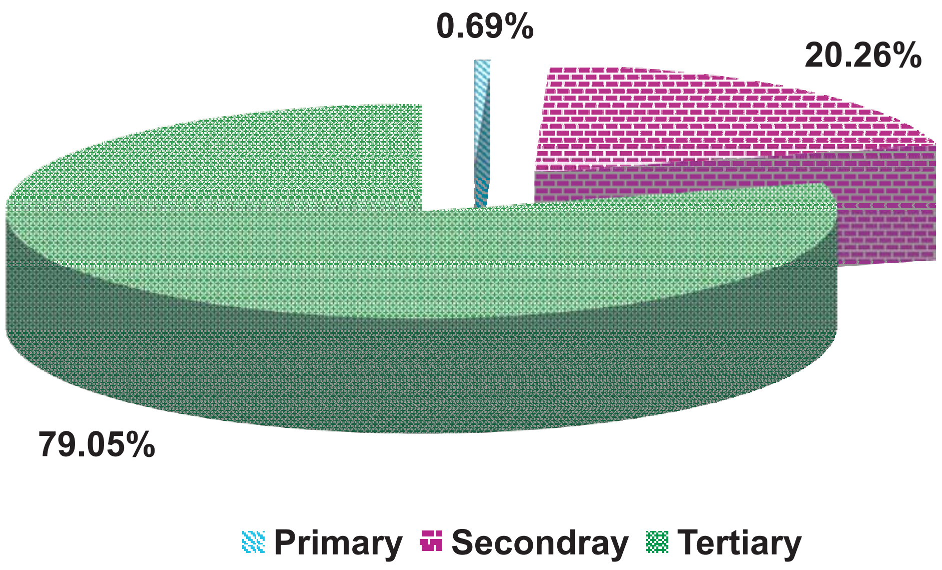

19 दिल्ली में प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक क्षेत्रों के अलग–अलग योगदान को क्रमशः चार्ट 2.6, 2.7, और 2.8 में दर्शाया गया है।

Chart 2.6
DIS-AGGREGATED PICTURE OF PRIMARY SECTOR
(GSDP AT CURRENT PRICES)

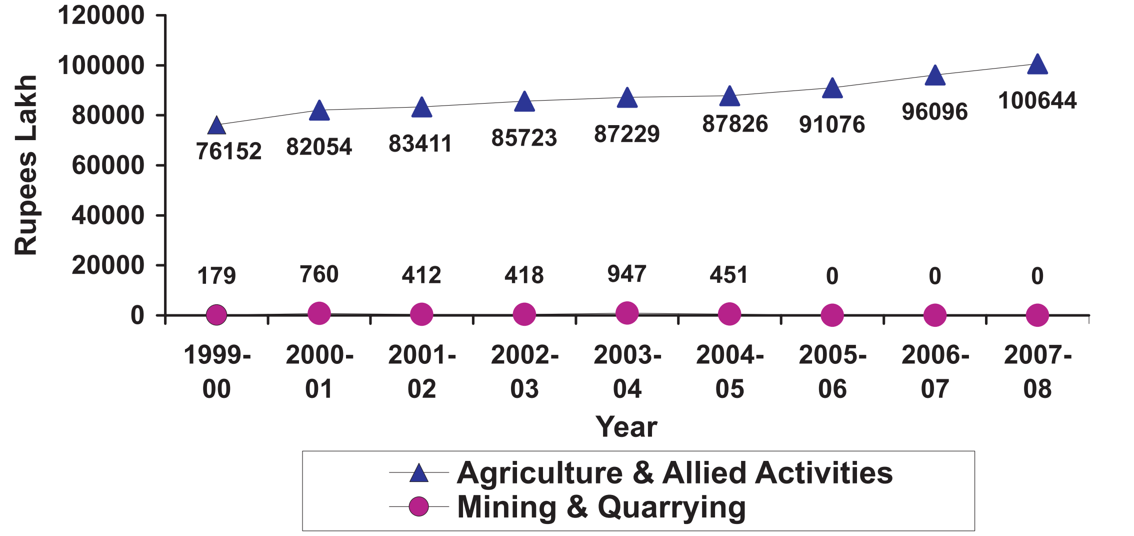

Chart 2.7
DIS-AGGREGATED PICTURE OF SECONDARY SECTOR
(GSDP AT CURRENT PRICES)

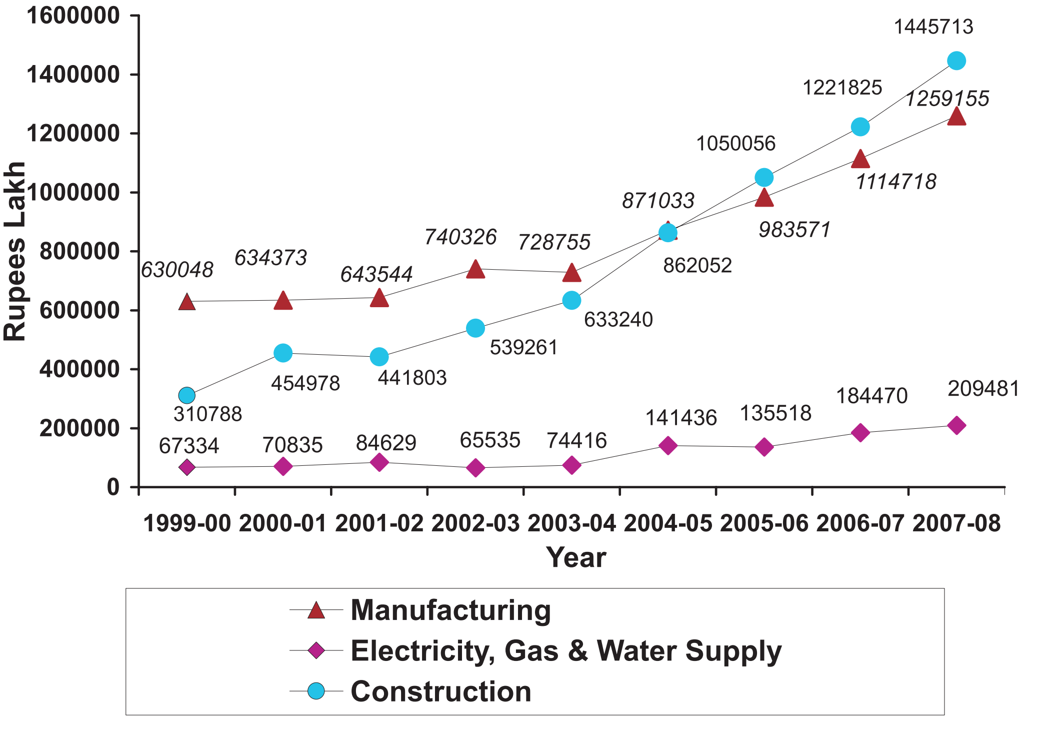

Chart 2.8
DIS-AGGREGATED PICTURE OF TERTIARY SECTOR
(GSDP AT CURRENT PRICES)

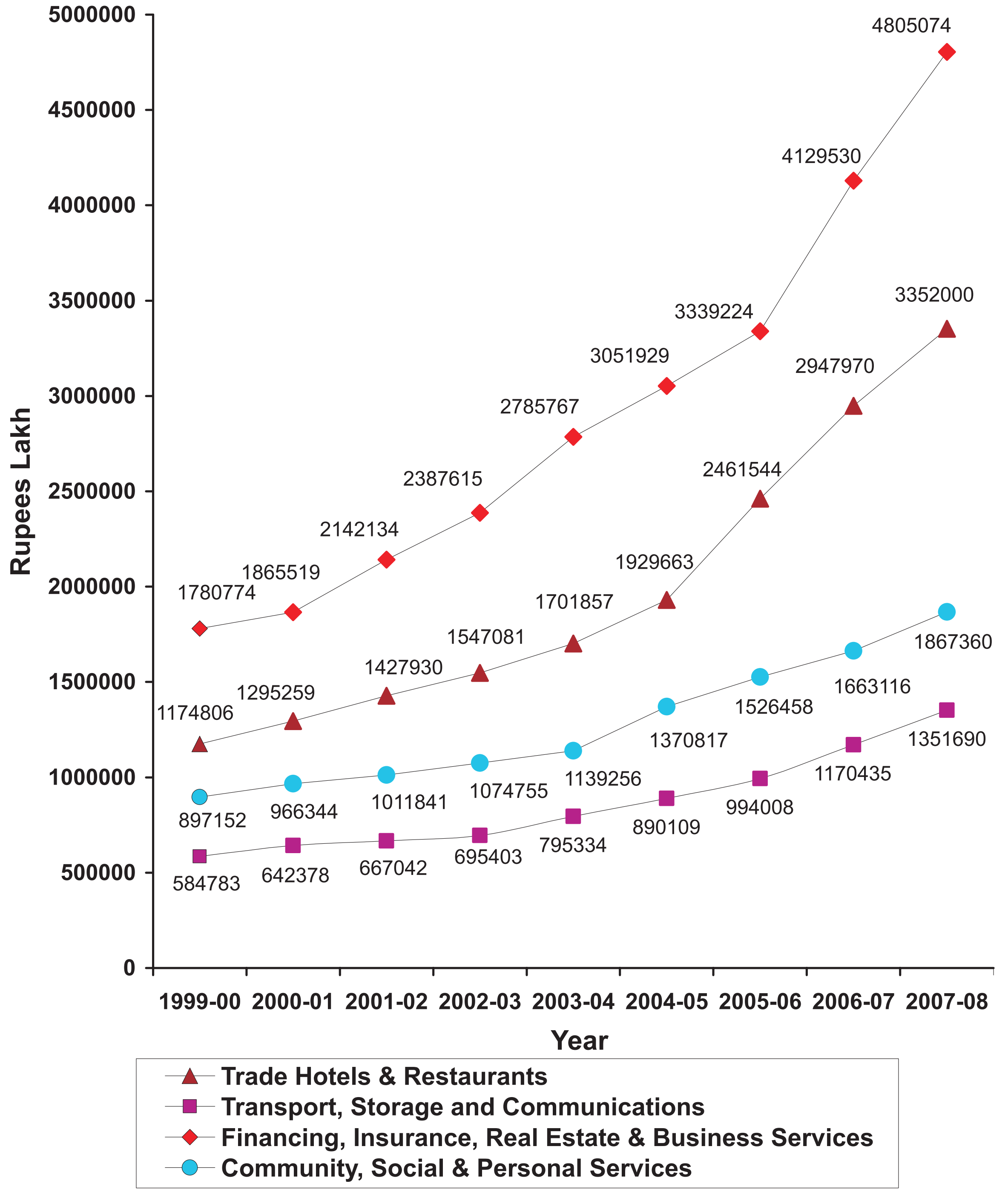

v/;k; 3
tu lkf[;dh; :ijs[kk

1. fnYyh dh tula[;k

2001 में कराई गई दशकीय जनगणना के अनुसार दिल्ली की आबादी 1 मार्च 2001 को 138.5 लाख आंकी गयी। जबकि 1 मार्च, 1991 को दिल्ली की आबादी 94.2 लाख थी। इससे पता चलता है कि 1991–2001 के दशक में दिल्ली की जनसंख्या 47.02 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। अखिल भारतीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि की यह दर 21.34 प्रतिशत आंकी गई है। दिल्ली की जनसंख्या अखिल भारतीय जनसंख्या का 1.34 प्रतिशत है जबकि दिल्ली का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 0.05 प्रतिशत है। राराराक्षे दिल्ली की 2001 की जनगणना के मुख्य निष्कर्ष तालिका 3.1 में दिए गए हैं। 1 मार्च 2009 को दिल्ली की जनसंख्या 174.4 लाख के आसपास आंकी गई है। इस आबादी का 95.0 प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहता है।

2- jk0jk0jk0{k fnYyh dk {k=Qy

1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार रा0रा0रा0क्षे0 दिल्ली के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी संरचना इस प्रकार थी :–

क्षेत्र का प्रकार	जनगणना वर्ष	
	1991	2001
ग्रामीण	797.66 वर्ग कि.मी.	558.32 वर्ग कि.मी.
शहरी	685.34 वर्ग कि.मी.	924.68 वर्ग कि.मी..
कुल	1483 वर्ग कि.मी.	1483 वर्ग कि.मी.

1991 और 2001 की जनगणनाओं के समय राराराक्षे दिल्ली के कुल क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन गांवों के शहरीकरण के कारण इसकी ग्रामीण–शहरी संरचना में परिवर्तन आया है।

3- fnYYkh dh vkcknh dh okf"kZd of) nj

दिल्ली में 1941–51 के दौरान आबादी की वार्षिक वृद्धि दर सबसे अधिक (6.42 प्रतिशत रही क्योंकि 1947 में विभाजन के कारण पाकिस्तान से बड़ी तादाद में शरणार्थी आकर बसे। तब से 1951–61 के दौरान वार्षिक वृद्धि 4.22 प्रतिशत, 1961–1971 के दौरान 4.25 प्रतिशत, 1971–1981 के दौरान 4.25 प्रतिशत और 1981–1991 के दौरान 4.15 प्रतिशत रही। 1991–2001 की अवधि में दिल्ली की आबादी की वार्षिक वृद्धि दर में थोड़ी कमी आई और यह 3.85 प्रतिशत रही है किन्तु, यह राष्ट्रीय औसत की लगभग दोगुनी है।

4- ftykokj fnYYkh dh vkcknh

1991 की जनगणना में दिल्ली को केवल एक जिला माना गया था। 1996 में रा0रा0रा0क्षे0 दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 9 जिले और 27 सब डिवीजन अधिसूचित किए। 2001 की जनगणना इन्हीं 9 जिलों और 27 सब डिवीजनों के आधार पर की गई। 1991 और 2001 में इन जिलों में आबादी की स्थिति निम्नांकित विवरण 3.1 में दर्शायी गयी है।

fooj.k 3-1

2001 जनसंख्या रैंक	जिला	जनसंख्या 2001	राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	जनसंख्या 1991	राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	1991 जनसंख्या रैंक
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तर–पश्चिम	2,860,869	20.65	1,777,968	18.87	1
2	दक्षिणी	2,267,023	16.37	1,501,881	15.94	2
3	पश्चिमी	2,128,908	15.37	1,433,038	15.21	3
4	उत्तर–पूर्वी	1,768,061	12.77	1,085,250	11.52	5
5	दक्षिण पश्चिमी	1,755,041	12.67	1,087,573	11.55	4
6	पूर्वी	1,463,583	10.57	1,023,078	10.86	6
7	उत्तरी	781,525	5.64	686,654	7.29	7
8	केंद्रीय	646,385	4.67	656,533	6.97	8
9	नई दिल्ली	179,112	1.29	168,669	1.79	9
	कुल	**13,850,507**	**100.00**	**9420644**	**100.00**	

ukV %& 9 जिलों के बारे में 1991 की जनगणना संबंधी आंकड़े इन जिलों के वर्तमान अधिकार क्षेत्र के अनुसार पुनः विश्लेषित किए गए हैं।

5- L=h&iq#"k vuikr

आबादी की सामाजिक, आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए स्त्री–पुरुष अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय संकेतक है। दिल्ली में 2001 में स्त्री–पुरुष अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) 821 है। अखिल भारतीय स्तर पर स्त्री–पुरुष अनुपात 933 है। 1991–2001 की अवधि में स्त्री–पुरुष अनुपात की दृष्टि से जिलों का स्थान निम्नांकित विवरण 3.2 में दर्शाया गया है। चुने हुए देशों में स्त्री–पुरुष अनुपात 3.3 में दिया गया है।

fooj.k 3-2

L=h&iq#"k vuqikr dh nf'V ls ftyksa dk LFkku] 1991&2001

2001 का रैंक	जिला	स्त्री–पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों		1991 का रैंक
		2001	1991	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	उत्तर–पूर्व	849	837	4
2	पूर्वी	843	846	3
3	केंद्रीय	842	872	1
4	पश्चिम	830	848	2
5	उत्तरी	826	819	6
6	उत्तर–पश्चिम	820	822	5
7	दक्षिणी	799	807	7
8	नई दिल्ली	792	788	9
9	दक्षिण पश्चिम	784	795	8
	रा.रा.रा.क्षेत्र दिल्ली	821	827	

ukV % 9 जिलों के बारे में 1991 की जनगणना के स्त्री–पुरुष संबंधी आंकड़े इन जिलों के वर्तमान अधिकार क्षेत्र के अनुसार पुनः विश्लेषित किए गए हैं।

fooj.k 3-3

pfUnk n'kksa esa L=h&iq#"k vuqikr

क्र. सं.	देश	स्त्री–पुरुष अनुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं)
1	विश्व	986
2	चीन	944
3	भारत	933
4	अमरीका	1029
5	इंडोनेशिया	1004
6	ब्राजील	1025
7	पाकिस्तान	938
8	रूस	1140
9	बंगलादेश	953
10	जापान	1041
11	नाइजीरिया	1016

Ikr : 2001 जनगणना का पेपर 1 : भारत के महापंजीयक (वर्ल्ड पापुलेषन प्रोस्पेक्ट्स(मध्यावधि अनुमान) 1998 रिविजन, वेल्यूम–2, सेक्स एंड ऐज, यूनाइटेड नेशन्स)।

6 fnYyh vkj Hkkjr e: L=h&i#"k vuikr ¼1901 I: 2001½ rkfydk 3-5 e: fn;k x;k gA

Chart 3.1

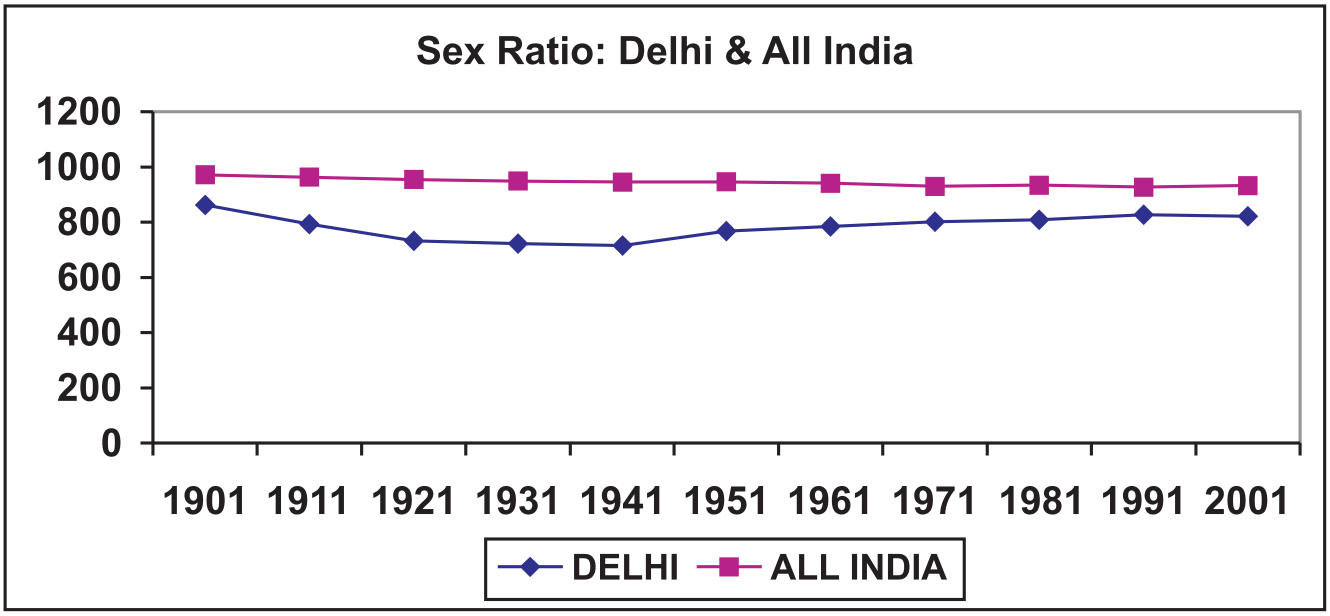

7- tulI[;k dk /kuRo

जनसंख्या का घनत्व आबादी के संकेन्द्रण का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है और इसे प्रतिवर्ग कि.मी. व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का धनत्व प्रति किलोमीटर 9340 व्यक्ति आंका गया है, जबकि 1991 में यह 6352 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। अखिल भारतीय स्तर पर आबादी का धनत्व 2001 में प्रतिव्यक्ति किलोमीटर 324 व्यक्ति आंका गया है। दिल्ली में आबादी का धनत्व देश में सबसे अधिक है। जनसंख्या धनत्व का जिलावार विवरण है 3.4 में दिया गया है :

fooj.k 3-4

2001 की श्रेणी	जिला	जनसंख्या का धनत्व		1991 की श्रेणी
		2001	1991	
1.	2	3.	4.	5.
1.	उत्तर पूर्वी	29,468	18,088	2
2.	मध्य दिल्ली	25,855	26,261	1
3	पूर्वी	22,868	15,986	3
4.	पश्चिम	16,503	11,116	5
5.	उत्तर	13,025	11,471	4
6.	दक्षिण	9,068	6,012	6
7.	उत्तर–पश्चिम	6,502	4,042	8
8.	नई दिल्ली	5,117	4,791	7
9.	दक्षिण पश्चिम	4,179	2,583	9
	सम्पूर्ण दिल्ली	9,340	6,352	

ukV %& 9 जिलों के लिए 1991 की जनगणना संबंधी आबादी का धनत्व इन जिलों के वर्तमान अधिकार क्षेत्र के अनुसार आंकड़ों को पुनः विश्लेषित करके किया गया है।

1991–2001 के दौरान जनसंख्या धनत्व में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का स्थानांक तालिका 3.6 में लिया गया है।

8- ifjokj vkdkj

1991 की जनगणना के अनुसार परिवार का औसत आाकर 5.06 व्यक्तियों का था। सर्वाधिक परिवार, यानी कुल परिवारां में 50 प्रतिशत ऐसे थे, जिनके सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच थी। 9 और उससे अधिक सदस्यों की श्रेणी में सबसे कम यानी 9 प्रतिशत परिवार आते थे। शहरी क्षेत्रों में परिवारों का आकार 4.99 व्यक्तियां और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार का आकार 5.90 व्यक्तियों का था। तत्संबंधी ब्योरा सारणी 3.7 में दिया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार परिवार का औसत आकार 5.1 है।

9- lk{kjrk

साक्षरता भी महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय विशेषता है, जिसे जनगणना के दौरान आंका जाता है। जनगणना के अनुसार उस व्यक्ति को साक्षर समझा जाता है, जो किसी भाषा को लिख–पढ कर समझ सके। निम्नांकित विवरण 3.5 में 1961 से 2001 तक की जनगणनाओं में दिल्ली में साक्षरता की दर दर्शायी गयी है।

fooj.k 3-5

वर्ष	व्यक्ति (%)	पुरुष (%)	स्त्रियां (%)
1	2.	3	4.
1961	61.95	70.37	50.87
1971	65.08	72.55	55.56
1981	71.94	79.28	62.60
1991	75.29	82.01	66.99
2001	81.67	87.33	74.71

ukV %& 1961 और 1971 से संबंधित साक्षरता की दरें 5 वर्ष और उससे ऊपर की आबादी के बारे में है। 1981 से 2001 की जनगणनाओं से संबंधित साक्षरता की दरें 7 वर्ष और उससे ऊपर की आबादी के बारे में हैं।

fnYYkh vkj ftyk l% lacf/kr lk{kjrk dh nj fuEukfdr fooj.k 3-6 e n'kk;h x;h gA

fooj.k 3-6

क्र.स	राज्य/जिला	साक्षरता दर					
		व्यक्ति		पुरुष		स्त्रियां	
		1991	2001	1991	2001	1991	2001
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	रा.रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	**75.29**	**81.67**	**82.01**	**87.33**	**66.99**	**74.71**
1.	उत्तर पश्चिम	72.22	80.57	79.59	86.67	63.06	73.08
2.	उत्तरी	75.87	80.10	80.83	84.64	69.69	74.54
3.	उत्तर पूर्वी	67.83	77.53	77.08	84.78	56.52	69.94
2.	पूर्वी	77.50	84.91	84.14	89.65	69.52	79.26
5.	नई दिल्ली	80.59	83.24	86.33	88.62	73.19	76.33
6.	मध्य दिल्ली	75.42	79.69	79.85	82.73	70.26	76.05
7.	पश्चिमी	79.01	83.39	84.17	87.85	72.85	77.99
8.	दक्षिणी पश्चिमी	78.40	83.61	85.95	89.86	68.66	75.55
9.	दक्षिणी	75.69	81.96	82.79	88.26	66.67	73.94

ukV %1991 के लिए साक्षरता संबंधी दरें तत्कालीन जनगणना के आंकडों को जिलों के अधिकार क्षेत्र के अनुसार पुनः विश्लेषित करके निकाली गयी हैं।

2001 में साक्षरता की सबसे ऊंची दर केरल में 90.90 प्रतिशत थी। दिल्ली की साक्षरता दर 81.67 प्रतिशत थी और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता की दृष्टि से दिल्ली का छठा स्थान था। 2001 की जनगणना में साक्षरता दर और उसका लिंगवार ब्योरा तालिका 3.8 में दिया गया है।

10. vk;q dk vk/kkj ij tula[;k dk forj.k

2001 की जनगणना के आधार पर आबादी का आयुवार वर्गीकरण भारत के महापंजीयक द्वारा जारी कर दिया गया है।

1991 और 2001 में दिल्ली में लिंग के आधार पर जनसंख्या का आयुवार ब्योरा नीचे विवरण 3.7 में दिया गया है।

foj.k 3-7

आयु समूह	आयु वर्गीकरण					
	1991			2001		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7
0–14	1725337	1548145	3273482	2402701	2090238	4492939
15–19	518268	396603	914871	816497	611482	1427979
20–24	538191	444675	982866	814606	612254	1426860
25–29	517180	439608	956788	744718	614207	1358925
30–39	810088	627947	1438035	1210537	1000469	2211006
40–49	502230	365501	867731	814226	618241	1432467
50–59	283533	220616	504149	424757	334748	759505
60 +	236969	202551	439520	366466	353184	719650
आयु वर्णित नहीं	23716	19486	43202	12766	8450	21216
कुल	**5155512**	**4265132**	**9420644**	**7607274**	**6243273**	**13850547**

11. 2001 e 4 egkuxjk dh tul[;k

दिल्ली भारत का तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। 2001 की जनगणना के अनुसार चार महानगरों में मुंबई, शहरी समूह का जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान हैं इसकी आबादी 163.7 लाख है। दूसरा और तीसरा शहर कोलकाता तथा दिल्ली शहरी समूह का है, जिनकी कुल आबादी क्रमशः 132.2 लाख और 127.9 लाख है। चेन्नई शहरी समूह की आबादी मात्र 64.2 लाख है। जनसंख्या और लिंग अनुपात के संदर्भ में भारत के चार महानगरों की तुलनात्मक तस्वीर निम्नांकित विवरण 3.8 में प्रस्तुत की गयी है।

fooj.k 3-8

क्र.स	नगर/शहर समूह	जनसंख्या			लिंग अनुपात	
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियां	1991	2001
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	दिल्ली शहरी समूह	12791458	7021896	5769562	830	822
2	मुंबई शहरी समूह	16368084	8979172	7388912	828	823
3.	कोलकाता शहरी समूह	13216546	7072114	6144432	830	869
4.	चेन्नई शहरी समूह	6424624	3294328	3130296	932	950

2001 की जनगणना में सर्वाधिक लिंग अनुपात चेन्नई का है, और उसके बाद कोलकाता मुंबई तथा दिल्ली का स्थान है।

Chart : 3.2

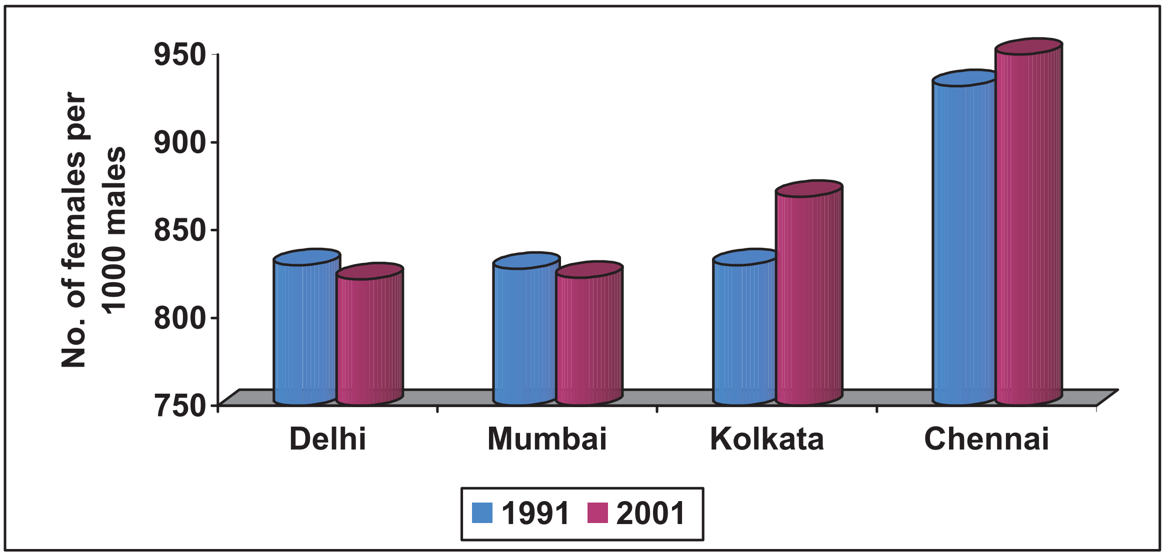

12. xkeh.k 'kgjh vuqikr

1901 में दिल्ली में ग्रामीण आबादी 47.24 प्रतिशत थी, जो निरंतर घटती गयी है और 2001 में 6.82 प्रतिशत रह गयी है। तत्संबंधी ब्योरा सारणी 3.10 में दिया गया है। दिल्ली और जिलो की ग्रामीण शहर आबादी–2001 का उल्लेख विवरण 3.9 में दिया गया है।

fooj.k 3-9

fnYyh vkj ftyk dh xkeh.k 'kgj vkcknh&2001

राज्य/जिला	जनसंख्या			शहरी जनसंख्या का प्रतिशत
	व्यक्ति	ग्रामीण	शहरी	
रारारा.क्षे दिल्ली	13850507	944727	12905780	93.18
उत्तर पश्चिम	2860869	265363	2595506	90.73
उत्तरी	781525	46585	734940	94.04
उत्तर पूर्वी	1768061	141547	1626514	91.99
पूर्वी	1463583	18223	1445360	98.75
नयी दिल्ली	179112	--	179112	100.00
मध्य दिल्ली	646385	--	646385	100.00
पश्चिमी दिल्ली	2128908	86794	2042114	95.92
दक्षिणी पश्चिमी	1755041	225454	1529587	87.15
दक्षिणी	2267023	160761	2106262	91.91

दिल्ली और जिलों में लिंग अनुपात : ग्रामीण और शहरी 2001 विवरण 3.10 में दिया गया है।

fooj.k 3-11

राज्य/जिला	लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियां)		
	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
राज्यः राराराक्षे दिल्ली	821	810	822
जिले			
उत्तर पश्चिम	820	808	821
उत्तरी	826	811	827
उत्तर पूर्वी	849	849	849
पूर्वी	843	809	844
नयी दिल्ली	792	-	792
मध्य दिल्ली	842	-	842
पश्चिमी दिल्ली	830	758	830
दक्षिणी पश्चिमी	784	829	778
दक्षिणी	799	780	801

निम्नांकित विवरण से पता चलता है कि दिल्ली में शहरीकरण के प्रभाव के कारण प्रत्येक दशक में गांवों की संख्या तेजी से कम होती गयी है।

fooj.k 3-11

जनगणना दशक	1961	1971	1981	1991	2001
गांवों की संख्या	300	258	231	209	165

13- xzkeh.k vkSj 'kgjh {ks=ksa esa lk{kjrk dh nj

2001 में दिल्ली में साक्षरता की दर 81.67 प्रतिशत थी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर क्रमष 78.05 और 82.00 थी। निम्नांकित विवरण 3.12 में 2001 की जनगणना के अनुसार 9 जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की साक्षरता की दर दर्शायी गयी है।

fooj.k 3-12

fnYyh d xkeh.k vkj 'kgjh {k=k e lk{kjrk dh nj&2001

राज्य/जिला	साक्षरता दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
राज्यः राराक्षे दिल्ली	81.67	78.05	82.00
जिले			
उत्तर पश्चिम	80.57	78.62	80.77
उत्तरी	80.10	76.48	80.31
उत्तर पूर्वी	77.53	75.58	77.70
पूर्वी	84.91	81.94	84.94
नयी दिल्ली	83.24	-	83.24
मध्य दिल्ली	79.69	-	79.69
पश्चिमी दिल्ली	83.39	76.19	83.68
दक्षिणी पश्चिमी	83.61	79.61	84.20
दक्षिणी	81.96	78.05	82.25

14. fnYYkh e 'kgjhdj.k dh izofRr

विवरण संख्या 3.13 में कुल आबादी, शहरी आबादी, शहरी आबादी का प्रतिशत, वार्षिक वृद्धि दर और दशक प्रतिशत वृद्धि दर दर्शायी गयी है।

ज्ञातव्य है कि 1901 में शहरी क्षेत्रों में मात्र 2.1 लाख व्यक्ति रहते थे। और 2001 में यह संख्या बढ़कर 128.2 लाख पर पहुंच गयी। प्रतिशत के संदर्भ में 1901 में शहरी आबादी 52.76 थी, जो 2001 में बढ़कर 93.18 प्रतिशत हो गयी। इससे पता चलता है कि शहरीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में शहरी आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत दिल्ली (93.18%) और उसके बाद चंडीगढ़ (89.78%) और पांडिचेरी (66.57%) का स्थान है।

fooj.k 3-13

fnYYkh esa 'kgjhdj.k dh izo`fÙk 1991&2001

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या	कुल शहरी जनसंख्या	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	वार्षिक घातांक वृद्धि दर	दशकीय प्रतिशत वृद्धि
1901	405819	214115	52.76	--	--
1911	413851	237944	57.50	1.1	11.13
1921	488452	304420	62.32	2.5	27.94
1931	636246	447442	70.33	3.9	46.98
1941	917939	695686	75.79	4.4	55.48
1951	1744072	1437134	82.40	7.3	106.58
1961	2658612	2359408	88.75	5.0	64.17
1971	4065698	3647023	89.68	4.4	54.57
1981	6220406	5768200	92.73	4.6	58.16
1991	9420644	8471625	89.93	3.8	46.87
2001	13850507	12905780	93.18	4.2	52.34

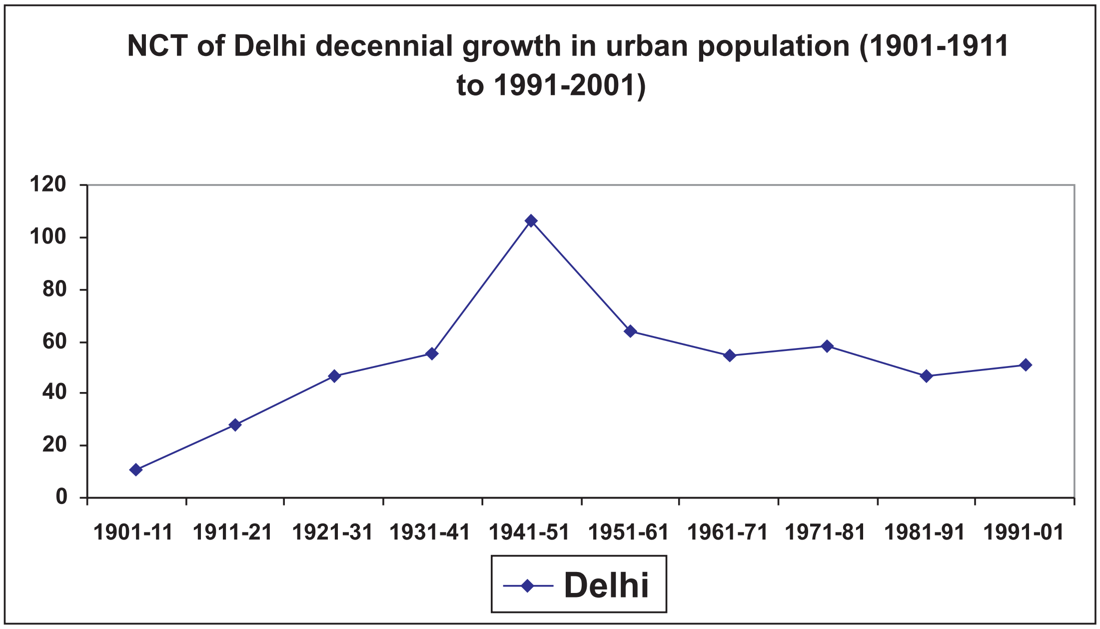

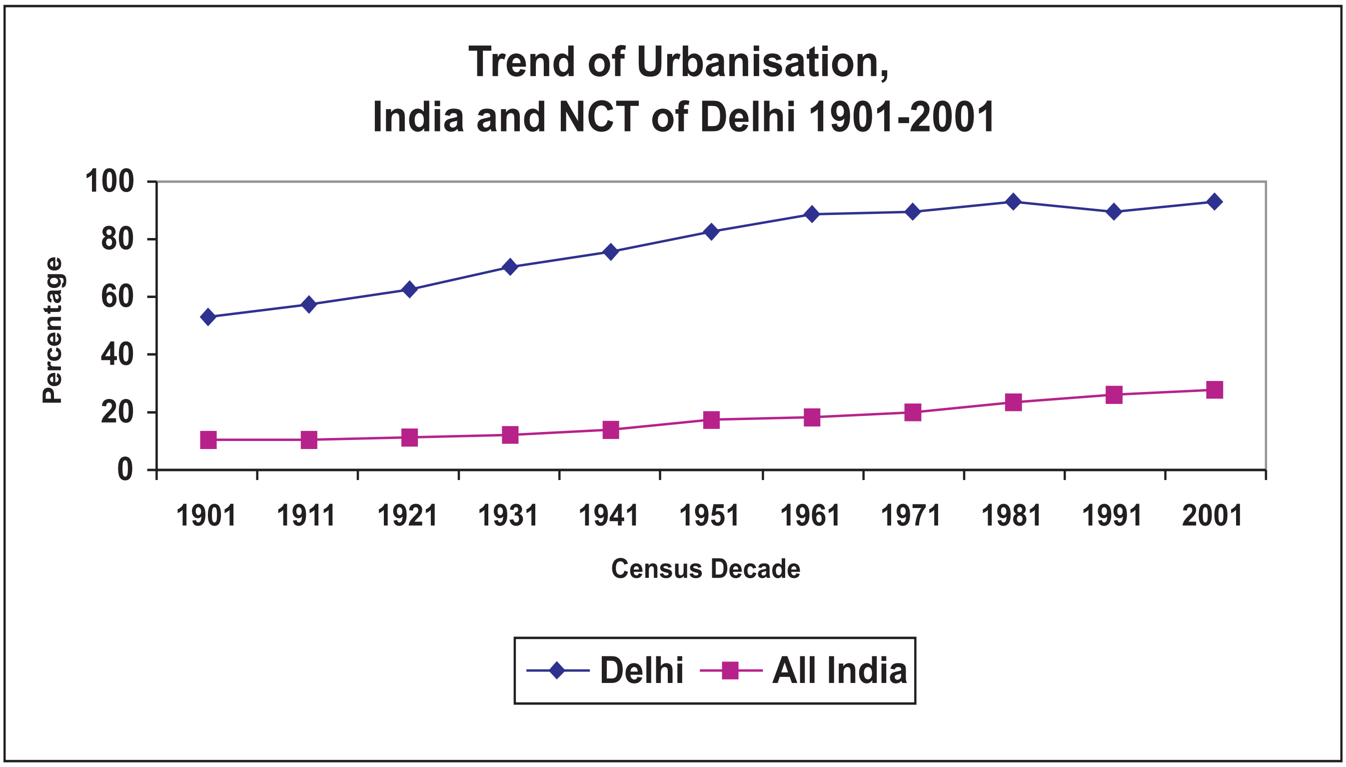

15- dkexkj Hkkxhnkjh

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कुल जनसंख्या पर कामगार प्रतिशतता में 1991 की तुलना में 2001 में शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में सीमांत बढ़ोतरी हुई है। नतीजतन इसी अवधि में गैर कामगारों का प्रतिशत कम हुआ है। 1991–2001 के दशक में जनसंख्या में कामगारों की भागीदारी में 1.18 प्रतिशत वृद्धि हुई है। दिल्ली और शहरी क्षेत्रों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों मे कुल कामगार प्रतिशतता में वृद्धि 1991 की 29.12 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 31.87 प्रतिशत हो गयी। शहरी क्षेत्रों में कुल कामकार प्रतिशतता में वृद्धि 1991 की 31.92 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 32.89 प्रतिशत हो गयी।

fooj.k 3-14

dqy vkcknh esa vkokl vkSj fyax ds vuqlkj dqy dkexkjksa eq[; dkexkjksa lhekUr dkexkjksa vkSj xSj&dkexkjksa dk izfr'kr ¼jkT; vkSj ftyk½ 1991 vkSj 2001

राज्य/जिला	कुल/ग्रामीण/शहरी	व्यक्ति/पुरुष/महिलाएं	कुल जनसंख्या में प्रतिशत							
			कामगार				गैर कामगार			
			कुल		कामगार		मुख्य कामगार		सीमांत कामगार	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राराराक्षे दिल्ली	कुल	व्यक्ति	31.64	32.82	31.51	31.17	0.13	1.65	68.36	67.18
		पुरुष	51.72	52.06	51.61	49.88	0.11	2.18	48.28	47.94
		महिलाए	07.36	09.37	07.21	08.38	0.15	0.99	92.64	90.63
	ग्रामीण	व्यक्ति	29.12	31.87	28.75	28.97	0.37	2.90	70.88	68.13
		पुरुष	48.23	49.42	48.06	46.08	0.17	3.34	51.77	50.58
		महिलाए	05.46	10.18	04.84	07.83	0.62	2.35	94.54	89.82
	शहरी	व्यक्ति	31.92	32.89	31.82	31.33	0.10	1.55	68.08	67.11
		पुरुष	52.12	52.25	52.02	50.16	0.10	2.09	47.88	47.75
		महिलाए	07.57	09.31	07.47	08.42	0.10	0.89	92.43	90.69

16- thoukd nj

सिविल पंजीकरण रिकार्ड के अनुसार 1991 के बाद से जन्म और मृत्यु दर (प्रति हजार आबादी पर) में कमी आयी है। 1991 में जन्म दर 28.48 प्रति 1000 थी, जो 2007 में घटकर 19.35 रह गयी। मृत्यु दर भी 1991 में 6.35 प्रति 1000 थी, जो 2007 में घटकर 6.07 प्रति 1000 रह गयी। शिशु मृत्यु दर 1991 में 32.37 प्रति 1000 थी, जो 2007 में घटकर 25.44 प्रति 1000 रह गयी।

दिल्ली और भारत में जन्मदर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु का ब्योरा नीचे विवरण 3.15 में दिया गया है।

fooj.k 3-15

वर्ष	अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या (लाख में)	जन्म दर (प्रतिहजार)		मृत्यु दर (प्रतिहजार)		शिशु मृत्य दर (प्रतिहजार)	
		दिल्ली	भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली	भारत
1991	95.50	28.48	29.5	6.35	9.8	32.37	80
1992	99.37	27.57	29.2	6.23	10.1	32.96	79
1993	103.38	26.14	28.7	6.20	9.3	29.08	74
1994	107.50	24.40	28.7	6.34	9.3	29.55	74
1995	111.74	24.65	28.3	6.21	9.0	29.81	74
1996	116.10	24.39	27.5	6.55	9.0	30.13	72
1997	120.57	23.95	27.2	5.90	8.9	25.95	71
1998	125.14	22.71	26.5	6.43	9.0	31.30	72
1999	129.82	22.15	26.1	6.06	8.7	23.18	70
2000	134.60	23.58	25.8	5.93	8.5	23.29	68
2001	139.50	21.24	25.4	5.86	8.4	24.49	66
2002	143.83	20.90	25.0	5.99	8.1	16.27	63
2003	148.43	20.29	24.8	5.91	8.0	17.42	63
2004	152.79	20.03	24.1	5.59	7.5	13.08	58
2005	157.18	20.61	23.8	5.99	7.6	12.89	58
2006	161.75	19.95	23.5	6.11	7.5	18.05	55
2007	166.41	19.35	23.1	6.07	7.4	25.44	5.5

Chart : 3.5

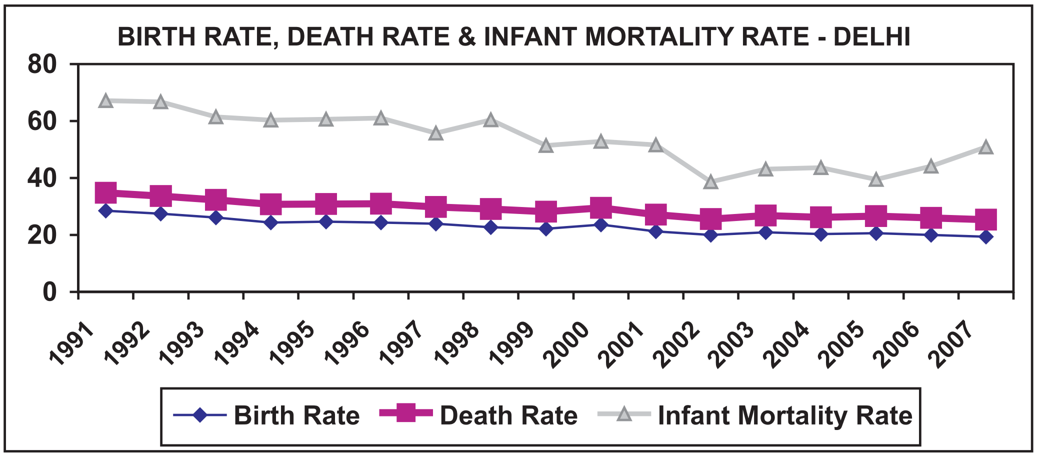

17- iyk;u

दिल्ली में प्रवास संबंधी अनुमान जन्म और मृत्यु दरों तथा आबादी में कुल बढ़ोतरी पर आधारित हैं। इनसे पता चलता है कि 2007 में दिल्ली में प्रवास से बढ़ोतरी 47.22 प्रतिशत थी, जबकि इसी वर्ष में स्वाभाविक वृद्धि 52. 58 प्रतिशत थी। संपूर्ण रूप से 2007 में आबादी में प्राकृतिक वृद्धि 2.21 लाख की थी, जबकि प्रवास से बढ़ोतरी 2.45 लाख थी। 1991 से 2007 तक प्रवास की प्रवृत्ति विवरण 3.16 में दर्शायी गयी है।

fooj.k 3-16

वर्ष	1 जुलाई को जनसंख्या (लाख में)	गत वर्ष की तुलना में बढ़ी हुई जनसंख्या (लाख में)	कुल जन्म	कुल मृत्यु	स्वाभाविक वृद्धि (स्त. 4– स्त. –5)	प्रवास के कारण (स्त. 3–स्त 6) वृद्धि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1991	95.50	3.89	2.72	0.61	2.11	1.78
1992	99.37	3.87	2.74	0.62	2.12	1.75
1993	103.38	4.01	2.70	0.64	2.06	1.95
1994	107.50	4.12	2.62	0.68	1.94	2.18
1995	111.74	4.24	2.75	0.69	2.06	2.18
1996	116.10	4.36	2.83	0.76	2.07	2.29
1997	120.57	4.47	2.89	0.71	2.18	2.29
1998	125.14	4.57	2.84	0.80	2.04	2.52
1999	129.82	4.68	2.88	0.79	2.09	2.59
2000	134.60	4.78	3.17	0.80	2.37	2.41
2001	139.50	4.90	2.96	0.81	2.15	2.75
2002	143.83	4.33	3.01	0.86	2.15	2.18
2003	148.53	4.60	3.01	0.88	2.13	2.47
2004	152.79	4.36	3.06	0.85	2.21	2.15
2005	157.18	4.39	3.24	0.94	2.30	2.09
2006	161.75	4.57	3.23	0.99	2.24	2.33
2007	166.41	4.66	3.22	1.01	2.21	2.45

2001 की जनगणना के लिए भारत के महा पंजीयक द्वारा जारी किए गए प्रवास संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली की कुल 138.50 लाख की आबादी में 82.04 लाख लोग दिल्ली से हैं जबकि 53.18 लाख विभिन्न राज्यों से आकर बसे हैं। विभिन्न राज्यों से दिल्ली में प्रवास करने वाले व्यक्तियों को प्रतिशत विवरण 3.17 में दिया गया है।

fooj.k 3-17

1. उत्तर प्रदेश	43.56%	5. पंजाब	4.72%
2. हरियाणा	10.26%	6. पश्चिम बंगाल	3.18%
3. बिहार	13.87%	7. मध्य प्रदेश	1.85%
4. राजस्थान	5.16%	8. अन्य राज्य	17.39%

18 fnYyh e vuqlfpr Hkk"kkvk dk forj.k

पिछली जनगणना की भांति, 2001 की जनगणना में भी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मातृभाषा के बारे में दी गई जानकारी संग्रह की गई। राज्य की कुल 138.5 लाख की आबादी में से 138.2 लाख (99.77 प्रतिशत) लोगों की भाषाओं का उल्लेख नीचे विवरण 3.18 में किया गया है।

fooj.k 3-18

दिल्ली में अनुसूचित भाषाओं का वितरण

क्र.स.	भाषा	2001				1991			
		पुरूष	महिला	कुल	%	पुरूष	महिला	कुल	%
1	असमिया	3873	2456	6329	0.05	1713	1017	2730	0.03
2	बांग्ला	115111	93303	208414	1.51	65929	56009	121938	1.29
3	बोड़ो	154	68	222	0.01	0	0	0	0.00
4	डोगरी	4192	2782	6974	0.05	0	0	0	0.00
5	गुजराती	23324	21821	45145	0.33	13958	12774	26732	0.28
6	हिन्दी	6186251	5024592	11210843	80.94	4232327	3458304	7690631	81.64
7	कन्नड़	5554	4971	10525	0.08	5391	4532	9923	0.10
8	कश्मीरी	11204	10121	21325	0.15	6024	5336	11360	0.12

दिल्ली में अनुसूचित भाषाओं का वितरण									
क्र.स.	भाषा	2001				1991			
		पुरूष	महिला	कुल	%	पुरूष	महिला	कुल	%
9	कोंकणी	847	920	1767	0.01	1231	1287	2518	0.03
10	मैथिली	54589	30742	85331	0.62	0	0	0	0.00
11	मलयालम	45954	46055	92009	0.66	35207	29745	64952	0.69
12	मणीपुरी	1210	810	2020	0.02	160	61	221	0.01
13	मराठी	14416	12056	26472	0.19	11097	9296	20393	0.22
14	नेपाली	27997	16370	44367	0.32	17414	8976	26390	0.28
15	उड़िया	18349	10829	29178	0.21	8687	4412	13099	0.14
16	पंजाबी	509052	479928	988980	7.14	386004	362141	748145	7.94
17	संस्कृत	193	95	288	0.01	409	178	587	0.01
18	संथाली	225	139	364	0.01	0	0	0	0.00
19	सिंधी	21576	21265	42841	0.31	18835	18546	37381	0.40
20	तमिल	47939	44487	92426	0.67	45210	39663	84873	0.90
21	तेलगू	14902	13165	28067	0.20	12460	10422	22882	0.24
22	उर्दू	483117	391216	874333	6.31	281333	231657	512990	5.45
	कुल	7590029	6228191	13818220	99.77	5143389	4254356	9397745	99.76

ukV % जनगणना 2001 के अनुसार दिल्ली की कुल आबादी 13850507, में से 13818220 लोग आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं बोलते हैं, जो करीब 99.77 प्रतिशत हैं, शेष 32287 लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं, जो कुल आबादी का 0.23 प्रतिशत हैं।

19. fodykxk dh vkcknh dk fyxokj] fodykxrk d idkj] xkeh.k] 'kgjh vk/kkj ij oxhdj.k&jkjkjk{k fnYyh&2001

fooj.k 3-20

राज्य/जिला	विकलांगता का प्रकार	लिंग	कुल विकलांग आबादी		
			कुल	ग्रामीण	शहरी
			1	2	3
दिल्ली	कुल विकलांग आबादी	व्यक्ति	235,886	13,432	222,454
		पुरूष	144,872	8,424	136,448
		महिला	91,014	5,008	86,006
	दृष्टि विकलांगता	व्यक्ति	120,712	4,925	115,787
		पुरूष	71,342	2,867	68,475
		महिला	49,370	2,058	47,312
	बोलने में अक्षम	व्यक्ति	15,505	1,035	14,470
		पुरूष	9,421	640	8,781
		महिला	6,084	395	5,689
	सुनने में अक्षम	व्यक्ति	8,741	710	8,031
		पुरूष	4,855	379	4,476
		महिला	3,886	331	3,555
	गति संबंधी विकलांगता	व्यक्ति	64,885	5,219	59,666
		पुरूष	42,700	3,478	39,222
		महिला	22,185	1,741	20,444
	मानसिक विकलांगता	व्यक्ति	26,043	1,543	24,500
		पुरूष	16,554	1,060	15,494
		महिला	9,489	483	9,006

v/;k;&4
Iko'tfud foÙk

Iko'tfud foÙk

1 संवैधानिक दृष्टि से दिल्ली ऐसा संघशासित प्रदेश है, जहां विधानसभा की व्यवस्था है। किन्तु, संविधान (अनुच्छेद 259 एए) और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 1991 में किये गये विशेष प्रावधानों के अनुसार दिल्ली को राज्यों और अन्य संघ शासित प्रदेशों से भिन्न विशेष दर्जा दिया गया है। दिल्ली की विधानसभा को वित्तीय मामलों में वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो संविधान में किसी भी राज्य को दिये गये हैं। किन्तु, कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि संबंधी अधिकार भारत सरकार के पास हैं। अन्य राज्यों से भिन्न दिल्ली के वार्षिक विवरण अथवा बजट को राज्य विधानसभा में विचारार्थ और पारित कराने के लिए प्रस्तुत करने से पहले न केवल उपराज्यपाल की, बल्कि भारत के राष्ट्रपति की भी मंजूरी अनिवार्य है।

2 वर्तमान में, दिल्ली सरकार को खुले बाजार से उधार लेने के अधिकार नहीं हैं। वह केवल केन्द्र सरकार से उधार ले सकती है। वह अपने किसी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान या अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय निकायों द्वारा लिये जाने वाले किसी ऋण के लिए गारंटी नहीं दे सकती। दिल्ली सरकार का पृथक सार्वजनिक खाता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक में भी उसका कोई पृथक खाता नहीं है, और उसकी बकाया रोकड़ राशि रिजर्व बैंक में भारत सरकार के खाते का हिस्सा होती है।

3 संघ शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नहीं आता। यही वजह है कि वर्तमान में, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों पर लागू वित्तीय व्यवस्थाएं दिल्ली पर लागू नहीं होतीं। फिलहाल, केंद्रीय करों में भागीदारी के स्थान पर दिल्ली को विवेकाधिकार के अंतर्गत अनुदान प्राप्त हो रहे हैं और ये अनुदान भी पिछले पांच वर्षों से 325 करोड़ रुपए की स्थिर दर से दिए जा रहे हैं।

4 दिल्ली के स्व–कर राजस्व का प्रमुख स्रोत वैट है, जिसका योगदान 2008–09 में करीब 75 प्रतिशत था। दिल्ली सरकार के कर राजस्व के अन्य प्रमुख स्रोतो में राज्य आबकारी, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर आदि शामिल हैं।

5 वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण 2008–09 में दिल्ली सरकार की खुद की कर वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 2008–09 में दिल्ली के स्व–कर की वसूली लगभग 12180.70 करोड़ रुपये रही, जिसमें करीब 3.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि पिछले वर्ष यह बढ़ोतरी 16.02 प्रतिशत थी।

6 एक तरफ स्वयं के कर राजस्व में कम बढ़ोतरी हुई, वहीं दूसरी तरफ छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन संशोधित किये जाने से दिल्ली सरकार को अतिरिक्त दायित्व वहन करना पड़ा। किन्तु, इस सब के बावजूद दिल्ली सरकार ने व्यापक राजस्व अधिशेष की अपनी स्थिति बरकरार रखी है। 2008–09 में राजस्व अधिशेष करीब 4454.08 करोड़ रुपये रहा है।

7 2008–09 में दिल्ली सरकार का राजकोषीय घाटा 2939.49 करोड़ रुपये रहा, जबकि 2007–08 में राजकोषीय घाटा 2040.88 करोड़ रुपये था। चूंकि, दिल्ली को लघु बचत ऋण के प्रवाह में तेजी से कमी आई है जो 2006–07 के 4002.14 करोड़ रुपये से घटकर 2007–08 में 746.02 करोड़ रुपये और 2008–09 में और भी घटकर 428.74 करोड़ रुपये रह गया। इसलिए, दिल्ली सरकार का बकाया अधिशेष (जो मुख्य रूप से पिछले वर्ष के लघु बचत ऋण की वजह से है) 2006–07 के 10826.46 करोड़ रुपये से घटकर 2007–08 में 8556.49 करोड़ रुपये और 2008–09 में और भी घटकर 5659.71 करोड़ रुपये (अंतरिम) रह गया।

8 डीटीसी और दिल्ली जल बोर्ड भारी घाटे में चल रहे हैं। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन संशोधित किये जाने से उनके गैर योजना घाटे में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, दिल्ली सरकार को डीटीसी के लिए नकद गैर योजना ऋण की राशि 2007–08 की 324.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2008–09 में 550 करोड़ रुपये करनी पड़ी ताकि वह अपने गैर योजना घाटे को पूरा कर सके। इसी प्रकार दिल्ली जल बोर्ड को भी दिल्ली सरकार ने 2008–09 में 350 करोड़ रुपये का नकद गैर योजना ऋण प्रदान किया ताकि वह अपना गैर योजना घाटा पूरा कर सके। इसकी तुलना में 2007–08 में यह घाटा पूरा करने के लिए दिजबो को 200 करोड़ रुपये दिये गये थे। इस तरह, डीटीसी और दिजबो के भारी परिचालन घाटे दिल्ली सरकार के लिए चिंता का विषय हैं।

9 पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड पर प्रतिबंध के बाद वर्तमान में सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र का गैर योजना घाटा पूरा करने के लिए कोई गैर–योजना सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। किन्तु, डिस्कोम्स यानी बिजली वितरण कंपनियों के जरिये विद्युत उपभोक्ताओं को 2007–08 में 74.24 करोड़ रुपये और 2008–09 में 378.74 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।

10 दिल्ली सरकार ने अपने गैर–योजना राजस्व खर्च को सीमित रखने के लिए समय–समय पर जारी विभिन्न बचत उपायों का अनुपालन किया है।

11 दिल्ली सरकार का योजना खर्च, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं सहित, 2007–08 में 8785.04 करोड़ रुपये था, जो 2008–09 में बढ़कर 9610.24 करोड़ रुपये (लगभग) हो गया। इसके अतिरिक्त 2007–08 और 2008–09 के दौरान दिल्ली की वार्षिक योजना के लिए उपलब्ध संसाधन योजना परिव्यय/खर्च से अधिक रहे। वास्तव में, दिल्ली सरकार को अपनी योजना के लिए धन जुटाने में संसाधनों की कोई कमी नहीं रही है।

12 दिल्ली में स्थानीय निकायों (जैसे दि.न.नि और न.दि.न.प) को 2001–02 से 2005–06 की अवधि के लिए धन का हस्तांतरण दूसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। हस्तांतरण की यही पद्धति अगले दो वर्षो (यानी 2006–07 और 2007–08) के लिए भी अपनाई गई, जो तीसरे दिल्ली वित्त–आयोग की संदर्भ अवधि के पहले दो वर्ष हैं। दिल्ली सरकार ने तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्णय किया है जो 2008–09 से लागू की जा रही हैं और 2010–11 तक जारी रहेंगीं।

दिल्ली सरकार की वित्त व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नांकित अनुच्छेदों में दी गयी हैं।

(1) jktLo ikfIr;k

निम्नांकित विवरण में दिल्ली सरकार की समग्र राजस्व स्थिति दर्शायी गई है।

fooj.k 4-1

jktLo ikfIr;k

¼#i;s djksM+ esa½

क्र. सं.	मद	2002–03	2006–07	वार्षिक औसत वृद्धि (2002–07)	2007–08	2008–09 वास्तविक (अनुमानित)
1	स्व–कर राजस्व	**5324.19** (8.73)	**10155.80** (13.61)	18.65%	**11782.80** (16.02)	**12180.69** (3.38)
(i)	वैट	3884.36 (4.62)	7365.80 (13.31)	18.08%	8310.49 (12.83)	9152.09 (10.31%)
(ii)	राज्य आबकारी	725.68 (19.67)	1133.18 (10.58)	13.41%	1301.25 (14.83)	1420.91 (9.20)
(iii)	मोटर वाहन कर	160.40 (-3.81)	362.84 (21.46)	24.18%	420.20 (15.81)	419.12 (-0.26)
(iv)	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	436.80 (54.26)	917.97 (10.91)	23.71%	1318.40 (43.62)	788.00 (-40.23)
(v)	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	116.95 (-8.34)	376.01 (30.82)	33.96%	432.46 (15.01)	400.57 (-7.37)
2	स्वयं का गैर कर राजस्व	**829.56** (-5.31)	**1463.58** (4.62)	**16.44%**	**1816.70** (24.13)	**2286.46** (25.86)
3	केंद्र से अनुदान	**512.19** (6.51)	**574.22** (13.64)	**2.14%**	**1312.89** (128.64)	**1755.27** (33.70)
4	कुल राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	**6665.94** (6.59)	**12193.60** (12.45)	**17.31%**	**14912.39** (22.30)	**16222.42** (8.78)

lzksr ½ 1. 2002–03 से 2007–08 तक के आंकड़े दिल्ली सरकार के वित्त लेखा विभाग से लिये गये हैं।

2. कोष्ठक में ली गई संख्या पिछले वर्ष पर बढ़ोतरी दर्शाती है।

दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर और गैर–कर राजस्व और केंद्र से अनुदान (चार्ट–4.1) शामिल हैं। दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां 2007–08 में 14912.39 करोड़ रुपए रहीं, जिनमें 22.30 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई, जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002–07) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि 17.31 प्रतिशत थी। 2008–09 में अंतरिम राजस्व प्राप्ति 16222.42 करोड़ रुपये रही है, जो 8.78 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। इसमें कम बढ़ोतरी का कारण वैष्विक आर्थिक मंदी है।

Chart 4.1

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI TOTAL REVENUE RECEIPTS

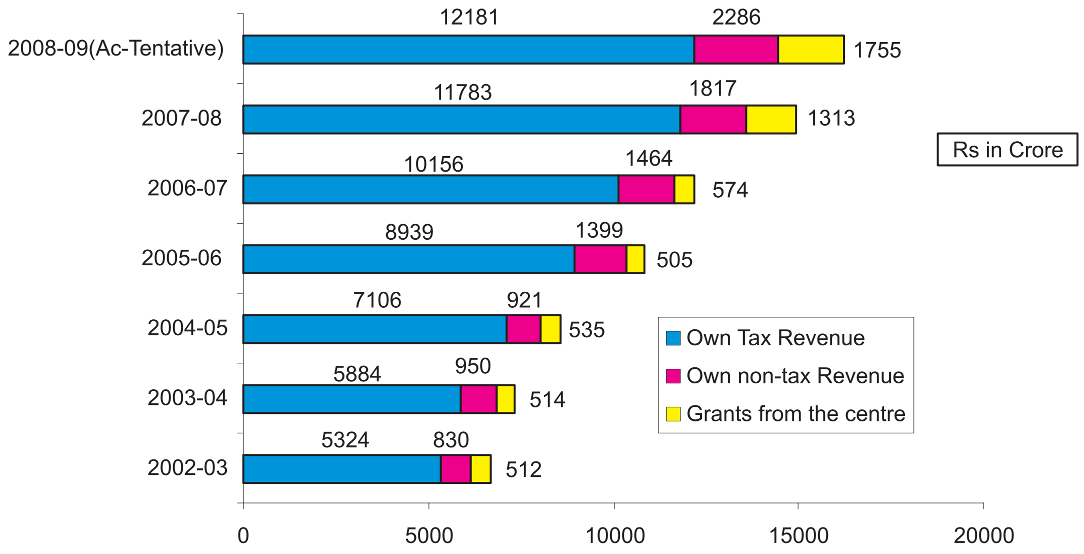

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09(Ac-Tentative)
Grants from the centre	512	514	535	505	574	1313	1755
Own non-tax Revenue	830	950	921	1399	1464	1817	2286
Own Tax Revenue	5324	5884	7106	8939	10156	11783	12181

2- Lo;a dk dj&jktLo

दिल्ली के खुद के कर राजस्व के अंतर्गत बिक्री कर/वैट, राज्य आबकारी शुल्क, मोटर वाहन कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क आदि (चार्ट– 4.2) शामिल हैं। 2007–08 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व की हिस्सेदारी करीब 79 प्रतिशत रही और स्वयं का कर राजस्व कुल 11782.80 करोड़ रुपये रहा। 2007–08 में दिल्ली की स्वयं की कर–राजस्व प्राप्तियों में 16.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में औसत वार्षिक बढ़ोतरी 18.65 प्रतिशत थी। 2008–09 में कुल राजस्व वसूली करीब 12180.70 करोड़ रुपये रही, जिसमें 3.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि पिछले वर्ष यह बढ़ोतरी 16.02 प्रतिशत थी। कर वसूली में कम बढ़ोतरी का कारण यह रहा कि स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क की वसूली में तेजी से गिरावट आई जो 2007–08 की 1318.40 करोड़ रुपये की तुलना में 2008–09 में घटकर 788 करोड़ रुपये रह गई। इस प्रकार इसमें 40. 23 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। इसी तरह मोटर वाहन कर और अन्य करों तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर शुल्कों में भी 2008–09 के दौरान क्रमशः 0.26 प्रतिशत और 7.37 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। वैट के अन्तर्गत राजस्व वसूली 2008–09 में करीब 9152.09 करोड़ रुपये रही। यह दिल्ली के स्वयं के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है जिसका योगदान 2008–09 में 75 प्रतिशत से अधिक रहा और इसमें 10.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

हुई। पिछले वर्ष यह बढ़ोतरी 12.83 प्रतिशत थी। 2008–09 में राज्य आबकारी की वसूली करीब 1420.91 करोड़ रुपये थी, जिसमें 9.20 प्रतिशत की बढोतरी हुई। पिछले वर्ष यह बढोतरी 14.83 प्रतिशत थी। चार्ट 4.2 में 2008–09 के दौरान दिल्ली की स्वयं की अनुमानित कर वसूली दर्शायी गई है।

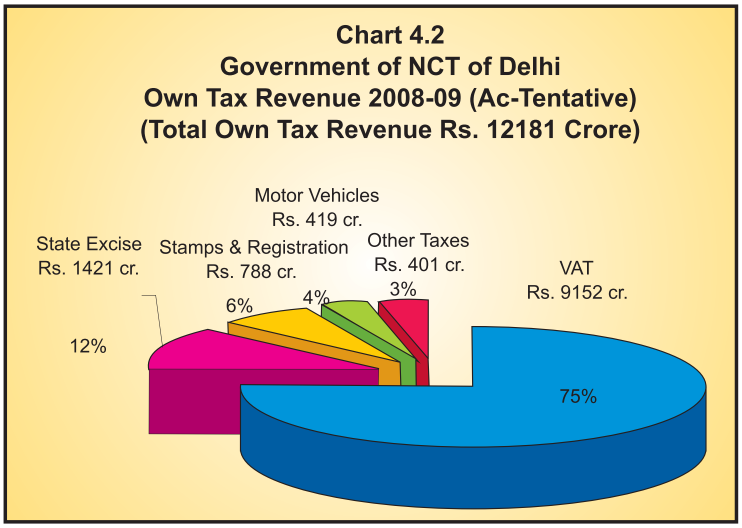

3 dj ckbvfUl ¼mRIykodrk½

कर बाइअन्सि (उत्प्लावकता) (यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की तुलना में कर राजस्व में वृद्धि) की स्थिति निम्नांकित विवरण में दर्शायी गयी है।

fooj.k 4-2

dj ckbvfUl (mRIykodrk) ¼ fnYyh

क्र.स	मद	2002–07	2007–08
	<u>स्व कर</u>		
1.	वैट	1.12	0.86
2.	राज्य आबकारी	0.89	1.00
3.	मोटर वाहन पर कर	1.53	1.06
4.	स्टॉम्प और पंजीकरण शुल्क	1.66	2.93
5	अन्य कर और शुल्क	2.19	1.01
6	कुल स्वयं कर राजस्व	1.21	1.08

दिल्ली सरकार के स्वयं के करों की उत्प्लावकता दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के दौरान 1.21 थी, जो 2007–08 में घटकर 1.08 रह गई। दिल्ली सरकार की कर राजस्व उत्प्लावकता में 2008–09 में और कमी आने की आशंका है।

4- dj mik;

हालांकि दिल्ली देश के सबसे अधिक प्रतिव्यक्ति आय वाले राज्यों में से एक है, लेकिन 2006–07 के दौरान स्व कर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (8.11%) के संदर्भ में गैर–विशेष श्रेणी राज्यों के बीच दिल्ली का आठवा स्थान था। गैर–विशेष श्रेणी राज्यों में कर/राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में दिल्ली के बाद महाराष्ट्र (7.87%), छत्तीसगढ़ (7.85%), राजस्थान (7.82%), उत्तर प्रदेश (7.37%), पंजाब (7. 31%), गुजरात (7.25%), उड़ीसा (6.65%), झारखंड (4.99%), पश्चिम बंगाल (4.29%), और बिहार (4.08%) का स्थान है (देखें सारणी 4.6 (क))।

fooj.k ¼&4-3

fnYyh d ldy jkT; ?kjy mRikn d ifr'kr d :i e Lo dj jktLo vkj mldh rqyuk e lHkh jkT;k rFkk Hkkjr ljdkj d ldy ?kjy mRikn d ifr'kr d :i e Lo dj jktLo

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	7.46	7.40	7.72	8.45	8.11	8.19
सभी राज्य	6.27	6.27	6.62	5.90	6.10	6.20
भारत सरकार	6.40	6.80	7.20	7.60	9.29	10.17

lkzr ¼& i) रिजर्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन (फाइनेंसिज़ ऑफ स्टेट गर्वमेंट्स)

5. Lo xSj&dj jktLo

दिल्ली सरकार के स्व गैर–कर राजस्व के अंतर्गत सामान्य, आर्थिक और सामाजिक सेवाओं, ब्याज प्राप्तियों, लाभांश और मुनाफे, आदि से वसूल किये जाने वाले सेवा प्रभार शामिल हैं। दिल्ली के गैर–कर राजस्व में मुख्य रूप से स्थानीय निकायों और सार्वजनिक सेवाओं (जैसे डीटीसी, दि.ज.बो आदि) से प्राप्त ब्याज राशि शामिल है। डीटीसी और दि.ज.बो, से ब्याज नकद रूप में नहीं मिलता, क्योंकि उनकी वित्तीय हालत खस्ता है। इन संगठनों की ओर बकाया ब्याज की वसूली बही समायोजन पद्धति से ब्याज को गैर योजना ऋण में परिवर्तित करके की जाती है। निम्नांकित विवरण में दिल्ली सरकार के स्व गैर–कर राजस्व को दर्शाया गया है।

fooj.k 4-4

Lo xj&dj jktLo dk n'kku okyk fooj.k

(रुपये करोड़ में)

क्र. स.	मद	2002-03	2006-07	औसत वार्षिक वृद्धि [2002-07]	2007-08	2008-09 वास्तविक (अंतरिम)
1	**ब्याज प्राप्तियां**	**741.41**	**1284.98**	**15.80**	**1634.78**	**2101.41**
	पिछले वर्ष पर वृद्धि	-6.13	2.45		27.22	28.54
	जिसमें निम्नांकित से प्राप्त ब्याज :					
I	**डीटीसी**	389.87	602.42	13.42	767.82	1007.80
ii	**दिजबो**	269.30	474.34	15.58	586.62	609.40
2	**लाभांश और लाभ**	7.19	22.17	50.82	31.15	29.92
	पिछले वर्ष पर वृद्धि	0.28	-42.60		40.51	-3.94
3	**सेवा प्रभार आदि**	80.96	156.43	18.04	150.77	155.13
	पिछले वर्ष पर वृद्धि	2.39	47.34		-3.62	2.89
	कुल गैर–कर राजस्व (1+2+3)	**829.56**	**1463.58**	**14.44**	**1816.70**	**2286.46**
	पिछले वर्ष पर वृद्धि	-5.31	4.62		24.13	25.86

Ikr & 2002–03 से 2007–08 की अवधि के लिए आंकड़े दिल्ली सरकार के वित्त लेखा कार्यालय से लिए गए हैं।

दिल्ली सरकार का स्व गैर–कर राजस्व 2007–08 में 1816.70 करोड़ रुपये था, जिसमें 1634.78 करोड़ रुपये (89.99%) की अधिसंख्य राशि उसके स्थानीय निकायों, सार्वजनिक सेवाओं आदि की ओर बकाया ब्याज की वसूली से संबद्ध थी। 2007–08 के दौरान दिल्ली के स्व गैर–कर राजस्व में 24.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि इसकी तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में औसत वार्षिक वृद्धि में 14.44% थी। 2007–08 के दौरान गैर कर राजस्व में भारी बढ़ोतरी का मुख्य कारण यह रहा कि डीटीसी, दिजबो आदि से बकाया ब्याज की अधिक वसूली की गई। 2008–09 में गैर कर राजस्व की अनुमानित वसूली 2286.46 करोड़ रुपये थी जिसमें पिछले वर्ष की तुलना मे 25.86 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

6- dUnh; vuqnku

दिल्ली सरकार को योजना, यानी राज्य योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता तथा गैर–योजना यानी केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले विवेकाधिकार पूर्ण अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए गैर–योजना अनुदान जैसे केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने/वैट के कार्यान्वयन से होने वाली क्षतिपूर्ति, आदि के रूप में केन्द्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले विवेकाधिकार पूर्ण अनुदान 2001–02 से 325 करोड़ रुपये की दर से स्थिर है। केंद्र से मिलने वाला अनुदान 2007–08 में 1312.89 करोड़ रुपये था, जो उससे पिछले वर्ष मात्र 574.22 करोड़ रुपये था। 2007–08 में केन्द्र से मिलने वाले अनुदान में 128.64 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई। इसकी वजह यह थी कि राष्ट्रमंडल खेल–2010 के लिए 350 करोड़ रुपये और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए 157.74 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 183.70 करोड़ रुपये की मुआवज़ा राशि केन्द्र से प्राप्त हुई। उससे पिछले वर्ष ऐसा कोई अनुदान नहीं मिला था। दिल्ली सरकार को 2008–09 में 1755.27 करोड़ रुपये (अनुमानित) सहायता अनुदान के रूप में मिले। इसमें 33.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसकी वजह यह थी कि 362.81 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में और 154.76 करोड़ रुपये केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए मुआवज़ा राशि के रूप में केन्द्र से प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त 2008–09 के दौरान अर्थव्यवस्था को मौजूदा मंदी से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा दूसरे राहत पैकेज के हिस्से के रूप में शहरी परिवहन के लिए बसों की खरीद के वास्ते 115.52 करोड़ रुपये (अनुदान के रूप में) की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दिल्ली को प्राप्त हुई।

7- jktLo [kpZ

दिल्ली सरकार के राजस्व खर्च में मुख्य रूप से वेतन/कार्यालय खर्च, योजना और गैर योजना दोनों के अन्तर्गत संसथानों/ स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान, भारत सरकार को ब्याज भुगतान, गैर योजना आदि के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को धन का हस्तांतरण शामिल है।

निम्नांकित विवरण में दिल्ली सरकार की समग्र राजस्व स्थिति दर्शायी गई है।

fooj.k 4-5

jktLo [kp

¼#i;s djksM+ esa½

क्र. स.	मद	2002-03	2006-07	औसत वार्षिक वृद्धि [2002-07]	2007-08	2008-09 वास्तविक (अंतरिम)
	कुल राजस्व खर्च (1+2)	**4598.20**	**7755.48**	**13.80**	**9770.52**	**11768.35**
	पिछले वर्ष पर वृद्धि	-7.35	19.03		25.98	20.45
1	**योजना**	**1218.20**	**2020.66**	**13.12**	**3329.01**	**3939.36**
	पिछले वर्ष पर वृद्धि	-37.69	**22.58**		64.75	18.33
2	**गैर–योजना**	**3380.00**	**5734.82**	**14.04**	**6441.51**	**7828.99**
	पिछले वर्ष पर वृद्धि	12.36	**17.83**		12.32	21.54
	जिसमें से:					
(i)	**ब्याज भुगतान**	1114.78	2210.23	17.01	2504.34	2511.87
	पिछले वर्ष पर वृद्धि	19.34	32.13		13.31	0.30
(ii)	**स्थानीय निकायों को हस्तांतरण**	526.24	1034.73	18.92	1270.26	1058.18
	पिछले वर्ष पर वृद्धि	17.75	33.48		22.76	-16.70

lzksr & 2002–03 से 2007–08 की अवधि के लिए आंकड़े दिल्ली सरकार के वित्त लेखा कार्यालय से लिए गए हैं।

दिल्ली सरकार का राजस्व खर्च 2007–08 में 9770.52 करोड़ रुपये था, जिसमें 25.98 प्रतिशत वृद्धि हुई। 2008–09 में दिल्ली सरकार का अनुमानित राजस्व खर्च 11768.35 करोड़ रुपये था, जिसमें 20.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल 11768.35 करोड़ रुपये के राजस्व खर्च में 3939.36 करोड़ रुपये (33.47 प्रतिशत) योजना और शेष 7828.99 करोड़ रुपये (66.53 प्रतिशत) गैर योजना के अंतर्गत आता है। 2008–09 (बजट अनुमान) में सभी राज्यों का गैर योजना खर्च उनके राजस्व का 76.50 प्रतिशत था। राजस्व खर्च में बढ़ोतरी 2007–08 के दौरान 25. 98 प्रतिशत और 2008–09 के दौरान 20.45 प्रतिशत रही, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की औसन वार्षिक

वृद्धि यानी 13.80 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी। इसी मुख्य वजह यह रही कि 2007–08 में योजना खर्च में अधिक वृद्धि हुई और 2008–09 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान के कारण गैर–योजना खर्च में वृद्धि हुई।

8 C;kt Hkxrku

मार्च 2009 के अंत में दिल्ली सरकार का बकाया ऋण 25381.86 करोड़ रुपये था। 2008–09 के दौरान दिल्ली सरकार ने ब्याज के रूप में 2511.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया। राज्य की वित्त व्यवस्था पर सार्वजनिक ऋण के प्रभाव का मूल्याकंन करने के महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है, स्वयं के कर राजस्व पर ब्याज भुगतान का अनुपात, जो 2008–09 में 20.62 प्रतिशत रहा है। निम्नांकित विवरण में दिल्ली सरकार द्वारा स्वयं के कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान दर्शाया गया है।

fooj.k 4-6

Lo; d dj jktLo d ifr'kr d :i e dUn dk C;kt dk Hkxrku

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 वास्तविक (अंतरिम)
दिल्ली	20.94	23.24	22.07	18.71	21.76	21.25	20.62

9- LFkkuh; fudk;ks dks gLrkarj.k

दिल्ली में स्थानीय निकायों (यानी दि.न.नि. और न.दि.न.प.) को हस्तांतरण दिल्ली वित्तआयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार के निर्णय के अनुसार किया जा रहा है। सरकार ने दूसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकष्त हस्तांतरण पद्धति को अपनाया है। इसके अनुसार दूसरे वित्त आयोग की अवधि यानी 2001–06 में अपनाई गई पद्धति का विस्तार 2006–07 और 2007–08 यानी तीसरे वित्त आयोग की संदर्भ अवधि के प्रथम दो वर्षो के लिए किया गया। नतीजतन सरकार ने तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को धन हस्तांतरण के बारे में निर्णय किया है जो 2008–09 से लागू हो गया है और 2010–11 तक लागू रहेगा। दूसरे शब्दों में यह निर्णय तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की पांच वर्ष (2006–11) की अवधि की बजाय तीन वर्ष के लिए लागू रहेगा।

निम्नांकित विवरण में 2001–02 से 2008–09 तक की अवधि के लिए स्थानीय निकायों को धन का हस्तांतरण दर्शाया गया है।

fooj.k 4-7

LFkkuh; fudk;ksa dks gLrkarj.k

¼djksM+ #i;s esa½

क्र.स.	मद	पहले दिल्ली वित्त आयोग की अवधि (1996-2001)	दूसरे दिल्ली वित्त आयोग की अवधि	तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की अवधि		
				दूसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर		तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर
		1996-2001	(2001-2006)	2006-07	2007-08	2008-09 वास्तविक (अंतरिम)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	सहायता अनुदान	**698.18**	**1478.92**	**500.48**	**602.94**	**622.74**
	दि.न.नि.	644.53	1380.34	469.41	565.70	584.28
	न. दि. न. प.	48.83	91.50	29.22	35.20	36.35
	दि.छ.ब.	4.82	7.08	1.85	2.04	2.11
2	मुआवजा और आवंटन	**927.76**	**1650.89**	**534.25**	**667.32**	**455.95**
	दि.न.नि.	872.01	1576.83	511.12	640.06	432.42
	न. दि. न. प.	44.60	51.13	17.27	20.82	14.85
	दि.छ.ब.	11.15	22.93	5.86	6.44	8.68
3	कुल (1+2)	**1625.95**	**3129.81**	**1034.73**	**1270.26**	**1054.41**
	पिछले वर्ष पर वृद्धि			**33.48**	22.76	-16.99
	दि.न.नि.	1516.54	2957.17	980.53	1205.76	1016.70
	पिछले वर्ष पर वृद्धि			33.53	22.97	-15.68
	न. दि. न. प.	93.43	142.63	46.49	56.02	51.20
	पिछले वर्ष पर वृद्धि			37.02	20.50	-8.60
	दि.छ.ब.	15.97	30.01	7.71	8.48	10.79
	पिछले वर्ष पर वृद्धि			10.62	9.99	27.24

lzksr % वित्त (बजट) विभाग, दिल्ली सरकार

10 jktLo vf/k'k"k

दिल्ली को देश में लगातार राजस्व अधिशेष रखने वाले राज्य का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। विवरण 4.8 और चार्ट 4.3 (अधिक ब्यौरे के लिए तालिका 4.4 देखें) में दिल्ली की यह स्थिति दर्शायी गई है।

fooj.k 4-8

jktLo [kkrk ij cdk;k] fnYyh

¼djksM+ #i;s e½

मद	2002-03	2006-07	औसत वार्षिक वृद्धि [2002-07]	2007-08	2008-09 वास्तविक (अंतरिम)
1. राजस्व प्राप्तियां	6665.94	12193.61	17.31	14912.38	16222.43
पिछले वर्ष पर वृद्धि	-38.53			22.30	8.78
2. राजस्व खर्च	4598.20	7755.45	13.80	9770.52	11768.35
पिछले वर्ष पर वृद्धि				25.98	20.45
राजस्व अधिशेष (1-2)	2067.74	4438.13	24.32	5141.86	4454.08
पिछले वर्ष पर वृद्धि	60.22			15.86	-13.38
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष (दिल्ली)	2.90	3.54		3.57	
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष (सभी राज्य))	2.30	-0.15		-0.30	
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (भारत सरकार)	4.40	-1.09		1.10	

lkzr % (i) देखें तालिका 4.4 और 4.8

(ii) बजट सारांश, भारत सरकार 2009–10

CHART 4.3
REVENUE SUPLUS (+) / DEFICIT (-) AS % OF GDP

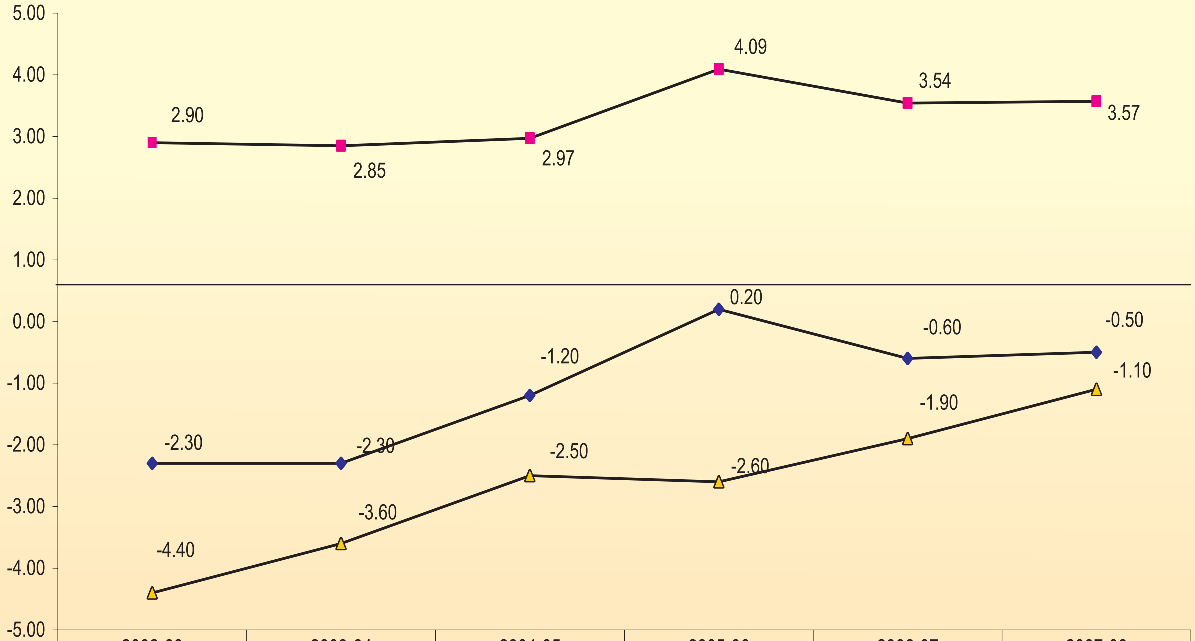

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
All States	-2.30	-2.30	-1.20	0.20	-0.60	-0.50
Delhi	2.90	2.85	2.97	4.09	3.54	3.57
GOI	-4.40	-3.60	-2.50	-2.60	-1.90	-1.10

2007–08 में दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष 5141.86 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 3.57 प्रतिशत) था। उसकी तुलना में वर्ष के दौरान सभी राज्यों का समग्र राजस्व घाटा जीडीपी का 0.30 प्रतिशत और भारत सरकार का राजस्व घाटा जीडीपी का 1.10 प्रतिशत रहा। 2008–09 में दिल्ली का राजस्व अधिशेष करीब 3681.23 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। इसकी वजह यह है कि स्वयं के कर राजस्व में कमी आई और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन देने से गैर योजना राजस्व खर्च में वृद्धि हुई। निम्नांकित चार्ट में 2002–03 से 2008–09 (अंतरिम) के दौरान दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्च की स्थिति दर्शायी गई है।

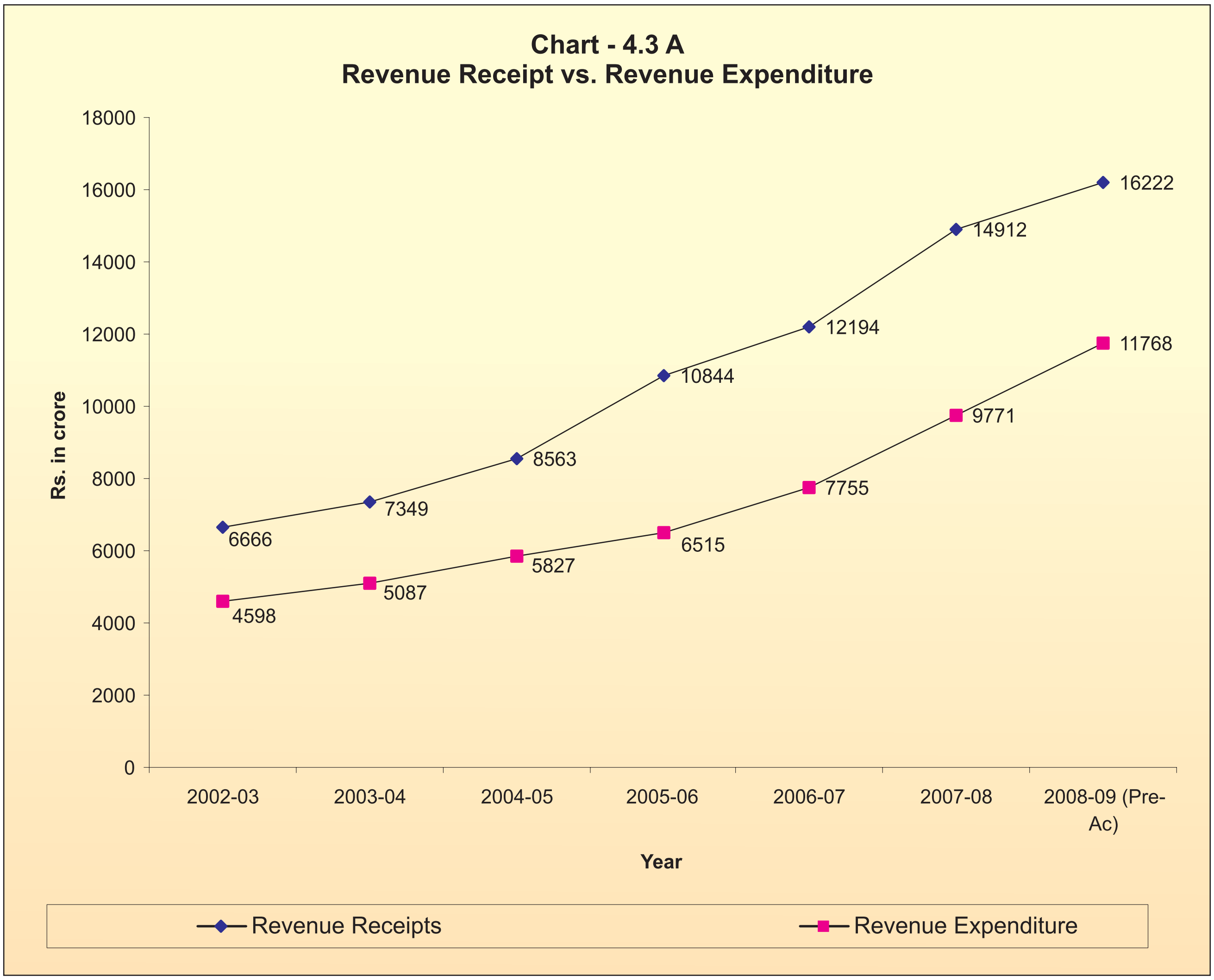

11. ikth ikfIr;k

दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियों में राष्ट्रीय लघु बचत कोष से ऋण, ब्लॉक ऋण (यानी राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता का 70 प्रतिशत ऋण घटक, जो 2004–05 तक उपलब्ध था और उसके बाद 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर समाप्त कर दिया गया), स्थानीय निकायों/सार्वजनिक सेवाओं/सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूली शामिल है। निम्नांकित विवरण में दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियों की स्थिति दर्शायी गई है।

fooj.k 4-9

iwath izkfIr;k

¼djksM #i;s e½

क्र. स.	मद	2002-03	2006-07	औसत वार्षिक वृद्धि [2002-07]	2007-08	2008-09 वास्तविक (अंतरिम)
	कुल पूंजी प्राप्तियां	3868.36	4230.78	4.22	977.28	1227.74
	पिछले वर्ष पर वृद्धि	54.96	-31.94		-76.90	25.63
	जिसमें से					
(i)	**ब्लाक ऋण**	384.73	0.00		0.00	0.00
(ii)	**लघु बचत ऋण**	3276.84	4002.14	7.15	746.02	428.74
(iii)	**ऋण और अग्रिमों की वसूली**	206.63	228.64	4.95	231.26	799.00
(iv)	**केन्द्र प्रायोजित योजना ऋण**	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2006–07 तक दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियों में लघु बचत ऋण एक प्रमुख घटक बना रहा। इस अवधि में दिल्ली को 4002.14 करोड़ रुपये लघु बचत ऋण के रूप में मिले, जा वर्ष के दौरान 4230.78 करोड़ रुपये की कुल पूंजी प्राप्ति का 94.60 प्रतिशत था। किन्तु, दिल्ली सरकार को लघु बचत ऋण के प्रवाह में तेजी से कमी आई और यह 2007–08 में घटकर 746.02 करोड़ रुपये और 2008–09 में 428.74 करोड़ रुपये रह गया।

सार्वजनिक सेवाओं जैसे डीटीसी और दिजबो से ऋण और अग्रिमो की वसूली व्यावहारिक रूप में षून्य रही है। दिल्ली नगर निगम के मामले में ऋण की वसूली दिल्ली वित्त आयोगकी सिफारिशों के अनुसार दिल्ली सरकार से उसे मिलने वाले बुनियादी कर के हिस्से में से स्रोत पर की जा रही है।

दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्ति 2006–07 की 4230.78 करोड़ रुपये की तुलना में 2007–08 के दौरान घटकर 977. 28 करोड़ रुपये रह गई और उसके बाद ऋणों की अधिक वसूली के कारण 2008–09 में यह बढ़कर करीब 1227.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

12 iwath forj.k

निम्नांकित विवरण में दिल्ली सरकार के पूंजी वितरण की स्थिति दर्शायी गयी है।

fooj.k 4-10
iwath forj.k

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	मद	2002–03	2006–07	औसत वार्षिक वृद्धि (2002–07)	2007–08	2008–09 वास्तविक (अनुमानित)
	कुल पूंजी वितरण	**5615.30**	**5210.94**	**-5.00**	**8389.11**	**8578.60**
(1)	**योजना**	**3194.45**	**3067.49**	**-2.81**	**5456.03**	**5670.88**
	जिसमें से –					
(i)	पूंजी परिव्यय	779.76	1931.09	27.50	3761.36	
(ii)	ऋण और अग्रिम	2407.08	1136.4	-21.30	1694.67	
(2)	**गैर–योजना**	**2420.85**	**2143.95**	**-7.58**	**2933.08**	**2907.72**
	जिसमे से					
(i)	पूंजी परिव्यय	126.70	-148.15		3.09	3.37
(ii)	ऋण का पुनर्भुगतान	944.50	133.65	-44.78	975.09	386.03
(iii)	ऋण और अग्रिम	1349.65	2157.85	9.46	1954.9	2518.32

दिल्ली सरकार के पूंजी वितरण का प्रमुख हिस्सा योजना के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्य रूप से सरकारी विभागों का पूंजी परिव्यय और स्थानीय निकायों/सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। 2008–09 में दिल्ली सरकार का पूंजी वितरण अंतरिम रूप में 8578.60 करोड़ रुपये था, जिसमें 2.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। इसमें 5670.88 करोड़ रुपये (66.10 प्रतिशत) योजना के अंतर्गत और 2907.72 करोड़ रुपये (33.90प्रतिशत) गैर–योजना के अंतर्गत थे। गैर–योजना पूंजी वितरण में मुख्य रूप से भारत सरकार को ऋणों का पुनर्भुगतान, सार्वजनिक सेवाओं जैसे डीटीसी, दिजबो आदि को परिचालन घाटा पूरा करने के लिए दिये जाने वाले गैर–योजना ऋण शामिल हैं। 2008–09 में दिल्ली सरकार का ऋण पुनर्भुगतान 386.03 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष (2007–08) 975.09 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान किया गया था। 2007–08 के दौरान पुनर्भुगतान की राशि अधिक थी, क्योंकि उसमें 752.90 करोड़ रुपये के ऋण की समय पूर्व अदायगी भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार का गैर–योजना ऋण 2007–08 के 1954.90 करोड़ रुपये से बढ़कर 2008–09 में 2518.32 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जिसमें 28.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण यह था कि डीटीसी और दिल्ली जल बोर्ड को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन देने का अपना दायित्व पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ी।

निम्नांकित चार्ट में दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियां और पूंजी वितरण दर्शाया गया है।

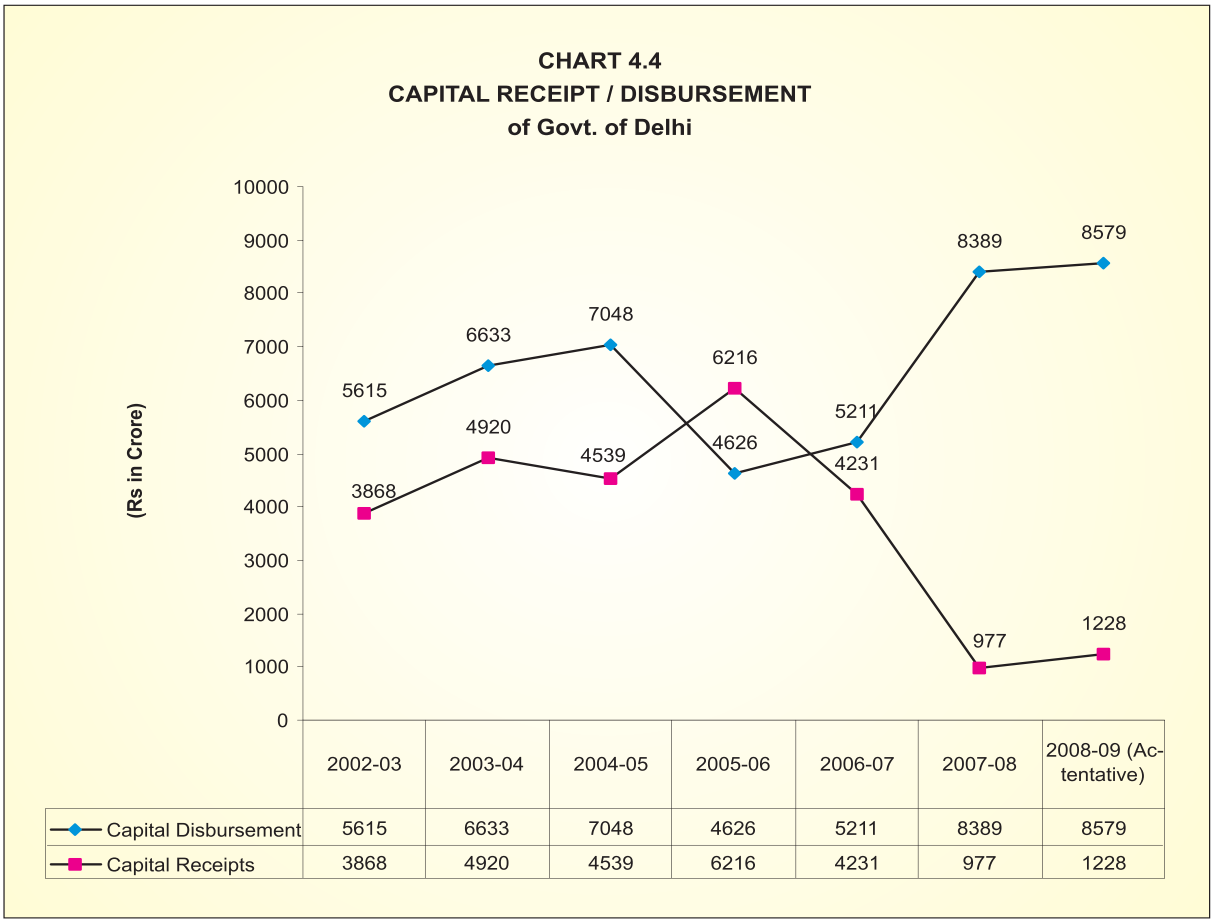

13 Ikoltfud _.k

निम्नांकित विवरण में दिल्ली सरकार के बकाया ऋण और उसकी ऋण भुगतान देयता दर्शायी गई है।

fooj.k 4-11

Ikoltfud _.k ¼djkM+ #i;s e½

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में बकाया ऋण	वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये ऋण			वर्ष के दौरान लौटाए गए /समयपूर्व लौटाए गए ऋण			वर्ष के अंत में बकाया	ब्याज भुगतान
		ब्लॉक ऋण	लघु बचत ऋण	कुल ऋण	लौटाए गए ऋण	समय पूर्व लौटाए गए ऋण	कुल (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2002-03	8635.52	361.71	3276.84	3638.55	122.49	798.47	920.96	11353.11	1114.78
2003-04	11353.11	256.41	4408.07	4664.48	169.33	1530.88	1700.21	14317.38	1367.27

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में बकाया ऋण	वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये ऋण			वर्ष के दौरान लौटाए गए /समयपूर्व लौटाए गए ऋण			वर्ष के अंत में बकाया	ब्याज भुगतान
		ब्लॉक ऋण	लघु बचत ऋण	कुल ऋण	लौटाए गए ऋण	समय पूर्व लौटाए गए ऋण	कुल (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2004-05	14317.38	278.97	3732.38	4011.35	101.65	2200.00	2301.65	16027.08	1568.56
2005-06	16027.08	0.00	5896.45	5896.45	58.25	165.42	223.67	21699.86	1672.82
2006-07	21699.86	0.00	4002.14	4002.14	133.75	0.00	133.75	25568.25	2210.24
2007-08	25568.25	0.00	746.02	746.02	222.19	752.90	975.09	25339.18	2504.34
2008-09 वास्तविक (अंतरिम)	25339.18	0.00	428.74	428.74	386.06	0.00	386.06	25381.86	2512.00

31 मार्च 2009 को दिल्ली सरकार का बकाया ऋण 25339.18 करोड़ रुपए (अंतरिम) का था। ऋण की यह बकाया राशि मुख्य रूप से भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एन एस एस एफ) से संबद्ध है।

14 jktdks"kh; ?kkVk

राजकोषीय घाटा एक तात्कालिक सांख्यिकीय उपाय है, जो सभी स्रोतों से सरकार की उधार संबंधी जरूरतों को दर्षाता है। दिल्ली का राजकोषीय घाटा 2007–08 में 2040.88 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 1.42 प्रतिशत) था, जबकि वर्ष के दौरान सभी राज्यों का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.30 प्रतिशत और भारत सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.70 प्रतिशत रहा। 2006–07 के 410.42 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे की तुलना में 2007–08 का राजकोषीय घाटा बहुत अधिक था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि योजना खर्च 2006–07 में 5088.15 करोड़ रुपए था, जो 2007–08 में बढ़कर 8785.04 करोड़ रुपये (यानी 72.66 प्रतिशत बढ़ोतरी) पर पहुंच गया। 2008–09 में दिल्ली का राजकोषीय घाटा 2939.49 करोड़ रुपये था। इसकी वजह यह रही कि वैष्विक आर्थिक मंदी के चलते स्व–कर राजस्व में कमी आई और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन देने से सरकार की गैर–योजना देयता में बढ़ोतरी हुई (चार्ट 4.5 देखें)।

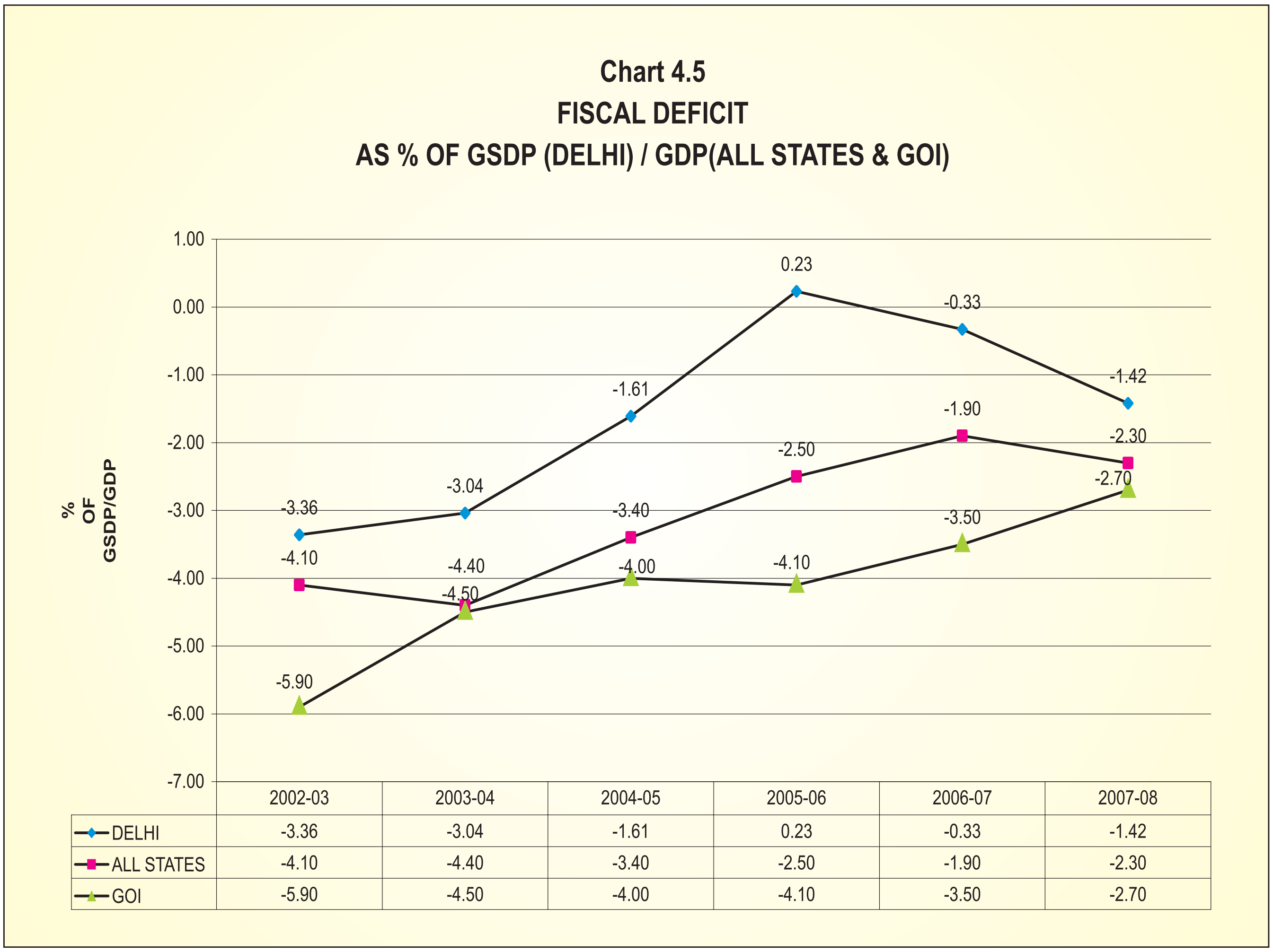

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
DELHI	-3.36	-3.04	-1.61	0.23	-0.33	-1.42
ALL STATES	-4.10	-4.40	-3.40	-2.50	-1.90	-2.30
GOI	-5.90	-4.50	-4.00	-4.10	-3.50	-2.70

स्रोत : (i) भारत सरकार, बजट सारांश 2009–10
(i) देखें तालिका 4.8

15- ikjfHkd ?kkVk

प्रारंभिक घाटा (यानी ब्याज भुगतान के बाद षुद्ध राजकोषीय घाटा), सरकार के चालू उपभोग और निवेष खर्च के लिए कुल उधार की जरूरत की मात्रा को दर्षाता है। इससे चालू राजकोषीय नीतियों की स्थिरता का पता चलता है। 2004–05 से 2007–08 के दौरान दिल्ली का प्रारंभिक घाटा न केवल षून्य था, बल्कि 2007–08 में 463.46 करोड़ रुपये का अधिशेष भी दर्ज हुआ। किन्तु, ऊपर वर्णित कारणों से 2008–09 में दिल्ली का प्रारंभिक घाटा अंतरिम रूप मे 427.62 करोड़ रुपये रहा।

Chart 4.6

GOVT. OF NCT OF DELHI PRIMARY DEFICIT

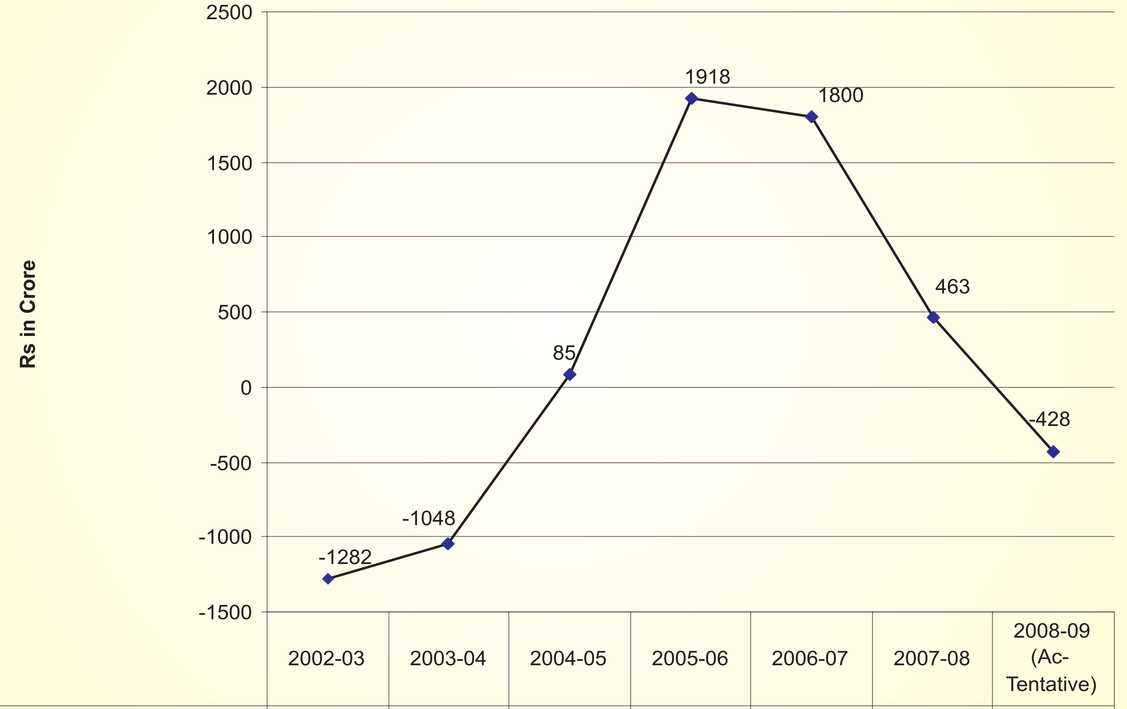

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (Ac-Tentative)
Primary Surplus/Deficit	-1282	-1048	85	1918	1800	463	-428

16- IkoTkfud Iokvk dk Igk;rk

दिल्ली में सार्वजनिक निकायों (जैसे डीटीसी, दिजबो आदि) का वित्तीय निश्पादन का दिल्ली सरकार की वित्तीय कार्यक्षमता के लिए विशेष महत्व है। इन निकायों का घाटा वार्षिक योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों को अपने में समायोजित कर लेता है, क्योंकि गैर योजना सहायता के जरिए ऐसे घाटे को पूरा करना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य से डीटीसी और दिजबो हमेषा घाटा ही प्रदर्षित करते हैं।

डीटीसी और दिजबो की वित्तीय स्थिति और दिल्ली सरकार द्वारा योजना (ऋण/इक्विटी के रूप में) और गैर–योजना (ऋण/अनुदान/सब्सिडी के रूप में) के अंतर्गत उन्हें गैर–योजना घाटा पूरा करने के लिए दी जाने वाली सहायता का ब्योरा नीचे दिया गया है।

(i) fnYYkh ifjogu fuxe (MhVhlh)

fooj.k 4-12

MhVhlh dk foRrh; fu"iknu

¼#i;s djksM+ esa½

क्र. सं.	विवरण	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2997–08	2008–09 (संशोधित अनुमान)
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
क	परिचालन घाटा	200.85	214.94	252.86	227.15	283.53	320.73	556.29
ख	चालू घाटा	197.49	224.95	289.70	269.75	289.82	325.39	563.95
ग	रा.रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सहायता (I+ II)	**761.49**	**631.00**	**608.76**	**1112.03**	**1038.24**	**1491.37**	**1876.80**
I	गैर–योजना सहायता (i+ii) :	**586.87**	**621.00**	**565.27**	**1107.23**	**924.24**	**1114.07**	**1576.80**
(i)	गैर–योजना ऋण (क+ख)	**586.87**	**621.00**	**565.27**	**974.49**	**882.37**	**1092.07**	**1557.80**
(क)	नक़द	197.00	176.00	223.42	317.95	279.95	324.25	550.00
(ख)	ब्याज का गैर–योजना ऋण में परिवर्तन	389.87	445.00	341.85	656.54	602.42	767.82	1007.80
(ii)	निशुल्कः/रियायती पासों के लिए डीटीसी को सब्सिडी				132.74	41.87	22.00	19.00
ii	योजना सहायता (i+ii) :	**174.62**	**10.00**	**43.49**	**4.80**	**114.00**	**377.30**	**300.00**
(i)	योजना ऋण	174.62	10.00	43.49	4.80	114.00		
(ii)	इक्विटी						377.30	300.00

lzksr% डी.टी.सी.

दिल्ली सरकार ने 2007–08 में डीटीसी को 1114.07 करोड़ रुपये की गैर–योजना सहायता प्रदान की, जिसमें से 324.25 करोड़ रुपये उसे नक़द गैर–योजना ऋण के रूप में दिए गए ताकि वह अपनी वेतन आदि जरूरतें पूरी कर सके। डीटीसी को 767.82 करोड़ रुपये का अन्य गैर–योजना ऋण नक़द न देकर दिल्ली सरकार को देय उसकी ब्याज वसूली के रूप में समायोजित किया गया। इसके अलावा 22 करोड़ रुपये उसे सब्सिडी के रूप में दिये गये ताकि वह विभिन्न श्रेणियों के नागरिकों को जारी किये जाने वाले निःशुल्क/रियायती पासों का खर्च वहन कर सके। उपरोक्त के अलावा 2007–08 के दौरान डीटीसी को इक्विटी के रूप में योजना धन के अंतर्गत 377.30 करोड़ रुपये जारी किये गये। यह राशि बसों की खरीद के प्रयोजन के लिए दी गई। 2008–09 के दौरान दिल्ली सरकार ने 1576.80 करोड़ रुपये की गैर–योजना सहायता प्रदान की। यह राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 41.54 प्रतिशत अधिक थी। इसमें से 550 करोड़ रुपये नक़द गैर–योजना ऋण के रूप में दिए गए ताकि वह छठे वेतन आयोग के आधार पर किए गए वेतन संषोधन के प्रभाव सहित वेतन संबंधी जरूरतें पूरी कर सके। वर्ष के दौरान डीटीसी को 1007.80 करोड़ रुपये गैर–योजना ऋण के रूप में नक़द न देकर उसकी ओर बकाया ब्याज की वसूली के मद में समायोजित किए गए। इसके अलावा 19 करोड़

रुपये की सब्सिडी दी गई ताकि वह निःशुल्क और रियायती पासों से आने वाली लागत पूरी कर सके। 2008–09 के दौरान मुख्य रूप से बसों की खरीद के लिए इक्विटी के रूप में डीटीसी को 300 करोड़ रुपये योजना धन के रूप में भी दिए गए।

(ii) fnYYkh ty ckMZ (fn-t-cks)

निम्नांकित विवरण में दिजबो का गैर–योजना घाटा और दिल्ली सरकार द्वारा उसे दी जाने वाली योजना तथा गैर–योजना सहायता दर्शायी गई है।

fooj.k 4-13

fnYyh ty ckMZ dh foÙkh; fLFkfr vkj fnYyh ljdkj }kjk mls nh xbZ ;kstuk vkj xSj&;kstuk lgk;rk

(करोड़ रुपए में

क्र. स.	मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (संशोधित अनुमान)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	राजस्व प्राप्तियां							
क	जल	200.89	220.76	251.62	436.07	390.38	378.80	389.83
ख	सीवरेज	29.92	21.11	151.23	155.27	181.22	267.9	295.18
	कुल	230.81	241.87	402.85	591.34	571.60	646.70	685.01
2	राजस्व खर्च							
क	स्थापना	177.65	203.29	301.66	327.89	347.69	361.51	425.77
ख	विद्युत (डी वी बी)	271.14	224.36	226.97	282.77	355.51	364.00	337.00
ग	कच्चा पानी	7.38	22.94	13.71	14.69	17.01	20.50	21.50
घ	संपत्ति कर	75.87	27.23	29.33	5.32	13.49	1.67	37.00
ड़	ऋण प्रभार							
	अन्य	36.30	37.56	61.09	82.53	91.77	139.00	141.55
	कुल **2** (क से ड़)	**568.34**	**515.38**	**632.76**	**713.20**	**825.47**	**886.68**	**962.82**
3	**गैर –योजना घाटा (1-2)**	**-337.53**	**-273.51**	**-229.91**	**-121.86**	**-253.87**	**-239.98**	**-277.81**
4	**विशुद्ध गैर –योजना घाटा (ऋण प्रभारों को छोड़कर)**	-337.53	-273.51	-229.91	-121.86	-253.87	-239.98	-277.81
5	**जारी किये गए गैर–योजना ऋण जिसमें से :–**	610.64	551.00	727.75	562.86	774.34	786.62	959.40
	(i) नकद भुगतान	341.34	231.00	350.00	124.00	300.00	200.00	350.00
	(ii) ब्याज का गैर–योजना ऋण में रूपान्तरण	269.30	320.00	377.75	438.86	474.34	586.62	609.40
6	जारी किया गया योजना धन	630.95	616.70	694.75	808.42	831.80	1342.25	1450.30
7	कुल योग **(5+6)**	**1241.59**	**1167.7**	**1422.5**	**1371.28**	**1606.14**	**2128.87**	**2409.70**

lzksr दिल्ली जल बोर्ड

दिल्ली जल बोर्ड को 2007–08 में 786.62 करोड़ रुपये का गैर–योजना ऋण प्रदान किया गया, जिसमें से 200 करोड़ रुपये उसे नक़द दिये गये ताकि वह गैर–योजना घाटा पूरा कर सकें और शेष 586.62 करोड़ रुपये का गैर–योजना ऋण उसे नक़द न देकर उसकी ओर बकाया दिल्ली सरकार की ब्याज राशि का बही समायोजन किया गया। इसके अतिरिक्त दिजबो को 2007–08 में योजना निधि के रूप में 1342.25 करोड़ रुपये दिए गए।

2008–09 के दौरान दिल्ली सरकार ने दिजबो को 959.40 करोड़ रुपये का गैर–योजना ऋण प्रदान किया, जो पिछले ऋण से 21.96 प्रतिशत अधिक था। इसमें से 350 करोड रुपये नक़द दिए गए ताकि बोर्ड अपना गैर–योजना घाटा पूरा कर सकें और साथ ही छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए संशोधित वेतन की लागत वहन कर सके। बोर्ड को 609.40 करोड़ रुपये का अन्य गैर–योजना ऋण नक़द न देकर उसकी ओर बकाया दिल्ली सरकार की ब्याज राशि का समायोजन किया गया। दिजबो को 2008–09 के दौरान 1450.30 करोड़ रुपये योजना निधि के रूप में भी जारी किए गए।

(iii) fnYyh esa fctyh lsok,a

दिल्ली में 2002 से बिजली क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड राज्य का एकल बिजली बोर्ड था, जिसे 7 स्वतंत्र कंपनियों में विभाजित किया गया। इनमें 3 वितरण कंपनियां (डिस्कोम्स), एक ट्रांसमिशन कंपनी (ट्रांस्को) (यानी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड), 2 उत्पादन कंपनियां (जेन्कोज) (यानी इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेषन कंपनी लिमिटेड और प्रगति पांवर कॉरपोरेषन लिमिटेड), और एक होल्डिंग कंपनी यानी दिल्ली पांवर कंपनी लिमिटेड शामिल है। डिस्कोम्स यानी वितरण कंपनियां प्राइवेट हैं जबकि अन्य सभी कंपनियां सरकार के स्वामित्व में हैं।

¼d½ fnYyh VªkaLdks fyfeVsM ¼MhvkbZ,y½

दिल्ली विद्युत बोर्ड की हस्तांतरण योजना के अनुसार दिल्ली सरकार डीआईएल को 3542 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है ताकि वह अपनी राजस्व आवश्यकताओं और बॅल्क आपूर्ति लागत को पूरा कर सके, क्योंकि उसे रूपांतरण अवधि वितरण लाइसेंसियों से ऐसी लागत अवष्य वहन करनी पडेगी, तदनुरूप दिल्ली सरकार ने डीआईएल को बिजली क्षेत्र सुधार योजना के अंतर्गत 2002–03 में 1364 करोड़ रुपये, 2003–04 में 1470 करोड़ रुपये, 2004–05 में 480 करोड़ रुपये और 2005–06 में 138 करोड़ रुपये जारी किए। किन्तु, बाद में 3452 करोड़ रुपये के उपरोक्त ऋण को डीटीएल में दिल्ली सरकार की इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 2007–08 और 2008–09 के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा डीटीएल को कोई गैर–योजना सहायता प्रदान नहीं की गई। डीटीएल लाभ कमा रही है, जिसका कर उपरान्त विषुद्ध लाभ 2007–08 में 51.69 करोड़ रुपये था। 2008–09 के संशोधित अनुमान के अनुसार कंपनी का लाभ बढ़कर 66.93 करोड़ रुपये पर पहुंच जाने की उम्मीद है।

¼[k½ fnYyh ikoj daiuh fyfeVsM (Mhihlh,y)

इसी प्रकार पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड के विभाजन के बाद दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल) भी अस्तित्व में आयी।

इस कंपनी का निर्माण दिल्ली विद्युत बोर्ड की उत्तराधिकारी बिजली कंपनियों (यानी उत्पादन कंपनी (जेन्कोज, ट्रांस्को और डिस्कोम्स) के षेयर धारण करने और पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड के बकाया दायित्वों का वहन करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ की गयी थी। दिल्ली विद्युत बोर्ड को बिजली खरीद बकाया (40 प्रतिशत अधिभार सहित) के रूप में 30.09.2001 तक केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की 3376.70 करोड़ रुपये की राशि देनी थी। केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की बकाया बिजली खरीद राशि का यकमुष्त निबटारा करने संबंधी अहलूवालिया समिति की सिफारिश के अनुसार उपरोक्त बकाया देयताओं को द्विपक्षीय समझौते के जरिए दीर्घावधि के अग्रिमों में परिवर्तित किया गया। इस समझौते पर भारत सरकार के बिजली मंत्रालय और दिल्ली सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार डीपीसीएल समय–समय पर केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की बकाया राशि (यानी मूलधन और ब्याज) का भुगतान कर रहा है। दिल्ली सरकार ने 2003–04 से 2004–05 की अवधि में डीपीसीएल को 552.63 करोड़ रुपये का षुद्ध गैर योजना ऋण प्रदान किया, ताकि वह केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की बकाया राशि का भुगतान समय पर कर सके। 2006–07 के दौरान बिजली वितरण कंपनियों ने डीपीसीएल को 1416 करोड़ रुपये की समूची सुरक्षित ऋण राशि ब्याज सहित समय–पूर्व लौटा दी। यह राशि उन्हें स्थानांतरण योजना के अंतर्गत प्रदान की गई थी। डीपीसीएल ने 2007–08 में केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की किस्तों के भुगतान के लिए 603.16 करोड़ रुपये और 2008–09 में 574.46 करोड़ रुपये स्वयं के संसाधनों से अदा किए। उन्होंने 552.63 करोड़ रुपये की दिल्ली सरकार की समूची विषुद्ध गैर–योजना ऋण राशि भी ब्याज सहित अदा कर दी। 2007–08 और 2008–09 के दौरान डीपीसीएल द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की बकाया राशि अदा किए जाने के लिए दिल्ली सरकार ने डीपीसीएल के लिए धन का कोई प्रावधान नहीं किया।

¼x½ mRiknu daifu;k ¼tsUdkst½

दो बिजली कंपनियों, यानी इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेषन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) में से पीपीसीएल लाभ कमा रही है। 2007–08 के दौरान कंपनी का कर उपरांत षुद्ध लाभ 83.04 करोड़ रुपये रहा। जबकि 2008–09 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कंपनी का कर उपरांत षुद्ध लाभ 106.29 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। अन्य बिजली उत्पादन कंपनी (यानी आईपीजीसीएल) को 2007–08 के दौरान कर उपरांत 15.94 करोड़ रुपये का षुद्ध घाटा उठाना पड़ा है। किन्तु, 2008–09 के संशोधित अनुमानों के अनुसार इस कंपनी को कर–उपरांत 19.48 करोड़ रुपये का लाभ होने की उम्मीद है। आईपीजीसीएल को 2007–08 के दौरान हुए घाटे की भरपायी के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कोई गैर–योजना सहायता प्रदान नहीं की गई।

17- LFkkuh; fudk;k dh foÙk&0;oLFkk

नागरिक प्रशासन के लिए राराराक्षे दिल्ली तीन क्षेत्रों में विभाजित है, और ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में काम करते हैं। ये हैं:. दिल्ली नगर निगम (दिननि), नई दिल्ली नगर परिषद (नदिनप) और दिल्ली छावनी बोर्ड (दिछब)। इन तीन निकायों का क्षेत्रफल और आबादी घनत्व 2001 की जनगणना के अनुसार इस प्रकार था :

fooj.k 4-14

LFkkuh; fudk;ksa dk {ks=Qy vkSj tula[;k /kuRo] 2001

	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में)	जनसंख्या धनत्व (व्यक्ति प्रति किलोमी0)	
		1991 जनगणना	**2001 जनगणना**
दिननि	1397.29	6459	9564
नदिनप	42.74	7050	6897
दिछब	42.97	2197	2896
दिल्ली	1483	6352	9294

uhps pkVZ 4-7 esa Lye fox dks NksM+dj fnYyh uxj fuxe dh xSj&;kstuk vk; vkSj [kpZ n'kkZ;k x;k gSA

Chart 4.7
Non-Plan Income & EXPENDITURE, MCD (EXCLUDING SLUM WING)

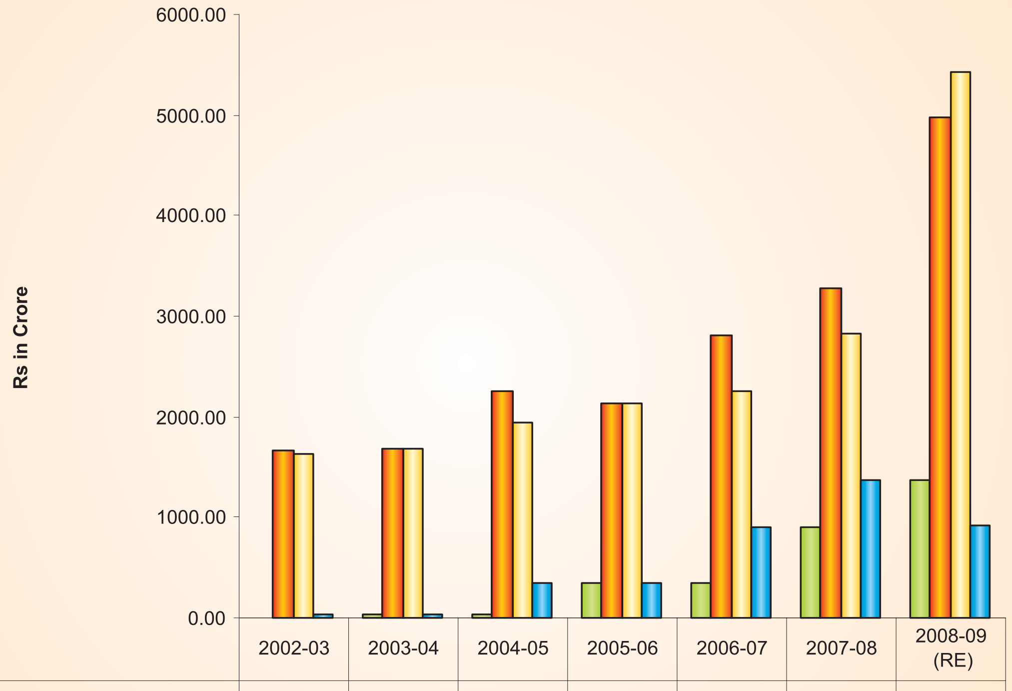

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (RE)
Opening {Surplus (+)/ Deficit (-) }	0.17	35.60	40.71	348.72	346.41	905.77	1361.77
Income	1659.50	1682.84	2258.48	2134.12	2807.75	3285.92	4981.23
Expenditure	1624.07	1677.73	1950.47	2136.43	2248.39	2829.92	5419.48
Closing {Surplus (+)/ Deficit (-) }	35.59	40.71	348.72	346.41	905.77	1361.77	923.52

lzksr % दिल्ली नगर निगम बजट

चार्ट 4.8 में नदिनप की प्राप्तियां और खर्च प्रदर्शित किया गया है।

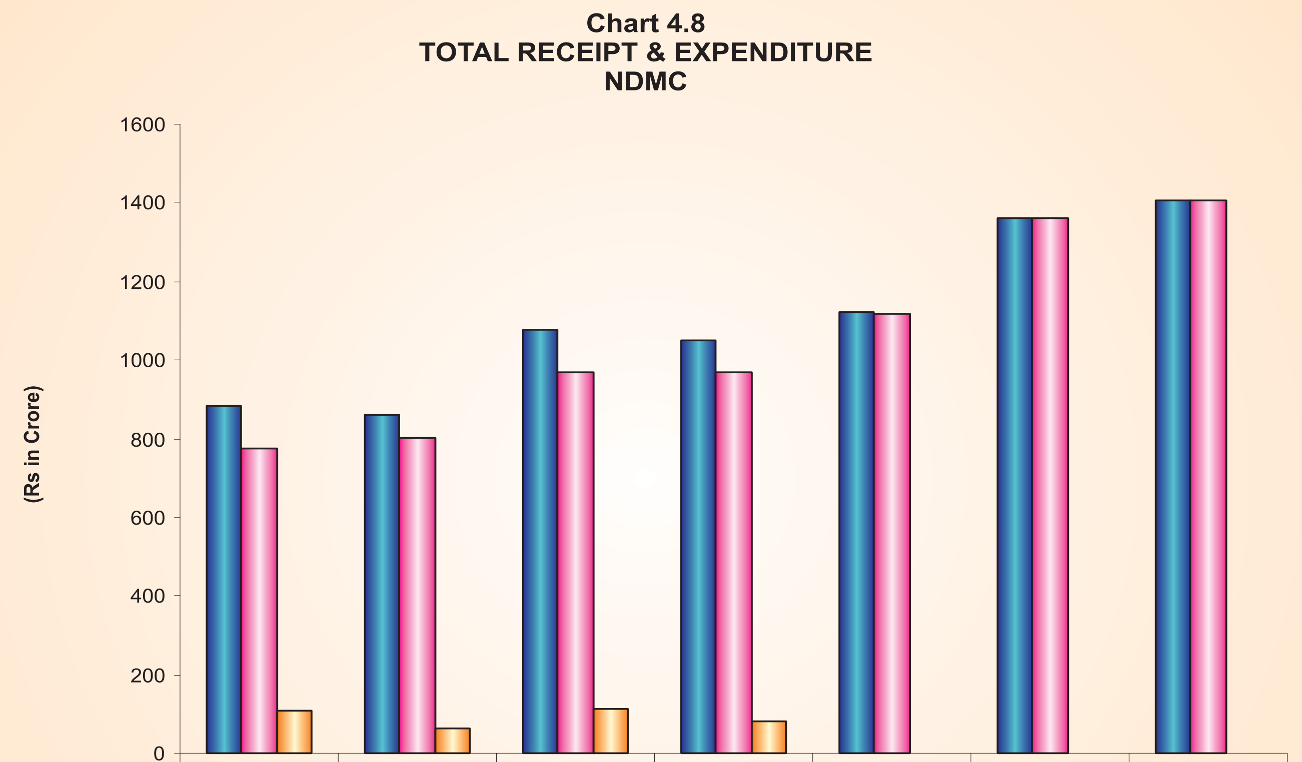

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (RE)
Receipts	883	863	1079	1051	1121	1360	1407
Expenditure	776	801	967	971	1119	1360	1407
Surplus	107	62	112	80	2	0	0

Source : NDMC Budget 2002-03 to 2008-09 (RE)

lkr % ufnui ctV 2002&03 ls 2008&09 ¼l'kkf/kr vuqeku½

18 ;kstuk foÙk O;oLFkk

दिल्ली से संबंधित योजना के लिए वर्तमान वित्त व्यवस्था अन्य राज्यों से लगभग समान है। दिल्ली की वार्षिक योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों का ब्योरा सारणी 4.7 में दर्शाया गया है। 2004–05 से दिल्ली की योजना के लिए उपलब्ध संसाधन उसके योजना खर्च से अधिक रहे हैं। वास्तव में दिल्ली में योजना के कार्यान्वयन के मार्ग में संसाधन कभी कोई बाधा नहीं बने हैं।

विवरण 4.15 में 10वीं पचवर्शीय योजना के प्रथम चार वर्षों में प्रारंभिक शेष को छोड़कर) संसाधनों की उपलब्धियां दर्शायी गयी हैं।

fooj.k&4-15

nloh ipo'kh; ;kstuk dh nkSjku lalk/kuksa dh miyfC/k;k

(करोड़ रुपए में)

क्र. स.	मद	दसवीं योजना (अनुमानित) (2002–07) (2001–02 के मूल्यों पर)	दसवीं योजना (वास्तविक) (2002–07) (चालू मूल्यों पर)	दसवीं योजना (वास्तविक) (2002–07) (2001–02 के मूल्यों पर)	अन्तर (कॉलम 5 –कॉलम 3)
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*
1	कर राजस्व				
1.1	वैट	24875.41	27387.39	23829.58	-1045.83
1.2	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	2261.28	3285.99	2846.77	585.49
1.3	मोटर वाहन पर कर	1383.00	1193.20	1032.43	-350.57
1.4	राज्य आबकारी	4033.00	4437.46	3874.63	-158.37
1.5	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	728.99	1105.53	948.42	219.43
(i)	मनोरंजन कर (केवल, टीवी कर सहित)	226.32	186.56	164.23	-62.09
(ii)	पण कर	14.89	16.69	14.61	-0.28
(iii)	विलासिता कर	487.78	902.27	769.58	281.80
	स्व कर राजस्व	**33281.68**	**37409.57**	**32531.83**	-749.85
2	स्व गैर कर राजस्व	**2966.43**	**5563.83**	**4846.39**	1879.96
3	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	**1998.24**	**1625.00**	**1436.70**	-561.54
4	भारत सरकार से अन्य अनुदान		**49.06**	**39.84**	39.84
5	कुल राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	**38246.35**	**44647.46**	**38854.76**	608.41

क्र. स.	मद	दसवीं योजना (अनुमानित) (2002–07) (2001–02 के मूल्यों पर)	दसवीं योजना (वास्तविक) (2002–07) (चालू मूल्यों पर)	दसवीं योजना (वास्तविक) (2002–07) (2001–02 के मूल्यों पर)	अन्तर (कॉलम 5 –कॉलम 3)
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*
6	शुद्ध गैर–योजना राजस्व खर्च	**17142.68**	**22130.27**	**19316.12**	2173.44
7	चालू राजस्व से बकाया (5–6)	**21103.67**	**22517.19**	**19538.64**	-1565.03
8	सार्वजनिक उद्यमों का योगदान (i+ii+iii)	**-2881.60**	**-7986.51**	**-7037.56**	-4155.96
(i)	डीटीसी	-2036.92	-3630.00	-3169.09	-1132.17
(ii)	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल)/दिल्ली पावर को. लि.(डीपीसीएल) आदि	0.00	-1059.92	-965.30	-965.30
(iii)	दिजबो	-844.68	-3296.59	-2903.18	-2058.50
9	शुद्ध विविध पूंजी प्राप्तियां (एमसीआर) (9.1–9.2)	**-611.96**	**-4619.27**	**-4203.08**	-3591.12
9.1	कुल पूंजी प्राप्ति	499.15	1538.64	1355.24	856.09
9.2	पूंजी खर्च (डीटीसी/दिजबो/डीपीसीएल आदि को गैर–योजना ऋण छोड़कर)	1111.11	6157.91	5558.32	4447.21
	(जिसमें से, ऋण का समयपूर्व भुगतान)				
10	लघु बचत ऋण	**3200.74**	**21315.88**	**18725.01**	15524.27
11	अथशेष		10847.06	8964.04	8964.04
12	केन्द्रीय योजना सहायता	**2189.16**	**1706.49**	**1551.04**	-638.12
(i)	सामान्य सहायता	1842.50	1347.05	1220.57	-621.93
(ii)	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	विशेष परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	346.66	359.44	330.48	-16.18
13	योजना के लिए संसाधनों की उपलब्धियां (7+8+9+10+12) (अथशेष को छोड़कर)	**23000.00**	**32933.78**	**28574.05**	5574.05
14	योजना खर्च/आकार	**23000.00**	**22440.01**	**19797.11**	-3202.89

10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2001–02 के मूल्यों के आधार पर 23,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002–07) के दौरान चालू मूल्यों के आधार पर 32933.78 करोड़ रुपये के तथा 2001–02 के मूल्यों के आधार पर 28574.05 करोड़ रुपये के संसाधन पैदा किए गए। दसवीं पंचवर्षीय योजना में सर्जित किए गए संसाधन निर्धारित लक्ष्य से 5574.05 करोड़ रुपये (24.24 प्रतिशत) अधिक थे। संसाधनों की अधिक उपलब्धि के मुख्य कारणों में गैर कर राजस्व की करीब 63.37 प्रतिशत की उच्चतर उपलब्धि और लघु बचत ऋण की अधिक प्राप्ति शामिल है, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 3200.74 करोड़ रुपये से करीब छह गुना अधिक थे। किन्तु, स्व–कर राजस्व (97.75 प्रतिशत) के अंतर्गत उपलब्धियां लक्ष्य से कम रहीं। दूसरी ओर गैर–योजना राजस्व खर्च लक्ष्य से करीब 12.68 प्रतिशत अधिक रहा। इसी प्रकार गैर–योजना सहायता दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से करीब ढाई गुना अधिक रही।

नीचे दिए गए विवरण में दिल्ली के योजना व्यय की ऋण और गैर–ऋण वित्त व्यवस्था दर्शायी गई है (अधिक ब्योरे के लिए तालिका 13 देखें)।

fooj.k 4-16 ¼djkM #i;s e½

fnYYkh dh okf"kd ;ktuk dh _.k vkj xj&_.k foÙk 0;oLFkk

मद	दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–03 से 2006–07) (चालू मूल्यों पर)	(वार्षिक योजना) 2007-08	(वार्षिक योजना) 2008-09 वास्तविक (अंतरिम)
कुल योजना खर्च	22440.01	8723.86	9547.80
ऋण	10822.11	3013.06	3335.45
प्रतिशत (%)	48.23	34.54	34.93
गैर ऋण	11617.90	5710.80	6212.35
प्रतिशत (%)	51.77	65.46	65.07

20- _.k tek vuqikr

सितंबर 2008 में दिल्ली में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 2076 षाखाएं थीं। इनमें से 360 भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों, 1247 राष्ट्रीयकृत बैंकों, 40 विदेशी बैंकों और 429 अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की षाखाएं शामिल थीं। पिछले वर्शों की तुलना में बैंकों की षाखाओं की संख्या में 14.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुयी है। दिल्ली में जुलाई 2008 के अंत में प्रत्येक षाखा द्वारा औसतन 8244 लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही थीं।

दिल्ली के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि सितम्बर 2008 में 476613 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 30891 करोड़ रुपये (6.48 प्रतिशत) विदेशी बैंकों में जमा थे। प्रति व्यक्ति क्रेडिट और क्रेडिट.डिपोजिट अनुपात की तुलनात्मक स्थिति निम्नांकित विवरण में दर्शायी गयी है।

fooj.k 4-17

izfr 0;fDr ØsfMV vkSj ØsfMV-fMikWftV vuqikr

	दिल्ली	संपूर्ण भारत
प्रति व्यक्ति क्रेडिट (रु)	196463.74	22308.13
क्रेडिट डिपोजिट अनुपात (%)	70.49	74.93

सितम्बर 2008 में दिल्ली के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि 335953 करोड़ रुपये थी। सितम्बर 2008 में बैंक षाखाओं की संख्या, जमा राशि, सकल बैंक जमाराशि और क्रेडिट.डिपोजिट अनुपात सारणी 4.14 में दर्षाये गये हैं।

v/;k; 5
jkstxkj vkj cjkstxkj

jkstxkj

1. वर्ष 1991 में दिल्ली की जनसंख्या 94.21 लाख थी। 2001 में 47.01 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 138.50 लाख पर पहुंच गयी। दिल्ली की आबादी में कार्मिकों की संख्या 1991 में 31.63 प्रतिशत थी, जो मामूली वृद्धि के साथ 2001 में 32.82 प्रतिशत हो गयी। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 84.64 करोड़ थी, जो 2001 में पिछली जनगणना के मुकाबले 21.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 102.86 करोड़ हो गयी। कुल जनसंख्या में कार्मिकों का प्रतिशत 1991 के 37.11 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 39.11 प्रतिशत हो गया। 1981, 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यवार जनसंख्या और श्रमिकों की संख्या तालिका 5.1 में दर्शायी गयी है और इसका सारांश नीचे दिया गया है।

fooj.k 5-1

1981] 1991 vkj 2001 dh tux.kuk d vk/kkj ij tul[;k vkj dkfedk dh l[;k e of)

(आंकड़े लाख में)

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या		कार्मिकों की कुल संख्या (मुख्य+सीमांत श्रमिक)		कुल जनसंख्या में कार्मिकों का प्रतिशत (कार्य भागीदारी दर)		कार्मिकों में प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली
1981	6851.85	62.20	2446.04	20.02	35.70	32.19		
1991	8463.91	94.21	3141.30	29.80	37.11	31.63	28.42	48.85
2001	10286.11	138.50	4023.60	45.45	39.11	32.82	28.09	52.52

lkr % भारत के महापंजीयक

2- दिल्ली में कार्मिकों की संख्या 1991 की 48.85 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 52.52 प्रतिशत हो गयी। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 1991 की 28.42 प्रतिशत से घटकर 2001 में 28.09 प्रतिशत हो गयी। दिल्ली में कार्मिकों की संख्या में वृद्धि मुख्यतः पड़ोसी राज्यों से बेरोजगार व्यक्तियों के प्रवास के कारण होती है। योजना विभाग द्वारा 1998 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों में से लगभग 43 प्रतिशत पडोसी राज्यों से थे।

3- fnYYkh e dkfedk dh fLFkfr %

fnYYkh e dkfedk ¼e[;$lhekr½ vkj xj dkfedk dh fLFkfr uhp n'kk;h x;h gA

fooj.k 5-2

fnYYkh tux.kuk d vuqlkj e[; dkfedk dh l[;k

क.स.	मद	वर्ष वार जनगणना				
		1961	1971	1981	1991	2001
1.	कार्मिक (i+ii)	854451 (32.14%)	1228397 (30.21%)	2002192 (32.19%)	2980461 (31.64%)	4545234 (32.82%)
(i)	मुख्य कार्मिक			1986399 (31.94%)	2968377 (31.51%)	4317516 (31.17%)
(ii)	सीमांत कार्मिक			15793 (0.25%)	12084 (0.13%)	227718 (1.65%)
2.	गैर कार्मिक	1804161 (67.86%)	2837301 (69.79%)	4218214 (67.81%)	6440183 (68.36%)	9305273 (67.18%)
	कुल जनसंख्या (1+2)	2658612 (100%)	4065698 (100%)	6220406 (100%)	9420644 (100%)	13850507 (100%)

lkzr % स्टेटिस्टकल हैंड बुक (अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय)

ukV % कोष्ठक में दिए हुए अंक कुल श्रमिकों का प्रतिशत है।

dkfed % जनगणना के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने संदर्भित समयावधि में किसी समय आर्थिक–उत्पादन क्रियाकलापों में भागीदारी की हो, वह कार्मिक कहलाता है।

e[; dkfed % वे व्यक्ति जिन्होंने निर्धारण तिथि से पूर्व वर्ष के दौरान 6 माह या अधिक अवधि के लिए आर्थिक उत्पादन गतिविधियों में भाग लिया हो, मुख्य कार्मिक कहलाते हैं।

lhekr dkfed % वे व्यक्ति जिन्होंने निर्धारण तिथि से पूर्व वर्ष के दौरान 6 माह से कम आर्थिक उत्पादन गतिविधियों में हिस्सा लिया हो, सीमांत कार्मिक कहलाते हैं।

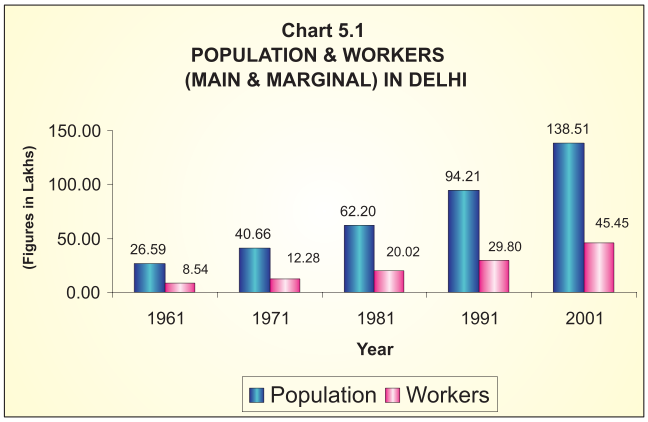

fooj.k 5-3

fnYYkh e J.khokj dkfed ¼e[; $ lhekr½

¼2001 dh tux.kuk vuqlkj½

क्रम संख्या	कार्मिकों की श्रेणी	कुल कार्मिक	कुल कार्मिकों का प्रतिशत
1	कृषक	37431	0.82
2	खेतिहर श्रमिक	15773	0.35
3	घरेलू औद्योगिक श्रमिक	140032	3.08
4	अन्य श्रमिक	4351998	95.75
	कुल	4545234	100.00

lkzr % डीईएस हैंडबुक–2004

जनगणना 2001 के अनुसार 45.45 लाख कार्मिक (मुख्य + सीमांत) में से 0.82 प्रतिशत कृषक, 0.35 प्रतिशत खेतिहर श्रमिक, 3.08 प्रतिशत घरेलू औद्योगिक श्रमिक तथा 95.75 प्रतिशत अन्य श्रमिक थे। (चार्ट 5.2)

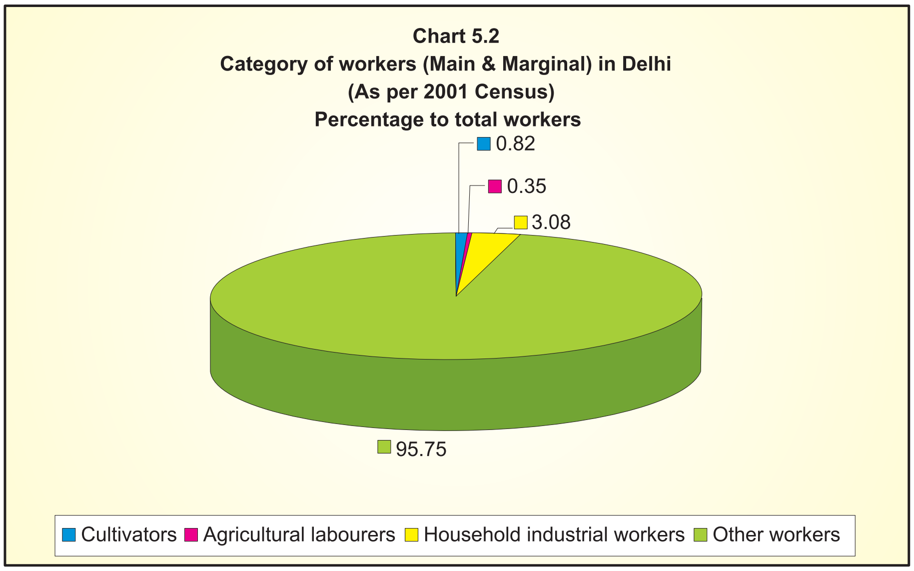

4- jk"Vh; ueuk lo{k.k lxBu dk jktxkj lo{k.k& fnYyh

विवरण 5.4 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 55वें दौर (जुलाई 1999– जून 2000), 57वें दौर (जुलाई 2001– जून 2002), 59वें दौर (जनवरी– दिसंबर, 2003), 60वें दौर (जनवरी–जून, 2004), 61वें दौर

(जुलाई–2004–जून, 2005) और 62वें दौर (जुलाई 2005–जून 2006), के अनुसार दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या और नियोजित व्यक्तियों का ब्योरा दिया गया है। दिल्ली में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या जुलाई, 1999–जून, 2000 की अवधि में 38.94 लाख थी जो जुलाई, 2005–जून, 2006 की अवधि में बढ़कर 54.26 लाख पर पहुंच गयी। कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्ति जुलाई, 1999–जून, 2000 की अवधि में 29.28 प्रतिशत थे, जो जुलाई, 2005–जून, 2006 की अवधि में बढ़कर 33.87 हो गए।

fooj.k&5-4

jk"Vh; ueuk lo{k.k lxBu d vulkj jktxkj

¼l[;k yk[k e½

	55वां दौर (जुलाई 1999–जून 2000)	57वां दौर (जुलाई 2001–जून 2002)	59वां दौर (जनवरी–दिसंबर, 2003)	60वां दौर (जनवरी–जून, 2004)	61वां दौर (जुलाई 2004–जून 2005)	62वां दौर (जुलाई 2005–जून 2006)
अनुमानित जनसंख्या	132.98	139.50	148.28	151.28	155.69	160.21
रोजगार प्राप्त व्यक्ति	38.94	41.75	45.49	48.57	50.55	54.26
कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत	29.28%	29.93%	30.68%	32.11%	32.47%	33.87%

lkr ¼ डीईएस (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का, 55वां दौर, 57वां दौर, 59वां दौर, 60वां, 61वां, और 62वां दौर)

idk"B 5-1

jk"Vh; ueuk lo{k.k lxBu&,u,l,vk

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कार्मिकों (रोजगार प्राप्त और बेरोजगार) की विशेषताओं के आधार पर विभिन्न दौर के एनएसएसओ–सर्वेक्षणों के जरिए रोजगार तथा बेरोजगारी के बारे में आंकड़े एकत्र करता है। 1972–73 से रोजगार–बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण एनएसएसओ के पंचवर्षीय कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गये हैं। सर्वेक्षित व्यक्तियों को विशेष रूप से निर्दिष्ट समायावधि के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर विभिन्न कार्य–श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे सामान्य स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर और चालू दैनिक स्तर। इन स्तरों को निम्नांकित रूप में परिभाषित किया गया है।

d½ **lkekU; Lrj** यदि व्यक्ति सर्वेक्षण तिथि से 365 दिन की निर्दिष्ट अवधि के दौरान अपेक्षाकृत लंबे समय तक किसी एक या अधिक क्रियाकलापों (आर्थिक) में संलग्न रहा हो, तो उसे सामान्य स्तर पर कार्यरत/रोजगार प्राप्त समझा जायेगा।

[k½ **pky lkIrkfgd Lrj** यदि व्यक्ति सर्वेक्षण तिथि से पहले के सात दिन की निर्दिष्ट अवधि में किसी एक दिन कम से कम एक घंटा कार्य (आर्थिक) संबंधी गतिविधि में संलग्न रहा हो, तो उसे चालू साप्ताहिक स्तर पर कार्यरत/रोजगार प्राप्त माना जायेगा।

x½ **pky nfud Lrj&** यदि किसी व्यक्ति ने सर्वेक्षण तिथि से पूर्व निर्दिष्ट सप्ताह के किसी एक दिन चार घंटे या अधिक कार्य किया हो, तो उसे चालू दैनिक स्तर पर रोजगार प्राप्त समझा जायेगा।

5- jktxkj lki{krk

दिल्ली में रोजगार सापेक्षता (यानी सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि की तुलना में रोजगार के अवसरों में वृद्धि) जुलाई, 1999–जून, 2000 से जनवरी–जून 2004 की अवधि में 0.60 थी। इसका अर्थ यह है कि इस अवधि में अर्थव्यवस्था की तुलना में रोजगार के अवसरों में कम बढ़ोतरी हुई। निम्नांकित विवरण में एनएसएसओ के 55वें दौर (जुलाई, 1999–जून, 2000) और 60वें दौर (जनवरी–जून 2004) के सर्वेक्षणों के अनुसार क्रियाकलाप–वार रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का ब्योरा और इस अवधि में रोजगार सापेक्षता दर्शायी गई है। (अधिक जानकारी के लिए तालिका 5.4 देखें)।

fooj.k 5-5

,u,l,lvk lo{k.k d 55o vkj 60o nkj d vulkj fØ;kdyki&okj jktxkj

¼vkdM yk[k e½

क्र. सं.	क्रियाकलाप	55वां दौर (जुलाई, 1999–जून, 2000)	60वां दौर (जनवरी–जून 2004)	वार्षिक समग्र वृद्धि (1999–2000 से जून 2004) (%)	रोजगार सापेक्षता
1	2	4	4	5	6
I	**प्राथमिक क्षेत्र**				
(i)	कृषि	0.60 (1.54)	0.83 (1.71)	8.45	0.89
(ii)	खनन	--	--	--	--
	कुल (I)	**0.60 (1.54)**	**0.83 (1.71)**	**8.45**	**0.89**
II	**द्वितीयक क्षेत्र**				
(i)	विनिर्माण	8.78 (22.55)	11.88(24.46)	7.85	0.83
(ii)	बिजली, गैस, पानी आदि	0.11 (0.28)	0.51 (1.05)	46.74	4.94
(iii)	निर्माण	2.26 (5.80)	2.52 (5.19)	2.76	0.29
	कुल (II)	**11.15 (28.63)**	**14.91 (30.70)**	**7.53**	**0.79**
III	**तृतीयक क्षेत्र**				
(i)	व्यापार, होटल और रेस्तरा	11.31 (29.03)	13.76 (28.33)	5.02	0.53
(ii)	परिवहन, संचार आदि	2.91 (7.47)	4.16 (8.56)	9.34	0.99
(iii)	वित्त एवं व्यापार गतिविधियां	2.49 (6.40)	4.43 (9.12)	15.49	1.64
(iv)	लोकप्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि	10.48 (26.91)	10.48 (21.58)	--	--
	कुल (III)	**27.19 (69.83)**	**32.83 (67.59)**	**4.83**	**0.51**
	कुल (I+II+III)	**38.94 (100.00)**	**48.57 (100.00)**	**5.68**	**0.60**

ukV ½ कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

6- fnYyh esa laxfBr {ks= esa jkstxkj

निम्नांकित विवरण में दिल्ली में संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति दर्शायी गई है।

fooj.k 5-6

lkoZtfud vkSj futh {ks= esa jkstxkj

¼la[;k yk[k esa½

	मार्च 1999	मार्च 2000	मार्च 2001	मार्च 2002	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008	मार्च 1999 से मार्च 2008 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क) सार्वजनिक क्षेत्र											
1. केंद्र सरकार	2.14	2.14	2.12	2.10	2.14	2.12	2.10	2.06	**2.02**	**2.04**	**-0.60**
2. दिल्ली सरकार	1.14	1.13	1.14	1.20	1.21	1.21	1.20	1.20	**1.21**	**1.24**	**0.91**
3. अर्द्धसरकारी (केंद्र + राज्य)	2.04	2.04	2.03	1.98	1.96	1.94	1.92	1.86	**1.85**	**1.79**	**-1.44**
स्थानीय निकाय	0.94	0.95	0.95	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	**0.93**	**0.93**	**-0.21**
कुल (क)	**6.26**	**6.26**	**6.24**	**6.21**	**6.24**	**6.20**	**6.15**	**6.05**	**6.01**	**6.00**	**-0.52**
(ख) निजी क्षेत्र	2.22	2.21	2.17	2.15	2.13	2.19	2.16	2.21	**2.30**	**2.36**	**0.59**
कुल योग (क+ ख)	**8.48**	**8.47**	**8.41**	**8.36**	**8.37**	**8.39**	**8.31**	**8.26**	**8.31**	**8.36**	**-0.22**

lzksr % (1) रोजगार निदेशालय (ईएमआई)– वर्ष 2008 संबंधी आंकड़े।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में समग्र रोजगार की स्थिति पर निगाह डालने से पता चलता है कि मार्च 1999 से मार्च 2008 की अवधि में रोजगार की स्थिति में कमी आई है। सार्वजनिक क्षेत्र में मार्च 1999 में 6.26 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्त थे, जबकि मार्च 2008 में यह संख्या घटकर 6.00 लाख रह गई। इस प्रकार इसमें (–) 0.52 प्रतिशत की दर से औसत वार्षिक

कमी आई। दूसरी ओर निजी क्षेत्र में मार्च 1999 में 2.22 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्त थे, जबकि मार्च 2008 में यह संख्या बढ़कर 2.36 लाख हो गई। इसी अवधि के दौरान 0.59 प्रतिशत की वार्षिक औसत बढ़ोतरी दर्ज हुई (चार्ट 5.3 देखें)।

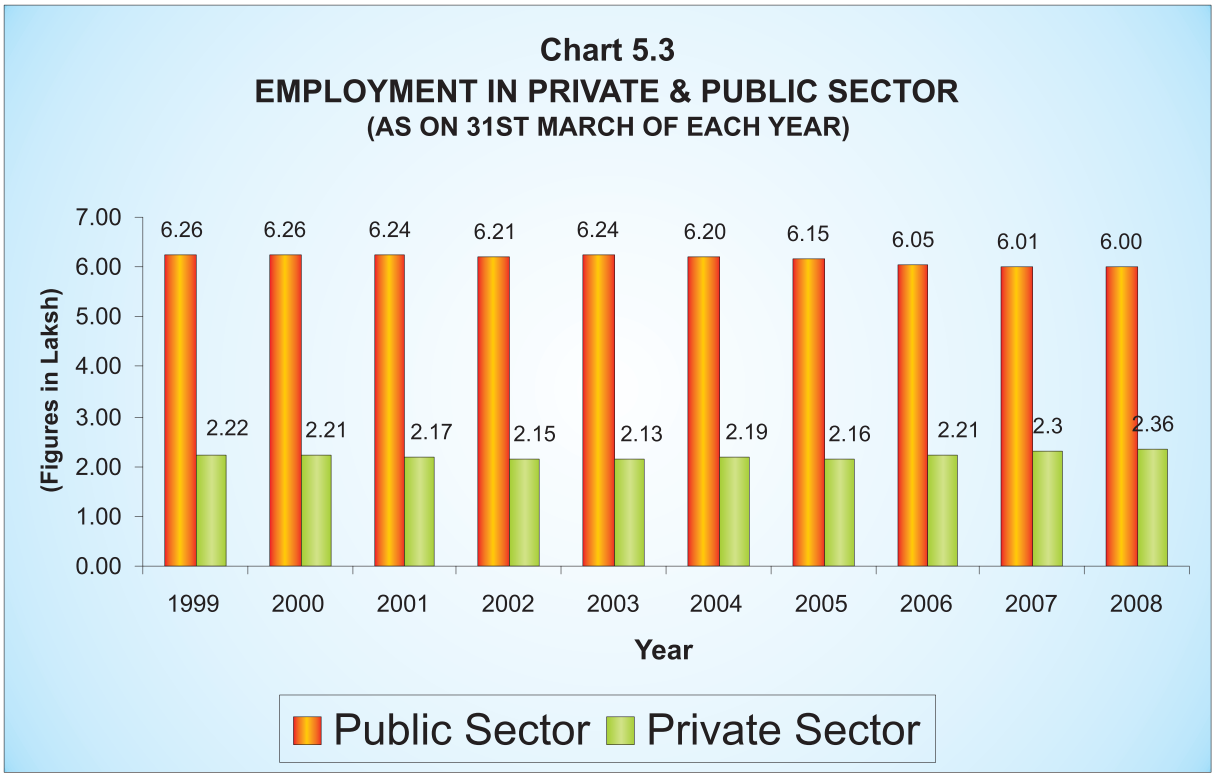

7- cjktxkjh

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षणों के अनुसार दिल्ली के श्रमिकों में बेरोजगारों की संख्या जुलाई, 1999–जून, 2004 (55वें दौर के सर्वेक्षण) की अवधि में 5.59 लाख थी, जो जुलाई 2005 से जून 2006 (62वें दौर के सर्वेक्षण) की अवधि में घटकर 2.28 लाख रह गयी। जुलाई, 1999–जून, 2004 की अवधि में कुल श्रमिकों में 12.55 प्रतिशत बेरोजगार थे, जो जुलाई 2005 से जून 2006 की अवधि में घटकर 4.02 प्रतिशत रह गये। कुल जनसंख्या में कुल बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत जुलाई 2005 से जून 2006 की अवधि में मामूली बढ़कर 35.29 प्रतिशत हो गया, जो जुलाई, 1999–जून, 2004 की अवधि में 33.49 प्रतिशत था। (अधिक जानकारी के लिए तालिका 5.2 देखें)।

31 दिसंबर 2006 को दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में 5.57 लाख व्यक्ति पंजीकृत थे। इनमें से 1.72 लाख पंजीकृत व्यक्ति मैट्रिक से कम शिक्षित थे, 2.17 लाख मैट्रिक व गैर स्नातक थे। 1.40 लाख स्नातक व स्नातकोत्तर थे और शेष 0.28 लाख अन्य डिप्लोमाधारी थे। (अधिक जानकारी के लिए तालिका 5.3 देखें)।

v/;k; 6
eY; iofÙk;k

1- eY; fLFkfr

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी बदलाव का आम व्यक्तियों, विशेषकर निर्धनों की जीवन स्थितियों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस लिए मूल्यों की स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखना अत्यन्त अनिवार्य है। इस संदर्भ में मूल्य संकेतक बड़े उपयोगी होते हैं। सांख्यिकीय दृष्टि से मूल्यों के सूचकांक एक निर्दिष्ट अवधि में मूल्यों में परिवर्तनों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्य संकेतकों की गणना थोक स्तर और खुदरा स्तर, दोनों पर ही की जाती है। खुदरा मूल्यों के मूल्य संकेत श्रमिकों के प्रत्येक वर्ग जैसे औद्योगिक, शहरी गैर–शारीरिक श्रमिक और कृषि ग्रामीण श्रमिक, के लिए संकलित किए जाते हैं।

2- Hkkjr e eY; fLFkfr

अखिल भारतीय स्तर पर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी गैर–शारीरिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किए जाते हैं। दिल्ली में कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को छोड़कर शेष सभी मूल्य संकेतक संकलित किये जाते हैं।

3- Fkkd eY; lpdkd vkj mlds ldyu dh i)fr

अखिल भारतीय स्तर पर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई),का इस्तेमाल अर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्फीति की दर की गणना के लिए किया जाता है। इसका निर्धारण थोक बाजार में वस्तुओं के चुने हुए समूहों के मूल्यों में परिवर्तन के अध्ययन के जरिए किया जाता है। डब्ल्यूपीआई की मौजूदा शृंखलाएं आधार वर्ष (1993–94=100) की तुलना में एक निश्चित अवधि के भीतर थोक मूल्यों में परिवर्तन दर्शाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रा स्फीति की दर वर्ष 2007–08 के दौरान 4.7 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2006–07 के दौरान यह 5.4 प्रतिशत रही। 1998–99 से 2007–08 की अवधि में थोक मूल्य सूचकांक की वर्षवार तुलना तालिका 6.1 में दी गयी है।

थोक मूल्य सूचकांक, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर किसी वस्तु के बॅल्क व्यापार के निर्दिष्ट मूल्य को प्रस्तुत करता है। भारत में 1993–94 को आधार वर्ष मानते हुए थोक मूल्य सूचकांक की संशोधित (वर्तमान) शृंखला ने पूर्व प्रचलित डब्ल्यूपीआई शृंखला का स्थान ले लिया है, जिसका आधार वर्ष 1981–82 था। संशोधित शृंखला के अंतर्गत 435 प्रतिनिधि वस्तुएं शामिल हैं, जिनके लिए आर्थिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार द्वारा साप्ताहिक आधार पर 1918 कोटेशन्स एकत्र की जाती हैं। मौजूदा शृंखला भारित गणितीय औसत के सिद्धांत पर आंकलित की गयी है। मूल्य सापेक्षिकों की गणना प्रतिशत अनुपातों के रूप में की जाती है, जिसे वर्तमान मूल्यों के संदर्भ में आधार अवधि में प्रचलित मूल्यों की तुलना में आकलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक किस्म/कोटेशन के लिए

मूल्य सापेक्ष की गणना वर्तमान मूल्य को समनुरूप आधार अवधि (1993–94) के मूल्य से विभाजित करते हुए और इस तरह प्राप्त होने वाली संख्या को 100 से गुणा करके की जाती है। वस्तु विशेष के लिए चुनी हुई किस्मों/कोटेशनों के मूल्य सापेक्ष की सामान्य गणितीय औसत के आधार पर वस्तु सूचकांक आसानी से तैयार किया जा सकता हैं। वस्तुओं के उप समूहों/समूहों/प्रमुख समूहों के लिए संकेतक उनसे संबद्ध शीर्षों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं/उप समूहों/समूहों के संकेतकों की भारित गणितीय औसत के आधार पर तय किए जाते हैं। थोक व्यापार और लेनदेन का प्रतिनिधि होने और साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध होने के कारण थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल परंपरागत दृष्टि से अर्थ व्यवस्था में मुद्रास्फीति के आकलन के लिए किया जाता है।

CHART 6.1

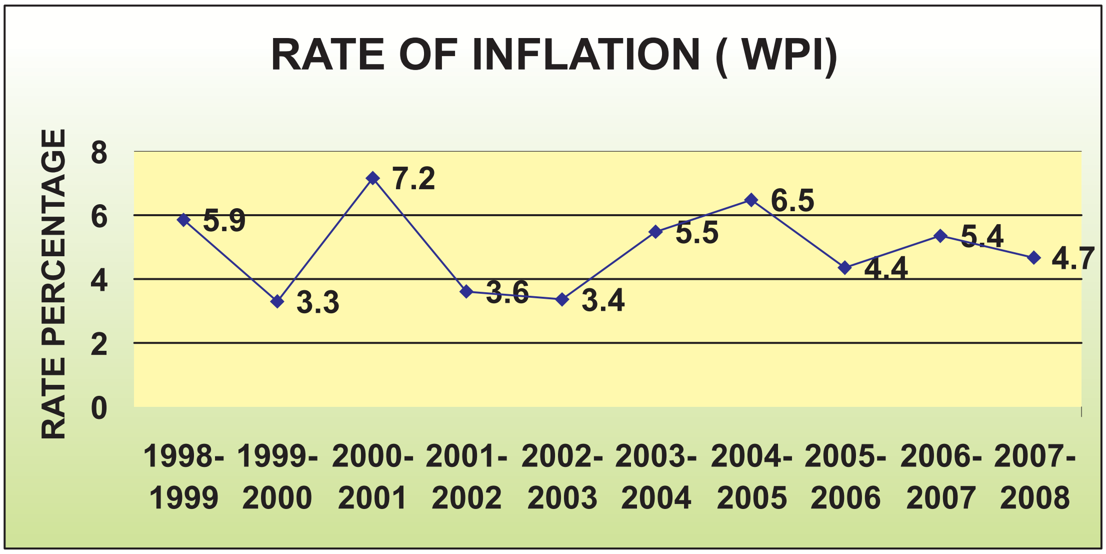

4- vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd ¼lhihvkb½

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा बाजार आंकड़ों का महत्त्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक औसत श्रमिक वर्ग परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों में नियतकालिक परिवर्तन का आकलन करता है। आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, रा.रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार, द्वारा चुने हुए बाजारों से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य एकत्र किए जाते हैं, और फिर उन्हें श्रम ब्यूरो, शिमला भेज दिया जाता है, ताकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जा सके। श्रम ब्यूरो, शिमला दिल्ली सहित भारत में 78 चुने हुए केंद्रों के लिए मासिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित एवं जारी कर रहा है। (तालिका 6.2)

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला का संकलन 2001 = 100 को आधार वर्ष मानकर किया जा रहा है। 1982 = 100 के आधार वाली पुरानी श्रृंखला के स्थान पर 06 जनवरी से

2001 = 100 के आधार वाली नई श्रृंखला अपना ली गयी है। नई श्रृंखला में कुल आठ बाजारों से साप्ताहिक और मासिक आधार पर मूल्य एकत्र किए जाते हैं। ये बाजार हैं, मोती नगर, रानी बाग, सब्जी मंडी, शाहदरा, मंगोलपुरी, आजादपुर, गोविंद पुरी, और समयपुर बादली।

छह समूहों के लिए सूचकांक अलग से तैयार किया जाता है और फिर प्रत्येक समूह को भारिता प्रदान करते हुए उसे संयुक्त रूप प्रदान किया जाता है। सबसे अधिक भारिता (43.75%) खाद्य समूह को दी जाती है। इसके बाद विविध (22.34%), आवास (20.72%), कपड़ा बिस्तर, और फुटवियर (5.68%), ईंधन और प्रकाश (5.39%) तथा पान–सुपारी, तम्बाकू और इन्टॉक्सिकैंट्स(2.12%) का स्थान है।

दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक बढ़ोतरी वर्ष 1998 (17.6%) में हुई। इसके बाद 2005 (8.4%), 1999 (7.4%), 2000 (7.1%), 2008, (7.0%), 2006 (5.2%), 2004 और 2007 (4.9%), 2002 (4.0%), 2003 (3.6%) और 2001 (2.9%) का स्थान है। दिल्ली का वार्षिक औसत सूचकांक जो 2007 में 128 था जो 2008 में बढ़कर 137 हो गया। इसमें 9 अंकों (7.6%) की वृद्धि दर्ज हुई।

खाद्य समूह से संबद्ध सूचकांक 2007 में 129 था, जो 2008 में बढ़कर 142 पर पहुंच गया। इसमें 13 अंक (10. 1%) की वृद्धि हुई। पान–सुपारी, तम्बाकू और इन्टॉक्सिकेंट्स से संबद्ध सूचकांक 117 से बढ़कर 124 हो गया, जिसमें 7 अंक (6.0%) की वृद्धि दर्ज हुई। ईंधन और प्रकाश संबंधी सूचकांक 149 था, जो बढ़कर 152 पर पहुंच गया। इसमें 3 अंकों (2.0%) की वृद्धि दर्ज हुई। आवास के अंतर्गत सूचकांक में मामूली बढ़ोतरी हुई। यह 122 से बढ़कर 124 हो गया, जिसमें 2 अंक (1.6%) की वृद्धि दर्ज हुई। वस्त्र, बिस्तर और फुटवियर सूचकांक 112 से बढ़कर 116 हो गया, जिसमें 4 अंक (3.6%) की बढ़ोतरी हुई। विविध समूह के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन, परिवहन संचार और कार्मिक प्रभाव। इस वर्ग का सूचकांक 135 से बढ़कर 141 हो गया, जिसमें 6 अंक (4.4%) की वृद्धि दर्ज हुई। इस प्रकार सर्वाधिक बढ़ोतरी खाद्य वस्तुओं में हुई और उसके बाद पान–सुपारी, तम्बाकू और इन्टॉक्सिकेंट्स, विविधि वस्तुओं, वस्त्र, बिस्तर और फुटवियर, ईंधन और प्रकाश सामग्री तथा आवास का स्थान है। ईंधन और प्रकाश समूह का सूचकांक स्थिर रहा है। (तालिका 6.3)।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते की गणना के लिए भी किया जाता है।

5 fnYyh vkj vU; eVkikfyfVu 'kgjk e eY;k dh ryukRed fLFkfr

मेट्रोपॉलिटिन शहरों में 2008 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक बढ़ोतरी चेन्नई 11 अंक (8.9 प्रतिशत) में हुई और उसके बाद कोलकाता 10 अंक (7.6 प्रतिशत), मुंबई 10 अंक (7.5 प्रतिशत) और दिल्ली 9 अंक (7.0 प्रतिशत) का स्थान है। अखिल भारतीय स्तर पर सूचकांक में वृद्धि 11 अंक (8.4 प्रतिशत) रही है। (तालिका 6.3 देखें)

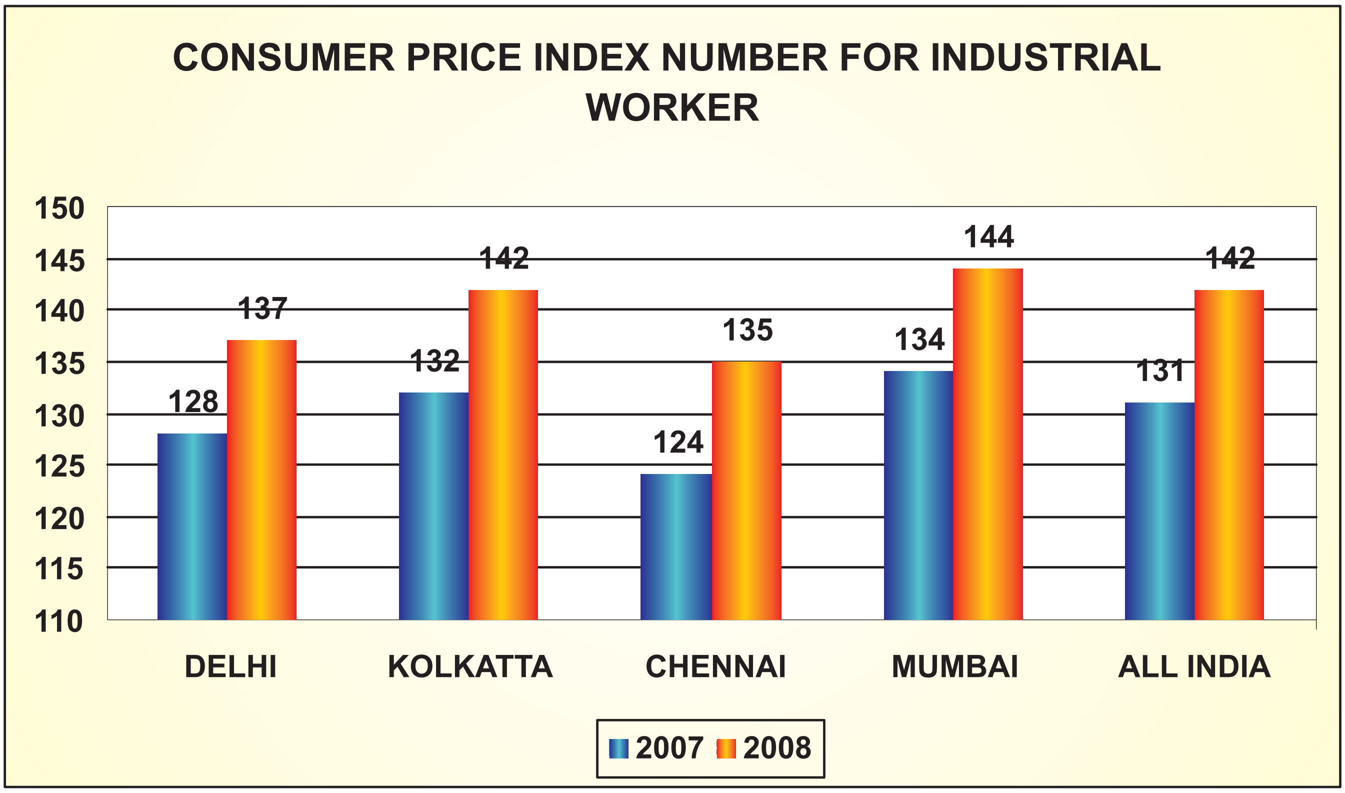

6- 'kgjh xSj 'kkjhfjd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार मिलकर मासिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करते हैं और वर्ष के लिए सूचकांक तैयार करने के वास्ते तत्संबंधी 12 महीने की मासिक औसत की गणना की जाती है। दिल्ली सहित देशभर से 59 केन्द्रों से आंकड़े संग्रह किये जाते हैं और प्रत्येक केन्द्र के लिए अलग सूचकांक तैयार किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, बैंक और बीमा कंपनियां आदि इस सूचकांक का इस्तेमाल अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए करते हैं। इससे पता चलता है कि 2007–08 के दौरान मेट्रोपॉलिटिन शहरों में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक बढ़ोतरी कोलकाता 37 अंक (8.4 प्रतिशत) में हुई। इसके बाद चेन्नई 36 अंक (6.3 प्रतिशत), मुंबई 26 अंक (5.4 प्रतिशत) और दिल्ली 22 अंक (4.4 प्रतिशत) का स्थान है। राष्ट्रीय औसत वार्षिक वृद्धि 29 अंक (6.0) प्रतिशत की रही है।

v/;k; 7

;kstuk ifj0;;

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की योजना को विशेष श्रेणी इतर राज्यों के लिए अपनाई गयी पद्धति के आधार पर वित्त–पोषित किया जाता है।

2. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन योजना परिव्यय तथा व्यय नीचे दर्शाया गया है ;–

fooj.k 7-1

;kstuk ifj0;; 1951&2012

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	पंचवर्षीय योजना	अनुमोदित परिव्यय	कुल योजना व्यय
1	पहली पंचवर्षीय योजना 1951–1956	6.30	4.70
2	दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956–1961	17.00	15.37
3	तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961–1966	99.33	93.10
4	चौथी पंचवर्षीय योजना 1969–1974	168.77	155.16
5	पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974–1979	363.75	341.34
6	छठी पंचवर्षीय योजना 1980–1985	1039.38	1041.95
7	सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985–1990	2537.34	2661.47
8	आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992–1997	4500.00	6208.32
9	नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997–2002	15541.28	13465.09
10	दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–2007	23000.00	22646.00
11	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012	45000	18268.53*

*o"kZ 2007&08 vkSj 2008&09 dk fy, 0;;

Five Year Plan Expenditure

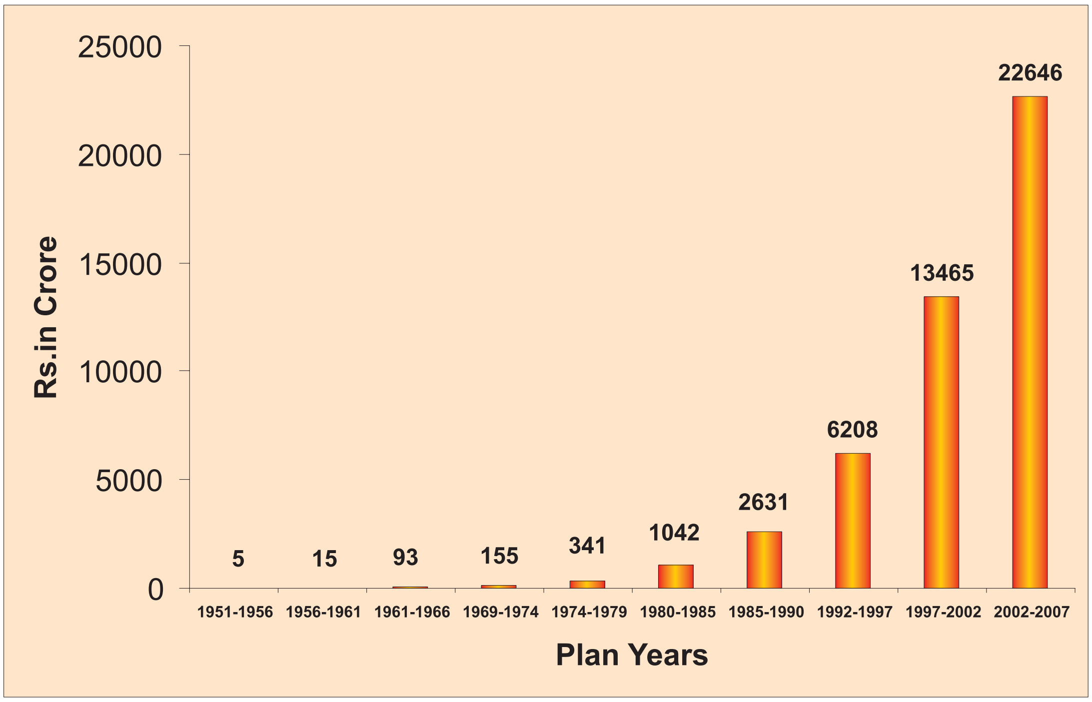

X;kjgoha iapo"khZ; ;kstuk [kpZ ¼2007&2012½

3. ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 45000 करोड़ रुपये (2007–08 के मूल्यों पर) निर्धारित किया गया था जिसका 89.80 प्रतिशत हिस्सा राज्य के स्वयं के संसाधनों (एस.ओ.आर.) से जुटाया गया और 10.20 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के रूप में मिला।

;kstuk vkoVu esa lkekftd lsokvksa dk fgLlk

4 दिल्ली सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय का 50.06 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं के लिए आवंटित किया है जबकि 10वीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में इसके लिए 53.25 प्रतिशत और नौंवी पंचवर्षीय योजना में 48 प्रतिशत आवंटन किया गया था। ऐसा देखा गया है कि ग्याहरवीं योजना के दौरान सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत क्षेत्रवार आवंटन में स्थिर रूप से वर्षद्धि हो रही है। यह तालिका सं0 7.2 में दर्शाया गया है। इस तालिका में यह देखा जा सकता है कि 2007–08 में सामाजिक सेवाओं के लिए आवंटन 51.86 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2008–09 में 53.25 प्रतिशत आवंटन किया गया। तैयार की गई एक अन्य तालिका सं0 7.1 में 9वीं, 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रवार आवंटन प्रतिशत रूप में दिखाया गया है।

okf"kZd ;kstuk 2007&08 ¼X;kjgoha iapo"khZ; ;kstuk dh izFke okf"kZd ;kstuk½
;kstuk ifj0;;

5. वर्ष 2007–08 जो ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 का प्रथम वर्ष है, के लिए योजना परिव्यय 9000 करोड रूपये मंजूर किया गया है जबकि योजना खर्च 8747.53 करोड़ रुपये रहा, 2007–08 में क्षेत्रवार और एजेंसीवार स्वीकृत योजना परिव्यय, संशोधित परिव्यय और खर्च का ब्योरा तालिका 7.3 और विवरण 7.2 में दिया गया है।

fooj.k 7-2

okf"kd ;ktuk 2007&08 d vrxr ,tlh okj ;ktuk ifj0;; vkj 0;;

¼djkM #i; e½

क्र. सं.	एजेंसी	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5
क	**दिल्ली सरकार के विभाग**	**4763.20**	**4687.23**	**4446.79**
ख	**स्थानीय एवं स्वायत्त निकाय (1–7)**	**4236.80**	**4312.77**	**4300.74**
1	एमसीडी	1463.40	1411.93	1411.93
2	एनडीएमसी	50.55	40.45	40.45
3	दिल्ली जल बोर्ड	1242.25	1342.25	1342.25
4	स्लम विंग (एमसीडी)	102.60	97.11	90.44
5	ट्रांस्को/जेनको	1230.00	1119.10	1113.74
6	डीएसआईआईडीसी	138.00	282.60	282.60
7	डीडीए	10.00	19.33	19.33
	कुल (क+ख)	**9000.00**	**9000.00**	**8747.53**

okf"kd ;ktuk 2008&09 ¼X;kjgoh ipo"kh; ;ktuk dh f}rh; okf"kd ;ktuk½ ;ktuk ifj0;; ,o 0;;

6. वर्ष 2008–09, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 का द्वितीय वर्ष है, के लिए योजना खर्च 10000 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है, जबकि योजना खर्च 9624.98 करोड़ रूपये रहा। वार्षिक योजना 2008–09 का क्षेत्रवार स्वीकृत योजना परिव्यय, संशोधित परिव्यय और योजना व्यय का ब्योरा तालिका 7.4 और विवरण 7.3 में दिया गया है।

fooj.k 7-3

okf"kZd ;kstuk 2008&09 esa ,tsalh okj ;kstuk ifj0;; vkj 0;;

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	एजेंसी	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	योजना व्यय
1	2	3	4	5
क	दिल्ली सरकार के विभाग	**6111.15**	**6572.57**	**6236.97**
ख	**स्थानीय एवं स्वायत्त निकाय (1–7)**	**3888.85**	**3427.43**	**3388.01**
1	एमसीडी	1290.20	1202.28	1191.27
2	एनडीएमसी	40.00	114.00	114.00
3	दिल्ली जल बोर्ड	1450.30	1478.30	1450.30
4	स्लम विंग (एमसीडी)	29.60	19.60	19.41
5	ट्रांस्को / जेनको	943.75	558.25	558.25
6	डीएसआईआईडीसी	120.00	55.00	54.78
7	डीडीए	15.00	-	-
	कुल (क+ख)	**10000.00**	**10000.00**	**9624.98**

v/;k; 8
i;koj.k d: Ijkdkj

1. इस अध्याय में दिल्ली में प्रदूषण के विभिन्न आयामों पर विचार किया गया है। इनमें प्रदूषण के स्रोत, विगत एवं वर्तमान स्थिति तथा राजधानी में प्रदूषण का स्तर कम करने की दिशा में किए गए उपाय शामिल हैं। दिल्ली सरकार के निरन्तर प्रयासों और सभी संबद्ध पक्षों के सहयोग से पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम/नियंत्रित होने के संकेत दिखाई देने लगे हैं।

2- ifjos'kh ok;q dh xq.koÙkk dh fLFkfr

परिवेशी वायु में विभिन्न प्रदूषकों के संकेंद्रण में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है, जो निम्नांकित विवरण 1 से स्पष्ट होती है। यह भी देखा गया है कि वायु की गुणवत्ता में कुछ तत्वों के प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है। 2007 की तुलना में 2008 में ऐसे तत्वों के संकेन्द्रण में बढोतरी हुई है। इस तथ्य पर निगरानी रखी जा रही है ताकि प्रदूषण में वृद्धि न हो।

fooj.k&1

fnYyh esa ifjos'kh ok;q xq.koÙkk Lrj dh o"kZokj okf"kZd vkSlr

वर्ष	परिवेशी वायु में संकेंद्रण ($\mu g/m^3$ यानी मा.ग्रा./घन मी.)				
	सल्फरडाइ ऑक्साइड	नाइट्रोजन डाइ ऑक्साइड	कॉर्बन मोनो आक्साइड	एसपीएम	आरएसपीएम
1997	19	45	4810.00	362	–
1998	21	42	5450.00	377	–
1999	19	40	4241.00	375	–
2000	18	42	4686.00	430	–
2001	14	42	4183.00	394	149
2002	11	46	3258.00	455	192
2003	10	56	2831.00	390	169
2004	9.00	57	2581.00	389	164
2005	9.00	49	2541.00	331	139
2006	10.15	55.9	25.31.00	433	174
2007	4.4	40.2	2460	378.17	158.25
2008	4.98	50.9	2461	431.8	208.9

Ïkzr % पर्यावरण विभाग, रा.रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार।

fooj.k&2

jk"Vªh; ifjos'kh ok;q xq.koÙkk ekud

प्रदूषक	समय भारित औसत	परिवेशी वायु में संकेंद्रण		
		औद्योगिक क्षेत्र	आवासीय, ग्रामीण और अन्य क्षेत्र	संवेदनशील क्षेत्र
1	2	3	4	5
सल्फर डाइ ऑक्साइड	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	80 मा. ग्रा./घनमी. 120 मा. ग्रा./घनमी.	60 मा. ग्रा./घनमी. 80 मा. ग्रा./घनमी.	15 मा. ग्रा./घनमी. 30 मा. ग्रा./घनमी.
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	80 मा. ग्रा./घनमी. 120 मा. ग्रा./घनमी.	60 मा. ग्रा./घनमी. 80 मा. ग्रा./घनमी.	15 मा. ग्रा./घनमी. 30 मा. ग्रा./घनमी.
आस्थगित कणिक पदार्थ	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	360 मा. ग्रा./घनमी. 500 मा. ग्रा./घनमी.	140 मा. ग्रा./घनमी. 200 मा. ग्रा./घनमी.	70 मा. ग्रा./घनमी. 100 मा. ग्रा./घनमी.
अतः श्वसनीय कणिक पदार्थ (जिनका आकार 10 μm से कम हो) (आरपीएम)	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	120 मा. ग्रा./घनमी. 150 मा. ग्रा./घनमी.	60 मा. ग्रा./घनमी. 100 मा. ग्रा./घनमी.	50मा. ग्रा./घनमी. 75 मा. ग्रा./घनमी.
सीसा	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	1.0 मा. ग्रा./घनमी. 1.5 मा. ग्रा./घनमी.	0.75 मा. ग्रा. /घनमी. 1.00 मा. ग्रा. /घनमी.	0.50 मा. ग्रा. /घनमी. 0.75 मा. ग्रा. /घनमी.
कार्बन मोनो ऑक्साइड	8 घंटे** 1 घंटे	5.0 मा. ग्रा./घनमी. 10.0 मा. ग्रा./घनमी.	2.0 मा. ग्रा./घनमी. 4.0 मा. ग्रा./घनमी.	1.0 मा. ग्रा./घनमी. 2.0 मा. ग्रा./घनमी.

* वर्ष में कम से कम 104 माप की वार्षिक गणितीय औसत, जिनके अंतर्गत समान अंतराल पर हफ्ते में दो बार 24 घंटे की औसत ली जाती है।

** 24 घंटे/8 घंटे के माप पर वर्ष में 98% समय पूरे होने चाहिए। किन्तु, 2% अवधि में यह अधिक लिया जा सकता है, पर लगातार दो दिन तक अधिक नहीं लिया जाना चाहिए।

lzksr : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

2-1 lYQj Mkb vkWDlkbM % विवरण–1 में दिखाया गया है कि परिवेशी वायु में सल्फर डाइ ऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी आयी है। सल्फर डाइ ऑक्साइड का वार्षिक औसत स्तर वर्ष 2000 में 18.03 माइक्रोग्राम/घन मीटर था, जो 2008 में घटकर 5 माइक्रोग्राम/घन मीटर रह गया। वास्तव में 1997 की तुलना में 2008 में सल्फर डाइ ऑक्साइड के स्तर में 74 प्रतिशत कमी आ चुकी है। यह शानदार उपलब्धि सभी बसों/टैक्सियों/ऑटो रिक्शाओं को सीएनजी मोड में बदलने से संभव हुई है। दिल्ली में सल्फर डाइ ऑक्साइड का वार्षिक स्तर आवासीय क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक के वार्षिक औसत स्तर को पूरा करता है, जो 60 माइक्रोग्राम/घन मीटर है (विवरण–2)।

2.2 ukbV'ktu Mkb vkD lkbM ¾ नाइट्रोजन डाइ ऑक्साइड के वार्षिक औसत संकेंद्रण में 2007 में उससे पिछले वर्ष के मुकाबले महत्वपूर्ण (14 प्रतिशत) कमी आई, लेकिन 2005 की तुलना में 2008 में इसमें बढ़ोतरी हुई। 1997 में यह 45 माइक्रोग्राम/घन मीटर था, जो 2008 में बढ़कर 55.9 माइक्रोग्राम/घन मीटर हो गया। दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वार्षिक स्तर आवासीय क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक के वार्षिक औसत स्तर को पूरा करता है, जो 60 माइक्रोग्राम/घन मीटर है।

2.3 dkcu ekuk vkD lkbM ¾ जैसा कि विवरण–1 से स्पष्ट है, 2001 के बाद से कार्बन मोनो ऑक्साइड के वार्षिक औसत स्तर में धीरे–धीरे कमी आई है। 2001 में यह 4183 माइक्रोग्राम/घन मीटर थी, जबकि 2007 और 2008 में यह कम होकर क्रमशः 2460 माइक्रोग्राम/घन मीटर और 2461 माइक्रोग्राम/घन मीटर रह गई। इसका श्रेय वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के मानकों को सख्ती से लागू करने, ईंधन की गुणवत्ता में सुधार लाने और इंजनों के बेहतर रखरखाव पर बल देने को जाता है। इसके लिए हर संभव उपाय किए गए, जिनमें प्रोत्साहनात्मक, शैक्षिक और प्रवर्तन संबंधी उपाय शामिल थे।

2.4 vkfLFkfxr df.kd inkFk ¼,lih,e½ ¾ जैसा कि विवरण–1 में दर्शाया गया है कि आस्थिगित कणिक पदार्थ के औसत संकेंद्रण में निरन्तर भारी कमी आई है। 2002 में ये पदार्थ 455 माइक्रोग्राम/घन मीटर थे, जो 2005 में घटकर 331 माइक्रोग्राम/घन मीटर और 2007 में 378 माइक्रोग्राम/घन मीटर रह गये। किन्तु, 2008 में आस्थिगित कणिक पदार्थ का संकेन्द्रण 431.8 माइक्रोग्राम/घन मीटर रिकॉर्ड किया गया।

2.5 vr¾ 'oluh; vkfLFkfxr df.kd inkFk ¼vkj,lih,e½ ¾ आरएसपीएम के वार्षिक स्तर में 2006 की तुलना में 2007 में 6.8 प्रतिशत की कमी आई। लेकिन 2007 के 158.25 माइक्रोग्राम/घन मीटर की तुलना में यह पदार्थ 2008 में बढ़कर 208.9 माइक्रोग्राम/घन मीटर हो गया।

2.6. lhlk ¾ 1996 के बाद से सीसे के वार्षिक औसत स्तर में महत्वपूर्ण कमी आई है। 1996 में पैट्रोल में सीसे का संकेंद्रण 0.56 ग्राम/लीटर था, जो 1998 में घटकर 0.15 ग्राम/लीटर रह गया था। 1998 में पैट्रोल को सीसे से पूरी तरह मुक्त बना दिया गया। इसी का यह नतीजा है कि परिवेशी वायु में सीसे के स्तर में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

2.7 इस तरह दिल्ली में परिवेशी वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि 1997 की तुलना में कार्बन मोनो आक्साइड के संकेंद्रण में 2006 में 47 प्रतिशत की कमी आई है। सल्फर डाइ ऑक्साइड के स्तर में 1997 की तुलना में 2006 में 44 प्रतिशत कमी आई है। किन्तु, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संकेंद्रण में 2002 से मामूली बढ़त की प्रवृत्ति पाई गई है।

3 /ofu inw"k.k

3.1 दिल्ली के वायु पर्यावरण का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रदूषक अत्यधिक शोर है। शोर से होने वाले प्रदूषण में उद्योगों, वाहनों, उत्सवों, निर्माण गतिविधियों, डीजल से चलने वाले इंजनों आदि का विशेष योगदान है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति दिल्ली में 40 स्थानों पर हर महीने परिवेशी शोर की जांच करती है और संबद्ध इकाइयों को नोटिस

जारी करती है कि सुधार के लिए कार्रवाई करें। शोर का स्तर दिन के समय 59.0 से 65.0 डीबी(ए) पाया गया है, जबकि रात के समय यह 51.8 से 59.3 डीबी(ए) होता है, जो स्वीकार्य मानदंड से थोड़ा अधिक है। दिल्ली सरकार ने 100 या उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, 1000 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले शिक्षा संस्थानों, सभी अदालत परिसरों, सभी सरकारी परिसरों के चारों ओर 100 मीटर के क्षेत्र को शांत क्षेत्र/जोन घोषित किया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा 1996 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़कर दिल्ली में सभी स्थानों पर शोर का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया गया है। निम्नलिखित विवरण में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए स्वीकार्य परिवेशी शोर का स्तर दर्शाया गया है :

fooj.k&3

fu/kkfjr ifjo'kh 'kkj ekud

क्र. सं.	क्षेत्र		Leq/dB(A)
		दिन का समय*	रात के समय**
1.	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
2.	वाणिज्यिक क्षेत्र	65	55
3.	आवासीय क्षेत्र	55	45
4.	शांत क्षेत्र***	50	40

ukV %

* दिन का समय– 0600 बजे से 2200 बजे

** रात का समय– 2200 बजे से 0600 बजे

*** शांत क्षेत्र के अंतर्गत अस्पतालों, शिक्षों संस्थानों, अदालतों, धार्मिक स्थलों या अन्य परिसरों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले ऐसे स्थान शामिल हैं जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा शांत क्षेत्र घोषित किया गया हो।

lkzr % ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000, पर्यावरण और वन मंत्रालय।

4- ty in"k.k

4.1 दिल्ली में यमुना नदी का 48 किलोमीटर हिस्सा मुख्य रूप से घरों से निकलने वाले गंदे पानी और आंशिक रूप से उद्योगों से उत्सर्जित जल से बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है। वजीराबाद की ऊपरी धारा का जल उपचार के बाद ही पीने योग्य बन पाता है। किन्तु, नजफगढ़ नाले और 24 अन्य बड़े नालों के नदी में गिरने से जल की गुणवत्ता की भारी क्षति होती है और वह पशुओं के पीने तथा सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं रहता । ये 24 बड़े नाले सीवर सुविधाओं से रहित क्षेत्रों से बिना उपचारित मल–जल के प्रवाह सहित विभिन्न कारणों से यमुना नदी को प्रदूषित करते हैं। जल की गुणवत्ता के लिए हर महीने 9 स्थानों पर यमुना नदी के पानी की जांच की

जाती है और 24 नालों की भी हर महीने जांच होती है। दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए इंटरसेप्टर सीवर बिछाने का फैसला किया है। इस परियोजना के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को प्रयोजना प्रबंधन सलाहाकार (पीएमसी) नियुक्त किया गया है और एक एस्क्रो (निलम्बलेख) खाता खोला गया है।

4-2 ?kjy vif'k"V ty in"k.k ic/ku

दिल्ली में अनियोजित क्षेत्र में उत्सर्जित अपशिष्ट जल सीवर प्रणाली नेटवर्क के अभाव में नालों में छोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ी चिंता का कारण यह है कि अव–जल शोधन संयंत्रों की स्थापित क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि वर्तमान में केवल 341.39 एमजीडी अव–जल का ही उपचार किया जा रहा है, जबकि सभी अव–जल शोधन संयंत्रों की स्थापित क्षमता 512.40 एमजीडी अव–जल के शोधन की है। यमुना नदी में गैर–उपचारित अवजल का प्रवाह कम करने के लिए 23 अवजल शोधन संयंत्र पहले ही चालू किये जा चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने अनाधिकृत कालोनियों में सीवर सुविधाएं प्रदान करने की योजना तैयार की है, जिन्हें शीघ्र नियमित करने का प्रस्ताव है। किन्तु, ऐसा करना व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा। ऐसे क्षेत्रों में स्लम विंग द्वारा अपने योजना कार्यक्रम के अंतर्गत बनाये जा रहे सार्वजनिक शौचालयों के अलावा जेबीआईसी निधि से करीब 1000 सार्वजनिक षौचालयों का निर्माण किया गया है। इस समस्या का एक मात्र समाधान अवजल शोधन प्रणाली का विकेन्द्रीकरण है। दिल्ली जल बोर्ड इस प्रयोजन के लिए एक व्यवहार्य योजना तैयार करने पर विचार कर रहा है। दिल्ली नगर निगम ने इस प्रयोजन के लिए वाईएमपी–2 के अंतर्गत सलाहाकार भी नियुक्त किया है।

दिल्ली जल बोर्ड ने 3 बड़े नालों (नजफगढ़ नाला, पूरक नाला और शाहदरा नाला) के साथ इन्टरसेप्टर सीवर बिछाने की प्रक्रिया शुरूकी है। इसके अंतर्गत कालोनियों से उत्सर्जित अवजल को प्रमुख नालों में पड़ने से पहले ही ट्रैप किया जाएगा और उसे मौजूदा उपयोग में न लाये गये एसटीपीज/नये एसटीपीज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

सभी प्रमुख होटलों, अस्पतालों निर्माण परियोजनाओं को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने उत्सर्जित जल के उपचार के लिए एसटीपी/ईटीपी स्थापित करें और ऐसे पानी का कारगर उपयोग शौचालय साफ करने, कूलिंग टावर और बागवानी आदि के लिए करें। परिणामस्वरूप इस तरह की 150 परियोजनाएं या तो स्थापित हो चुकी हैं या फिर ऐसी प्रणालियां स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। इससे दिल्ली जल बोर्ड का बोझ काफी कम होने की आशा है । अनेक अस्पताल भी ऐसे संयंत्र लगा रहे हैं जिनसे उत्सर्जित पानी का बागवानी प्रयोजन के लिए पुनः इस्तेमाल किया जा सकेगा।

4-3 vk|kfxd vif'k"V ty

दिल्ली में उत्सर्जित औद्योगिक अपशिष्ट जल की मात्रा लगभग 40 एमजीडी है। सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अवजल के लिए 11 साझा उत्सर्जित उपचार संयंत्रों (सीईटीपीज) से संपर्क कायम करना सुनिश्चित करें। इन इकाइयों के जल की गुणवत्ता की जांच भी हर महीने की जाती है और

आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित किये जा रहे हैं। 1200 से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने अपने उत्सर्जित जल के उपचार के लिए 8 ईटीपी संस्थापित किये हैं।

5 okgu in"k.k

दिल्ली में वाहनों की संख्या 1994–95 में 24.32 लाख थी, जो मार्च, 2008 तक बढ़कर 56.27 लाख हो गई। इस प्रकार 14 वर्ष की अवधि में वाहनों में करीब 131.37 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कार/जीप श्रेणी के वाहनो में हुई है, जिनकी संख्या 2000–01 में 9.58 लाख थी, जो 2007–08 में बढ़कर 17.30 लाख हो गई, यानी उनमें 80.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। स्कूटर/मोटर साइकिल के मामले में 62.72 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, जिनकी संख्या 2000–01 में 21.88 लाख थी, जो 2007–08 में बढ़कर 35.78 लाख हो गई। इस तरह वाहनों में बढ़ोतरी के अनुपात में उत्सर्जित प्रदूषकों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।

6 Bksl dpjk

ताजा अनुमानों के अनुसार दिल्ली में हर रोज करीब 6500 से 7000 मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्सर्जित होता है। अनुमान है कि 2010 तक 9000 मीट्रिक टन नगरीय ठोस कचरा प्रतिदिन उत्सर्जित होगा। इसके अतिरिक्त उद्योगों से खतरनाक और अन्य तरह का कचरा भी उत्सर्जित होता है। इसमें बिजली संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐष यानी राख भी शामिल है। दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद 5500 मीट्रिक टन कचरे का ही हर रोज निपटारा कर पाते हैं, जिसकी वजह से शहरी क्षेत्रों में कचरा बढ़ता जा रहा है।

7 ck;kefMdy dpjk

दिल्ली में अस्पतालों और नर्सिंग होमों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ अस्पतालों से उत्सर्जित कचरा चिंता का एक और विषय बन गया है। बड़े अस्पतालों में ऑटोक्लेव/इंसिनेटर्स/श्रेडर्स के रूप में विभागीय कचरा उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। छोटे नर्सिंग होम, क्लिनिक और औषधालय 'ऑपरेटर ऑफ फैसिलिटी' के माध्यम से कचरे का निपटारा कर रहे हैं, जो कचरे का संग्रह, उपचार और ढुलाई तथा निपटारा करता है। दिल्ली में फिलहाल ऐसे दो ऑपरेटर काम कर रहे हैं। ऐसे एक अन्य ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

8 in"k.k jksdus ds mik;

8-1 okgu in"k.k

वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत वाहनों से निकलने वाला धुंआ है। इसे देखते हुए स्वच्छ इंधन के इस्तेमाल, ईधन की खपत में कमी लाने, इंजनों का बेहतर रखरखाव और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना के बारे में एक नीति विकसित की गयी है।

इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि 2010 तक डीजल में सल्फर की मात्रा 50 पीपीएम तक कम कर दी जाए और दिल्ली के 500 किलोमीटर के दायरे में 350 पीपीएम सल्फर डीजल का इस्तेमाल किया जाए।

वायु प्रदुशण पर निगरानी के लिए दैनिक रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते 500 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र केन्द्रों को मार्च, 2009 तक वेबसाइट से जोड़ा जा रहा है।

मार्च, 2009 तक 40 करोड़ रुपये का वायु परिवेशी कोष बनाया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में डीजल की बिक्री पर 25 पैसे प्रति लीटर की दर से शुल्क लगाया गया है। अगले वर्ष दिल्ली के बजट में प्रस्तावित बढ़ोतरी के साथ इससे 80 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

वाहनों को स्वच्छ ईंधन में रूपांतरण के लिए वायु परिवेशी कोष से 12.5 प्रतिशत वैट की वापसी की अनुमति दी गई है।

8.2 अनुमान है कि दिल्ली में कुल वायु प्रदूषण का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक गतिविधियों से उत्सर्जित प्रदूषण से होता है। इसे रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, फिर भी औद्योगिक प्रदूषण को और कम किए जाने की आवश्यकता है। राजधानी में 1300 से अधिक ऐसे उद्योग बंद कर दिए गए हैं, जो दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के मानदंडों के अनुरूप नहीं थे। आवासीय क्षेत्रों में संचालित उद्योगों को अन्य स्थानों पर लगाने की एक योजना तैयार की गई है। बवाना, नरेला और भौरगढ में विकसित किए जा रहे नए औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 26 हजार औद्योगिक प्लॉट आवंटित किए गए हैं।

8.3 ऐसे अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो नियमित किए जाने के लिए घोषित पात्रता मानदंड पूरे करते हैं। अब इन औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित किया जा सकता है, बशर्ते इन क्षेत्रों से संबद्ध एसोसिएशन आगे आएं और अधिसूचित पात्रता मानदंडों के अनुसार ढांचागत विकास की शर्तें पूरी करें।

8.4 सभी उद्योगों को डीजल जनरेटिंग सेटों द्वारा होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की भी सलाह दी गई है। उद्योगों से यह भी कहा गया है कि वे चिमनी की ऊंचाई भवनों की ऊंचाई से 2—3 मीटर अधिक रखें और डीजल जनरेटिंग सेटों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के उपाय करें।

8.5 6000 सेल फोन टॉवरों और 600 नर्सिंग होमों के लिए ध्वनिक अनुलग्नकों और चिमनी की ऊंचाई संबंधी अनिवार्य डीजी सेट्स मानदंडों के अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डीजी सेट्स के स्थान पर इन्वर्टरों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

8.6 कोयला आधारित ताप बिजलीघरों के मुख्य प्रदूषकों में चिमनी से निकलने वाला धुंआ, फ्लाई ऐश यानी राख और कोयले की ढुलाई के समय होने वाला अस्थायी उत्सर्जन शामिल है। दिल्ली में पांच बिजलीघर हैं, जिनमें से दो गैस आधारित और तीन कोयला आधारित हैं। कोयला आधारित सभी तीनों ताप बिजलीघरों में प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां लगाई गई हैं और वे उत्सर्जन संबंधी राष्ट्रीय मानक यानी 150 माइक्रोग्राम/घन मीटर का अनुपालन कर रहे हैं, किन्तु दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आस्थगित पदार्थ उत्सर्जन के लिए 50 माइक्रोग्राम/घन मीटर के नए और कड़े मानदंड निर्धारित किए हैं, जिसके लिए तीनों ताप बिजलीघर अपनी प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली को अद्यतन बनाने की प्रक्रिया में हैं। इसके अतिरिक्त बिजलीघर 1999 से बेनिफिसिएटिड कोयले (जिसमें राख की मात्रा 34 प्रतिशत से कम होती है) का इस्तेमाल कर रहे हैं।

8.7 इन्द्रप्रस्थ ताप बिजलीघर अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर चुका है और अब इस ताप संयंत्र के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से 1000 मेगावाट क्षमता का कम्बाइंड साइकिल गैस आधारित संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

8.8 कोयले या लिग्नाइट आधारित ताप बिजलीघरों के 50 किलोमीटर के दायरे में फ्लाई ऐष के इस्तेमाल के बारे में भारत सरकार की अधिसूचना के दिल्ली में विभिन्न विभागों/इस्तेमालकर्ता एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन की निगरानी पर्यावरण विभाग द्वारा की जाती है।

8.9 ;euk dk;l ;ktuk ¼pj.k& II½

यमुना कार्य योजना (वाई ए पी) चरण– I के अंतर्गत 1998 तक 15 शहरों के उत्सर्जित जल के आंशिक उपचार पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। किन्तु इसमें दिल्ली से होने वाले प्रदूषण पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए इस परियोजना के कार्यक्रमों का यमुना नदी की गुणवत्ता सुधारने में कोई योगदान नहीं रहा। इसे देखते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वाईएपी– II तैयार की है। इसका लक्ष्य यमुना नदी के जल को वांछित स्तर तक गुणवत्ता युक्त बनाना है । दिल्ली में ''यमुना कार्ययोजना चरण– II'' के तहत कार्यक्रमों के लिए कुल 387.17 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव है। परियोजना का 85 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार और 15 प्रतिशत हिस्सा दिल्ली सरकार को वहन करना है। वाईएपी– II में कुछ अध्ययन परियोजनाएं भी शामिल की गई हैं, जिन्हें वाईएपी (चरण– III) के अंतगर्त लागू किया जायेगा।

;euk dk;l;ktuk pj.k& II (okbl , ih& II) d vrxrl ifj;kuk,

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई परियोजनाएं	लागत (करोड़ रुपये में)
324 एमएलडी (72 एमजीडी) केशोपुर, एसटीपी पुनर्स्थापना, पम्पिंग स्टेशन और राइजिंग मेन में केशोपुर एसटीपी प्रायोगिक संयंत्र के लिए बायो गैस से बिजली बनाना।	66.36
बिजली संयंत्र के लिए 170 एमजीडी, एसटीपी की स्थापना के लिए औखला एसटीपी का संवर्द्धन।	85.27
रिंग रोड ट्रंक सीवर की पुनर्स्थापना	90.07
वजीराबाद रोड ट्रंक सीवर की स्थापना	64.20
बेला रोड ट्रंक सीवर की स्थापना	17.47
वाईएपी –तीन के लिए प्रायोगिक संयंत्र कार्यान्वयन सहित डीपीआर तैयारी।	35.00
विविध, जैसे तंग बस्ती पुनर्वास सार्वजजिक भागीदारी और जागरूकता तथा क्षमता निर्माण/पी आर	28.80
कुल	**387.17**

भारत सरकार द्वारा योजनाएं प्रारंभ करने के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड को धन जारी किया है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं के चयन का काम पूरा कर लिया गया है और अब कार्यान्वयन में तेजी आयेगी । भूमिगत जल के नियमन के लिए समूचे रा.रा. क्षेत्र दिल्ली को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड की अनुमति के बिना भूमिगत जल कथित नहीं किया जा सकता है और अनुमति तभी दी जाएगी जब वर्षा जल संरक्षण प्रणाली/समूचे उत्सर्जित जल के उपचार और उपचारित जल के कारग़र पुनः उपयोग की शर्तें पूरी की जाएंगी।

[krjukd dpjk icU/ku

8.10 खतरनाक कचरा (प्रबंधन और परिचालन) संशोधित नियम, 2000 के अंतर्गत 36 प्रकार के खतरनाक अपशिष्ट और ऐसा कचरा पैदा करने वाली प्रक्रियाओं की पहचान की गई है। इस नियम के अंतर्गत निर्दिष्ट हानिकारक कचरा पैदा करने वाली औद्योगिक इकाइयों का यह दायित्व है कि वे इस बात की पक्की व्यवस्था करें कि खतरनाक कचरा उचित रूप में एकत्र, उपचारित, भंडारित किया जाए और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सावधानी बरतने के साथ उसका निपटान पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाए।

8.11 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक टीएसडीएफ की स्थापना की जाएगी। पर्यावरण विभाग ने दिल्ली में स्वयं के निपटान केन्द्र के विकास के लिए योजना तैयार करने का निर्णय किया और इसके लिए नजफगढ़ ब्लॉक में घूमनहेड़ा में स्थान का चयन किया गया था। किन्तु, ग्राम निवासियों के प्रतिरोध के कारण दिल्ली में नजफगढ़ ब्लॉक में घूमनहेड़ा में उपचार, भंडारण और निपटान केन्द्र (टीएसडीएफ) के विकास की योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। दिल्ली सरकार ने खतरनाक कचरे के उपचार, भंडारण और निपटान केन्द्र की स्थापना के लिए कंझावला के निकट एक नये स्थान की पहचान की है।

8.12 Bksl dpjs dk icU/k

संबद्ध एजेंसी द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों के जरिए दिल्ली में ठोस कचरे का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। भारत सरकार ने म्युनिसिपल ठोस कचरा (प्रबंधन और निपटान) नियम, 2000 अधिसूचित किए हैं। इनका उद्देश्य शहरी ठोस कचरे के संग्रह, पृथक्करण, भंडारण, उसे निपटान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के प्रावधान करना है। इन नियमों के अनुपालन पर अपने–अपने क्षेत्रों में संबद्ध स्थानीय निकायों द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ठोस कचरे का प्रबंधन करने वाले दिल्ली नगर निगम ने प्रबंध प्रणाली में सुधार के लिए नीतिगत स्तर पर निम्नांकित फैसले किए हैं :

(क) छह क्षेत्रों में ठोस कचरे की ढुलाई में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना

(ख) निजी उद्यमियों के जरिए प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना

(ग) स्थानीय आधार पर कचरे के संग्रह और पृथक्करण के लिए टर्मिनल प्रोसेसिंग स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास।

(घ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा कचरे से बिजली बनाने (कचरे से ऊर्जा परियोजना) के लिए निम्नांकित परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति दी गई है :

1. तिमारपुर परियोजना : 255 टन प्रतिदिन आरडीएफ (रिफ्यूज्ड डेराइव्ड फ्यूल) के उत्पादन के साथ 650 टन एमएसडब्ल्यू प्रतिदिन।

2. ओखला संयंत्र : 1300 टन प्रतिदिन क्षमता वाला एमएसडब्ल्यू 450 टन आरडीएफ को प्रोसेस करेगा, जिससे 16 मेगावॉट बिजली पैदा होगी।

3. गाजीपुर : 1300 टन प्रतिदिन क्षमता वाला एमएसडब्ल्यू 450 टन आरडीएफ को प्रोसेस करेगा, जिससे 10 मेगावॉट बिजली पैदा होगी।

mijkDr rhuk l;= lu 2010 rd pky gk tk,xA

(ड) कचरे से कम्पोस्ट बनाने की निम्नांकित परियोजनाएं परिचालित हैं :

1. भलस्वा सैनेट्री लैंडफिल साइट पर 500 टीपीडी क्षमता का कम्पोस्ट प्लांट।
2. आईएलएफएस इकोस्मार्ट द्वारा दिननि के ओखला कम्पोस्ट प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 200 टीपीडी की गई है।
3. एपीएमसी के मौजूदा 125 टीपीडी क्षमता के कम्पोस्ट प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 200 टीपीडी की गई है।

8-13 ck;k efMdy dpjk icU/k

दिल्ली में हर रोज करीब 8 मीट्रिक टन बायो मेडिकल कचरा उत्सर्जित होता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दो ऑपरेटरों को अलग–अलग उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने और अपने केंद्रों पर उसका निपटान करने के लिए अधिकृत किया है। दो ऑपरेटरों द्वारा यह सुविधा शुरू किए जाने के साथ कई बड़े अस्पतालों, जिन्होंने इन्सिनेटर्स लगा रखे थे, ने अपने इन्सिनेर्स को बंद कर दिया और ऑपरेटरों की सेवाएं लेनी प्रारंभ कर दी। अभी तक बायो मेडिकल कचरा (प्रबंध और परिचालन) नियम 1998 के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए 11 इन्सिनेटर्स, 17 ऑटोक्लेव्स और दो माइक्रो वेब्स स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 2000 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों ने अपने स्तर पर बायो मेडिकल कचरे के प्रबंध की सुविधाएं रखने वाले ऑपरेटरों के साथ अनुबंध किए हैं। डी पी सी सी ने इलैक्ट्रानिक कचरा सम्बन्धित कार्य के सम्पादन हेतु सार्वजनिक–निजी–भागीदारी के आधार पर एक ई ओ आई जारी किया है।

Hkouk d fuek.k vkj <gku l mRlftr dpjk

- भवनों के निर्माण और ढहाने से करीब 2000 टन कचरा प्रतिदिन उत्सर्जित होता है।
- दिल्ली नगर निगम ने बुराड़ी के मैदान में प्रायोगिक परियोजना के विकास के लिए 3 एकड़ भूमि की पहचान की है। भवनों के निर्माण और ढहाने से उत्सर्जित कचरे का इस्तेमाल भूमि भराव के लिए किया जाएगा और उसे भवन निर्माण उद्योग को भेजा जाएगा ताकि उसका इस्तेमाल फिलर/उप धरातल सामग्री के रूप में किया जा सके।

IykfLVd dpjk

- दिल्ली में प्रति वर्ष करीब 583 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्सर्जित होता है।
- दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी करके मुख्य बाजारों और स्थानीय शॉपिंग सेन्टरों में प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

8.14. दिल्ली सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव रोकने के लिए निम्नांकित उपाय किये हैं :

- दिल्ली में ऊर्जा सक्षमता के उपायों और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रभावकारी इस्तेमाल करने के लिए समन्वित नीति अपनायी जा रही है।

lkyj okVj gfVx i.kkyh

- पार्कों और उद्यानों में सौर प्रकाश प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नदिनप ने दो मशहूर पार्कों, नेहरु पार्क और लोधी गार्डन में सौर प्रकाश प्रणाली लगाई है। दो और स्थानों पर ऐसी 500 सोलर लाइटें

लगाई जाएंगीं जिनसे हर रोज 600 यूनिट बिजली बचेगी। इसके अलावा गार्डन्स ऑफ फाइव सेसिज में 20 किलोवॉट क्षमता का सौर ऊर्जा उद्यान विकसित किया गया है।

- पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन में सौर प्रकाश प्रणालियों/हीटिंग प्रणालियों की संस्थापना अनिवार्य बनाई गई है।
- राष्ट्रमंडल खेलों के लिए तैयार किया गया त्यागराज स्टेडियम छत पर लगे सोलर पैनलों से 650 केवीए विद्युत पैदा करेगा, जिससे शत–प्रतिशत वैकल्पिक व्यवस्था में 18 प्रतिशत योगदान किया जा सकेगा।
- दिल्ली में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल गलियों में प्रकाश के लिए किया जा सकता है। कैम्पस और गांवों की गलियों में प्रकाश के लिए यह एक आर्दश प्रणाली है। इस प्रणाली में बैटरी स्टोरेज बैकअप की समुचित व्यवस्था होती है, जो हर रोज 10–14 घंटे तक सक्षमता पूर्वक काम कर सकती है।

o"kk ty lxg <kpk

Û न्यूनतम 100 वर्गमीटर आकार वाले प्लाटों के लिए वर्षा जल–संग्रह प्रणाली की स्थापना अनिवार्य बनायी गई है। इस प्रयोजन के लिए निवासी कल्याण संगठनों/स्कूलों को दिल्ली सरकार/दिजबो द्वारा एक लाख रुपये की परियोजना लागत में 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है।

8-15 tSo izkS|ksfxdh dsUnz

दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से दक्षिण परिसर में 4.91 करोड़ रुपये की लागत से जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र का निर्माण किया गया है। इस केन्द्र ने काम करना शुरू कर दिया है।

8-16 vU; mik;

प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण में सुधार के लिए कई अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं :

(i) मलजल शोधन संयंत्रों से निस्सरित उपचारित दूषित जल का पुनः इस्तेमाल उद्यानों की सिंचाई और शीतलता के लिए किया जा रहा है।

(ii) रसोई के जैव अपघटीय ठोस कचरे का उपयोग सामुदायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्टिंग के लिए करना और उससे निर्मित कम्पोस्ट का इस्तेमाल बागवानी प्रयोजन के लिए करना।

(iii) पर्यावरण विभाग ने विभिन्न स्कूलों को कागज का फिर से इस्तेमाल करने के लिए उपकरण लगाने में मदद पहुंचायी।

(iv) रिज क्षेत्र का विकास और संरक्षण।

(v) असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य का विकास।

(vi) पुरानी झीलों और अन्य जल निकायों का विकास और संरक्षण

(vii) बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) को असोला अभयारण्य में पर्यटकों के लिए गतिविधियां आयोजित करने का काम सौंपा गया। इस तरह इस अभयारण्य को दिल्ली में लोगों के लिए पर्यावरण संसाधन केंद्र की भूमिका प्रदान की गयी।

(viii) 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के प्रारम्भ होने से पहले दिल्ली को व्यापक हरा–भरा बनाने के विशेष प्रयोजन से शहर के तिकोने पार्कों का वानिकीकरण।

v/;k; 9
vk|kfxd fodkl

1. विनिर्मित वस्तुओं का दायरा बढ़ाते हुए किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता मे बढ़ोतरी करना आर्थिक विकास का अभिन्न अंग है। परिवहन और संचार के साधनों की उपलब्धता उद्योगों के विकास और व्यापार के विस्तार में एक महत्त्वपूर्ण घटक है। सस्ती और प्रचुर मात्रा में बिजली आपूर्ति, परिवहन सुविधाएं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को उद्योग और व्यापार के विस्तार के लिए आवश्यक बुनियादी शर्तें माना जाता है।

2. fnYyh e ikpoh vkfFkd x.kuk&2005

2.1 2005 में दिल्ली में करायी गयी पांचवी आर्थिक गणना के अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या के संदर्भ में दिल्ली अखिल भारतीय **ojh;rk Øe e** (36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के परिणाम के आधार पर) **16o** स्थान पर रही और भारत के कुल प्रतिष्ठानों में उसका योगदान करीब 1.80 प्रतिशत रहा। 2005 में राष्ट्रीय राजधानी राज्य–क्षेत्र दिल्ली की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कुल 7.58 लाख प्रतिश्टान कार्यरत थे। इनमें 99.57 प्रतिशत गैर–कृषि प्रतिश्ठान थे जबकि 0.43 प्रतिशत कृषि से संबंधित थे। अधिकतर प्रतिश्ठान शहरी इलाकों में कार्यरत थे, यानी कुल प्रतिष्ठानों का 96.52 प्रतिशत शहरी इलाकों में और मात्र 3.48 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे।

2.2 राष्ट्रीय राजधानी राज्य–क्षेत्र दिल्ली में प्रमुख आर्थिक गतिविधियां ''खुदरा व्यापार'' में संचालित रही हैं जिनका कुल प्रतिष्ठानों में 48.9 प्रतिशत योगदान रहा है। इसके बाद ''विनिर्माण क्षेत्र'' (मरम्मत सहित) का स्थान है, जिसकी हिस्सेदारी 18.19 प्रतिशत है जबकि ''सामुदायिक, सामाजिक, कार्मिक सेवाओं और गतिविधियों'' का योगदान 9.99 प्रतिशत रहा है।

2.3 जहां तक रोजगार की स्थिति का सवाल है, अखिल भारतीय वरीयता क्रम में दिल्ली का **12ok LFkku** था। भारत में कुल रोजगार में दिल्ली का योगदान करीब 3.61 प्रतिशत था। प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या 35.56 लाख थी, जबकि संगठित क्षेत्र में रोजगार की औसत 4.69 प्रतिशत रही। 1998–2005 की अवधि में रोजगार बढ़ोतरी की दर 0.23 प्रतिशत रही। कुल रोजगार में महिलाओं की भागीदारी 10.50 प्रतिशत (3.73 लाख) थी।

2.4 vkfFkd x.kuk&2005 dh ftyk okj fLFkfr

प्रतिष्ठानों की संख्या की दृष्टि से उत्तर–पश्चिम जिले का प्रथम स्थान है, जिसका योगदान 17.30 प्रतिशत है। इसके बाद दक्षिण जिले (13.83%) और पश्चिम जिले (13.37%) का स्थान है।

रोजगार की संख्या की दृष्टि से दक्षिण जिले का प्रथम स्थान है, जिसका कुल रोजगार में 16.54 प्रतिशत योगदान है। इसके बाद उत्तर–पश्चिम जिले (14.91%) और उत्तर–पूर्वी जिले (12.74%) का स्थान है।

प्रतिष्ठानों के प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व की दृष्टि से मध्यवर्ती जिले (3223) का प्रथम स्थान है। इसके बाद उत्तर–पूर्वी जिले (1625) और पूर्वी जिले (1492) का स्थान है।

लगभग सभी जिलों में कुल मिलाकर प्रमुख आर्थिक गतिविधि समूह यानी ''खुदरा व्यापार'' की प्रधानता रही है।

3- fnYyh esa m|ksx {ks= dh egÙoiw.kZ fo'ks"krk,a

3-1 ldy jkT; ?kjsyw mRikn esa fofHkUu m|ksxksa dk ifr'kr %

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में योगदान की दृष्टि से दिल्ली के औद्योगिक परिदृष्य में वित्त, बीमा, भूसम्पदा, और व्यापार सेवाओं'' का प्रमुख स्थान है। इन उद्योगों के बाद ''व्यापार, होटल और रेस्तरां उद्योग का स्थान है। त्वरित अनुमानों के अनुसार 2007–08 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कुल मूल्य 136415 करोड़ रुपये था। इसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 0.74 प्रतिशत (1013 करोड़ रुपये), द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 21.63 प्रतिशत (29500 करोड़ रुपये) और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 77.63 प्रतिशत (105902 करोड़ रुपये) था। 2007–08 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रमुख उद्योग समूहों की हिस्सेदारी नीचे दिए गए आरेख में दिखायी गयी है :

Chart 9.1

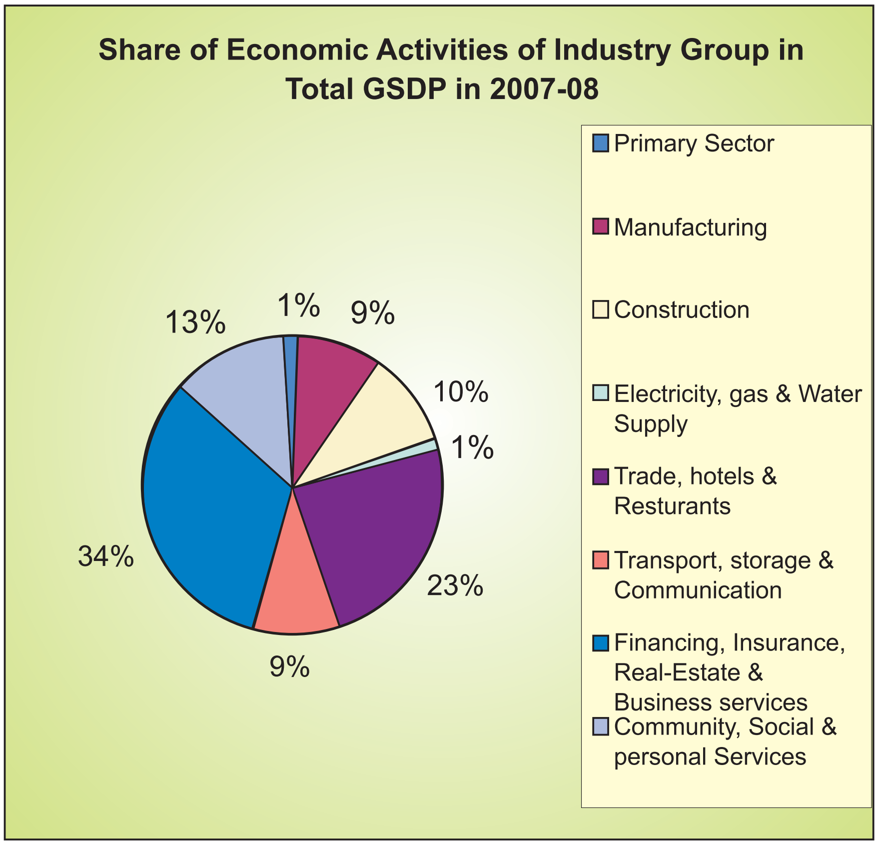

3-2 fnYyh d vk|kfxd mRiknu dk lpdkd

3.2.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) सामान्य अर्थ में वह सूचकांक है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ोतरी का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एक सामान्य संख्या है, जिसका परिमाण किसी संदर्भित अवधि की तुलना में किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन के स्तर को प्रस्तुत करता है। इस सूचकांक की गणना लैसपेयर के फार्मूले के आधार पर मात्रात्मक सापेक्षकों की भारित अंकगणितीय औसत के साथ आधार वर्ष में विनिर्माण में संवर्द्धित मूल्य के अनुपात में विभिन्न वस्तुओं को आवंटित की गयी वरीयताओं का इस्तेमाल करते हुए की जाती है।

3.2.2 किसी अवधि में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर मापने के लिए, रा.रा.रा. क्षेत्र दिल्ली के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का संकलन 1976 से आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। सूचकांक में गणना क्षेत्र की ऐसी इकाइयों को शामिल किया जाता है, जिनमें बिजली चालित उद्योग के मामले में कम से कम 100 और बिजली रहित उद्योगों के मामले में 50 श्रमिक कार्यरत हों।

3.2.3 oLrvk dk p;u

वस्तुओं का समूह एएसआई 1999–2000 के फैक्टरी सेक्टर परिणामों पर आधारित है और चयन के मानदंडों मे राज्य के विनिर्माण क्षेत्र के मूल्य का 80 प्रतिशत शामिल किया गया है।

3.2.4 ojh;rk ¼ofVx½ vkj[k

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की सिफारिश के अनुसार नई आधार वर्ष (1999–2000) शृंखला में वस्तुओं को वरीयता 'उत्पादन के मूल्य' के आधार पर आवंटित की गयी है, जो उससे पहले 1980–81 शृंखला तक सकल संवर्द्धित मूल्य के आधार पर आवंटित की जाती थी।

3.2.5 dojt

संशोधित शृंखला में 112 वस्तुओं को शामिल किया गया है। इन वस्तुओं के संदर्भ में दिल्ली में 302 औद्योगिक इकाइयों से तिमाही आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

3.2.6 x.kuk dh i)fr

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के लिए एकत्र किए गए उत्पादन आंकड़ों को उसके आधार वर्ष के उत्पादन से विभाजित किया जाता है, और उद्योग स्तर पर उसकी उत्पादन सापेक्षता यानी उत्पादन सूचकांक प्राप्त करने के लिए उसकी वरीयता (वेट) से गुणा किया जाता है। प्रमुख उद्योग समूह के स्तर पर उत्पादन सापेक्षों को जोड़ा जाता है। विनिर्माण क्षेत्र का सूचकांक प्राप्त करने के लिए दो अंकों के आईआईपी को उसके भार से गुणा करके जोड़ा जाता है। यह सूचकांक औद्योगिक क्षेत्र में आधार वर्ष के संदर्भ में सापेक्षिक परिवर्तन को दर्षाता है।

3.3 आधार वर्ष को 1993–94 से बदल कर 1999–2000 किया गया है, तदनुरूप नए आधार वर्ष के साथ पहली रिपोर्ट वर्ष 2006–07 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में जारी की गयी है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000) 2007–08 में 172.11 है जिसमें 2006–07 के सूचकांक, यानी 163.33 के मूल्य तुलना में 5.38 प्रतिशत सुधार हुआ है।

fooj.k 9-1

ie[k m|kx {k=k e vk|kfxd mRiknu dk lpdkd (vk/kkj o"k 1999&00=100)

क्षेत्र	2006-07	2007-08	प्रतिशत वृद्धि/कमी
1. विनिर्माण	167.66	177.54	5.89
क) खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ	59.09	62.71	6.13
ख) तम्बाकू और सम्बद्ध उत्पाद	89.68	88.06	-1.81
ग) वस्त्र उत्पाद	140.29	208.79	48.83
घ) पहनने के कपड़े; फर यानी लोम की ड्रेसिंग और डाइंग।	86.44	87.54	1.27
ङ) चमड़ा और चमड़ा–उत्पाद	84.34	76.61	-9.17
च) काग़ज और काग़ज उत्पाद	58.12	64.00	10.17
छ) प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और री–प्रोडैक्शन रिकार्डिंग मीडिया	268.97	338.00	25.66
ज) बुनियादी रसायनिक उत्पाद	265.41	309.88	16.75
झ) गैर–धातुविक खनिज उत्पाद	175.31	153.80	-12.27
ञ) रबड़, पलास्टिक उत्पाद	348.98	334.21	
ट) बुनियादी धातु	123.86	162.49	31.19
ठ) मशीनरी और उपकरण को छोड़कर कृत्रिम धातु उत्पाद	221.27	177.73	-19.68
ड) मोटर वाहन ट्रेलर्स और सेमी–ट्रेलर्स	343.96	238.26	-33.64
ढ) मशीनरी और उपकरण	174.79	130.31	-25.45
ण) इलेक्ट्रिकल मशीनरी और यंत्र	80.12	97.14	21.24
त) रेडियो, टेलीविजन और संचार उपकरण तथा यंत्र	125.62	106.35	-15.34
थ) परिवहन उपकरण	8.64	9.67	11.92
द) फर्नीचर	337.69	291.24	-34.48
2. बिजली	150.35	155.85	3.66
3) सामान्य सूचकांक	163.33	172.11	5.38

lkr आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय।

3-4 fnYYkh esa ekfld vk/kkj ij rqyuh; vkS|ksfxd mRiknu lwpdkad

2007–08 के लिए औद्योगिक उत्पादन का औसत वार्षिक सूचकांक (आधार वर्ष 1999–00=100) 172.11 होने का अनुमान है। जबकि 2006–07 के दौरान यह 163.33 था। इससे पता चलता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 5.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। नीचे दी गयी सारणी से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2007–08 में पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में केवल तीन महीनों, यानी जुलाई, सितम्बर, और अक्टूबर, 2008 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि रही और शेष नौ महीनों के दौरान इसमें सुधार हुआ।

fooj.k 9-2

vkS|ksfxd mRiknu dk eghusokj lwpdkad (vk/kkj o"k 1999&00=100)

Month	2007-08	2008-09	Increase/Decrease over the previous year (In percentage)
April	192.19	166.78	-13.22
May	198.05	157.82	-20.31
June	171.15	129.10	-24.57
July	154.69	102.42	-33.79
August	171.44	158.71	-7.42
September	156.51	123.19	-21.29
October	125.96	136.98	8.75
November	169.45	164.41	-2.98
December	213.58	143.33	-32.89
January	175.99	152.78	-13.19
February	164.90	124.97	-24.21
March	171.40	177.29	3.43
Annual Average	172.11	144.81	-15.86

lzkr आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय।

3-5 vk|kfxd mRiknu dk bLreky vk/kkfjr lpdkd

राराराक्षे दिल्ली के औद्योगिक उत्पादन में पूंजीगत सामान उद्योग का प्रमुख स्थान है। 2008–09 में कुल उत्पादन में इस उद्योग की भागीदारी 25 प्रतिशत रही है । इसके बाद उपभोक्ता वस्तु उद्योग और उपभोक्ता ड्यूरेबल वस्तु उद्योग का स्थान है, और इनमें से प्रत्येक की भागीदारी 18 प्रतिशत रही है । मध्यवर्ती वस्तु उद्योग का कुल उत्पादन में सबसे कम यानि 8 प्रतिशत योगदान रहा है ।

Chart 9.2

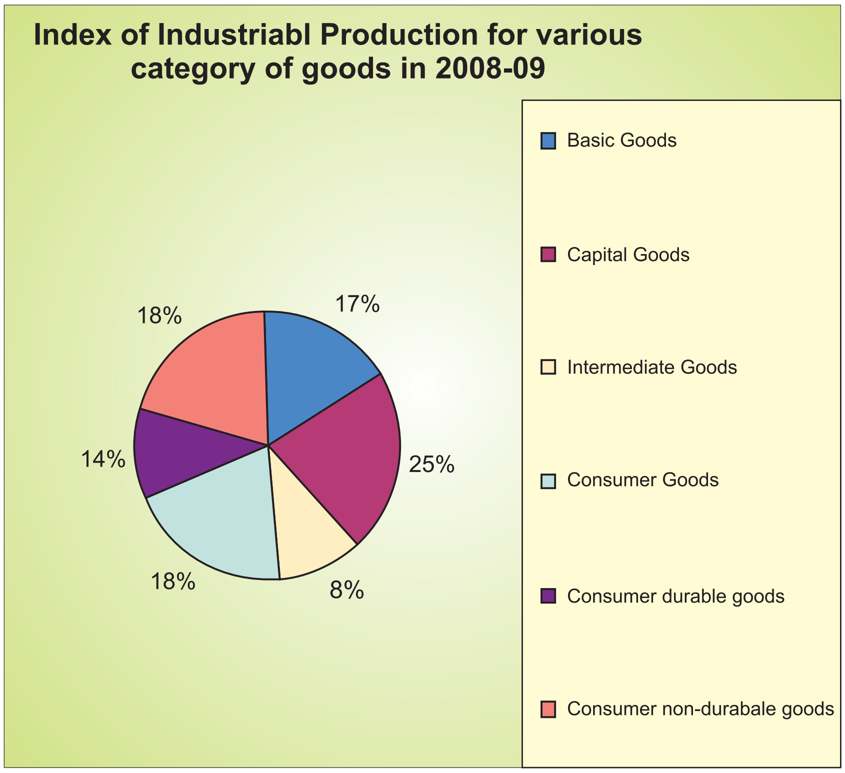

Statement 9.3

Description	Annual Average		Percentage variation
	2007-08	2008-09	
Basic Goods	153.17	143.13	-6.55
Capital Goods	204.99	221.42	8.02
Intermediate Goods	97.88	65.88	-32.69
Consumer Goods	187.36	148.10	-20.95
Consumer Durable Goods	105.30	113.87	8.14
Consumer Non-durable goods	194.33	151.01	-22.29
General	172.08	144.81	-15.85

fooj.k 9-4

fnYyh e i thd`r QDVfj;k] 1981&2006

वर्ष	निजी	सरकारी	फैक्टरी अधिनियम 1948 की धारा 85 के अंतर्गत	कुल
1981	3298	102	2	3402
1991	4954	137	71	5162
2001	6693	144	18	6855
2002	6805	144	18	6967
2003	6933	153	19	7105
2004	7096	172	21	7289
2005	7266	189	21	7476
2006	7439	190	21	7650
2007	7068	190	21	7279
2008	6682	189	21	6892

4.1 नोन&कन्फर्मिंग औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबंध और पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अन्य मानदंडों के कारण पिछले दशक (1996–2006) में दिल्ली के नगर–निगम क्षेत्र में पंजीकृत फैक्टरियों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। कार्यषील फैक्टरियों की संख्या 2006 में बढ़कर 7650 हो गयी, जो 1996 में 6076 थी। 7650 कार्यषील फैक्टरियों (2006 के अंत तक) में से 7484 इकाइयां फैक्टरी अधिनियम की धारा 2 एम(i), 145 इकाइयां धारा 2 एम(ii), और 21 इकाइयां धारा 85 के अंतर्गत 2006 में पंजीकृत थीं। 2006 में 7439 (करीब 97 प्रतिशत) फैक्टरियां निजी क्षेत्र के अंतर्गत और 190 सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत थीं।

4.2 पंजीकृत फैक्टरियों से प्राप्त वार्षिक विवरणों के आधार पर औसत दिहाड़ी रोजगार के बारे में लगाए गए अनुमानों के अनुसार दिल्ली में पिछले पांच वर्ष के दौरान इस तरह के रोजगार के अवसरों में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। इसकी वजह नोन–कन्फर्मिंग इकाइयों का बंद होना है। औसत दिहाड़ी रोजगार में मामूली वृद्धि हुई, जो 2002 के 300310 कार्य दिवसों से बढ़कर 2006 में 34801 कार्य दिवस पर पहुंच गया। 2006 के दौरान रोजगार में प्रमुख योगदान करने वाली औद्योगिक इकाइयों में खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों का विनिर्माण, पहनने के वस्त्रों का विनिर्माण, लोम (फर) की ड्रेसिंग और डाइंग, चमड़े का सामान, पब्लिषिंग, प्रिंटिंग और रिकार्डिड मीडिया का रीप्रोडॅक्षन, रसायन और रसायन उत्पादों का विनिर्माण, कषत्रिम धातु उत्पादों का विनिर्माण, मषीनरी और उपकरण का विनिर्माण, इलेक्ट्रिकल मषीनरी और यंत्र का विनिर्माण, रेडियो, टेलीविजन और संचार उपकरण तथा यंत्र का विनिर्माण, मोटर वाहनों और मोटर साइकिलों/मोटर के हिस्से–पुर्जों का विनिर्माण, बिक्री, मरम्मत और रखरखाव संबंधी इकाइयां शामिल हैं। 2006 में फैक्टरी निरीक्षकों (मेडिकल) ने 134 फैक्टरियों का निरीक्षण किया। 1638 श्रमिकों की चिकित्सा जांच की गयी और रोगविज्ञान संबंधी 12 परीक्षण किए गए। व्यवसाय जनित रोगों का कोई मामला नहीं पाया गया।

5- m|kxk d okf"kZd lo{k.k 2005&06] d nkjku lxfBr vk|kfxd ¼QSDVjh½ {k=

5.1 फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम(i) के अंतर्गत 10 या इससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाली और बिजली का इस्तेमाल करने वाली फैक्टरियों, धारा 2 एम(i) के अंतर्गत 20 या इससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाली परन्तु बिजली का इस्तेमाल न करने करने वाली फैक्टरियों, का पंजीकरण अनिवार्य है। कुछ अन्य फैक्टरियां भी अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत पंजीकृत की जाती हैं। दिल्ली में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2005–06 (गणना एवं नमूना क्षेत्र) में कराया गया था। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2005–06 के अस्थायी निश्कर्शों के अनुसार दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण संकेतक और पिछली प्रवृत्तियां नीचे दी गयी हैं :–

fooj.k 9-5

महत्त्वपूर्ण संकेतक	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
पंजीकृत फैक्टरियों की संख्या	3409	3413	3193	3154	3312
उत्पादन पूजी (लाख रु.)	522450	604682	510825	526725	630511
(क) नियत पूंजी	224959	244829	209862	235690	262096
(ख) कार्यशील पूंजी	297495	359853	300963	291035	368415
सभी कर्मचारी	117965	126732	128649	121130	127998
(क) श्रमिक	78331	85552	90923	80923	87857
(ख) श्रमिक से इतर	39634	41180	37726	40207	40141
कार्यदिवस (लाख में)	358	384	339	359	**
कुल परिलब्धियां (लाख रु. में)	99085	116500	98350	95623	111699

Chart 9.3

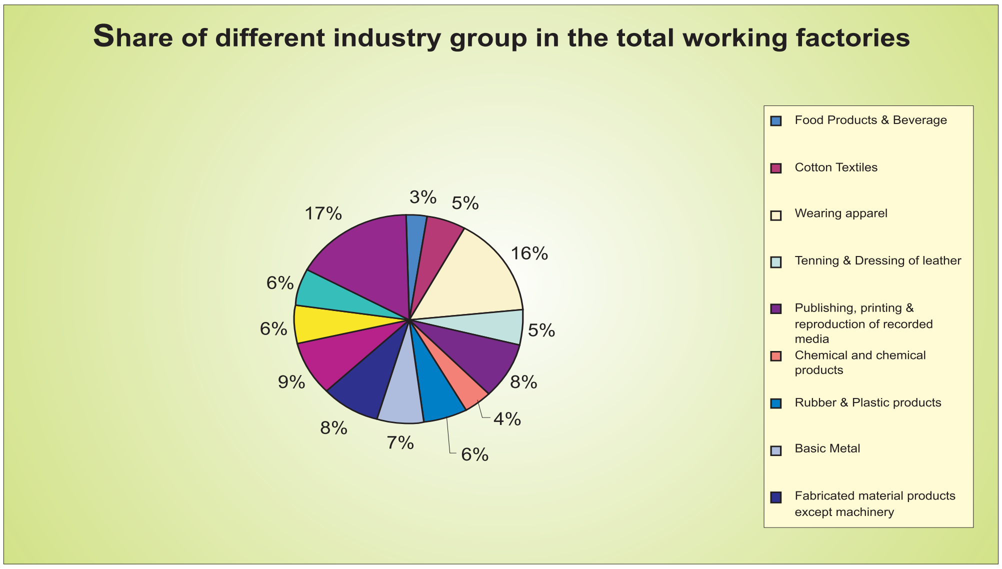

Chart 9.4

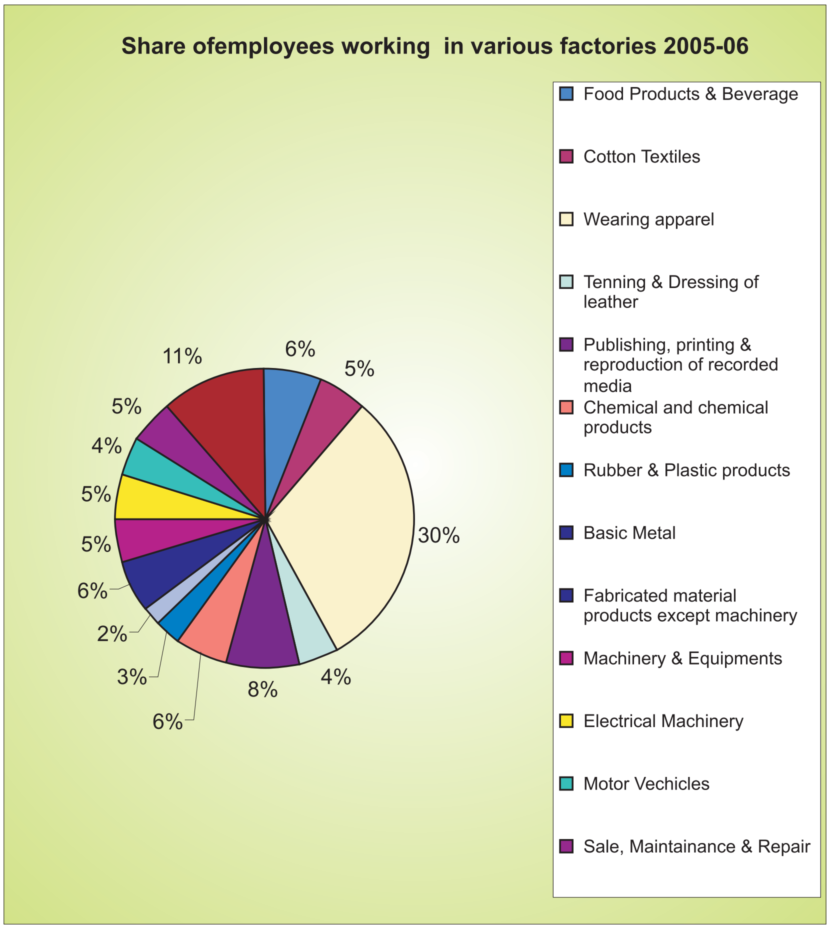

6- fnYyh bfLVV;wV vkQ Vwy bathfu;fjax

टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेन्टर (टीआरटीसी), और हाई टैक वोकेषनल ट्रेनिंग सेन्टर (एचटीवीटीसी), इन दोनों को मिलाकर दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग की स्थापना 28.11.07 को की गयी थी। टीआरटीसी और एचटीवीटीसी की गतिविधियों को जारी रखने के अलावा डीआईटीई ने टूल इंजीनियरिंग में चार वर्शीय बी. टैक पाठ्यक्रम भी शुरूकिया है, जो डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम के रूप में गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

7- vkS|ksfxd ifjlEifRr;k¡ (,LVsV)

दिल्ली में 28 औद्योगिक एस्टेट्स/क्षेत्र हैं, जो करीब 4647 एकड़ क्षेत्र में फैलें हैं। इनमें से 5 एस्टेट का विकास उद्योग विभाग द्वारा, 2 का डीएसआईडीसी द्वारा, 7 का सहकारी समितियों द्वारा और 14 का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना 1954 से 1990 के दौरान की गयी थी। इन क्षेत्रों में करीब 25 हजार औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं सरकार ने 1,300 एकड़ भूमि अधिगषहित की है, जिसमें से बवाना

गांव और होलम्बी कलां में नये औद्योगिक एस्टेट विकसित करने के लिए 1065 एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया गया गया है। इसके अतिरिक्त 800 एकड़ भूमि का और अधिग्रहण किया गया है, तथा नये औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए इसका कब्जा ले लिया गया है।

8- vk|kfxd uhfr

दिल्ली की प्रथम औद्योगिक नीति 1982 में प्रकाषित की गयी थी। इसमें उद्योगों को दूर–दूर तक फैलाने के साथ अत्याधुनिक और उच्च–प्रौद्योगिकी युक्त उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया।

दिल्ली में तीव्र शहरीकरण के साथ जनसांख्यिकीय परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए एक नयी औद्योगिक नीति रा रा रा क्षे सरकार के विचाराधीन है, जिसमें निम्नांकित बातों पर विशेष बल दिया गया है :–

(1) अत्याधुनिक कौशल आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, जो कम स्थान, कम बिजली, कम मात्रा में पानी आदि विशेषताओं के साथ उत्पादन के अनुकुलतम स्तर हासिल कर सके।

(2) प्रदूषण–मुक्त उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा करना।

(3) प्रदूषण–मुक्त उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर बल।

(4) निवेष की सीमाओं की परवाह न करते हुए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी, आई टी सक्षम सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स और उच्च–प्रौद्योगिकी उद्योगों के प्रोत्साहन पर बल।

(5) आवासीय क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों को छोड़कर कोई औद्योगिक इकाई लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(6) दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और रखरखाव के लिए एकल और एकीकष्त एजेंसी स्थापित की जायेगी। औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव में क्षेत्र की औद्योगिक असोसिएषन को शामिल करने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(7) औद्योगिक क्षेत्रों में निम्न–प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे अपने को उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में परिणत करें।

(8) दिल्ली में जोखिमपूर्ण/हानिकर और साथ ही बड़े/भारी उद्योगों की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(9) आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के परिणामस्वरूप मझोले क्षेत्र से संबद्ध लघु उद्योगों की अनुमति दी जायेगी, परन्तु ऐसे उद्योगों में अधिक विस्तार की अनुमति नहीं होगी और उनका विकास समान दिशा में या अनुशंगी दिशा में होगा, और यह भी कि ऐसे उद्योग का परिचालन अधिकष्त औद्योगिक क्षेत्र में किया जायेगा। राराराक्षे दिल्ली सरकार दिल्ली में स्थायी और पर्यावरण अनुकूल उद्योगों के विकास के लिए एक विशेष औद्योगिक विकास कोष स्थापित करने पर भी विचार कर रही है।

9. fnYYkh foRr fuxe

दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी) रा रा क्षे दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में स्थित उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों, जैसे चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल/निदान केन्द्रों, परिवहन क्षेत्र, होटलों, रेस्तरांओं आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती

है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन पार्कों जैसी पर्यटन संबंधी सुविधाओं, कन्वेंषन सेंटरों, आई टी से संबद्ध साफ्टवेयर/हार्डवेयर सेवाओं, उपग्रह लिंकेज सहित दूरसंचार या इलेक्ट्रोनिक्स, हाइटैक कृषि उद्योगों, फूलों, टिष्युओं की खेती, जलजीव पालन, पोल्टरी फार्मिंग, प्रजनन हेचरिज आदि के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कंपनियों और सहकारी समितियों के मामले में अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के ऋण दिए जा सकते हैं जबकि प्रोपराइटरषिप और साझेदारी वाली कंपनियों के मामले में यह सीमा 2 करोड़ रुपये तक है। नये उद्योगों के साथ साथ मौजूदा उद्योगों के स्थानांतरण, विस्तार, आधुनिकीकरण, विवधीकरण और पुनर्स्थापन के लिए भी ऋण उपलब्ध हैं। औद्योगिक इकाइयों को ऐसी उन्नत प्रौद्योगिकी और उपकरण लगाने के लिए भी ऋण दिए जाते हैं, जो बिजली की खपत में कमी लाने, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने और प्रदूषण नियंत्रण में मददगार हों। डीएफसी छोटे सड़क परिवहन आपरेटरों को वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी ऋण देता है। दिल्ली को पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त शहर बनाने की आवश्यकता को देखते हुए डीएफसी औद्योगिक इकाइयों को आसान षर्तों और रियायती दरों पर ऋण प्रदान करके उनकी पुनर्स्थापना की प्रक्रिया को आसान बना रहा है। डीएफसी की अधिगृहित पूंजी 50 करोड़ रुपये और षेयर पूंजी 25.94 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2008 को डीएफसी के पास 48.69 करोड़ रुपये सुरक्षित और अधिशेष थे। डीएफसी ने 2006–07 के दौरान 426 उद्योगों को 35.22 करोड़ रुपये और 2007–08 के दौरान 241 उद्योगों को 19.78 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए।

10- fnYYkh jkT; vkS|ksfxd ,oa buQzkLVDpj fodkl fuxe

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम–डीएसआईडीसी की स्थापना एक कम्पनी के रूप में फरवरी, 1971 में की गयी और इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। इसके मुख्य उद्देष्यों में दिल्ली में लघु उद्योगों के हितों को उजागर करना और उन्हें बढ़ावा देना, उनके लिए सहायता, परामर्श, एवं धन की व्यवस्था करना शामिल है। निगम उन्हें पूजी, ऋण, संसाधन और तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायता प्रदान करता है ताकि वे अपना काम–काज और व्यापार बेहतर ढंग से चला सकें। पंजीकरण के समय इसका नाम **fnYyh y?kq m|ksx fodkl fuxe fyfeVsM** था। किन्तु, अब इसे **fnYYkh jkT; vkS|ksfxd ,oa <kapk xr fodkl fuxe** के नाम से जाना जाता है। यह रा रा रा क्षे दिल्ली में लघु उद्योगों को सहायता एवं धन प्रदान करता है और उनके हितों को बढ़ावा देता है। इसकी अधिकष्त पूंजी 30 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 21.86 करोड़ रुपये है।

11 iquLFkkiuk ;kstuk

¼d½ fd, x, vkoaVu] iklr Hkkxrku vkj dCtk fn, tkus lac/kh ekStwnk fLFkfr

18,360 आवेदकों को ड्रा के जरिए बवाना के नवविकसित औद्योगिक क्षेत्र और नरेला, बादली, झिलमिल और पटपड़गंज के पहले से विकसित क्षेत्रों में फैक्टरी–फ्लैट और विकसित औद्योगिक प्लाट आवंटित किए गए हैं। जल प्रदूशित करने वाले उद्योगों को वरीयता के आधार पर नरेला और बादली में तथा 'एफ' श्रेणी के अंतर्गत आने वाली इकाइयों को बवाना औद्योगिक क्षेत्र में आवंटन किए गए हैं। ब्योरा नीचे दिया गया है :–

fooj.k 9-6

परिसर का नाम	किए गए आवंटनों की संख्या	प्लाट/फ्लेट का शत–प्रतिशत मूल्य चुकाने वाले आवंटियों की संख्या	बवाना–दो के आवंटियों की कुल संख्या, जिन्होंने अब तक मांगी गई प्लाट की 50 प्रतिशत कीमत जमा करा दी है।	मंजूर किए गए कब्जों की कुल संख्या	मौके पर भौतिक कब्जा लेने वाले आवंटियों की कुल संख्या
बवाना	16266	15810	--	14657	11524
बवाना -II	4351	--	4013	--	--
झिलमिल	96	96	--	96	94
नरेला	1509	1488	--	1394	1133
बादली	87	87	--	86	83
पटपड़गंज	76	76	--	76	75
फ्लेटिड फैक्टरी	364	252	--	247	233
कुल	22749	17809	4013	16558	13142

दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि वह शेष पात्र आवेदकों के पुनर्स्थापन के लिए नये औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के वास्ते अतिरिक्त भूमि की पहचान करे।

¼[k½ IhbVhih t ¼Ikefgd mRItu mipkj I;=k½ dk fofuek.k

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए दिल्ली के 28 औद्योगिक क्षेत्रों में 15 सामूहिक उत्सर्जन संयंत्रों (सीईटीपीज) के निर्माण का काम डीएसआईडीसी को सौंपा गया है। डीएसआईडीसी इस परियोजना पर डीपीसीसी और एनईईआरआई के सहयेाग से अमल कर रहा है। 10 सीईटीपीज ने पहले ही काम करना शुरूकर दिया है। 2 सीईटीपीज का निर्माण कार्य जारी हैं। उच्चतम न्यायालय और विभिन्न समितियों/अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर कार्य की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। भूमि उपलब्ध न होने, डिजाइन उपयुक्त न होने आदि समस्याओं के कारण तीन सीईटीपीज का निर्माण कार्य शुरूनहीं किया जा सका है। 9 सीईटीपीज परिचालन और प्रबंधन के लिए सम्बद्ध समितियों को सौंप दिए गए हैं। एक सीईपीटी का रखरखाव डीएसआईडीसी द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के लिए दिल्ली सरकार की कुल वित्तीय देयता 116.15 करोड़ रुपये की है, जिसकी अंतिम मंजूरी ईपीसीए द्वारा की जानी है। दिल्ली सरकार डीएसआईडीसी को

87.77 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर चुकी है और ईपीसीए का अंतिम निर्णय आने तक 28.38 करोड़ रुपये की राशि बकाया रखी गयी है।

¼x½ jRu ,o vkHk"k.k lLFkku

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचा विकास निगम (डीएसआईडीसी) ने राष्ट्रीय आभूशण डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम और षैली पर रत्न एवं आभूशण संस्थान की स्थापना की है। फिलहाल यह संस्थान रत्न विज्ञान, आभूशण विनिर्माण और आधुनिक आभूशण डिजाइन (सीएडी/सीएएम) में 1 से 3 महीने की अवधि के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और 6 महीने से एक वर्ष की अवधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। संस्थान रत्न और आभूशण डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी में 4 वर्शीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करेगा। यह पाठ्यक्रम आईपी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होगा।

12 fnYyh [kknh vkj xke m|kx ckM

दिल्ली खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1983 में की गयी। इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम को दिल्ली पर भी लागू करते हुए की गयी। वर्तमान में, बोर्ड दिल्ली में ग्रामीण रोजगार सष्जन कार्यक्रम (मार्जिन मनी यानी न्यूनतम राशि) लागू कर रहा है। भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की इस योजना को बोर्ड द्वारा राश्टीयकष्त बैंकों के जरिए रा रा रा क्षे दिल्ली में लागू किया जा रहा है। बैंकों द्वारा सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों/संस्थानों के लिए परियोजना लागत का 90 प्रतिशत और कमजोर वर्गो के मामले में परियोजना लागत का 95 प्रतिशत ऋण मंजूर किया जाता है। बैंक की षाखा द्वारा ऋण मंजूर किए जाने के बाद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के मामले में 25 प्रतिशत और कमजोर वर्गों के लाभार्थियों के मामले में 30 प्रतिशत ऋण राशि मार्जन मनी के रूप में दो वर्ष तक उधारकर्ता के नाम से सावधि जमा के रुप में रखी जाती है। ऋण वितरित किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह राशि लाभार्थी के ऋण खाते में जमा कर दी जाती है।

¼d½ foi.ku xfrfof/k;k – बोर्ड ने वर्ष 1999 से सीमित विपणन गतिविधियां आरंभ की। बोर्ड केवल प्रमाणित के वी आई सी यूनिटों से वस्तुएं खरीदता और उन्हें बिक्री केंद्रों पर बेचता है। फिलहाल इसके तीन बिक्री केंद्र हैं। इनमें से एक केनिंग लेन और एक दिल्ली सचिवालय में स्थित है। एक अन्य बिक्री केन्द्र मोबाइल बिक्री वैन के जरिए संचालित किया जाता है। इसकी पिछले कुछ वर्षों की बिक्री संबंधी उपलब्धियां नीचे दी गयी है।

विवरण 9.7

वर्ष	कुल बिक्री (लाख रुपये में)
2002-03	10.36
2003-04	4.12
2004-05	1.87
2005-06	1.70
2006-07	2.29
2007-08	

बोर्ड की योजना हैं कि दिल्ली के महत्वपूर्ण ठिकानों पर अधिक संख्या में बिक्री केन्द्र खोलते हुए विपणन गतिविधियों का विस्तार किया जाए।

¼[k½ jktho xk/kh Lokoycufooj.k 9-7 jktxkj ;ktuk

2 योजनायें —(1)राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना और (2)शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार योजना 2004—05 में शुरूकी गयी। किन्तु, इस कार्यक्रम का मामूली असर हुआ और यह अधिक लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया। इसे देखते हुए शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार योजना का विलय राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना में किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में बेरोजगार युवा स्नातकों को आकर्शित करने के लिए ऋण सहायता दो लाख रुपये से बढ़ा कर 3 लाख रुपये करने पर विचार किया जा रहा है।

उद्योग विभाग दिल्ली में उद्योगों की योजना बनाने, उनके विकास और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और एक महानगर है, इसलिए यहां आधुनिक उच्च—प्रौद्योगिकी युक्त, अत्याधुनिक निर्यातोन्मुखी लघु उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां ऐसे उद्योगों की आवश्यकता है जिनके लिए भूमि, जल और बिजली जैसे अल्प संसाधनों पर दबाव न पड़े। लघु उद्योग क्षेत्र एक मुक्त क्षेत्र है।

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2008—09 से उपरोक्त ऋण योजना को संशोधित किया है ताकि उसे लोगों के लिए अधिक आकर्शक और सुगम बनाया जा सके। 2009—10 में 85 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

v/;k; 10

df"k vkj xkeh.k fodkl

1. द्रुतगामी शहरीकरण और व्यापार एवंम् उद्योग के विकास ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को कम कर दिया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और अनुशंगी गतिविधियों का योगदान 1999–2000 में प्रचलित मूल्यों पर 1.40 प्रतिशत था, जो 2007–08 में घटकर 0.74 प्रतिशत रह गया।

Hkfe tkr ¼gkfYMx½ i)fr

2- 2000–01 में कराई गई ताजा कृषि–गणना के अनुसार रा रा रा क्षे दिल्ली में कुल 28,315 कृषि–जोत हैं। इनमें 14,309 व्यक्तिगत जोत, 13,025 संयुक्त जोतें, और 981 संस्थागत जोतें सम्मिलित हैं।

3. दिल्ली में सभी सामाजिक समूहों द्वारा जोते जा रहे कुल क्षेत्र में 9.37 प्रतिशत की कमी आई है। यह 1995–1996 में 47,587 हेक्टेयर था, जो 2000–01 में घटकर 43,126 हैक्टेयर रह गया। इसी अवधि में सीमांत और छोटे किसानों द्वारा जोते जाने वाले क्षेत्र में 7.27 प्रतिशत की कमी आयी। इसी प्रकार निम्न–मध्यम और मध्यम तथा बड़े किसानों के स्वामित्व वाली जोतों में क्रमष 4.51%, 4.96%, और 15. 17% की कमी आयी। सभी श्रेणियों में जोतों की संख्या में कमी दर्ज हुई है। विवरण 10.1 के अनुसार जोतों की संख्या और क्षेत्र संबंधी तुलनात्मक आंकड़ों से दिल्ली के शहरीकरण की प्रवृत्ति और नतीजतन कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों में रूपातंरण का पता चलता है।

fooj.k 10-1

सभी सामाजिक समूहों से संबद्ध कृषि खेतों की संख्या और क्षेत्र

क्र. सं.	आकार समूह	कृषि जोतों की संख्या				खेती क्षेत्र (हैक्टेयर में)			
		व्यक्तिगत	संयुक्त	संस्थागत	कुल	व्यक्तिगत	संयुक्त	संस्थागत	कुल
1.	सीमांत 1.0 हैक्टेयर से कम	10128 (63.61)	5416 (34.01)	378 (2.38)	15922 (100)	3793 (56.56)	2709 (40.40)	204 (3.04)	6706 (100)
2.	लघु 1.0–2.0 हैक्टेयर	2509 (41.63)	3037 (50.39)	481 (7.98)	6027 (100)	3399 (40.76)	4357 (52.25)	583 (6.99)	8339 (100)
3.	अर्द्ध मध्यम 2.0–4.0 हैक्टेयर	1149 (29.72)	2628 (67.98)	89 (2.30)	3866 (100)	3194 (28.90)	7605 (68.82)	251 (2.28)	11050 (100)
4.	मध्यम 4.0 – 10.00 हैक्टेयर	499 (22.41)	1699 (76.33)	28 (1.26)	2226 (100)	2760 (21.48)	9924 (77.24)	164 (1.28)	12848 (100)
5.	बड़े 10.00 हैक्टेयर और अधिक	24 (8.76)	245 (89.42)	5 (1.82)	274 (100)	286 (6.84)	3750 (89.65)	147 (3.51)	4183 (100)
6.	सभी आकार	14309 (50.53)	13025 (46.00)	981 (3.47)	28315 (100)	13432 (31.15)	28345 (65.72)	1349 (3.13)	43126 (100)

ukV % कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वितरण दर्षाते हैं।

lkzr % कृषि जनगणना 2000–01

Hkfe mi;kx

4- दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1,47,488 हैक्टेयर्स है। ग्राम रिकार्ड के अनुसार 2003–04 में खेती योग्य कुल क्षेत्रफल 41508 हैक्टेयर (28.14 प्रतिशत) 2004–05 में 36,948 हैक्टेयर (25.05 प्रतिशत), 2005–06 में 33,063 हैक्टेयर (22.33 प्रतिशत), 2006–07 में 32,941 हैक्टेयर (22.33 प्रतिशत), और 2007–08 में 33,078 हैक्टेयर था। शेष भूमि का उपयोग गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता था, या वह वन, परती भूमि, अकृषि योग्य भूमि आदि के रूप में पड़ी थी। दिल्ली में भूमि उपयोग पद्धति 2000–01 से 2007–08 तक तालिका 10.1 में दर्शायी गयी है। इससे पता चलता है कि कुल पैदावार क्षेत्र 2000–01 में 52,817 हैक्टेयर था, जो 2006–07 में घटकर 32,941 हैक्टेयर रह गया । यह 2001–02 में कुल क्षेत्र का 30.81 प्रतिशत था, जो 2006–07 में घटकर 22.33 प्रतिशत और 2007–08 में 22.43 प्रतिशत रह गया। (तालिका 10.1) । 1990 के दशक में शहरीकरण की गति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में कृषि का योगदान तेजी से कम हुआ है।

Qly xgurk

5. फसल गहनता कृषि विकास का सूचकांक है और सिंचाई सुविधाओं से सीधे संबंधित है। निम्नलिखित विवरण दर्शाता है कि दिल्ली में फसल गहनता 1996–97 में सबसे कम 121 प्रतिशत और 2001–02 में सबसे अधिक 166 प्रतिशत के बीच रही है (विवरण 10.2)। 2007–08 के दौरान फसल गहनता 143 प्रतिशत थी।

fooj.k 10-2

(हैक्टेयर में)

वर्ष	बोया गया शुद्ध क्षेत्र	कुल बोया गया क्षेत्र	फसल गहनता
1994-95	47,409	68,613	145
1995-96	45,356	62,966	139
1996-97	40,575	48,917	121
1997-98	41,701	57,079	137
1998-99	41,495	60,231	145
1999-2000	41,386	60,886	147
2000-01	34,034	52,816	155
2001-02	29,116	48,445	166
2002-03	29,477	43,391	147
2003-04	26,971	41,509	154
2004-05	24,214	36,957	134
2005-06	23,809	36,041	161
2006-07	23,109	34,981	151
2007-08	23,056	33,078	143

lkzr % दिल्ली स्टेटिस्टिकल हैंडबुक/विकास विभाग

Qly i)fr

6. दिल्ली में उगायी जाने वाली प्रमुख फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा और धान प्रमुख हैं। 2002–03 से 2007–08 की अवधि में प्रति हैक्टेयर उत्पादन और पैदावार के मदों में उपज पद्धति तालिका 10.2 में दर्शायी गयी हैं। इससे पता चलता है कि उत्पादन के रूप में पूरी छह वर्ष की अवधि के दौरान गेहूं दिल्ली की मुख्य फसल रही। इसके बाद धान, ज्वार और बाजरा का स्थान रहा। 2007–08 में गेहूं का उत्पादन दिल्ली के कुल अनाज उत्पादन का 64.60 प्रतिशत था। 6 वर्ष की अवधि के दौरान विभिन्न फसलों की पैदावार में व्यापक उतारचढाव आए हैं।

7. दिल्ली के किसानों को परंपरागत उत्पादों के स्थान पर अधिक मूल्य देने वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विकास विभाग की कृषि/बागवानी इकाई किसानों को सब्जियों, पुष्प उत्पादन और मशरूम आदि की खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं। 2004–05 में करीब 5479 हैक्टेयर, 2005–06 के दौरान 5518 हैक्टेयर और 2006–07 में 6,644 हैक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की गयी। वर्ष 2007–08 के दौरान फूलों की खेती का क्षेत्र घटकर 5,620 हैक्टेयर रह गया।

8. सरकार ने फलों और सब्जियों के श्रेणीकरण के लिए राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला को सूदृढ़ बनाने और कृषि उपज के लाभकारी मूल्य आकर्षित करने के भी उपाय किये हैं। प्रयोगशाला को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा आईएसओ 9001:2000 के अंतर्गत प्रमाणन निकाय के रूप में प्रमाणित किया गया है।

flfpr {k=

9. दिल्ली में सिंचाई के लिए तीन प्रमुख स्रोत नहर, कुंए और टयूबवैल हैं। इसमें अवजल शोधन से उत्सर्जित जल का इस्तेमाल भी सिंचाई के लिए किया जाता है। 2001–02 से 2007–08 की अवधि के लिए प्रत्येक स्रोत से सिंचित किए गए क्षेत्र का विवरण तालिका 10.3 में दिया गया है। 2006–07 में सकल सिंचित क्षेत्र में से 90.64 प्रतिशत की सिंचाई कुंओं और टयूबवैल से की गयी।

10. 2007–08 में कुल 43,735 हैक्टेयर फसल क्षेत्र में से षुद्ध सिंचित क्षेत्र 24,032 हैक्टेयर था। एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्र 7,387 हैक्टेयर और सकल सिंचित क्षेत्र 31,419 हैक्टेयर था जो कुल फसल क्षेत्र का 71.84 प्रतिशत है। ब्योरा निम्नांकित विवरण में दिया गया है।

fooj.k&10-3

f I fpr {k=

(gDV;j e)

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
कुल उपज क्षेत्र	48,445	43,391	41,508	36,958	33,063	32941	43,735
शुद्ध सिंचित क्षेत्र	28,912	25,409	22,670	22,493	24,230	24094	24,032
एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्र	10,495	6,323	7,438	5,660	9,967	10,050	7,387
कुल सिंचित क्षेत्र	39,407	31,732	30,108	28,153	34,137	34144	31,419

I kr –विकास विभाग।

11. हालांकि दिल्ली में सिंचाई के दो मुख्य स्रोत नहर और टयूबवेल हैं, लेकिन नहर और ट्यूबवैल के लिए जल का मुख्य स्रोत वर्षा है, दिल्ली में वर्षा जुलाई से सितंबर के महीनों में अधिक होती है। निम्नलिखित विवरण में विस्तष्त ब्यौरा दिया गया है।

fooj.k 10-4

o"kkZ

¼fe-eh-½

महीना	सामान्य वर्षा	2004	2005	2006	2007
जुलाई	231.5	13.8	193.9	313.3	163.1
अगस्त	258.7	274.7	132.0	98.0	214.3
सितम्बर	127.8	03.0	231.6	129.6	85.6

ukV % सामान्य वर्षा का संदर्भ मौसम विभाग के मानदंडों के हवाले से दिया गया है।

I kr –विकास विभाग

i’k ikyu

12. पशुपालन कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग है। 2003 की पशुधन जनगणना के अनुसार दिल्ली में पशुधन की कुल संख्या मुर्गी पालन को छोड़कर) 3.75 लाख थी। 1997 और 2003 के बीच चुने हुए पशुओं की वृद्धि दर निम्नलिखित विवरण में प्रस्तुत की गयी है।

fooj.k 10-5

i’k/ku x.kuk vkdM

पशुधन	संख्या (गणना 1997)	संख्या (गणना 2003)	प्रतिशत वृद्धि
गाय	95,669	91,589	-4.25
भैंसें	2,03,054	2,30,552	+13.54
भेड़	10,674	3,377	-68.36
बकरियॉं	25,358	16,779	-33.83
अन्य	33,375	32,481	-2.68
कुल	**3,68,121**	**3,74,778**	**+ 1.81**

lkr ½ विकास विभाग

13. मुख्य पशुधन उत्पाद दूध, अंडे और मांस हैं। 2000–01 से 2007–08 के बीच की अवधि के लिए इन तीनों उत्पादों के उत्पादन तालिका 10.4 में दिए गए हैं। दूध का उत्पादन 2000–01 में 292.00 हजार टन था, जो 2004–05 में बढ़कर 303.44 हजार टन पर पहुंच गया। इसमें पॉच वर्षें में 3.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। यद्यपि बाद के वर्षों में गिरावट हुई। अंडों का कुल उत्पादन 2000–01 में 415.2 लाख अंडों का था, जो 2007–08 में गिरकर 181.1 लाख रह गया। इसमें 56.38 प्रतिशत की कमी आयी। मांस के उत्पादन में 12.13 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई, यह 2000–01 में 33,175 टन से गिरकर 2001–02 में 29,148 टन रह गया था। लेकिन 2006–07 के दौरान यह बढ़कर 33,072 टन पर पहुंच गया (7 वर्ष की अवधि के दौरान इसमें 10.82 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई)।

14 दिल्ली में पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की संख्या क्रमश 47 और 28 है। अस्पतालों/औषधालयों से उपचार प्राप्त करने वाले मवेशियों की संख्या 2000–01 में 3,63,555 थी, जो 2007–08 में बढ़कर 4,85,501 पर पहुंच गयी। (तालिका–10.5)

ekfRL;dh

15. मात्स्यिकी एकक का उद्देश्य पंजाब मात्स्यिकी अधिनियम 1914 और भारतीय मात्स्यिकी अधिनियम 1857

के प्रावधानों के अनुसार मछली उद्योग का संचालन करना है। यह नकारात्मक पद्धतियों और बेइमानी पूर्ण मछली व्यापार को रोकने के उपाय करती हैं। मात्स्यिकी एकक मछली के अंडों के उत्पादन और उपभोग के लिए अंडे प्रदान करने का दोहरा कार्य निश्पादित करती है। पिछले 8 वर्षो में मछली के अंडों और मछली के उत्पादन संबंधी ब्योरा विवरण 10.6 में दिया गया है। विभिन्न कारणों से दिल्ली में मात्स्यिकी गतिविधियों में, कमी आ रही है।

fooj.k 10-6

मात्स्यिकी तथा मछली बीज का उत्पादन

मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
मछली बीज उत्पादन (लाख में)	35	32	23.3	20.00	17.2	13.50	12.00	12.40
मछली उत्पादन (हजार टन में)	4.0	3.2	2.3	2.1	1.4	0.8	0.7	0.7

lkr :विकास विभाग

ou

16. भारत के वन सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 2001 में कुल वनाच्छादित और वक्षाच्छित क्षेत्र 151 किलोमीटर था, जो 2005 में बढ़कर 283 वर्ग किलोमीटर हो गया। 2005 में राराराक्षे दिल्ली का हरित क्षेत्र 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 19.08 प्रतिशत हो गया। 1993 से दिल्ली में वन और वक्षाच्छाादित क्षेत्र का ब्योरा निम्नांकित विवरण 10.7 में दिया गया है।

fooj.k 10-7

fnYYkh esa ou ,oa o{kkPNknu

मूल्यांकन वर्ष	वन एवं वृक्षाच्छादन (वर्ग किलोमीटर)	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
1993	22	1.48
1995	26	1.75
1997	26	1.75
1999	88	5.93
2001	151	10.2
2003	268	18.7
2005	283	19.09

fofoj.k 10-7 ,

fnYYkh e] ftykokj ou vPNkfnr {k= ¼{k= ox fdykehVj e½

जिला	भौगोलिक क्षेत्र	वन क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
मध्य दिल्ली	24.68	05.0	20.62
पूर्वी दिल्ली	63.76	03.0	04.88
नई दिल्ली	34.90	16.0	26.41
उत्तर दिल्ली	59.16	05.0	1.12
उत्तर पूर्वी दिल्ली	60.29	03.0	9.34
उत्तर पश्चिम दिल्ली	440.31	16.0	27.74
दक्षिण दिल्ली	249.85	79.0	31.82
दक्षिण–पश्चिम दिल्ली	420.54	42.0	9.87
पश्चिम दिल्ली	129.52	06.0	04.83
कुल	1483.00	176.0	11.87

d½ vlkyk HkkVh oU; tho vHk;kj.k

असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य दक्षिणी दिल्ली में हरियाणा की सीमा से लगे फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों के साथ फैला हुआ है। यह अभयारण्य 6874 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। इसके लिए असोला की 4,707 एकड़ जमीन 1986 में और भाटी की 2167 एकड़ जमीन 1991 में अधिसूचित की गयी थी। समूचा अभयारण्य अरावली पर्वत माला के उत्तरी अंचल का एक हिस्सा है। इसे भौगोलिक दृष्टि से विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक होने का गौरव प्राप्त है। असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य ने 23 रोकबांध बनाये गये हैं। ये रोकबांध अभयारण्य में वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए जल निकाय उपलब्ध कराने और भूमिगत जल के पुनर्भरण में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

vlkyk e lj{k.k f'k{kk dUn

वन विभाग ने विद्यार्थियों, षिक्षकों और अन्य लोगों को प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा देने के लिए असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएचएमएस) के सहयोग से

संरक्षण शिक्षा केन्द्र की स्थापना की गई है। वर्ष 2005 में 8000, 2006 में 5445, 2007 में 1716 विद्यार्थियों और 2008–09 में 7473 आगन्तुकों ने इस शिक्षा केन्द्र का दौरा किया और प्रकृति एवं उसके संरक्षण के बारे में जानकारी हासिल की।

vlksyk HkkVh oU; tho vHk;kj.; d HkkVh {k= dk ikfjfLFkfrdh dk;Z ny ¼bVh,Q½ }kjk lq/kkj

वन विभाग अक्टूबर 2000 से असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य के 2100 एकड़ बंजर क्षेत्र को पारिस्थितिकी कार्यदल (ईटीएफ) के जरिए फिर से हरा भरा बनाने की एक परियोजना 8.23 करोड़ रुपये की लागत से लागू कर रहा है। यह परियोजना असोला–भाटी वन्य जीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। पांच वर्ष की इस परियोजना को 2000 में लागत 8.23 करोड़ रूपये मंजूरी दी गई थी। परियोजना की अवधि 08.10.2008 तक 3 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी और 4.93 करोड़ रुपये अतिरिक्त लागत के रूप में मंजूर किये गये। 13.16 करोड़ रुपये की संशोधित परियोजना लागत में से 08.10.2008 तक 18.27 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके थे। अंतिम अनुमानित लागत 25.55 करोड़ रुपये निर्धारित करते हुए इसे एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया। इस प्रकार 9.10.2000 से प्रारंभ हुई परियोजना की अवधि 9 वर्ष कर दी गई। वर्ष 2008–09 तक 10.39 लाख पौधे लगाये गये जिनसे 3327 एकड़ क्षेत्र को हरा भरा बनाया गया। वर्ष वार क्षेत्र और वृक्षारोपण का ब्योरा नीचे दिया गया है।

वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)	वृक्षारोपण (संख्या)
2001-02	300	58,800
2002-03	600	92,600
2003-04	400	1,50,000
2004-05	400	1,28,000
2005-06	400	1,30,000
2006-07	400	1,40,000
2007-08	427	2,00,000
2008-09	400	1,40,000
कुल	**3327**	**10,39,400**

भाटी माइन्स क्षेत्र में वृक्षारोपण के अलावा ईटीएफ द्वारा डेरामंडी गांव में अधिसूचित 1400 एकड़ वन भूमि पर भी पौधे लगाये गये। यह परियोजना वर्ष 2006–07 में ईटीएफ को सौंपी गई थी। डेरामंडी गांव में ग्राम सभा की 500 एकड़ जमीन पर भी ईटीएफ के जरिये वृक्षारोपण कराया गया।

वर्ष 2008–09 में 5.05 लाख पौधे लोगों को निःशुल्क वितरित किये गये। वन विभाग बन्दरों की भी देखभाल कर रहा है जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली की मानव आबादी से असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य में लाया गया है। यहां लाये गये बन्दरों के लिए प्राकृतिक भोजन का आधार प्रदान/विकसित करने के लिए ईटीएफ द्वारा उपलब्ध भूमि में फलदार वृक्ष लगाये जा रहे हैं। दिल्ली को और हरा भरा बनाने के लिए कार्ययोजना 2007–08 बनायी गयी । जिसके अंतर्गत विभिन्न हरित एजेंसियों जैसे वन विभाग, एमसीडी, एनडीएमसी, सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी और सेना आदि के लिए वार्षिक लक्ष्य तय किए गए हैं। पिछले 9 वर्षो के दौरान हासिल की गयी उपलब्धियों का ब्योरा निम्नांकित विवरण 10.8 में दिया गया हैं

foj.k 10-8

¼l[;k yk[k esa½

वर्ष	लक्ष्य	निशुल्क पौधों के वितरण सहित वृक्षारोपण	वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण
2000-01	9.30	9.38	3.35
2001-02	9.00	9.10	3.39
2002-03	9.85	9.16	2.69
2003-04	10.50	11.44	3.27
2004-05	12.54	13.30	3.01
2005-06	15.66	16.34	3.53
2006-07	17.11	18.58	3.50
2007-08	18.09	17.62	3.93
2008-09	18.48	13.79	3.15

¼[k½ fjt {ks= dk fodkl vkSj izca/ku

दिल्ली रिज अरावली पर्वतमाला का विस्तारित क्षेत्र है, जो शहर का महत्वपूर्ण हरित क्षेत्र है। करीब 7784 हैक्टैयर रिज क्षेत्र को सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसे पांच हिस्सों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है :

क्र. स.	रिज का नाम	प्रबंधन एजेंसी	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	उत्तरी रिज	डीडीए, दिननि और वन विभाग	87
2.	मध्यवर्ती रिज	वन विभाग, डीडीए, सेना, दिननि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नदिनप	864
3.	दक्षिण मध्यवर्ती रिज (महरौली के निकट)	डीडीए	626
4.	नानकपुरा दक्षिण मध्य	डीडीए	7
5.	दक्षिण रिज	वन विभाग, डीडीए, भारतीय खेल प्राधिकरण	6200
	कुल		**7784**

(x) 'kgjh ou dk fodkl

दिल्ली में 14 शहरी वन है।

क्र.स.	शहरी वन का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	जिला
1	नसीरपुर शहरी वन	28.35	दक्षिण–पश्चिम
2	अलीपुर शहरी वन	16.80	उत्तर
3	हौजरानी शहरी वन	28.80	दक्षिण
4	मित्राऊं शहरी वन	40.00	दक्षिण–पश्चिम
5	सुल्तानपुर शहरी वन	48.00	उत्तर–पश्चिम
6	घूमन हेड़ा शहरी वन	32.00	दक्षिण–पश्चिम
7	घोघा शहरी वन	10.40	पूर्वी
8	शाहपुर गढ़ी शहरी वन	8.00	उत्तर–पूर्व
9	मामुर पुर शहरी वन	56.00	उत्तर–पूर्व
10	जिंदपुर शहरी वन	47.60	उत्तर–पूर्व
11	मुखमेलपुर शहरी वन	53.00	उत्तर–पूर्व
12	बवाना शहरी वन	32.00	उत्तर–पूर्व
13	गढ़ी मांडू शहरी वन	300.00	पूर्व
14	आनंद विहार शहरी वन	32.00	पूर्व

'kgjh ouk dk l`tu

दिल्ली में पर्यावरण लाभ के लिए अधिक संख्या में हरित/वृक्षाच्छादित क्षेत्र बनाने हेतु वन विभाग ने निम्नांकित क्षेत्रों में 2007–08 के दौरान 9 तथा 2008–09 के दौरान 9 और शहरी वन सृजित किये :

क्र. स.	गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	जिला
	2007-08		
1	ईसापुर	66.25	दक्षिण–पश्चिम
2	रेवला खानपुर	22.85	दक्षिण–पश्चिम
3	खड़खड़ी जटमल	50.00	दक्षिण–पश्चिम
4	सुल्तानपुर डबास	24.76	उत्तर–पश्चिम
5	औचंदी	00.50	उत्तर–पश्चिम
6	मुंगेशपुर	13.50	उत्तर–पश्चिम
7	कुतुबगढ़	27.77	उत्तर–पश्चिम
8	हिंडन कट गाजीपुर	05.00	पूर्व
9	हरेवली	24.80	उत्तर–पश्चिम
	2008-09		
1	रेवला खानपुर	20.00	दक्षिण–पश्चिम
2	शिकारपुर	109.00	दक्षिण–पश्चिम
3	रजोकरी	15.50	दक्षिण–पश्चिम
4	नजफगढ़ नाला	29.64	उत्तर–पश्चिम
5	कुतुबगढ़	20.00	उत्तर–पश्चिम
6	मुखमेलपुर	13.00	उत्तर–पश्चिम
7	राजविद्या केन्द्र, सहूरपुर	37.00	दक्षिण
8	आयानगर	25.00	दक्षिण
9	बुराड़ी	48.30	उत्तर

xkeh.k fodkl

17. 2001 में दिल्ली के कुल 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का 37.5 प्रतिशत (556.17 वर्ग किलोमीटर) ग्रामीण क्षेत्र था। 2001 की जनगणना के अनुसार 138.51 लाख की कुल जनसंख्या में से 6.82 प्रतिशत (9.45 लाख लोग) ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे। समय के साथ शहरी क्षेत्र के विस्तार में देहात के गांवों को शहरीकृत गांवों में परिवर्तित कर दिया गया। ग्रामीण गांवों की संख्या 1951 में 304 थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार घटकर 165 रह गयी। 1951 से 2001 तक की 50 वर्ष की अवधि में दिल्ली की

कुल जनसंख्या, ग्रामीण आबादी और गांवों की संख्या तालिका 10.7 में दी गयी है। ग्रामीण आबादी 1951 में 18 प्रतिशत थी, जो 1991 में घटकर 10 प्रतिशत और 2001 की जनगणना में घटकर 6.82 प्रतिशत रह गयी।

18. 1971–2001 की अवधि के लिए उद्योग के आधार पर ग्रामीण आबादी का वर्गीकरण तालिका 10.8 में दिया गया है। 2001 में 9,44,727 की कुल ग्रामीण आबादी में से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्मिकों की कुल संख्या 3,01,064 (31.87%) थी। 1981 और 2001 की अवधि में ग्रामीण श्रमिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जो 1981 की 1,28,853 से बढ़कर 2001 में 3,01,064 पर पहुंच गई।

fnYyh xkeh.k fodkl ckM

19. दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत क्षेत्र योजना तैयार करने और दिननि, आई एंड एफसी विभाग और डीएसआईआईडीसी जैसे विभिन्न विभागों/एजेंजियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लागू की जा रही परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के लिए 2004 में दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। बोर्ड के कार्यों में ग्रामीण गांवों के ढांचागत विकास से संबद्ध मुद्दों के बारे में सरकार को सलाह देना और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों (यमुनापार क्षेत्रों को छोड़कर, जो यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा शासित हैं) के योजनाबद्ध विकास के लिए वार्षिक योजना में शामिल किये जाने वाले कार्यक्रमों की अनुशंसा करना और वरीयता निर्धारित करना शामिल हैं।

20. वर्ष 2008–09 में ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा 127.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 107 कार्यक्रमों/परियोजनाओं के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। 2008–09 की वार्षिक योजना में आईडीआरवी योजना के अंतर्गत शुरू किये जाने वाले कार्यो के लिए 170 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। ग्रामीण विकास बोर्ड के गठन से पहले ग्रामीण सड़कों और ग्रामीण गांवो के विकास के नाम पर शुरू किये गये कार्यों के लिए 30.10 करोड़ रुपये दिननि को जारी किये गये, ताकि पिछले देयताएं पूरी की जा सकें। 2008–09 में चौपालों, पंचायत घरों के विकास और ग्राम सभा भूमि के संरक्षण आदि कार्यों के लिए पंचायत विभाग को 16.06 करोड़ रुपये दिये गये। कुछ समय पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 78 बहुउद्देशीय समुदाय केन्द्रों का निर्माण किया गया। किन्तु, भूमि किराये की ऊंची दर और अवस्थिति संबंधी कठिनाइयों सहित विभिन्न कारणों से अनेक बहुउद्देशीय समुदाय केन्द्र खाली पड़े रहे अथवा आंषिक रूप से काम में लाये गये। सरकार ने इन बहुउद्देशीय समुदाय केन्द्रों को स्वयं सेवी संगठनों/सामाजिक संगठनों को देने का निर्णय किया ताकि स्थानीय लोगों और व्यापक समाज के लाभ

के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक गतिविधियां चलाई जा सकें।

ty fudk;k dk l j{k.k vkj iquHkj.k

21 ग्रामीण क्षेत्रों मे पर्यावरण में सुधार के साथ–साथ जलस्तर के संरक्षण और पुनर्भरण का महत्त्व समझते हुए दिल्ली में जल निकायों के संरक्षण और विकास का एक बड़ा कार्यक्रम शुरूकिया गया है।

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 629 जल निकाय हैं, जिनमें से 476 दिल्ली सरकार के विकास विभाग, 118 दिल्ली विकास प्राधिकरण, 12 वन विभाग, 4 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, 2 पीडब्ल्यूडी और एक–एक दिननि तथा आईआईटी के नियंत्रण में है। सबसे अधिक जल निकाय दक्षिण–पश्चिम और उत्तर–पश्चिम जिले में स्थित हैं। विभिन्न एजेंसियो के अंतर्गत जल निकायों की बहाली के कार्यक्रमों का ब्योरा नीचे दिया गया है :–

flpkbl ,o ck< fu;=.k foHkkx ¼vkbl ,M ,Q lh½

राजस्व विभाग ने जल निकायों की बहाली का कार्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसी) और दिल्ली राज्य औद्योगिक ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) को सौंपा है। राजस्व विभाग के अंतर्गत 476 जल निकायों में से 123 जल निकायों को बहाल नहीं किया जा सका। आई एंड एफसी विभाग के पास 264 जल निकाय हैं, जिनमें से 14 जल निकाय विभिन्न विवादों में फंसे है। 34 जल निकाय ऐसे हैं जिनमें अवजल एकत्र होने के कारण उन्हें फिलहाल बहाल नहीं किया जा सकता। नौ सूत्री चार्टर के अनुसार 216 जल निकायो के संदर्भ में बहाली कार्य 2009 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। 9 सूत्री चार्टर के अनुसार 109 जल निकायों का कार्य पूरा हो चुका है। 101 जल निकायों में से 62 जल–निकायों का कार्य जून 2009 तक पूरा हो जाएगा और शेष 39 जल निकायों का कार्य दिसम्बर 2009 तक पूरा कर लिया जाएगा।

MhMh,

डीडीए के पास 118 जल निकाय हैं जिनमें से 40 जल निकायों को बहाल नहीं किया जा सकता और शेष 78 जल निकायों में से 47 में बहाली कार्य पूरा हो गया है तथा 21 जल निकायों में कार्य प्रगति पर है जो 2009 तक पूरा हो जाएगा।

Mh, l vkbvkbMh l h

डीएसआईआईडीसी को सौंपे गये 114 जल निकायों में से 77 जल निकाय ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिये गये और शेष 27 जल निकायों में से 19 जल निकायों में बहाली का काम पूरा हो

गया है। 4 जल निकायो का निर्माण कार्य जून 2009 तक पूरा हो जाएगा जबकि अन्य चार जल निकायों में अतिक्रमण/अदालती मामले के कारण बहाली नहीं की जा सकती।

,,lvkbZ

एएसआई के पास 15 जल निकाय हैं जिनमें से 11 में बहाली कार्य किया जा रहा है। 2 जल निकाय ऐसे हैं जिनकी बहाली संभव नहीं है जबकि तुगलकाबाद और महरौली में शेष 2 जल निकायों में बहाली कार्य तभी संभव हो पाएगा जब निकटवर्ती नाले से जल निकायों में पड़ने वाले कीचड़/अवजल पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

ykd fuekZ.k foHkkx

लोक निर्माण विभाग के पास दो जल निकाय हैं। इनमें से एक जल निकाय की बहाली डीडीए द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद की जाएगी जबकि नारायणा में एक जल निकाय की बहाली नौ सूत्री कार्ययोजना के अनुसार आई एंड एफसी विभाग की सहायता से की जानी है।

fnufu

दिननि के पास एक जल निकाय है जिसे पहले ही बहाल किया जा चुका है।

ou foHkkx

वन विभाग के 12 जल निकायों की बहाली की जा रही है।

dsUnzh; ykd fuekZ.k foHkkx

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संबद्ध चार जल निकायों को पहले ही बहाल किया जा चुका है जो राजघाट, विजयघाट, शांति वन और शक्ति स्थल में स्थित हैं।

अध्याय 11
ऊर्जा

1. देश के आर्थिक विकास में सक्षम और भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। बिजली समवर्ती सूची का विषय है और बिजली क्षेत्र को सक्षम, सशक्त और वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य बनाना केन्द्र और राज्यों, दोनों का दायित्व है। दिल्ली में दसवीं पचंवर्षीय योजना यानी 01.07.02 से बिजली क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किये गये। इनमें पारेषण और उत्पादन के लिए निगम बनाना तथा बिजली के वितरण का निजीकरण शामिल था।

2 भारत के राज्यों और संघशासित प्रदेशों में दिल्ली में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत सबसे अधिक है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2000–01 में 1259 यूनिट थी, जो 2007–08 में बढ़कर 1615 हो गई।

3. 1 जुलाई 2002 से दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली विद्युत बोर्ड को छह कंपनियों में विभाजित कर दिया गया। इनमें एक बिजली पैदा करने वाली कंपनी, एक ट्रांसमिशन कंपनी, तीन वितरण कंपनियां और एक नियंत्रक कंपनी बनायी गयी। बिजली पैदा करने और उसके ट्रांसमिशन का काम 2 कंपनियों द्वारा किया जाता है, ये हैं जेनको और ट्रांस्को, जो पूरी तरह राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। वितरण का काम दो प्राइवेट कंपनियों को सौंपा गया है। ये हैं–बीएसईएस और टाटा पावर लिमिटेड। बीएसईएस के अंतर्गत दो वितरण कंपनियां हैं, जिनमें बीएसईएस, राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड शामिल हैं। तीसरी कंपनी टाटा पावर है, जिसे नई दिल्ली पावर लिमिटेड का नाम दिया गया है। ट्रांस्को कंपनी एनडीएमसी और एमईएस को बिजली की बॅल्क आपूर्ति भी करती है ताकि वे अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति कर सकें।

4. **ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी निवेश**

पिछले पांच वर्षों में नौवीं पंचवर्षीय योजना से दिल्ली सरकार के कुल योजना खर्च में ऊर्जा क्षेत्र की बजटीय हिस्सेदारी नीचे दर्शायी गयी है।

fooj.k 11-1

Åtk {k= dk v/khu ifj0;; ,oa 0;;

¼djkM #i;s e½

पंचवर्षीय योजना	अवधि	कुल योजना व्यय	ऊर्जा क्षेत्र पर व्यय	कुल योजना व्यय का प्रतिशत
वार्षिक योजना	2004 -05	4260.53	625.74	14.69
वार्षिक योजना	2005-06	4280.87	271.47	6.34
वार्षिक योजना	2006-07	5083.70	257.24	5.06
वार्षिक योजना	2007-08	9000.00	1250.00	13.88
वार्षिक योजना	2008-09	10000.00	585.75	5.86

5- Åtk dh ekx vkj fctyh ikjs"k.k

5.1 राज्य पारेषण कंपनी के रूप में अधिसूचित कंपनी, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल), दिल्ली में बिजली के पारेषण में संलग्न है। कंपनी ने समुचित परिचालन, रख–रखाव और अपने पारेषण नेटवर्क में बढोत्तरी की बदौलत बिजली पारेषण संबंधी जरूरतें सफलतापूर्वक पूरी की हैं। इसके नेटवर्क के अंतर्गत 400 केवी के दो और 220 केवी के 22 सब–स्टेशन तथा संबद्ध ट्रांसमिशन लाइनें है। 400/220 के वी सिस्टम का रख–रखाव राज्य पारेषण कंपनी का प्रमुख कार्य है। डीटीएल के मौजूदा नेटवर्क में 400 केवी रिंग शामिल है जो दिल्ली की परिधि के चारों ओर पूरे शहर में फैले 220 केवी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। नेटवर्क के घटकों का ब्योरा नीचे दिया गया है :–

fooj.k 11-2

मानदंड	400 केवी स्तर	220 केवी स्तर
सबस्टेशनों की संख्या	2	22
पारेषण क्षमता	2520	6400
पारेषण लाइनें (लम्बाई सर्किट किलोमीटर में)	227	575

L=kr % डीए

5.2 जुलाई 2002 में बिजली क्षेत्र के सुधार लागू होने के बाद पिछले 5 वर्षो में पारेषण कार्य निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड ने अपने परिचालनों, यानी प्रणाली उपलब्धता, पारेषण क्षति में कमी, लोड शेडिंग में भारी कमी आदि के रूप में महत्त्वपूर्ण सुधार किये हैं। नीचे दिये गये विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है :–

fooj.k 11-3

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
व्यस्त समय के दौरान मांग मेगावॉट में	3490	3626	3736	4030	4034
ऊर्जा की खपत मेगावॉट में	20810	21184	21977	22372	22006
एमयू में शेडिंग	176	322	411	136	128
ऊर्जा खपत के प्रतिशत के रूप में शेडिंग	0.84	1.5	1.87	0.61	0.61
पारेषण क्षति (% में)	1.30	0.72	0.83	0.95	
सिस्टम उपलब्धता (% में)		97.71	98.87	98.50	98.75

L=kr डीए

5.3 सुधार की स्थिति को निम्न आरेख से भी स्पष्ट किया जा सकता है :–

Chart 11.1

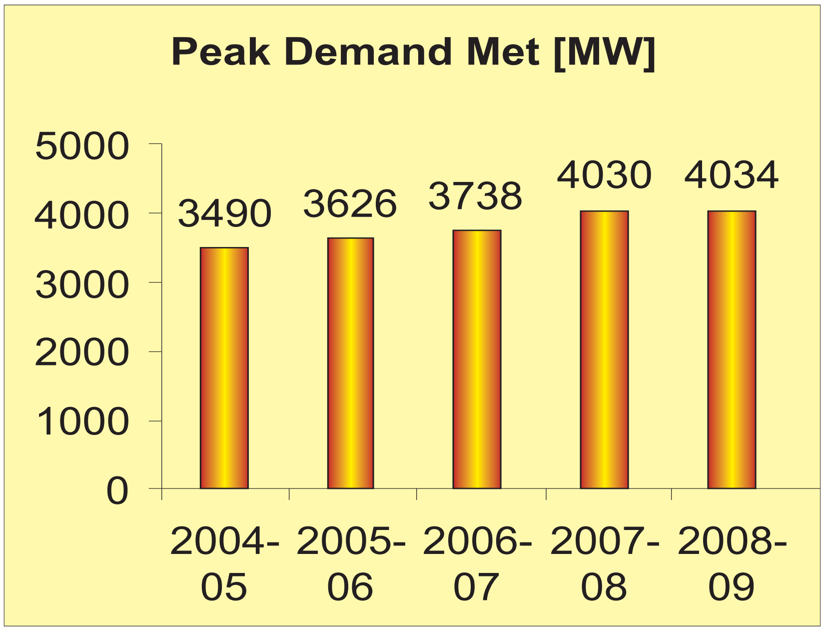

Chart 11.2

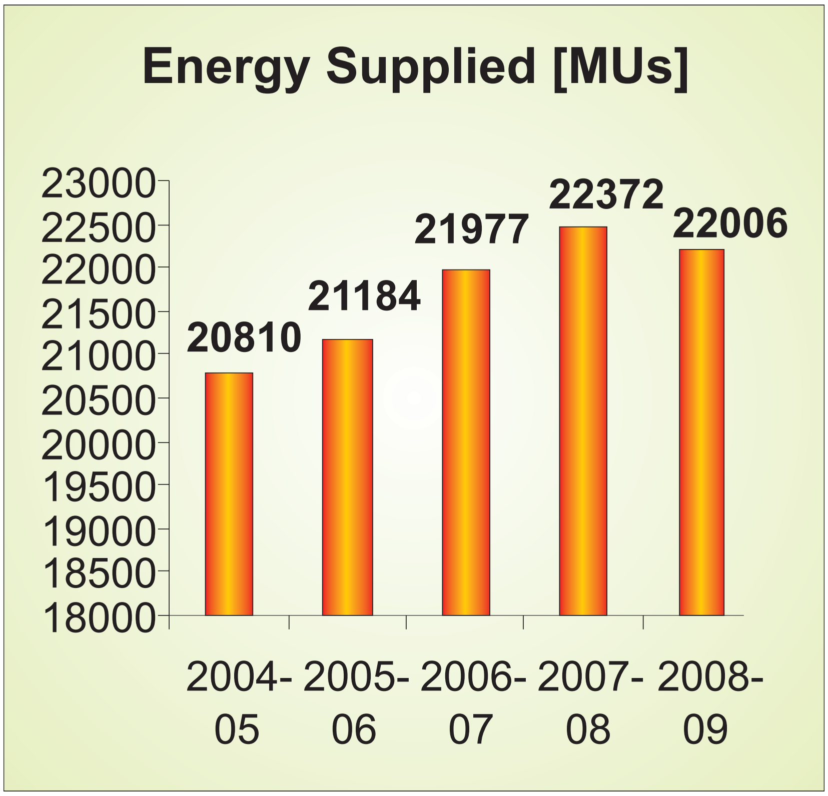

Chart 11.3

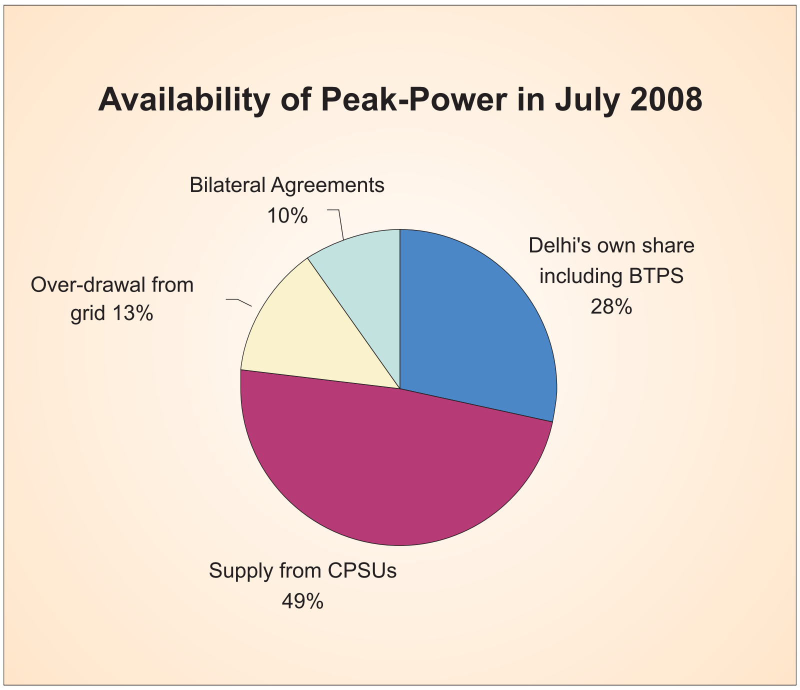

Ikr % डीटीएल

5-4 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की 17वीं बिजली सर्वेक्षण समिति द्वारा व्यक्त किए गए अनुमानों के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दिल्ली की अधिकतम मांग 6961 मेगावाट हो जाएगी।

5.5 प्रमुख बिजली पारेषण परियोजनाओं की स्थिति :–

- **eqMdk esa 400@220 esa dsoh lc&LVs'ku** : हरियाणा के झज्जर जिले में अरावली जेनरेटिंग स्टेशन से बिजली हासिल करने के लिए मुंडका में 2x315 एमवीए क्षमता के 400/220 केवी सब–स्टेशन की स्थापना की योजना बनाई गई है। निविदा आमंत्रित करने संबंधी प्रारंभिक कार्य पूरा किया गया और एलओए जारी कर दिया गया है। इस परियोजना के फरवरी, 2010 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
- **fjt oyh esa 220 dsoh thvkbZ,l Lkc&LVs'ku dh LFkkiuk** : बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड, नदिनप., एमईएस और रेलवे को अतिरिक्त बिजली आपूर्ति में बढ़ोतरी के लिए 220 केवी 2x160 एमवीए सब–स्टेशन की स्थापना के लिए टर्न–की आर्डर दिया गया है। इस सब–स्टेशन के सितम्बर 2009 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

- **vkbZthvkbZ ,;jiksVZ ij 220 dsoh thvkbZ,l Lkc&LVs'ku dh LFkkiuk** : इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अनुमानित 145 मेगावॉट के लोड और हवाई अड्डे से डीएमआरसी की फास्ट ट्रैक लाइन तथा वसन्तकुंज और राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के बीच मेट्रो लाइन के लोड को पूरा करने के लिए 2x160 एमवीए क्षमता के सब–स्टेशन के लिए अनुबंध मंजूर करने के वास्ते प्रारंभिक कार्य पूरा कर लिया गया। यह कार्य सितम्बर 2009 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

Û **xSl Vjckbu lc&LVs'ku dh :ikarj.k {kerk esa o`f)** : मौजूदा 100 एमवीए पावर ट्रांस्फोर्मर्स को 160 एमवीए पावर ट्रांस्फोर्मर्स से बदलने के योजना कार्य को अंजाम देने के उद्देश्य से क्राम्प्टन एडं ग्रेवीज लिमिटेड को आर्डर दिया गया था। एक ट्रांस्फोर्मर स्थल पर पहुंच गया है। दोनों ट्रांस्फोर्मरों को जल्दी ही चालू किया जाना है।

- **g"kZ pUnz ekFkqj ysu esa 220 dsoh Lkc&LVs'ku dh LFkkiuk** : महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों वाले नदिनप क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाने, मजबूत करने और उसकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हर्श चन्द्र माथुर लेन में 220 केवी जीआईएस सब–स्टेशन की स्थापना का निर्णय किया गया। इस सब–स्टेशन की स्थापना से महारानी बाग स्थित 400/220 केवी सब–स्टेशन से बिजली हासिल करने का एक और माध्यम बन जाएगा। इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई की गई और इस सब–स्टेशन की स्थापना के लिए सीमेन्स को टर्न–की एलओआई आर्डर दिया गया। इस सब–स्टेशन के अप्रैल, 2010 तक चालू हो जाने की संभावना है।

6- fctyh dk mRiknu

6.1 बिजली की मांग तेजी से बढ़ोतरी होती रही है, जबकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गति अपेक्षाकृत स्थिर रही है। दिल्ली की स्वयं की स्थापित क्षमता 994.5 मेगावाट है। दिल्ली अपनी बिजली की करीब 28 प्रतिशत आपूर्ति स्वयं के संयंत्रों और बीटीपीएस से पूरी करती है, और शेष 72 प्रतिशत एनटीपीसी तथा अन्य स्रोतों से बिजली खरीदकर पूरी की जाती है।

6.2 दिल्ली में बिजली उत्पादन का काम सरकारी स्वामित्त्व वाली दो कंपनियों, यानी इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीपीजीसीएल) और प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) द्वारा किया जाता है। इनकी स्थापित क्षमता नीचे दी गई है। आईपीजीसीएल के अपने 3 बिजलीघर हैं, राजघाट पावर हाऊस, आईपी पावर स्टेशन और जीटीपीएस।

fooj.k 11-4

स्थापित क्षमता

राजघाट पावर हाउस	कोयला आधारित	67.5 X 2 = 135.00 मेगावाट
आईपी पावर स्टेशन	कोयला आधारित	62.5 X 3 + 60 X 1=247.5.0 मेगावाट
जीटीपीएस	गैस आधारित	30 X 6 + 34 X 3=282.00 मेगावाट
प्रगति पावर स्टेशन	गैस आधारित	104 X 2 + 122 X 1=330 मेगावाट
	dy	= **994-50** मेगावाट

6-3 lykV ykM QDVj

पिछले पांच वर्षों के लिए प्लांट लोड फैक्टर नीचे दिया गया है।

fooj.k 11-4

lykV ykM QDVj

¼प्रतिशत में½

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
समग्र पीएलएफ आईपीजीसीएल	65.53	64.35	60.31	54.92	64.06
आई पी स्टेशन	42.45	45.42	43.92	47.26	44.05
आर.पी.एच	58.96	48.57	53.69	75.71	74.16
गैस टरबाइन प्लांट	62.32	70.76	57.17	51.69	53.05 (70.18)
प्रगति पावर प्लांट	88.27	79.53	77.99	81.65	83.07 (85.32)

lkr ¾ दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड।

ukV ¾ कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संयंत्र उपलब्धता घटक को दर्शाते हैं जिसका अर्थ है कि अगर संयंत्र को गैस उपलब्ध कराई गई होती, तो प्लांट लोड फैक्टर अधिक होता, जितना कि कोष्ठक में दर्शाया गया है।

6-4 दिल्ली और राष्ट्रीय औसत के बीच प्लांट लोड फैक्टर की तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शायी गयी है :

fooj.k 11-6

rqyukRed IykaV yksM QSDVj

¼izfr'kr esa½

वर्ष	दिल्ली	अखिल भारतीय
2003-04	59.1	72.7
2004-05	65.5	74.8
2005-06	56.8	75.1
2006-07	67.8	76.8
2007-08	54.92	लागू नहीं

lzksr % योजना आयोग, भारत सरकार और दिल्ली ट्रांस्को लिमि0

6.5 {kerk lao/kZu dk;Zøe

आईपीजीसीएल और पीपीसीएल दिल्ली की भीतरी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों तथा उसके बाद की बिजली की मांग पूरी करने के लिए नये बिजलीघरों की स्थापना कर रही हैं। 1500 मेगावॉट और 750 मेगावॉट क्षमता की दो गैस आधारित कम्बाइंड साइकिल पावर परियोजनाएं क्रमश बवाना और बामनौली में प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लगाई जा रहीं हैं। हरियाणा में झज्जर जिले में अरावली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनटीपीसी, आईपीजीसीएल और एचपीजीसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा 1500 मेगावॉट क्षमता की कोयला आधारित बिजली परियोजना लगाई जा रही है। इन परियोजनाओं के कार्य की वर्तमान स्थिति और उनके चालू होने की संभावित तारीख नीचे दी गई है।

परियोजना	स्थिति	चालू होने की संभावित तारीख (सर्वोत्कृष्ट प्रयासों के साथ)
बवाना में 1500 मेगावॉट (एन) कम्बाइंड साइकिल गैस टरबाइन पावर परियोजना (प्रगति–III)	30.04.08 को भेल को टर्न–की आर्डर दिया गया, सिविल कार्य शुरू हो गये हैं।	प्रथम यूनिट–मार्च, 2010 अंतिम यूनिट–अक्टूबर, 2010
जिला झज्जर, हरियाणा में 1500 मेगावॉट की इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट (कोयला आधारित)	सभी निवेश जुटा लिये गये हैं। कार्य प्रगति पर है।	प्रथम यूनिट–अप्रैल, 2010 अंतिम यूनिट–अक्टूबर, 2010
बामनौली में 750 मेगावॉट (एन) कम्बाइंड साइकिल गैस टरबाइन पावर परियोजना (प्रगति–II)	भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है, प्रारंभिक अध्ययन किया जा रहा है।	2011–2012

7- fctyh forj.k

7.1 दिल्ली में बिजली के 33.30 लाख उपभोक्ता हैं, जिनके लिए बिजली की आपूर्ति 5 लाइसेंसधारकों, 3 निजी वितरण कंपनियों (बीआरपीएल, बीवाईपीएल, एनडीपीएल), एनडीएमसी और एमईएस द्वारा की जा रही है। पांच वितरण लाइसेंस धारकों के अंतर्गत कुल उपभोक्ता और आपूर्ति क्षेत्र नीचे दिये गये हैं।

fooj.k 11-7

लाइसेंस धारक	आपूर्ति क्षेत्र	उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	लोड में हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)	दक्षिण और पश्चिम दिल्ली	13.25	42.00
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)	मध्य और पूर्वी दिल्ली	9.75	24.00
नार्थ दिल्ली पावर लिमिटेड (एनडीपीएल)	उत्तर और उत्तर–पश्चिमी दिल्ली	9.50	28.00
नई दिल्ली नगर परिषद (नदिनप)	नई दिल्ली क्षेत्र	0.70	5.20
मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विसेज (एमईएस)	दिल्ली छावनी	0.10	0.80

Lkzr : डीटीएल

7.2 2008 में दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की खपत का पैटर्न नीचे दर्शाया गया है :

Chart 11.4

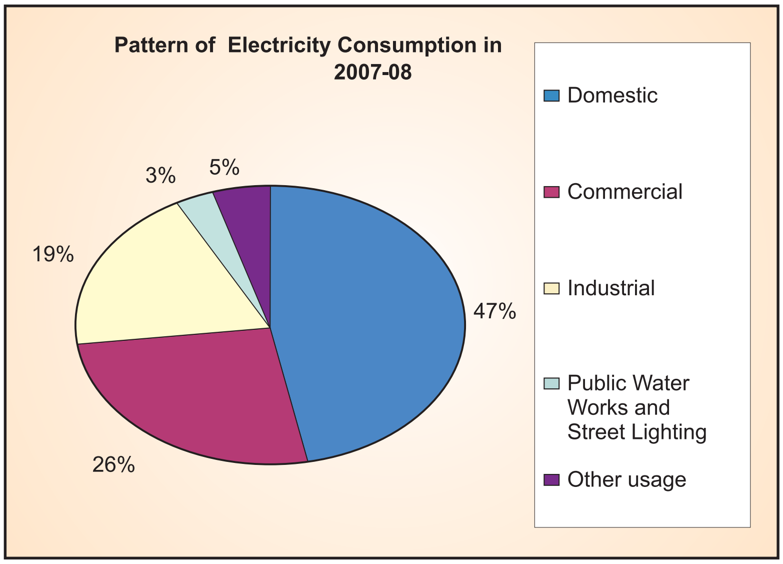

7.3 lexz rduhdh ,oa okf.kfT;d gkfu;ka ¼,Vh ,.M lh½

बिजली क्षेत्र के सुधारों के बाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान (एटी एंड सी हानि) की स्थिति में भारी कमी आई है। सुधारों से पहले ये हानियां 52 प्रतिशत थी जो 2007–08 में घटकर 25 प्रतिशत रह गईं। निजी वितरण कंपनी के संबंध में इस नुकसान की वर्षवार स्थिति नीचे दी गई है :

fooj.k 11-8

(प्रतिशत में)

वितरण कंपनी	एटी एंड सी हानियों का प्रारंभिक स्तर		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
बीवाईपीएल	57.2	लक्ष्य	56.45	54.7	50.7	44.65	39.95	34.77
		उपलब्धि	61.89	54.29	50.12	43.88	39.03	29.82
बीआरपीएल	48.1	लक्ष्य	47.55	46	42.7	36.70	39.10	26.69
		उपलब्धि	47.4	45.06	40.64	35.53	29.92	27.17
एनडीपीएल	48.01	लक्ष्य	47.6	45.35	40.85	35.35	31.10	22.03
		उपलब्धि	47.79	44.86	33.79	26.52	23.54	18.31

Lkzksr % डीईआरसी की 2007–08 की वार्षिक रिपोर्ट और डिस्कोम्स के बारे में एआरआर स्थिति का पब्लिक नोटिस।

7.4 डीईआरसी द्वारा बहु वर्ष शुल्क (एमवाईटी) विनियमों में तीन वितरण कंपनियों के लिए नियंत्रण अवधि (2007–08 से 2010–11) के अंत में लक्षित एटी एंड सी हानियों का स्तर और नियंत्रण अवधि में डीईआरसी द्वारा डिस्कोम्स के लिए लक्षित क्षति में वार्षिक कमी का ब्योरा नीचे दिया गया है।

rd yf{kr ,Vh ,M lh gkfu;k	¼ifr'kr e½ okf"kZd y{;
बीआरपीएल–17 प्रतिशत	3.23
एनडीपीएल–17 प्रतिशत	1.65
बीवाईपीएल–22 प्रतिशत	4.26

7.5 ifj"d`r forj.k <kpk ½

तीन प्राइवेट वितरण कंपनियों द्वारा बुनियादी ढांचे में महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। इसके अंतर्गत पावर ट्रांसफोर्मरों, ईएचवी केबलों, वितरण ट्रांसफोर्मरों, 11 केवी फीडरों, शंट केपेसीटरों आदि में वृद्धि शामिल है। इसके साथ ही दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा ग्रिड और ग्रिड स्टेशनों में समनुरूप बढ़ोतरी की गई है। तीनों बिजली वितरण कंपनियों द्वारा किये गये पूंजी निवेश का ब्योरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

वितरण कंपनियां	वित्त वर्ष 2002 - 03	वित्त वर्ष 2003 - 04	वित्त वर्ष 2004 - 05	वित्त वर्ष 2005 - 06	वित्त वर्ष 2006 - 07	वित्त वर्ष 2007 -08 (अस्थायी)	कुल योग
बीआरपीएल	76.38	114.56	538.75	618.54	306.21	128.24	1782.68
बीवाईपीएल	56.36	87.69	414.42	298.92	209.08	117.53	1184 .00
एनडीपीएल	48.51	299.4 0	338.20	431.00	270.00	325.00	1712.11
कुल	181.25	501.65	1291.37	1348.46	785.29	570.77	4678.79

8 l/kkjk l miHkksDrkvksa dks :i esa ukxfjdksa dks ykHk

हालांकि रहन–सहन की लागत और बिजली उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी हुई है, किन्तु उपभोक्ताओं (गरीब नागरिकों) के लिए शुल्क 1 मार्च, 2008 से कम करके 1.20 रुपये प्रति यूनिट किये गये। इसकी तुलना में 2002 में यह दर 1.75 रुपये प्रति यूनिट थी।

- 2004 से घरेलू श्रेणी में शुल्क में कोई बढोतरी नही की गई है।
- 2002 की तुलना में लोड शेडिंग में बहुत कमी आई है। 2002 में यह आपूर्ति की गई ऊर्जा का 2.3 प्रतिशत था जो अब घटकर मात्र 0.6 प्रतिशत रह गया है।
- वोल्टेज स्वीकार्य सीमा में रहती है और वोल्टेज स्टेब्लाइजर तथा इन्वर्टर की बिक्री में कमी आई है जिससे नागरिकों/उपभोक्ताओं की बचत हुई है।
- मीटर बदलने और नये कनेक्शन लगाने की प्रक्रिया आसान बनाई गई है।
- सभी मेट्रो शहरों की तुलना में दिल्ली में बिजली की दरें सबसे कम हैं। दिल्ली में शुल्क की मौजूदा दर 200 यूनिट तक 1.20 रुपये प्रति यूनिट है जबकि मुंबई (बेस्ट) में यह 2.18, कोलकाता में 4.32 और चेन्नई में 3.50 रुपये प्रति यूनिट है।
- जन शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अनेक मंच उपलब्ध हैं :

  (क) विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत नागरिक शिकायत निपटान मंच।

  (ख) राराराक्षे दिल्ली सरकार का जन शिकायत प्रकोश्ठ

  (ग) दिल्ली सरकार का 'आपकी सुनवाई' मंच।
- कोई भी उपभोक्ता स्वेच्छा से मामूली लागत पर किसी निष्पक्ष तृतीय पक्ष यानी केन्द्रीय बिजली अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार से मीटर परीक्षण करा सकता है।
- नई शिकायत निपटान प्रणाली अत्यधिक तेजी से काम करती है।
- 2002 में ट्रांस्फोर्मर फेल होने की दर 15 प्रतिशत थी जो अब घटकर 2 प्रतिशत रह गई है।
- सभी एकल वितरण अनुबंधो को समाप्त कर दिया गया है और सभी उपभोक्ताओं को मीटर कनेक्शन प्रदान किये जा रहे हैं और वे सभी वितरण लाइसेंस धारकों के उपभोक्ता होंगे।
- बिजली की क्षति कम करने और चोरी रोकने के लिए हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली कायम की गई है।
- सुरक्षा के लिए एलटी और एचटी लाइनों के वास्ते एरियल बंच कंडेक्टर्स प्रदान किये गये हैं।

9 दिल्ली में 1 जुलाई, 2002 से लागू किये गये बिजली क्षेत्र के सुधार अत्यन्त सफल रहे हैं और उनसे देश में सुधारों का एक आदर्श कायम हुआ है। इन सुधारों के अंतर्गत बिजली के ट्रांसमिशन और उत्पादन दोनों ही कार्यो का निगमीकरण और बिजली वितरण के निजीकरण से बिजली क्षेत्र में अनेक सुधार परिलक्षित हुए हैं। दिल्ली बिजल क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया के रचनात्मक पहलुओं का वर्णन नीचे किया गया है :–

- सुधार समर्थक कार्यनीति अपनाते हुए घाटे में चल रहे दिल्ली विद्युत बोर्ड को लाभ कमाने वाली आत्मनिर्भर बिजली कंपनी में परिवर्तित किया गया।

- समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियां 2008–09 के दौरान घटकर लगभग 25 प्रतिशत रह गई, जो पहले 52 प्रतिशत थीं।
- पिछले 7 वर्षो में बिजली की क्रय लागत 25 प्रतिशत बढी है, उपभोज्य वस्तुओं के दाम 55 प्रतिशत बढ़े हैं, जबकि मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं द्वारा 200 यूनिट तक अदा किये जाने वाले वास्तविक शुल्क में 15 प्रतिशत की कमी आई है।
- समुचित बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करके बढ़ती हुई लोड की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 2008–09 में औसत पीक (व्यस्तता के समय) मांग बढ़कर 4034 मेगावॉट हो गई जो 2001–02 में 2670 मेगावॉट थी।
- लोड शेडिंग घटकर 0.6 प्रतिशत (2008–09) रह गई जो वर्ष 2001 में 4.9 प्रतिशत की असामान्य ऊंचाई पर थी।
- दिल्ली में व्यस्तता के समय बिजली की कटौती अत्यन्त कम, करीब 1.5 प्रतिशत है जबकि इसकी राष्ट्रीय औसत 12.3 प्रतिशत है।
- बिजली कंपनियों को योजना सहायता 375.4 लाख डॉलर (2002–03) से घटकर 61.1 लाख डॉलर (2006–07) रह गई, और वह भी केवल सरकारी बिजली कंपनियो को ऋण के रूप में दी जाती है।
- वितरण क्षेत्र के लिए सरकारी धन के संदर्भ में कोई सहायता नहीं दी जाती। किन्तु, 2002–03 से 2007–08 की अवधि में निजी वितरण कंपनियों द्वारा बिजली ढांचे पर पूंजी खर्च करीब 4678 रुपये किया गया।
- एनडीपीएल, डीटीएल और पीपीसीएल जैसी बिजली कंपनियां लाभांश दे रहीं हैं।
- दिल्ली में वितरण क्षेत्र में किए गये सरंचनागत सुधारों से दिल्ली बिजली क्षेत्र धीरे–धीरे एकल विक्रेता चरण से थोक बिक्री प्रतिस्पर्द्धा चरण में पहुंच गया है।
- चार वितरण कंपनियां उत्पादकों, व्यापारियों और अन्य वितरकों से सीधे बिजली खरीद रहीं हैं।
- वर्तमान मुक्त पहुंच नीति एक मेगावॉट बिजली तक लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को इस बात की अनुमति देती है कि वे अपनी पसन्द के किसी भी उत्पादक/व्यापारी/वितरण कंपनियों आदि से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त क्रास सब्सिडी प्रभार और अतिरिक्त प्रभार नहीं देना होगा। इस नीति से बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा शुरू हुई है।

v/;k;&12
ifjogu

1. दिल्ली की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। यह 1990–91 में 94 लाख थी, जो 2007–08 में बढ़कर 169 लाख हो गई है। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 925 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है, जहां पिछले वर्षो में परिवहन की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। निजी परिवहन में भारी बढ़ोतरी के कारण सड़कों पर भीड़–भाड़ बढ़ती जा रही है। परिवहन की गतिशीलता बढ़ाने और बेहतर परिवहन ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा एकजुट प्रयास किए जा रहे हैं। किन्तु, सरकार इस तथ्य के प्रति भी सजग है कि जनोन्मुखी परिवहन प्रणाली कायम करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ताकि निजी परिवहन पर निर्भरता कम की जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे कि व्यापक जन समुदाय की गतिशीलता यंत्रीकृत वाहनों (निजी और सार्वजनिक) और गैर यंत्रीकृत वाहनों, दोनों ही माध्यमों से बढ़ाई जाए। साथ ही, पैदल चलने वालों को भी जगह मिल सके और कुछ सार्वजनिक स्थानों को केवल पैदल चलने वालों के लिए आरक्षित किया जा सके। इस अध्याय में परिवहन प्रणाली की मांग, तत्संबंधी बुनियादी ढांचा सुविधाओं और सरकार द्वारा किए गए सुधार के उपायों का विश्लेषण किया जाएगा।

2- ifjogu vk;kstuk

2.1 परिवहन को दिल्ली की 11वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) में वरीयता क्षेत्र माना गया है जिसके लिए 45000 करोड़ रुपये के कुल योजना परिव्यय में से 15251.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि दिल्ली की 11वीं पंचवर्षीय योजना के कुल परिव्यय का 33.86 प्रतिशत है।

2.2 2002 में दिल्ली मैट्रो के पहले कॉरीडोर के चालू होने तक सार्वजनिक परिवहन का केवल एक ही माध्यम जारी रहा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के नागरिकों को सर्वोत्कृष्ट बहु–माध्यम यानी मल्टी मॉडल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने की योजना बनायी है, जो अब तक किए गए अनेक अध्ययनों पर आधाारित है।

2.3 परिवहन आयोजना मूल रूप से भूमि आयोजना से सम्बन्धित हैं, दोनों का साथ–साथ इस प्रकार विकास किया जाना चाहिए कि दिल्ली की समग्र जनता लाभान्वित हो सके और न्यूनतम यात्रा की आवश्यकता हो। संक्षेप में, एक समेकित मास्टर प्लान की आवश्यकता है जो परिवहन प्रणाली को समाहित करने में समर्थ हो।

3-1 okguk e: of)

fooj.k 1

क्र. स.	श्रेणी	वाहनों की संख्या (लाख में)		दशकीय वृद्धि दर % (1997–98 से 2007–08)	वार्षिक संचयी वृद्धि दर%
		1997–98	2007–08		
I.	निजी वाहन				
i.	चौपहिये (कार, जीप/स्टेशन वैगन	7.65	17.30	126.14	8.73
ii.	दुपहिये वाहन (स्कूटर, मोटर साइकल),	19.92	35.78	79.62	6.03
	उप–जोड़	**27.57**	**53.08**	**92.53**	**6.84**
ख.	**वाणिज्यिक वाहन**				
iii.	आटो रिक्शा	0.80	0.75	(-) 6.25	(-)1.15
iv.	टैक्सियां	0.17	0.31	82.35	6.24
v.	* बसें	0.32	0.46	43.75	4.33
vi.	मालवाहक वाहन+ट्रैक्टर	1.47	1.61	9.52	0.02
	उप–जोड़	**2.76**	**3.13**	**13.41**	**0.81**
	कुल जोड़	**30.33**	**56.27****	**85.53**	**6.42**

* **bue: gyd: ;k=h okgu vkj e/;e ;k=h okgu Hkh 'kkfey gSA**

** **bue: ,Ecqy:l vkj vU; igpku u fd, x, okgu Hkh 'kkfey g: ¼6863½**

3.1 विवरण–1 से पता चलता है कि वाहनों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जो 1997–98 में 30.33 लाख थे वे 2007–08 में बढ़कर 56.27 लाख पर पहुंच गए। इस प्रकार वाहनों की संख्या में 6.42 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई। वाणिज्यिक वाहनों (13.41%) की तुलना में निजी वाहनों (92.53%) के संदर्भ में दशकीय वृद्धि बहुत ऊंची रही है। निजी वाहनों की श्रेणी में, कारों और जीपों की दशकीय वृद्धि दर 126.14% रही है, जो सभी श्रेणियों के वाहनों में सर्वाधिक है। इसके बाद दुपहिये वाहनों (यानी स्कूटर, मोटर साइकिल और मोपेड) का स्थान है, जिनकी वृद्धि दर 79.62% रही है। वाणिज्यिक वाहनों की श्रेणी में, टैक्सियों की संख्या में दशकीय वृद्धि दर (82.35%) सबसे अधिक रही है। इसके बाद हलकी, मध्यम, और भारी बसों सहित सभी प्रकार की बसों (43.75%) का स्थान रहा है। आटो रिक्शा (–6.25%) की दशकीय वृद्धि दर नकारात्मक रही है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि दर के अनुसार आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त वर्षवार वाहनों की संख्या और वृद्धि प्रवृत्ति तालिका 12.1 और 12.2 में देखी जा सकती हैं।

3.2 दिल्ली में मोटरवाहनों की श्रेणियों के प्रतिशत वितरण (तालिका 12.3) से पता चलता है कि दशक के दौरान कारों/जीपों का तेजी से प्रसार हुआ है, जबकि मोटरसाइकिल और स्कूटरों, ऑटो रिक्शा और मालवाहक वाहनों की हिस्सेदारी में अपेक्षाकृत कमी आई है। दिल्ली में कुल मोटर वाहनों के पंजीकरण की वार्षिक वृद्धि में 1994–95 से 2005–06 की अवधि में जो कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती थी, वह बदल गयी है और 2006–07 और 2007–08 के दौरान इसमें बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की वाहनों की कुल संख्या में कारों/जीपों की भागीदारी 1990–91 में 21.98 प्रतिशत थी, जो 2007–08 में बढ़कर 30.74 प्रतिशत हो गई।

3.3 सोसायटी ऑफ इंडिया ऑटो मोबाइल मैन्युफेक्चर (एसआईएएम) ने भारत के 25 सबसे बड़े शहरों और कस्बों में 2004 तक पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या का विश्लेषण किया ताकि भारतीय ऑटो मोबाइल बाजार के भौगोलिक प्रसार और वाहनों की भीड़ का जायजा लिया जा सके। इस विश्लेषण से पता चला कि दिल्ली में प्रति 1000 की आबादी पर 85 प्राइवेट कारें हैं। किन्तु, समग्र भारत में कार की उपलब्धता की औसत अभी भी कम बनी हुई है, जहां प्रति 1000 की आबादी पर मात्र 8 कारें उपलब्ध हैं। दिल्ली में कारों के प्रसार का अनुपात राष्ट्रीय औसत से 10 गुना अधिक है (स्रोत : अखबार की रिपोर्ट)।

3.4 दिल्ली की सड़कों पर वास्तव में कितने वाहन चल रहे हैं, इसको लेकर विवाद है। दिल्ली में पंजीकृत बहुत से वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों की सड़कों पर चलते हैं। इसी तरह जिन वाहनों का पंजीकरण दिल्ली से बाहर हुआ है, मगर दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं, उनकी भी दो श्रेणियां हैं : (क) दिल्ली क्षेत्र से बाहर के किसी स्थान पर पहुंचने के लिए दिल्ली की सड़कों से होकर गुजरने वाले वाहन; और (ख) अस्थायी आधार पर या स्थायी आधार पर दिल्ली में आये वाहन। परिवहन विभाग दिल्ली में वाहनों की वास्तविक संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा है और इसमें ऐसे वाहनों की संख्या का भी पता लगाया जा रहा है, जिनका संचालन किसी कारण से समाप्त हो चुका है, जो दिल्ली से बाहर स्थानांतरित हो गए हैं और अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर यहां आये हैं।

4- ifjogu d lk/ku

4.1 2003 तक दिल्ली मुख्य रूप से सड़क परिवहन पर ही निर्भर थी और रेलवे से स्थानीय यातायात की केवल 1 प्रतिशत आवश्यकता पूरी हो पाती थी। दिल्ली में रिंग रेल नेटवर्क की क्षमताओं का बहुत ही कम उपयोग हो पाता है। दिल्ली मैट्रो के सभी तीनों गलियारों–यानी शाहदरा–रिठाला, विश्वविद्यालय–केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड़–द्वारका के चालू हो जाने से दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के परिदृश्य में जबर्दस्त बदलाव आया है। इन तीनों मार्गों की लंबाई 65.05 किलोमीटर है। मेट्रो के दूसरे चरण के दो गलियारों यानी शाहदरा–दिलशाद गार्डन (3.09 किमी) और विश्वविद्यालय–जहांगीरपुरी मार्ग की कुल लंबाई 9.45 किलोमीटर भी इसमें जुड़ गई है। इस प्रकार दिल्ली में मेट्रो के बढ़ते प्रसार से यात्रियों को जबरदस्त राहत मिली है। मेट्रों द्वारा हर रोज 9 लाख यात्रियों

को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। 2003 तक वाहनों की कुल संख्या में बसों की हिस्सेदारी एक प्रतिशत थी, लेकिन वे कुल यातायात की 60 प्रतिशत मांग पूरी करती थी। वाहनों की कुल संख्या का 93.73 निजी वाहन हैं, लेकिन वे केवल 30 प्रतिशत यातायात के बोझ को ही उठाते हैं। निजी वाहनों में मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की हिस्सेदारी दिल्ली की कुल वाहन संख्या में करीब 63.58 प्रतिशत है, जबकि कुल वाहनों में कारों और जीपों का हिस्सा 30.47 प्रतिशत है (तालिका 12.3)।

4.2 गैर–यंत्रीकृत और जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों का पूरा–पूरा ब्योरा जुटाना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनके पंजीकरण की कोई उपयुक्त प्रणाली नहीं है। किन्तु स्थानीय निकायों में पंजीकृत इस तरह के वाहनों की संख्या की तुलना में अवैध रूप से चलने वाले अपंजीकृत वाहनों की संख्या कहीं अधिक है। पंजीकृत, गैर–यंत्रीकृत वाहनों और पशुचालित वाहनों की हिस्सेदारी दिल्ली के कुल वाहन संख्या में करीब 1.87 प्रतिशत है। इनमें 99.31 प्रतिशत साइकिल रिक्शा हैं। क्योंकि साइकिल रिक्शा का पंजीकरण बंद कर दिया है। इसलिए शहर में साइकिल रिक्शों की सही–सहीं संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता।

5 lMd uVodl

5.1 दिल्ली में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। मार्च 2008 में दिल्ली सड़क नेटवर्क की लंबाई 30,985 किलोमीटर थी (जिसमें लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण वाला 182 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का राजमार्ग शामिल नहीं है।) दिल्ली में सड़क नेटवर्क का विकास तालिका 12.6 में दर्शाया गया है। 2006–07 में प्रति लाख जनसंख्या पर 590 कि.मी. रोड लैंथ उपलब्ध थी, जो राष्ट्रीय औसत 321.3 कि.मी. से बहुत ज्यादा है (स्रोत – अध्याय 10, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईकोनोमिक्स रिव्यू 2007, केरल सरकार)।

5.2 2006–07 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 2085.16 किलोमीटर सड़कें थीं, जबकि इतने ही क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 100.39 किलोमीटर का है (स्रोत–चैप्टर–10, इन्फ्रास्ट्रैक्चर ऑफ इकनोमिक्स रिव्यू 2007, केरल सरकार)। सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई 1971–72 में 8380 किलोमीटर थी, जो 2007–08 में (3.7 गुणा) बढ़कर 30985 किलोमीटर हो गई। दूसरी ओर वाहनों की संख्या 1971–72 में 2.14 लाख थी, जो 2007–08 में (26.29 गुणा) बढ़कर 56.27 लाख पर पहुंच गई। दिल्ली में वाहनों में बढ़ोतरी और सड़क नेटवर्क के विस्तार के बीच असंतुलन से सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़–भाड़ की समस्या उत्पन्न हो गई है और वाहनों की औसत रफ्तार धीमी पड़ गई है। तालिका 12.6 और 12.7 से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

5-3 fjax jkM

रिंग रोड़, बाहरी रिंग रोड और रेडियल रोड़ दिल्ली में सड़क नेटवर्क की विशेषताएं हैं। रिंग रोड़ की लंबाई 48 किलोमीटर है, जिसका 16 किलोमीटर हिस्सा बाहरी रिंग रोड़ और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–एक में शामिल है।

मौजूदा 6 लेन के रिंग रोड़ पर रोजाना 1,10,000 वाहन चलते हैं और अब यह अपनी अधिकतम क्षमता से काम कर रहा है। राजघाट से मैटकॉफ हाउस, राजागार्डन से पंजाबी बाग, सफ्दरजंग से धौला कुंआ, आजादपुर जंक्शन से ब्रितानिया चौक, राजघाट से आश्रम चौक जैसे कुछ खंडों में रिंग रोड़ को 6 लेन से 8 लेन तक चौड़ा करने का कार्य पहले ही प्रगति पर हैं। 2011 तक रिंग रोड़ पर यातायात 1.5 से 4 लाख पीसीयू के स्तर तक पहुंच जायेगा, जिसके लिए रिंग रोड़ का विस्तार 18–24 लेन वाले मार्ग के रूप में करना होगा। किन्तु, यह कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि निजी वाहनों को प्रोत्साहित करने की बजाय जनोन्मुखी परिवहन प्रणाली पर बल दिया जाए।

5-4 jk"Vªh; jktekxZ

दिल्ली की एक विशेषता यह भी है कि पांच राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से होकर गुजरते हैं। ये हैंः– राष्ट्रीय राजमार्ग–1, राष्ट्रीय राजमार्ग–2, राष्ट्रीय राजमार्ग–8, राष्ट्रीय राजमार्ग–10, और राष्ट्रीय राजमार्ग–24। ये राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र को देश के अन्य भागों से जोड़ते हैं। ये राजमार्ग दिल्ली को देश का प्रमुख व्यापारिक और वितरण केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभागते हैं।

5-5 cgjh ,Dlizsl ekxZ

दिल्ली उत्तर भारत के प्रमुख थोक व्यापार केद्र के रूप में उभरकर सामने आया है। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में खरीदी बेची जाने वाली 78 प्रतिशत सब्जियां और फल, 49 प्रतिशत ईंधन, 44 प्रतिशत लोहा और इस्पात तथा 47 प्रतिशत अनाज अन्य राज्यों के लिए होते हैं। पांच राष्ट्रीय राजामार्गों के यहां से होकर गुजरने के कारण भी अंतर्राज्यीय माल ढोने वाले वाहन भी दिल्ली से होकर गुजरते हैं। इससे यहां की सड़कों, खास तौर पर रिंग रोड़, बाहरी रिंग रोड़ और अन्य प्रमुख सड़कों पर वाहनों की भीड़–भाड़ और भी बढ़ जाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस मार्ग और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इन दोनों एक्सप्रेस मार्गो के लिए भूमि अधिग्रहण की कुल लागत 1307 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा इसके लिए 653.50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2006–07 तक अपने हिस्से की धनराशि जारी कर दी थी। पश्चिमी परिधीय एक्प्रेस मार्ग और पूर्वी परिधीय एक्प्रेस मार्ग का निर्माण पूरा होने पर दिल्ली को अंतर्राज्यीय वाहनों से मुक्ति मिलने की आषा है, जो फिलहाल दिल्ली से होकर गुजरते हैं, हालांकि दिल्ली आना उनका लक्ष्य नहीं होता। इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :–

5.5.1 **if'peh ifj/kh; ,Dlizsl ekxZ ¼MCY;wibZ½ ifj;kstuk ¼&** इस सड़क की कुल लंबाई 135.65 किलोमीटर है। इसे 'बनाओ–चलाओ–सौंप' दो यानी बीओटी आधार पर एकल पैकेज के रूप में बनाया जा रहा है। यह कार्य 14–11–2005 को केपीएम एक्सप्रेस–वे लिमिटेड को बिना अनुदान के सौंपा गया था। यह परियोजना 23 वर्ष

और 9 महीने की रियायत अवधि (निर्माण के 5 वर्ष सहित) के लिए मंजूर की गई है। परियोजना का कार्यान्वयन जारी है और इसे 30–7–2009 तक पूरा किया जाना है। परियोजना का कार्य निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहा है। किन्तु, परियोजना ग्राही को विश्वास है कि इसे लक्षित तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा।

5.5.2 **iohl ifj/kh; ,Dli:l ekx ½bihb½ ifj;ktuk %&** इस सड़क की कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग–1 पर कुंडली से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग–2 पर पलवल जाकर समाप्त होगी। यह मार्ग दिल्ली की पूर्वी परिधि पर बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और फरीदाबाद ज़िलों से होकर गुजरेगा। ईपीई परियोजना का सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में है और इसे एनएचएआई यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 1885 करोड़ रुपये हैं, जिसमें भूमि और जन–उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं के स्थानांतरण की लागत शामिल नहीं है। पीपीपीएसी ने परियोजना को 20 वर्ष की रियायत अवधि (3वर्ष की निर्माण अवधि सहित) के लिए मंजूरी प्रदान की है। परियोजना का काम अभी प्रारंभ होना है जिसे जून 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

5-6 xMxko ,Dli:l ekx

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली को गुड़गांव से जोड़ने वाली सड़क को आठ लेन के टॉल एक्सप्रेसवे में परिवर्तित करने का फैसला किया है। इस एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई 28 किलोमीटर है (18 किलोमीटर हरियाणा में और 10 किलोमीटर दिल्ली में)।यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 'बनाओ–चलाओ–सौंप दो' (बीओटी) आधार पर चलाई जा रही है। इसे जनवरी 2008 में यातायात के लिए खोला गया।

5-7 fjx jkM ij dkfyUnh dkykuh l gfj;k.kk lhek rd jk"Vh; jktekx&2 ckbikl

कालिन्दी कालोनी से बदरपुर रोड़ को जोड़ने वाले 14 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है। इसके पहले चरण में रिंग रोड़ पर कालिन्दी कालोनी से कालिन्दी कुंज मार्ग संख्या–13(ए) और दूसरे चरण में कालिन्दी कुंज मार्ग संख्या 13 (ए) से हरियाणा सीमा तक सड़क बनाई जाएगी। भूमि समस्या के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। भूमि समस्या का समाधान अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर किया जाना है। यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।

5-8 dke e ugh yk;h tk jgh ugj d Åij lMd ¼

गीता कालोनी में यमुना के ऊपर प्रस्तावित पुल से यातायात की कारगर ढंग से निकासी और विकास मार्ग पर यातायात का बोझ कम करने के लिए इस्तेमाल न की जा रही नहर पर (30 मीटर विस्तार मार्ग में) एक सड़क बनाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत आरसीसी का स्थायी बॉक्स ड्रेन बनाया गया है, जिसके ऊपर चार लेन वाले दोहरे मार्ग का निर्माण किया गया है। यह सड़क मार्जिनल बंद पुस्ता रोड़ को विकास मार्ग से कड़कड़ी मोड़ के पास जोड़ती है।

6 ¶Ykkbvkoj vkj iy

6.1 दिल्ली में सड़क नेटवर्क के विस्तार और वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी से थोड़ी–थोड़ी दूरी पर लगभग हर चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगाना आवश्यक हो गया है। इससे आने–जाने वाले वाहनों को अधिक समय लगता है और तेल की खपत भी अधिक होती है। इस समस्या के समाधान और यातायात की अबाधित निकासी के लिए 1998–99 में फ्लाइओवरों के निर्माण का एक विशेष कार्य प्रारंभ किया गया। किन्तु, विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टो में बताया गया है कि अनेक मामलों में ये फ्लाईओवर ट्रैफिक जाम/यातायात की रूकावट को दूर करने की बजाय उसे केवल अगले चौराहे तक स्थानांतरित करने में ही सफल रहे हैं। इसलिए यातायात की समस्या का संपूर्ण समाधान करने के लिए यह जरूरी हो गया है कि फ्लाईओवर निर्माण के प्रत्येक मामले का न केवल चौराहे पर बल्कि समीप के क्षेत्र में भी अध्ययन किया जाए। इसके साथ ही इस बात की आवश्यकता भी महसूस की गई है कि फ्लाईओवर निर्माण की योजना बनाते समय पैदल चलने वालों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए।

6-2 नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों (लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, डीटीटीडीसी, एमसीडी) द्वारा 11 फ्लाइओवरों/आरओबी/ग्रेड सैप्रेटर्स का निर्माण किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संबद्ध एजेंसियों द्वारा 22 फ्लाइओवर और दो अन्डर पास और दो आरयूबी का निर्माण किया गया। 2008–09 के दौरान मुकरबा चौक व मंगोलपुरी पर फ्लाईओवर, मार्ग संख्या–63 पर आरओबी और गीता कालोनी पुल का निर्माण पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित प्रमुख परियोजनाएं शुरूकी गई हैं :–

6-3 ;euk unh ij othjkckn d fudV lekukrj iy ¼flXupj fct½

वजीराबाद का वर्तमान पुल यमुना पार की बढ़ती आबादी विशेषकर यमुना विहार, गोकुलपुरी, खजूरी, नन्द नगरी और अन्य इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त है। परियोजना को जून 2009 तक पूरा किया जाना था। परियोजना की अनुमानित लागत 464 करोड़ रूपये से 887.29 करोड़ रुपये संशोधित की गई है। यह परियोजना डीटीटीडीसी द्वारा लागू की जा रही है।

6-4 u; ¶ykbvkoj@vkj;ch@vUMj ikl

नये शहरी क्षेत्रों के विस्तार, नये वाणिज्यिक, संस्थागत और सार्वजनिक स्थानों के विकास और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए सरकार ने अनेक फ्लाइओवरों, आरयूबी, अंडरपास, कॉरीडोरों के निर्माण का फैसला किया है ताकि यातायात का प्रवाह सुचारू बनाया जा सके। 2010 तक पूरे किए जाने वाले प्रस्तावित नए फ्लाइओवरों/आरयूबी/अंडर पास का ब्योरा नीचे विवरण 2 में दिया गया है। ऐसे फ्लाईओवरों और पुलों का ब्योरा विवरण 3 में दिया गया है जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

fooj.k& 2

iLrkfor u;s ¶ykbZvksoj@vkj-;w-ch@vMj ikl tks o"kZ 2010 rd cuk;s tkus gS

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 को लोधी रोड से जोड़ने वाली संपर्क सडक का निर्माण
2	कनाट प्लेस को पूर्वी दिल्ली से जोडने वाले एलिवेटेड पश्चिम–पूर्वी कॉरीडोर का निर्माण
3	अप्सरा बार्डर पर फ्लाइओवर
4	उतर प्रदेश संपर्क सड़क पर (फ्लाइओवर) क्लोवर लीव्स
5	जीटी रोड पर श्यामलाल कालेज के निकट रोड़ ओवर ब्रिज (आरओबी)
6	बहादुर शाह जफर मार्ग पर फ्लाइओवर
7	मार्ग संख्या 68 पर लेवल क्रासिंग पर रोड़ ओवर ब्रिज (आरओबी)
8	बारापुल्ला नाला पर 6 लेन की सड़क
9	नजफगढ़ नाले पर मीराबाग से वजीराबाद तक सड़क
10	राजघाट से पंजाबी बाग तक पूर्वी–पश्चिमी मार्ग
11	मजनू का टीला से धौला कुआं तक उत्तर–दक्षिण कॉरीडोर
12	ओखला से वजीराबाद तक आउटर रिंग रोड
13	वजीराबाद और मुकंदपुर चौक के बीच कॉरीडोर
14	डिस्ट्रिक संटर, जनक पुरी से राष्ट्रीय राजमार्ग–8 को जोडने वाला कॉरीडोर
15	विकास मार्ग पर आई टी ओ चुंगी क्रासिंग पर अंडर पास
16	मुकरबा चौक फ्लाइओवर
17	आजाद पुर चौराहे पर फ्लाइओवर
18	रिंग रोड पर नारायणा में फ्लाइओवर
19	नांगलोई में राष्ट्रीय राजमार्ग–10 क्रासिंग पर फ्लाइओवर
20	बाहरी रिंग रोड पर मंगोलपुरी क्रासिंग पर फ्लाइओवर
21	गजीपुर क्रासिंग पर फ्लाइओवर
22	मार्ग संख्या 56 का गलियारा सुधार
23	सलीमगढ़ फोर्ट से वैलोड्रम तक रिंग रोड़ बाईपास

fooj.k& 3

¶ykbZvkoj vkSj iqy ftudk fuekZ.k dk;Z izxfr ij gSA

क्र.स.	फ्लाईओवर का नाम	तारीख		निर्माण कार्य पूरा
		प्रारंभ	लक्ष्य	
1.	गीता कालोनी पुल	फरवरी, 05	अप्रैल, 08	अक्टूबर,08
2.	आरओबी–63	जनवरी, 06	जनवरी, 08	सितंबर,08
3.	मुकरबा चौक	सितंबर, 06	नवम्बर, 08	फरवरी, 09
4.	नीला हौज़	सितंबर, 06	मार्च 08/मार्च, 10	
5.	आईटीओ चूंगी	नवम्बर, 06	जून, 09	
6.	मार्ग संख्या 58–64 पर आरयूबी	दिसम्बर, 06	सितम्बर, 09	
7.	नारायणा	अक्टूबर, 07	नवम्बर, 09	
8.	भेरा एन्क्लेव अन्डर पास	अगस्त, 07	मार्च, 09	
9.	मंगोलपुरी	फरवरी, 07	अगस्त, 08	अगस्त, 08
10	आर आर कोहली मार्ग	फरवरी/अप्रैल, 07	जून, 09	
11.	शास्त्री नगर–पुश्ता	फरवरी/अप्रैल 07	दिसम्बर,08 मई,09	
12.	आजादपुर	अप्रैल, 07	जून 09/अक्टूबर,09	
13–15	तीन फलाईओवर आईआईटी से एन एच–8	मार्च/मई, 07	दिसम्बर 08/ मार्च 09/जून, 09	
16.	नागलोई, एनएच–10	अप्रैल, 07	जून, 09	
17.	श्याम लाल कॉलेज	मई/अगस्त, 07	सितम्बर, 09	
18.	गाजीपुर क्रासिंग	मई, 08	जून, 10	
19.	बारापुल्ला नाला के ऊपर एलिवेटिट कॉरिडोर	अक्टूबर, 08	जून, 10	
20.	अप्सरा बॉर्डर	सितम्बर, 08	मार्च, 10	
21.	मार्ग संख्या 56 का गलियारा सुधार	नवम्बर, 08	जून, 10	
22.	यूपी लिंक रोड़	अक्टूबर, 08	मई,10	
23.	सलीमगढ़ फोर्ट से वेलोड्रम तक रिंग रोड़ बाईपास	जनवरी, 09	जूलाई, 10	
24.	मार्ग संख्या 68 पर आरओबी (डीटीटीडीसी द्वारा)	फरवरी, 09	सितंबर, 10	

6-5 jyo Økflx ij 17 vkjvkch@vkj;ch

राष्ट्रमंडल खेल–2010 को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 428 करोड़ रुपये की लागत से बनाये जा रहे 17 आरओबी/आरयूबी के निर्माण में दिल्ली नगर निगम की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी को वहन करने का फैसला किया है। षेश 50% लागत रेल मंत्रालय द्वारा वहन की जायेगी। विवेक विहार क्रासिंग पर आरयूबी का निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। आरयूबी/आरओबी की सूची विवरण 4 में दी गई है।

fooj.k 4

jyo yoy Økflx ij 17 LFkyk dh lph] tgk fuek.k gkuk g

क्र.स.	स्थान	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1	शक्ति नगर अण्डर ब्रिज के निकट रोशनआरा गार्डन के समीप (दिल्ली–अम्बाला लाइन पर)	40
2	सावन पार्क की ओर जीटी रोड़ औद्योगिक क्षेत्र (दिल्ली अम्बाला लाइन पर)	15
3	संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के पिछवाड़े में बादली के निकट (दिल्ली–अम्बाला लाइन पर)	10
4	औचन्दी मार्ग को जी.टी. रोड़ से बादली औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग (दिल्ली–अम्बाला लाइन पर)	30
5	नरेला–लाम्पुर रोड़ पर निठारी रोड़ क्रासिंग (दिल्ली–अम्बाला लाइन पर)	15
6	सेवानगर के निकट कोटला/प्रेमनगर को साथ लोधी कालोनी को जोड़ने वाले मार्ग पर (दिल्ली क्षेत्र में रिंग रेल लाइन पर)	30
7	कीर्ति नगर (केआरटीआर) –प्रेम नगर (दिल्ली क्षेत्र मे रिंग रेल लाइन पर)	15
8	गांव सराय काले खां और निजामुद्दीन कालोनी के बीच (दिल्ली क्षेत्र मे रिंग रेल लाइन पर)	09
9	नजफगढ़ बिजवासन रोड़ (दिल्ली–रेवाड़ी लाइन पर)	58
10	रोहतक रोड़ के एकदम करीब और जखीरा के निकट (दिल्ली–भंटिडा लाइन पर)	40
11	रोहतक रोड़ की ओर रामपुर रोड़ पर (दिल्ली–भंटिडा लाइन पर)	09
12	रिंग रोड़ से संपर्क मार्ग पर शकूर बस्ती की ओर जाने वाले चौराहे पर (दिल्ली–भंटिडा लाइन पर)	08
13	मंगोलपुरी से रोहतक रोड़ को जोड़ने वाली सड़क पर (दिल्ली–भंटिडा लाइन पर)	15
14	सुल्तानपुरी और नागलोई के बीच सुल्तालपुरी रेलवे क्रासिंग पर (दिल्ली–भंटिडा लाइन पर)	64
15	मुडका रेलवे क्रासिंग पर (दिल्ली–भंटिडा लाइन पर)	15
16	विवेक विहार रेलवे स्टेशन के निकट (दिल्ली–गाजियाबाद लाइन पर)	40
17	किराड़ी पर लेवल क्रासिंग पर	15
	कुल लागत	**428**

6-6 iny ;kf=;k d fy, lfo/kk,&QVvkoj fct vkj ;krk;kr flXuy

दिल्ली में यातायात नियमन और सड़क निर्माण में साइकिल चलाने वालों और बस पकड़ने वालो सहित पैदल यात्रियों की लगातार अनदेखी की जाती रही है। प्रमुख मार्गो पर सड़क पार करने वालों के लिए गिने–चुने क्रासिंग मिलते हैं और ओवर ब्रिजों तथा भूमिगत पारपथों की संख्या भी बहुत कम है। किन्तु, धीरे–धीरे अब इस दिशा में सही उपाय शुरूकिए गए है। हाल ही में, विभिन्न स्थानों पर 29सबवे/एफओबी का निर्माण पूरा किया गया है। इनमें 11 एफओबी (उच्चतम न्यायालय के निकट, एम्स और सफदरजंग अस्पताल के बीच, मंजनू का टीला) और एस्कलेटर के साथ 8 एफओबी (महारानी बाग, आईटीओ, आईएसबीटी कष्मीरी गेट, सत्यानिकेतन, नानकपुरा गुरुद्वारा, राजा गार्डन, मंगल बाजार और रतिया मार्ग) शामिल हैं। किन्तु, एफओबी के निर्माण की दिशा में किए गए ये उपाय वास्तव में लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, समुचित संख्या में सुरक्षित रोड़ क्रासिंग बनाने की तत्काल आवश्यकता है। ये उपाय उपयुक्त स्थानों पर यातायात सिग्नलों जैसे टी प्वाइंटों, रोड़ जंक्शन और प्रमुख बस अड्डों पर साइकिल सवारों, पैदल यात्रियों और बस पकड़ने वालों के लिए किए जाने चाहिए। साथ ही, एस्कलेटरों के साथ फुटओवर ब्रिज भी अधिक संख्या में बनने चाहिए। इस तरह सार्वजनिक परिवहन को दुरुस्त और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

7- vrjkTTth; cl vMMk (vkbl,lchVh)

दिल्ली मास्टर प्लान–2001 में दिल्ली के लिए 5 अंतर्राज्जीय बस अड्डों के निर्माण का सुझाव दिया गया है। सराय काले खां और आनंद विहार में दो नये अंतर्राज्जीय बस अड्डों के विकास के बाद, इस समय दिल्ली में तीन अंतर्राज्यीय बस अड्डे कार्य कर रहे हैं। ये रोजाना औसतन 3.70 लाख यात्रियों और 5,235 बसों/ट्रिपों की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। मास्टर प्लान 2021 में एफएआर में संशोधन को देखते हुए बढ़े हुए एफएआर का लाभ उठाने के लिए इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और तदनुरूप अन्तर्राज्जीय बस अड्डों के डिजाइन और अन्य मानदंड संशोधित किए जा रहे हैं। दोनो नये अन्तर्राज्जीय बस अड्डों के निर्माण और आईएसबीटी–सराये कालेखां तथा आनन्द विहार को आधुनिक आईएसबीटी बनाने का काम राष्ट्रमंडल खेल–2010 से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

8- jy uVodl

8.1 दिल्ली भारत के रेल मानचित्र पर एक बड़ा जंक्शन है, जो सभी प्रमुख मैट्रोपॉलिटन शहरों के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। दिल्ली में पटपड़गंज और तुगलकाबाद में कन्टेनर डिपो के अतिरिक्त चार मुख्य रेलवे स्टेशन हैं : नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और सराय रोहिल्ला। उत्तर रेलवे द्वारा आनन्द विहार अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के पास एक नया रेलवे स्टेशन विकसित किया जा रहा है, जिससे नई दिल्ली और पुराई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर भीड़–भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आठ प्रमुख रेल मार्ग हैं, जिनसे साढ़े तीन सौ से अधिक यात्री गाड़ियां और करीब चालीस माल गाड़ियां हर रोज दिल्ली आती हैं।

ekI jfiM VkftV i.kkyh ¼rhoxkeh tu ikjxeu i.kkyh½

8-2- ,evkjVh,I Qst&1 ¼65-05 fdyksehVj½

तीव्रगामी जन पारगमन प्रणाली–(एमआरटीएस) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण रहित और कार्य कुशल रेल आधारित ऐसी परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है, जिसका सड़क परिवहन प्रणाली के साथ समुचित समन्वय हो। इस परियोजना की पहले चरण की मूल लागत 4,860 करोड़ रुपये आंकी गई थी (अप्रैल 1996 के मूल्य) और इसे सितंबर 1996 में स्वीकृति मिली। यह परियोजना मार्च 2005 में पूरी की जानी थी। बाद में इसे मार्च 2006 तक 10571 करोड़ रूपये की संशोधित लागत पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।

प्रथम चरण में निम्नांकित 3 गलियारों की संशोधित योजना शामिल की गई है :

fooj.k 5

क्र. स.	विवरण	लंबाई (किमी.)
1	दिल्ली विश्वविद्यालय–केंद्रीय सचिवालय (मैट्रो/भूमिगत गलियारा)	11
2	शाहदरा–रिठाला (रेल/भूतल/एलिवेटिड गलियारा)	22.06
3	इन्द्रप्रस्थ–बाराखंबा रोड, द्वारका (भूमिगत/एलिवेटिड गलियारा)	25.65
4	द्वारका सब–सिटी (द्वारका–द्वारका सेक्टर–6)	6.50
	कुल	**65.05**

8.3 रेल और मैट्रो गलियारों के विभिन्न खंडों के चालू होने की तारीखें इस प्रकार हैं।

fooj.k 6

रेल गलियारे का नाम (आरसी)	खंड का नाम	चालू होने की तिथि
आरसी भाग 1	शाहदरा–तीसहजारी	24.12.2002
आरसी भाग 2ए	तीस हजारी–त्रिनगर	3.10.2003
आरसी भाग 2बी	त्रिनगर–रिठाला	31.3.2004
आरसी भाग 3	बाराखंबा रोड–कनाट प्लेस द्वारका	31.12.2005
आरसी	बाराखंबा–इन्द्रप्रस्थ	नवम्बर 2006
द्वारका सब–सिटी	ककरोला–द्वारका	31.03.2006
मैट्रो गलियारा (एमसी)		
एमसी 1ए	विश्वविद्यालय–आईएसबीटी	20.12.04
एमसी 1बी	आईएसबीटी–केंद्रीय सचिवालय	02.7.2005

दिल्ली मैट्रो को विश्वस्तरीय मैट्रो का दर्जा दिया गया है। प्रत्येक 6मिनट के अंतराल पर यात्रियों को ट्रेन उपलब्ध होती है एमआरटीएस फेज –1 में 21.82 लाख यात्रियों की उम्मीद की गई थी।

8-4 ,evkjVh,l pj.k&2 ½

एमआरटीएस प्रथम चरण के पूरा होने के बाद द्वितीय चरण का काम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नांकित 6 गलियारे शामिल हैं।

क्र.स.	गलियारे का नाम	लम्बाई	लक्षित तारीख	संशोधित लक्ष्य	पूरा होने की तारीख
1	विश्वविद्यालय–जहांगीरपुरी	6.36 कि.मी.	अक्टूबर, 08	अक्टूबर, 09	03.02. 09
2	केन्द्रीय सचिवालय–कुतुबमीनार	10.87 किमी	दिसम्बर, 09	जून, 10	
3	इन्द्रप्रस्थ–न्यू अशोक नगर	8.07 कि.मी.	जून,08	जून, 09	
4	शाहदरा–दिलशाद गार्डन	3.09 कि.मी.	दिसम्बर, 07	दिसम्बर, 08	04.06.08
5	यमुना किनारा–आनन्द विहार	6.16 कि.मी.	सितम्बर, 08	दिसम्बर,09	
6	मुण्डका–इन्दरलोक	18.47कि.मी.	जनवरी, 09	मार्च, 10	
	कुल	**53.02**			

एमआरटीएस, चरण–2 में निम्नांकित गलियारे भी शामिल किए गये हैं :–

7	कुतुबमीनार–सुशांत लोक (दिल्ली खंण्ड)	15.93कि.मी.	जनवरी, 10
8	केन्द्रीय सचिवालय–बदरपुर	19.55कि.मी.	सितम्बर,10
9	न्यू अशोक नगर–नोएडा सैक्टर–32	7.05 कि.मी.	जनवरी, 10
10	एयरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक (नई दिल्ली–आईजीआई)	19.20कि.मी.	अगस्त,10
11	एयरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक का विस्तार सैक्टर–21 द्वारका तक	3.50 कि.मी.	सितम्बर, 2010
	कुल	**64.23कि.मी.**	

एमआरटीएस चरण–2 को पूरा करने के लिए अनुमानित लागत 8118 करोड़ रुपये आंकी गई है। दूसरे चरण का काम 2010 तक पूरा होने की संभावना है। दूसरे चरण का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसमे ईआईआरआर 23.63 प्रतिशत और एफआईआरआर 8.18 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

अनुमानित लागत में कर और शुल्क शामिल नहीं किए गये हैं जो करीब 119 करोड़ रुपये बैठते हैं। इसमें निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) भी शामिल नहीं किया गया है जो 70 करोड़ रुपये है। किन्तु, भूमि की लागत समाहित है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार दूसरे चरण के लिए 2339.25 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुकी है जिसका विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	इक्विटी	अधिनस्थ ऋण	कुल
2005–06	346.66	58	404.66
2006–07	307.60	58	365.60
2007–08	456.49	225	681.49
2008–09	731.50	156	887.50
कुल	**1842.25**	**497**	**2339.25**

8-5 lkoZtfud ifjogu dk vU; lk/kuksa ls ,dhdj.k

वर्तमान में दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मुख्य रूप से सड़क परिवहन पर आधारित है। तीव्रगामी जन पारगमन प्रणाली के आने पर, खासतौर पर एमआरटीएस कोरीडोर प्रभाव क्षेत्र में, बस प्रणाली फीडर सेवा की तरह कार्य करेगी और दोनो प्रणालियां एक–दूसरे की पूरक के रूप में कार्य करेंगी। अन्य क्षेत्रों में बस प्रणाली सार्वजनिक परिवहन का मुख्य जरिया बनी रहेगी। इस दिशा में दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेषन– डीएमआरसी ने एक अध्ययन कराया है, जिसके अंतर्गत एमआरटीएस के लिए फीडर प्रणाली की योजना बनाने और वर्तमान बस मार्गों के पुनर्गठन का प्रस्ताव है।

फीडर प्रणाली और पुनर्गठन के लिए चरणवद्ध योजना तैयार कर ली गई है। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए एक कार्य दल बनाया गया है, जिसमें डीएमआरसी, डीटीसी और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारी शामिल हैं। इस कार्यदल ने पुनर्गठन के लिए मार्गों को अंतिम रूप दे दिया है। डीएमआरसी विभिन्न स्टेशनों के लिए बसवे उपलब्ध करा रहा है। पार्क एंड राइड यानी अपना वाहन छोड़कर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जहां कहीं व्यावहारिक है और आवश्यक है, वहां पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2006–07 के दौरान मेट्रो स्टेशनों पर सक्षमतापूर्वक इन्टरचेंज के लिए व्यवहार्ययता अध्ययन का जिम्मा सौंपा जा चुका है।

9- fnYyh 'kgjh ifjogu dk"k U;kl

दिल्ली सरकार ने दिल्ली शहरी परिवहन कोष न्यास के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना का फैसला किया है। इस ट्रस्ट के उद्देश्यों में शहरी परिवहन ढांचे के लिए विकास, कार्यान्वयन, परिचालन हेतु वित्तीय सहायता देना और परिवहन आयोजना, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास खर्च हेतु धन की व्यवस्था करना विशेष परियोजना के लिए पूंजी खर्च सहायता प्रदान करना और स्थायी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए परिचालन एवं रख–रखाव खर्च में मदद करना और सभी अंतर्राज्जीय बस अड्डों के लिए बाहरी ढांचे के विकास के लिए खर्च वहन करना शामिल हैं।

10- fnYyh ifjogu fuxe

10.1 दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली के लोगों को वाजिब किराये पर कुशल सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य–क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अगस्त 1996 में भारत सरकार से इसे अपने हाथ में लिया, 1996–97 में (अधिग्रहण के समय) और 2007–08 के दौरान निगम के कार्य निष्पादन का विवरण इस प्रकार है:

fooj.k&7
fnYyh ifjogu fuxe dk dk;Z fu"iknu

क्र. स.	मद	इकाई	1996—97	2007—08
1	कुल बेड़ा	संख्या	2682	3537
2	औसत बेड़ा	संख्या	2665	3439
3	सड़कों पर बसों की औसत संख्या	संख्या	1648	2836
4	बेड़े का उपयोग	प्रतिशत	61.84	82.47
5	दैनिक चक्करों की संख्या	संख्या	14104	17070
6	दैनिक किलोमीटरों की संख्या	लाख	4.41	5.01
7	किलोमीटर कार्य कुशलता	प्रतिशत	66.64	68.22
8	प्रत्येक बस से दैनिक आमदनी	रुपये	2669	3417
9	प्रतिदिन के यात्रियों की संख्या	लाख	15.02	24.04
10	प्रति बस यात्रियों की संख्या	संख्या	911	848

10-2 राष्ट्रमंडल खेल—2010 को ध्यान में रखते हुए सितम्बर 2008 में सीएनजी चालित 1500 नोन—एसी और 1000 वतानुकूलित लो फ्लोर बसें खरीदने का आर्डर दिया गया।

10-3 tokgj yky usg: 'kgjh uohdj.k fe'ku&t,u,u;vkj,e

भारत सरकार ने जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन—जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सीएनजी चालित 1500 लो फ्लोर बसों की खरीद की मंजूरी प्रदान की है, जिन पर 765 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। भारत सरकार इस कार्यक्रम के मानदंड के अनुसार 33 प्रतिशत हिस्से के रूप में 267.75 करोड़ रुपये का योगदान करेगी। इसमें से 2007—08 के दौरान 115.52 करोड़ रुपये जारी किए गए।

11- lefdr eYVh ekMy lkoZtfud ifjogu uVodZ

11.1 नई सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों (बीआरटी, एलआरटी और मोनोरेल)को लक्षित एवं कारगर ढंग से लागू करने के लिए एक स्वतंत्र एसपीवी यानी विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जा गयी है। इसे दिल्ली इन्टिग्रेटेड मल्टी—मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमएमटीएस) यानी समेकित बहु—माध्यम परिवहन प्रणाली का नाम दिया गया है।

11-2 ,plhch,l@chvkjVh dkWfjMksj %

MkDVj vEcsMdj uxj&fnYyh xsV dkWfjMksj %

डा अम्बेडकर नगर से मूलचंद तक का पायलट प्रौजैक्ट पूर्ण हो चुका है। मूलचंद से दिल्ली गेट तक के अगले चरण का कार्य प्रगति पर है।

12- lM+d lqj{kk

वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि के कारण दुर्घटनाओं की संख्या, घातक दुर्घटनाओं सहित, बढ़ रही है। जिसके अनेकों कारण हैं। 2001 में दुर्घटनाओं के 9,282 मामले दर्ज हुए, जबकि 2007 में यह संख्या 8,620 थी। इनमें 6539 दुर्घटनाएं मामूली क्षति से संबद्ध थीं और 2081 घातक दुर्घटना के मामले थे।

13. ikfdZax ¼okgu [kM+s djus dh 0;oLFkk½

दिल्ली में वाहनों की कुल संख्या अन्य तीन महानगरों— मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के कुल वाहनों की संख्या से कहीं ज्यादा है। ऐसे में पार्किंग की व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय बन गई है और इसके निराकरण के लिए सोची—समझी नीति और योजनाबद्ध उपायों की आवश्यकता है। पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए मौजूदा क्षेत्रों में अधिकतम व्यवहार्य स्थान उपलब्ध कराने और भावी जरूरतों के संबंध में समुचित प्रावधान करने की आवश्यकता है। इस बारे में विभिन्न एजेंसियों द्वारा/अध्ययनों की रिपोर्टों में विभिन्न प्रकार के सुझाव सामने आये हैं। इनमें एमपीडी 2001, डीयूईआईआईपी—2021, शामिल हैं। दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद ने भीड़—भाड़ वाले वाणिज्यिक/सार्वजनिक स्थलों पर कुछ नये पार्किंग स्थलों/बहुस्तरीय पार्किंग स्थलों की पहचान की है, जिनका विकास पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा। नई दिल्ली नगर परिषद के स्थल हैं (i.) बाबा खड़क सिंह मार्ग (ii.) हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग (iii.) सरोजिनी नगर

v/;k;&13

ty vkiwfrZ ,oa LoPNrk

1. जल–आपूर्ति और सीवर प्रणाली शहरी बंदोबस्त के लिए बुनियादी ढांचे का अनिवार्य घटक है। दिल्ली में परिवारों की संख्या मार्च 1991 में 18.61 लाख थी, जो मार्च 2001 में बढ़कर करीब 25.54 लाख हो गयी। घरेलू इस्तेमाल के अलावा जल की आवश्यकता औद्योगिक वाणिज्यिक और अन्य संस्थानों तथा अग्नि शमन प्रयोजनों के लिए भी पड़ती है।

2 दिल्ली में तीव्र गति से बढ़ रही आबादी की पेयजल की आवश्यकता पूरी करने के लिए जल–आपूर्ति और जल शोधन क्षमता का लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विस्तार किया जाता रहा है। दिल्ली की जनसंख्या राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि के मुकाबले लगभग दुगुनी गति से बढ रही है। सरकार द्वारा सर्वोत्कृष्ट उपायों के बावजूद बराबर और पर्याप्त जलापूर्ति चिंता का विषय बनी रही है। इसके अनेक कारण है। इनमें कच्चे जल की कमी और अनुषंगी समस्याएं, आपूर्ति और वितरण में होने वाली क्षति, कम दबाव पर आपूर्ति, असमान वितरण, भूमिगत जल का ह्रास, तीव्र शहरीकरण के कारण भूमिगत जल का पुनर्भरण न हो पाना, जल शोधन की लागत में वृद्धि और जल आपूर्ति लागत एवं शुल्क के बीच बढ़ता अंतराल आदि शामिल है।

3. जल शोधन और आपूर्ति क्षमता जो 1956 में 66 एमजीडी थी, 1979 में बढकर 240 एमजीडी, 1990 में 437 एमजीडी , 2002 में 650 एमजीडी और 2007 में 810 एमजीडी हो गयी। 11वीं पंचवर्षीय योजना (मार्च, 2012) के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 915 एमजीडी जल शोधन और आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4. दिल्ली में 2001 में 25.54 लाख परिवारों में से करीब 19.24 लाख परिवारों को पाइप लाइन के जरिए जलापूर्ति प्रणाली की जा रही थी। करीब 5.60 लाख परिवारों को ट्यूबवेलों/गहरे बोर वाले हैंडपंपों/सार्वजनिक नलों के जरिए पानी की सप्लाई की गयी। इस प्रकार करीब 75.33 प्रतिशत परिवारों को पाइप जलापूर्ति प्रणाली के माध्यम से और करीब 21.91 प्रतिशत परिवारों को ट्यूबवेल/डीप बोर हैंडपंपों/सार्वजनिक नलों के जरिए पानी की अपूर्ति की जा रही है। शेष 2.76 प्रतिशत परिवार अन्य स्रोतों पर निर्भर हैं, जैसे कुंए, नदी, तालाब, नहर, जलाशय आदि (तालिका 13.8)।

5- ikuh dh [kir

5.1 एमपीडी 2001 में निर्धारित सीपीएचईईओ मानदंड के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन 60 गैलन पानी उपलब्ध कराने के लक्ष्य के अनुसार 2007–08 के लिए जल की आवश्यकता 990 एमजीडी आंकी गयी है। सीपीएचईईओ नियम के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी की आवश्यकता 60 जीपीसीडी निर्धारित की गयी है। इसका ब्योरा विवरण 13.1 में दिया गया है।

fooj.k 13-1

1.	**घरेलू**	**172 एलपीसीडी**
2.	45 हजार लीटर प्रति हैक्टेयर प्रति दिन के अनुसार औद्योगिक, व्यावसायिक और सामुदायकि आवश्यकता	47एलपीसीडी
3.	कुल मांग का एक प्रतिशत के आधार पर अग्निसुरक्षा	3 एलपीसीडी
4.	चलाएमान जनसंख्या और होटलों तथा दूतावासों आदि की विशेष आवश्यकताएं	52 एल पी सी डी
5.	**कुल**	**274 एलपीसीडी (60 जीपीसीडी)**

5.2 डीडीए ने एमपीडी–2021 के प्रारूप में प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 80 गैलन की जल आवश्यकता (जीपीसीडी) के मानदंड का प्रस्ताव किया है, जिसमें से 50 जीपीसीडी घरेलू उपयोग के लिए और 30 जीपीसीडी गैर–घरेलू प्रयोजनों के लिए है। घरेलू उपयोग के लिए 50 जीपीसीडी जल की आवश्यकता में से 30 जीपीसीडी पेयजल और 20 जीपीसीडी इतर प्रयोजनों के लिए है। प्रस्तावित जल की आवश्यकता का वर्गीकरण विवरण 13.2 में दिया गया है।

fooj.k 13-2

मानदंड	**मात्रा (जीपीसीडी में)**		**पेयजल से इतर स्रोत**
	पेयजल	**पेयजल से इतर**	
घरेलू 50 जीपीसीडी की दर से	30	20	.
आवासीय	30	20	रिसाइकलिंग और समुदाय स्तर पर भूमिगत जलकर्षण
गैर–घरेलू 30 जीपीसीडी की दर से	5	25	–
सिंचाई, बागवानी, मनोरंजनात्मक, निर्माण, अग्नि सुरक्षा 6 .65 (एलपीसीडी) की दर से	–	10	उत्सर्जक उपचार संयंत्रों से रिसाइकलिंग स्वीकार्य भूमिगत जलकर्षण
सार्वजनिक–अर्ध सार्वजनिक, औद्योगिक, व्यावसायिक	5	15	साझा उत्सर्जक उपचार संयंत्रों से रिसाइकलिंग
कुल 80 जीपीसीडी की दर से	**35**	**45**	–

एमपीडी–2021 के अनुसार प्रस्तावित 60 जीपीसीडी मानदंड के साथ दिल्ली में अनुमानित 2.3 करोड़ जनसंख्या के लिए जल आपूर्ति की आवश्यकता 1380 एमजीडी होगी।

6- tykiifrl y{; 2008&09

6.1 दिल्ली जल बोर्ड ने 31.03.04 को जलापूर्ति क्षमता 650 एमजीडी से बढ़ाकर 31.03.09 को 855 एमजीडी पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जिसका ब्योरा निम्न विवरण 13.3 में दर्शाया गया है , किन्तु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मार्च 2009 तक वास्तविक क्षमता 785 एमजीडी जलापूर्ति प्राप्त की गई ।

fooj.k 13-3

क्र. स	संयंत्र का नाम	31.03.2004 को मौजूदा क्षमता (एमजीडी)	31.03.2009 के अंत तक प्रस्तावित क्षमता (एमजीडी)
1.	चंद्रावल जल संयंत्र संख्या 1 और 2	90	90
2.	वजीराबाद 1,2 और 3	120	120
3.	हैदरपुर	200	200
4.	उत्तरी शाहदरा (भागीरथी)	100	100
5.	बवाना	–	20
6.	नांगलोई	40	40
7.	सोनिया विहार	–	140
8.	बरसाती कूंए और ट्यूबवेल	81	100
9.	डब्ल्यूटीपी का अधिकतम इस्तेमाल	19	–
10.	चंद्रावल, भागीरथी, हैदरपुर और वजीराबाद में खराब जल का पुनः शोधन	–	45
	कुल	**650**	**855**

6.2 नांगलोई जल शोधन संयंत्र अपनी 40 एमजीडी की पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीवीएमबी) से कच्चा पानी आपूर्ति किए जाने के बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा डब्ल्यू जे सी प्रणाली के जरिए कच्चे पानी की आपूर्ति नहीं की जा सकी है। हरियाणा सरकार पश्चिमी यमुना नहर पर दो जल–सरणियों का निर्माण कर रही है, ताकि इस प्रणाली के जरिए अतिरिक्त कच्चा पानी प्रवाहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोनिया विहार संयंत्र के लिए 300 क्यूसेक कच्चा पानी जारी न किए जाने से भी जल–आपूर्ति लक्ष्य हासिल करने में प्रतिकूल असर पड़ा।

6.3 11वीं पंचवर्षीय योजना में द्वारका (50 एमजीडी) और ओखला (20 एमजीडी) में दो नये जल शोधन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। इन दो संयंत्रों के लिए कच्चा पानी मुनाक से हैदरपुर तक पक्के समानांतर चैनल के निर्माण से उपलब्ध हो सकेगा।

7· ty [kir

7.1 दिजबो नई दिल्ली नगर परिषद और दिछबो (दिल्ली छावनी बोर्ड) को उपचारित जल की बॅल्क आपूर्ति करता है। ये दोनों निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में जल के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं। इन क्षेत्रों में जलापूर्ति के ढांचे पर उनका स्वामित्व है। नतीजतन इन क्षेत्रों में जलापूर्ति की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की नहीं है। दिननि के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में जलापूर्ति का दायित्व दिल्ली जल बोर्ड का है।

7.2 2007–08 के दौरान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 720 एमजीडी जल शोधन किया गया। यह पानी विभिन्न स्रोतों से आपूर्ति किया गया था, जैसे यमुना नदी, भाखड़ा बांध, ऊपरी गंगा नहर और भूमिगत जल संसाधन। 2007–08 के दौरान निम्नांकित तीन कारणों की वजह से बिल के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले जल मात्रा में भारी कमी आई और यह 254.59 एमजीडी तक सीमित रहा : (i) 28.9.2005 से उन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति माह 20कि.ली./30 कि.ली. की अधिकतम औसत जल खपत निर्धारित की गई जिनके दिजबो/प्राइवेट वॉटर मीटर काम नहीं कर रहे थे। यह सुविधा उनके खराब वॉटर मीटर बदले जाने तक प्रदान की गई। 200 वर्गमीटर क्षेत्र में बने आवासीय परिसरों के मामले में 20 कि.ली. और 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने आवासीय परिसरों के मामले में 30 कि.ली. की अधिकतम औसत निर्धारित की गई। किन्तु, अगर वास्तविक औसत खपत 20 कि.ली./30 कि.ली. प्रतिमाह से कम होगी तो जल प्रभार की गणना वास्तविक औसत पर की जाएगी।

(ii) दिल्ली में झुग्गी–झोपड़ी पुनर्वास कालोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों के लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों के निवासियों को कुछ आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए बोर्ड एक नीति के अन्तर्गत उन्हें बिना मीटर के जल–आपूर्ति कर रहा है और जल शुल्क की वसूली प्रति कनेक्शन मात्र 10 कि.ली. की निर्धारित औसत की दर से की जा रही है। यह सुविधा बिना मीटर के कनेक्शनों को मीटर युक्त कनेक्शन में तबदील होने तक जारी रहती है। 10 कि.ली. प्रति माह की निर्धारित औसत के अलावा सीवर रख–रखाव शुल्क, यदि लागू हो, के साथ सेवा प्रभार भी वसूल किया जाता है। कुल 16.75 लाख जल कनेक्शनों में से 3.46 लाख बिना मीटर वाले कनेक्शन हैं।

(iii) 12.96 लाख मीटर वाले कनेक्शनों में से 5 लाख वॉटर मीटर खराब हैं और बंद रहते हैं।

7.3 (i) वर्ष 2003–04 और वर्ष 2007–08 के दौरान क्रमशः 277.10 (एमजीडी) और 221.03 (एमजीडी) जल वितरित किया गया और विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं से जो शुल्क वसूल किया गया उसका ब्योरा नीचे विवरण–13.4 में दिया गया है :

fooj.k 13-4

श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या	बिक्री (एमजीडी में)		बिक्री का प्रतिशत	
	2007-08	**2003-04**	**2007-08**	**2003-04**	**2007-08**
घरेलू	15,37,931	243.62	194.46	78.38	76.38
वाणिज्यिक और संस्थागत	1,15,635	26.25	20.70	8.45	8.14
औद्योगिक	22,888	7.23	5.87	2.33	2.30
उप जोड़	16,76,454	277.10	221.03		
दिछबा और नदिनप को बॅल्क आपूर्ति	----	33.70	33.56	10.84	13.18
कुल	**16,76,454**	**310.80**	**254.59**	**100%**	**100%**

7.4 जल–षोधन और जल–आपूर्ति क्षमता में, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में बढ़ोतरी के बावजूद 2007–08 के दौरान दिल्ली में जल की प्रति व्यक्ति औसत क्षमता 48 जीपीसीडी बनी रही। (तालिका 13.1)।

8- ty lalk/ku

8.1 दिल्ली जल–बोर्ड के जलापूर्ति शोधन संयंत्रों ने मार्च 2007 तक 629 एमजीडी भूतल जल और 81 एमजीडी भूमिगत जल का शोधन किया। दिजबो के जल संसाधन विवरण 13.5 में दर्शाए गए हैं।

fooj.k 13-5

(ekp] 2008)

क्र.स	स्रोत	मात्रा (एमजीडी)
1	यमुना	339
2	गंगा	171
3	भांखड़ा बांध	130
	उप–जोड़	**640**
4.	रेनीवेल्स/ट्यूबवेल्स (भूमिगत जल)	100
	कुल जोड़	**740**

भूमिगत जल

8.2 दिल्ली में भूमिगत जल का गिरता हुआ स्तर गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के कुछ भागों में पानी का स्तर जमीन की सतह से 20–30 मीटर तक नीचे चला गया है। भूमिगत जल की गुणवत्ता भी बहुत खराब है, तथा कुछ इलाकों में पाया गया है कि भूमिगत जल मानव के उपयोग योग्य नहीं है। दक्षिण–पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भूमिगत जल में लवणता बढ़ रही है। शाहदरा और कंझावला के कुछ क्षेत्रों में पानी में प्रति लीटर एक हजार मिलीग्राम से अधिक नाइट्रेड के अंश पाए गए हैं। दिल्ली के विभिन्न भागों में भूमिगत जल में फलूराइड और रासायनिक तत्व निर्धारित मात्रा से अधिक पाए गए हैं। इन समस्याओं के निवारण के लिए केन्द्रीय जल बोर्ड ने दिल्ली में नए ट्यूबवेलों की संख्या को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दिया है।

8.3 मार्च 2008 में दिल्ली जल बोर्ड के 2488 ट्यूबवेल और 21 बरसाती कुंए थे। दिजबो द्वारा वजीराबाद बैराज के ऊपरी धारा के बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों का उपयोग अधिक ट्यूबवेल लगाने के लिए किया जा रहा है। भूमिगत जल संसाधनों में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में पुरानी झीलों तथा अन्य जल निकायों को गहरा करना, दिल्ली में वन क्षेत्र का विकास और संरक्षण, असोला वन्य जीव अभयारण्य में अवरोधी बांधों तथा वृक्षारोपण जैसे उपाय शामिल हैं।

मुनक से हैदरपुर तक समानांतर चैनल

8.4 यमुना नदी और पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से जल–आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था में ताजेवाला हैडवर्क्स से छोड़े गए पानी का 30–50 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है। इस बर्बादी को रोकने के लिए मुनक से हैदरपुर तक एक पक्की समानांतर नहर निर्माणाधीन है। 102 किलोमीटर लंबी इस नहर का निर्माण हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस पर करीब 314.15 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और इसे 2009 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठायेगी। नहर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद पानी की उपलब्धता में 80 एमजीडी की वृद्धि होगी।

जलाशय

8.5 रेणुका बांध, किशाउ बांध और लखवार व्यासी बांध का निर्माण प्रस्तावित है। इससे मई 1994 में यमुना जल बटवारे के बारे में हुए समझौते के अनुसार दिल्ली को इन परियोजनाओं से अपने हिस्से का पानी मिल सकेगा। प्रत्येक राज्य के लिए यमुना जल आवंटन विवरण 13.6 में देखा जा सकता है। दिल्ली को रेणुका बांध से करीब 275 एमजीडी पानी मिलेगा। इसके अलावा उसे किशाउ बांध से 372 एमजीडी और लखवार व्यासी बांध से 135 एमजीडी पानी मिल सकेगा।

fooj.k 13-6

क्र स	राज्य	आवंटन (बीसीएम)			कुल (बीसीएम)
		जुलाई से अक्टूबर	नवंबर से फरवरी	मार्च से जून	
1	हरियाणा	4.107	0.686	0.937	5.730
2	उत्तर प्रदेश	3.216	0.343	0.473	.4.032
3	राजस्थान	0.963	0.070	0.086	1.119
4	हिमाचल प्रदेश	0.190	0.108	0.080	0.378
5	दिल्ली	0.580 (खपत योग्य) (1926+495 वापसी प्रवाह) या 2421 क्यूसेक	0.068 (खपत योग्य) (231+495 वापसी प्रवाह) या 726 क्यूसेक	0.076 (खपत योग्य) (255+495 वापसी प्रवाह) या 750 क्यूसेक	0.724 (खपत योग्य) (806+495 वापसी प्रवाह) या 2350 क्यूसेक

8.6 हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड रेणुका बांध का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। फिलहाल, भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। किन्तु, 1994 के रेणुका समझौते पर चूंकि राजस्थान ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए हस्ताक्षर करने वाले अन्य राज्य, विशेषकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा इस समझौते की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं।

9 ikuh dk y[kk&tk[kk vkj y[kk&ijh{kk

9.1 अभी तक दिल्ली जल बोर्ड जल शोधन संयंत्रों के लिए उपलब्ध कच्चे पानी और इन संयंत्रों द्वारा वितरण के लिए आपूर्ति किए गए शोधित जल की मात्रा का मूल्यांकन करने के वास्ते पुरानी पद्धति इस्तेमाल कर रहा था। यही स्थिति भूमिगत वाटर टैंकों, जलाशयों और बूस्टर पम्प स्टेशनों की थी। इस प्रणाली के चलते दिजबो जल वितरण में होने वाली क्षति का सही–सही आकलन करने में असमर्थ था। इस समस्या पर काबू पाने के लिए दिजबो ने सभी जल–शोधन संयंत्रों में बल्क मीटर लगाने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। करीब 86 बल्क मीटर पहले ही लगाये जा चुके हैं।

9.2 दिजबो ने सभी मुख्य वितरण बिंदुओं, भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों पर भी बल्क मीटर लगाने का फैसला किया है, ताकि इन बिंदुओं से विभिन्न बस्तियों/उपभोक्ता ठिकानों तक जलापूर्ति का सही मापदंड किया जा सके। इस परियोजना के अंतर्गत जुलाई 2009 तक 305 अत्याधुनिक मीटर लगाए जाएंगे।

9.3 निम्नांकित तथ्यों को देखते हुए दिजबो द्वारा जलापूर्ति का पूर्ण और सही–सही हिसाब नहीं रखा जा सका है :–

क) 1 अप्रैल, 2008 को कुल 16.75 लाख जल कनेक्शनों में से 3.46 लाख कनेक्शन बिना मीटरों के थे।

ख) यहां तक कि 13.29 लाख मीटर वाले कनेक्शनों में से भी 5 लाख से अधिक मीटर खराब थे, या काम नहीं कर रहे थे।

ग) वॉटर मीटरों के काम न करने की स्थिति में नया मीटर लगाये जाने तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 कि.ली. /30 कि.ली. प्रति माह (जैसी भी स्थिति हो) की अधिकतम औसत निर्धारित करना।

9.4 दिजबो ने जल कनेक्शन प्रदान करने और वाटर मीटर लगाने के लिए अपनी प्रणाली को सुचारू बनाने के उपाय किए हैं। जल कनेक्शन की मंजूरी के साथ वाटर मीटर सप्लाई किए जाने की मौजूदा प्रणाली में संशोधन किया गया है और अब उपभोक्ता बाजार से चुनी हुई कंपनियों के वाटर मीटर खरीद सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं के यहां दिजबो द्वारा लगाये गये मीटर खराब पड़े हैं उन्हें इस बात की छूट दी गई है कि वे खराब मीटर के स्थान पर प्राइवेट वॉटर मीटर लगवा लें और दिजबो के पास जमा कराई गई मीटर धरोहर राशि वापस ले लें या उसे भविष्य में जल शुल्कों के एवज में समायोजित करा लें।

10- ek tnk ty 'kYd

10.1 मौजूदा शुल्क ''अधिक इस्तेमाल करें, अधिक भुगतान करें'' के सिद्धांत पर आधारित है। अधिक खपत के स्तरों पर शुल्क उपभोक्ताओं को पानी के ज्यादा इस्तेमाल या पानी को बर्बाद करने से हतोत्साहित करता है।

10.2 पुनर्वास कालोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को जल शुल्कों में विशेष सब्सिडी दी जा रही है। इन क्षेत्रों में जल शुल्क की वसूली प्रति माह प्रति कनेक्शन 10 कि.ली. की निर्धारित औसत से की जा रही है। जन–कल्याण के उपाय के रूप में एक माह के दौरान 6 कि.ली. तक पानी की खपत के लिए सभी घरेलू उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उनसे केवल सेवा प्रभार वसूल किया जाता है। मौजूदा जल शुल्क की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

10.3 मौजूद जल–शुल्क के दो भाग हैं। इनमें एक है सेवा प्रभार और दूसरा है मात्रात्मक जल खपत प्रभार। ये शुल्क क्रमशः 1.12.2004 और 1.4.2005 से लागू हैं।

10.4 जिन कालोनियों/क्षेत्रों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर सेवाएं प्रदान की जा रहीं हैं/उनका रख–रखाव किया जा रहा है, वहां जल खपत प्रभार का 50 प्रतिशत सीवर रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूल किया जाता है।

10.5 अनेक आवासीय परिसरों वाली किसी कालोनी/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के लिए बॅल्क कनेक्शन के मामले में जल प्रभार की गणना समय–समय पर लागू घरेलू दरों से प्रति आवासीय इकाई–वार की जाएगी।

10-6 **<u>>Xxh >kiMh iuokl dkykfu;k vkj xkeh.k {k=k e fcuk ehVj d duD'kuk d fy, ty iHkkj</u> %&** प्रति कनेक्शन 10 कि.ली. प्रति माह की निर्धारित औसत से जल प्रभार और सेवा प्रभार। जल खपत दरें वहीं हैं जिनका उल्लेख पिछले पैरा में किया गया है।

यदि दिजबो द्वारा सीवर सेवाएं संचालित की जा रहीं हैं तो सीवर रख–रखाव प्रभार भी वसूल किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सभी उपभोक्ताओं से जल उप–कर वसूल किया जाता है जो केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार लिया जाता है।

11- o"kk ty lj{k.k

11.1 सभी सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे अपने भवनों/परिसरों में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली स्थापित करें। भवन कानूनों में संशोधित किया गया है और अब 100 वर्ग मीटर और उससे अधिक आकार के सभी नये भवनों के मामले में स्थानीय निकायों की मंजूरी के लिए पेश किए जाने वाले की निर्माण योजनाओं में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का प्रावधान अनिवार्य बना दिया गया है। लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, ने उनके द्वारा रखरखाव किए जा रहे भवनों/परिसरों में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली कायम की है।

11.2 दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्षा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए योजना कार्यक्रम पर अमल किया जा रहा है। सभी इच्छुक व्यक्तियों, निवासी कल्याण संगठनों, संस्थानों, आवास समितियों आदि को इस बारे में तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत रु. 1,00,000/– अथवा लागत का 50 प्रतिशत, इनमें जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। बड़ी संख्या में निवासी कल्याण संगठनों ने अपने–अपने क्षेत्रों में शुरू की गई वर्षा जल संरक्षण प्रणाली के उत्साहवर्धक नतीजे महसूस किए हैं।

12- ty lj{k.k

12.1 दिल्ली में करीब 10 हजार किलोमीटर की मुख्य जलापूर्ति लाइनों का नेटवर्क है, जिसका बड़ा हिस्सा 40 से 50 वर्ष तक पुराना है। इन लाइनों से भारी रिसाव की आशंका रहती है। आमतौर पर जल क्षति की गणना उत्पादित जल में से भुगतान प्राप्त जल या इस्तेमाल में लाये गये जल की मात्रा घटाकर की जाती है। दिल्ली के मामले में बिल से संबद्ध पानी या खपत और रिसाव से होने वाली क्षति का सही–सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिसंख्य मकानों में मीटर काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अनुमान के अनुसार वितरण क्षति कुल जलापूर्ति का 40 प्रतिशत तक हो जाती है। विकासशील देशों की तुलना में यह क्षति 10 से 20 प्रतिशत तक अधिक है। वितरण क्षति के अंतर्गत (क) पाइपों से रिसाव और (ख) अनधिकृत कनेक्शनों के जरिए पानी की चोरी शामिल है।

12.2 दिजबो ने रिसाव से होने वाली क्षति को कम से कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इस समस्या के समाधान के लिए रिसाव का पता लगाने और उसका निरीक्षण करने के लिए एक सैल बनाया गया

है। बोर्ड ने पिछले पांच वर्षों में करीब 1200 किलोमीटर लंबी पुरानी, क्षतिग्रस्त और रिसाव वाली मुख्य जल लाइनों को बदल दिया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप बोर्ड को उम्मीद है कि निकट भविष्य में वितरण क्षति में 20 प्रतिशत कमी आयेगी।

12.3 दिजबो ने हैदरपुर, भगीरथी , चन्द्रावल और वजीराबाद के चार प्रमुख जल शोधन संयंत्रों में बैकवॉश जल की रीसाइकलिंग का एक कार्यक्रम तैयार किया है। हैदरपुर में 16 एमजीडी क्षमता के रीसाइकलिंग संयंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है और भगीरथी, वजीराबाद तथा चन्द्रावल के संयंत्रों का निर्माण कार्य 2009 में पूरा किया जाएगा। इन सभी 4 जलशोधन संयंत्रों का काम पूरा होने के बाद बिना किसी अतिरिक्त कच्चे जल के करीब 45 एमजीडी अतिरिक्त जलापूर्ति उपलब्ध हो सकेगी।

13- ey&ty mipkj {kerk

13-1 दिल्ली जल बोर्ड की मल–जल उपचार क्षमता 31.03.2001 को 402.4 एमजीडी थी, जो मार्च 2008 में बढ़कर 512.40 एमजीडी हो गई। इसका ब्योरा नीचे दिया गया है।

fooj.k&13-7

क्र. स.	एसटीपी का नाम	31.03.2001 को क्षमता (एमजीडी)	31.03. 2008 को क्षमता (एमजीडी)	31.03.2008 को वास्तविक उपचार (एमजीडी)
1.	ओखला	140.00	140.00	131.81
2	केशोपुर	72.00	72.00	69.66
3	तिमार में ऑक्सीडेशन पोंड्स सहित कोरोनेशन पिलर	46.00	46.00	26.35
4	रिठाला	40.00	80.00	41.18
5	कोंडली I, II, III, IV	45.00	45.00	63.26
6	यमुना विहार I, II	10.00	20.00	9.65
7	वसन्त कुंज	5.00	5.00	3.94
8	घिटोर्नी	5.00	5.00	-
9	पप्पनकलां	20.00	20.00	13.20
10	नरेला	10.00	10.00	0.80
11	नजफगढ़	5.00	5.00	1.58
12	दिल्ली गेट	2.20	2.20	2.52
13	सेन नर्सिंग होम	2.20	2.20	2.45
14	रोहिणी	-	15.00	-
15	निलोठी	-	40.00	16.00
16	महरौली	-	5.00	1.20
	कुल	**402.40**	**512.40**	**383.62**

13.2 ये उत्सर्जन उपचार संयंत्र विभिन्न कारणों से अपनी पूर्ण स्थापित क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इन कारणों में एसटीपी और मुख्य लाइन तक मल–जल का बहाव कम होना तथा परिधीय सीवर लाइनों को अभी एसटीपी से न जोड़ा जाना, आदि शामिल हैं। वर्तमान में मल–जल उत्सर्जन करीब 716 एमजीडी = 770(जल उत्पादन)x 0.8) + 100 (निजी भूमिगत जल कर्शण) होता है, जिसमें से मात्र 384 एमजीडी का ही उपचार हो पाता है। यह गैर उपचारित मल–जल (332 एमजीडी) यमुना नदी में गिरता है, जो नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण है।

13.3 दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत करीब 6217 किलोमीटर लंबी शाखा, परिधीय सीवर लाइनों का नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त 160 किलोमीटर लंबी ट्रंक सीवर लाइन का नेटवर्क भी है। करीब 91 किलोमीटर ट्रंक सीवर का निपटारा किया गया और उनका कीचड़ साफ किया गया। 40 किलोमीटर लंबी ट्रंक सीवर लाइन की बदलने/कीचड़ साफ करने का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष 51 किलोमीटर लंबी लाइन के लिए यह कार्य प्रगति पर है।

13.4 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ''दिल्ली जलापूर्ति एवं मल–जल परियोजना'' के परामर्शदाता ने अनुमान लगाया है कि दिल्ली में 2021 में 5259 एमएलडी जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी और इस स्तर की जलापूर्ति से करीब 3760 एमएलडी अवजल का उत्सर्जन होगा। विवरण 13.8 में तत्संबंधी ब्योरा दिया गया है।

fooj.k&13-8

गंदे पानी का स्रोत	मात्रा, एमएलडी				
	2004	2005	2006	2011	2021
कुल जल मांग	2685	3763	4090	5181	6272
शुद्ध कुल जल आपूर्ति	2265	2362	2461	3573	5259
उत्सर्जित अवजल	1812	3010	3272	4144	5017
सीईटीपी में शोधन	200	217	234	346	755
जल–मल से बचे जल का अनुपात	14%	13%	13%	10%	5%
जल–मल क्षेत्र से बाहर	254	302	302	294	210
शुद्ध उत्सर्जित अवजल	1358	1722	1798	2218	3242
छानकर प्राप्त जल	518	518	518	518	518
शोधन के लिए प्राप्त कुल जल	1876	2240	2316	2736	3760

14- xank ty dk iqu% bLrseky

14.1 शहर और उसके आस–पास गंदे पानी का शोधन करने के बाद इसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई और बागवानी में किया जा सकता है। इसके अलावा बिजलीघरों में उपकरणों को ठंडा करने में भी इसका उपयोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त भूमिगत जल के स्रोतों को फिर से भरने, कच्चे पानी के स्रोत में मिलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जिस गंदे पानी में मानव मल नहीं होता उसका प्रयोग शौचालयों की सफाई आदि में किया जा सकता है।

14.2 इस समय दिल्ली जल बोर्ड कृषि विभाग को सिंचाई कार्यों के लिए 138 एमजीडी शोधित गंदा जल उपलब्ध कराता है। जल–मल शोधन संयंत्रों से यह पानी सीधे सिंचाई नहरों में छोड़ दिया जाता है।

14.3 जल–मल शोधन से प्राप्त जल के दोबारा प्रयोग की कई परियोजनाएं नियोजन और क्रियान्वयन स्तर पर हैं। इनमें बागवानी, सिंचाई और औद्योगिक इस्तेमाल से संबंधित योजनाएं शामिल हैं, जिनमें 46 एमजीडी (210 एमएलडी) तक ऐसे जल का इस्तेमाल हो सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के मल–जल उपचार संयंत्रों के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में डीएसआईआईडीसी द्वारा संचालित सीईटीपीज और स्लम एवं झुग्गी–झोपड़ी विभाग द्वारा संचालित मिनी मल–जल उपचार संयंत्रों द्वारा उपचारित जल भी उपलब्ध होता है।

14.4 18 प्रमुख नाले विभिन्न कारणों से यमुना नदी को प्रदूषित करते हैं। इनमें एक कारण यह भी है कि जिन क्षेत्रों में सीवर प्रणाली नहीं है वहां से अत्यधिक मात्रा में अशोधित मल–जल यमुना नदी में पड़ता है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए इन्टरसेप्टर सीवर बिछाने का फैसला किया गया है। इस परियोजना के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन कन्सलटेंट (पीएमसी) नियुक्त किया गया है और एक एसक्रो खाता खोला गया है। नालों में प्रवाह की मात्रा/गुणवत्ता के संदर्भ में आकंड़े एकत्र करने का काम पूरा कर लिया गया है। भू–तकनीकी सर्वेक्षण किया गया है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट सितम्बर 2008 में प्रस्तुत की गई और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 15 दिसम्बर 2008 को पेश की गई, जिसकी जांच की जा रही है ताकि टेन्डर बुलाये जा सकें।

14.5 दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास 4,451 हैक्टेयर खुला क्षेत्र है, जिसकी सिंचाई ट्यूबवेलों के माध्यम से होती है। दिल्ली नगर निगम के पास उपलब्ध खुले क्षेत्र की भी सिंचाई इसी जल से होती है। इसके अलावा केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों, प्राइवेट पार्कों और संपत्तियों, सड़क के किनारे बनी हरित पट्टियों और खेल स्टेडियमों आदि को भी यह जल उपलब्ध कराया जाता है। हरित क्षेत्र का रखरखाव और देखभाल करने वाली विभिन्न एजेंसियों का ब्योरा विवरण 13.9 में दर्शाया गया है।

fooj.k 13-9

एजेंसी	हरित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
एनडीएमसी	445
एमसीडी	2,428
डीडीए	4,451
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	2,200
वन विभाग	11,000
कुल	**20,524**

fooj.k&13-10

1	ल्यूटिन दिल्ली में बागवानी के प्रयोजन के लिए ओखला एसटीपी द्वारा सीपीडब्ल्यूडी को आपूर्ति किया गया उपचारित गंदा जल	20.00 एमजीडी
2.	डॉक्टर सेन नर्सिंग होम नाला और दिल्ली गेट नाला एसटीपीज़ द्वारा प्रगति पॉवर प्लान्ट को आपूर्ति किया गया उपचारित गंदा जल	4.00 एमजीडी
3.	रिठाला एसटीपी से रोहिणी में जापानी पार्क के लिए डीडीए को आपूर्ति किया गया उपचारित गंदा जल	5.00 एमजीडी
4.	ओखला ए सटीपी से 42 क्यूसेक, केशोपुर एसटीपी से 37 क्यूसेक, कोरोनेशन पिलर एसटीपी से 70 क्यूसेक उपचारित गंदा जल सिंचाई प्रयोजन के लिए लघु सिंचाई विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आपूर्ति किया गयां	80.5 एमजीडी
	कुल	**109.5 एमजीडी**

15- mRlftr ty ic/ku

15.1 लोगों के बाहर से आकर दिल्ली में बसने तथा अनधिकृत कालोनियों और झुग्गी–झोपड़ीवासियों की संख्या में बेतहासा वृद्धि से कई तरह की बस्तियां देखी जा सकती हैं। यहां 45 प्रतिशत से अधिक आबादी ऐसी ही अनियोजित बस्तियों में रह रही हैं। जहां जल मल प्रणाली उपलब्ध नहीं है। जनवरी 2000 में दिल्ली में गंदे पानी का अनुमानित उत्पादन और जल मल निकासी प्रणाली की सुविधा का लाभ उठाने वाली आबादी का विवरण तालिका 13.2 में दिया गया हैं। नियमित की गई अनधिकृत बस्तियों, झुग्गी–झोपड़ियों, पुनर्वास बस्तियों और शहरी गांवों में जल मल प्रणाली उपलब्ध कराने के कार्यक्रम पर अमल किया जा रहा है और इन कालोनियों की वर्तमान स्थिति तालिका 13.4 में देखा जा सकती है।

v/;k;&14
'kgjh fodkl

1. 'kgjhdj.k dh izofÙk

1.1 दिल्ली में शहरीकरण की प्रवृत्ति इस तथ्य में झलकती है कि शहरी क्षेत्र 1961 में 326.54 वर्ग किलोमीटर था, जो 1981 में बढ़कर 591.90 वर्ग किलोमीटर, 1991 में 700.23 वर्ग किलोमीटर और 2001 में 924.68 वर्ग किलोमीटर हो गया। शहरी क्षेत्र 1961 में 22 प्रतिशत, 1981 में 40 प्रतिशत, 1991 में 47 प्रतिशत और 2001 में कुल क्षेत्र का 62 प्रतिशत था। इसी प्रकार दिल्ली की शहरी जनसंख्या 1951 में 14.37 लाख थी, जो 1961 में बढ़कर 23.59 लाख, 1991 में 84.71 लाख और 2001 में 129.05 लाख पर पहुंच गई। दिल्ली की कुल संख्या में शहरी आबादी 1961 में 88.72 प्रतिशत थी, जो 1981 में बढ़कर 92.73 प्रतिशत, 1991 में 89.94 प्रतिशत और 2001 में 93.18 प्रतिशत हो गई।

1.2 2001 में दिल्ली की आबादी 1.38 करोड़ थी और मुंबई तथा कोलकाता के बाद दिल्ली भारत के सर्वाधिक आबादी वाले महानगरों में तीसरे स्थान में शामिल था। शहर की जनसंख्या में 1991–2001 के दौरान 3.85 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि हुई। अनुमान है कि अगले दशक के अंत तक दिल्ली की जनसंख्या में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाएगी। दिल्ली भारी भरकम शहर है, जहां मात्र 7 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

1.3 दिल्ली के तीव्र शहरीकरण से यहां की जनसंख्या के घनत्व में बड़ी तीव्र बढ़ोतरी हुई है। 1901 में यहां जनसंख्या घनत्व 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो 1951 में बढकर 1176 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2001 में बढ़कर 9294 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। दिल्ली में शहरी आाबदी का धनत्व 1961 में 7225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 1981 में बढ़कर 9745, 1991 में 12361 और 2001 में 13957 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर पहुंच गया। शहरीकरण की इस रफ्तार का प्रभाव राज्य की आय में प्राथमिक क्षेत्र के घटते योगदान के रूप में देखा जा सकता है। 1999–2000 में राज्य की आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 1.40 प्रतिशत था, जो 2007–08 में घटकर 0.74 प्रतिशत रह गया है।

2 'kgjh fodkl ifØ;k

2.1 भारत सरकार के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का काम सौंपा गया है। फिलहाल, मास्टर प्लान 2021 लागू की जा रही है। दिल्ली की पहली बृहत् योजना यानी मास्टर प्लान 1961–81 की अवधि के लिए बनाई गई थी। इसका विस्तार 2001 के लिए किया गया था। दिल्ली के

मास्टर प्लान डीडीए द्वारा तैयार किए जाते हैं और भारत सरकार द्वारा मंजूर किए जाते हैं ताकि इसमें आवास, रोजगार, सामाजिक, आधारभूत ढांचे, परिवहन आदि के लिए जगह के आवंटन के बीच संतुलन कायम किया जा सके और दिल्ली में अन्य सभी भौतिक ढांचागत तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। भूमि का उपयुक्त आवंटन और सार्वजनिक सेवाओं/भौतिक आधारभूत ढांचे का विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मास्टर प्लान दिल्ली 2001 में भूमि उपयोग की नौ श्रेणियों का प्रावधान किया गया था, जिसके अंतर्गत 37 अन्य उपयोग क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। दुर्भाग्य से, एक ओर भौतिक आधारभूत ढांचे और सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं के लिए संबद्ध एजेंसियों को पर्याप्त विकसित भूमि उपलब्ध कराने में असफल रहने और दूसरी ओर जनता को आवास के लिए वाजिब दामों में पर्याप्त विकसित भूमि की कमी के कारण मास्टर प्लान के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है।

2.2 दिल्ली के लिए महानगर आयोजना समिति के गठन संबंधी संवैधानिक प्रावधान नहीं किया जा सका क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी राज्य–क्षेत्र, दिल्ली की व्यवस्था अजीबोगरीब है, जहां भूमि और मास्टर प्लान के जरिए भूमि आयोजना दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तदनुरूप भारत सरकार ने राराक्षे दिल्ली सरकार को इस संवैधानिक प्रावधान से छूट दे रखी है।

2.3 दिल्ली सरकार ने शहरी ढांचे और पर्यावरण में सुधार के लिए 1999–2001 में पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 20 वर्ष की संदर्श योजना तैयार की है। डीयूईआईआईपी–21 परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा धन की व्यवस्था की गयी।

2.4 दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 2021 की मास्टर प्लान तैयार करने में डीयूईआईआईपी–21 के निश्कर्शों और सिफारिशों को ध्यान में रखा है। निम्नांकित विवरण में दिल्ली की मास्टर प्लान–2021 में निर्दिष्ट भूमि इस्तेमाल योजना, जोन विकास योजना और विशेष क्षेत्र नियमन संबंधी ब्योरा दिया गया है।

fooj.k 14-1

Hkwfe bLrseky ;kstuk 2021 ¼,eihMh&2021 dk lkj½

भूमि इस्तेमाल योजना 2021 निम्नांकित आधार पर तैयार की गई हैं :–

(i) विभिन्न शहरी गतिविधियों के लिए नीतियां घोषित की गई हैं,

(ii) अतिरिक्त सामाजिक और भौतिक ढांचे की आवश्यकता,

(iii) परिवहन और कार्यस्थल

(iv) पहले से स्वीकृत क्षेत्रीय विकास योजनाएं और भूमि उपयोग मानदंड।

राराक्षे. दिल्ली का मानचित्रण दूर संवेदन और जीआईएस उपकरणों का इस्तेमाल करके किया जाएगा और उसे समय–समय पर अद्यतन भी किया जाएगा ताकि जमीनी स्थिति के बारे में बहुमूल्य आंकड़े शामिल किए जा सकें और अनधिकृत विकास और सरकारी भूमि पर कब्ज़े जैसी घटनाओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के उपाय किए जा सकें और साथ ही हरित क्षेत्रों का संरक्षण किया जा सके। क्षेत्रीय योजनाओं में मास्टर प्लान–2021 की नीतियों पर अमल किया जाएगा और वे लेआउट प्लान और मास्टर प्लान के बीच संपर्क के रूप में काम करेंगी।

fo'ks"k {ks= fu;eu ¼,eihMh&2021 ls lkj½

विकास के प्रयोजन के लिए पुरानी दिल्ली (वॉल्ड सिटी) और उसका विस्तार, करोल बाग तथा इनके समीपस्थ क्षेत्र विशेष क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किए गये है क्योंकि इस क्षेत्र को विकास संहिता में वर्णित सामान्य नियमों के आधार पर विकसित नहीं किया जा सकता। इस विशेष क्षेत्र के लिए पुनर्विकास योजना तैयार की जानी चाहिए और दिल्ली नगर निगम द्वारा इसे तीन वर्ष के भीतर अधिसूचित किया जाना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा तीन वर्ष के भीतर स्थानीय निकाय के परामर्श से विशेष क्षेत्र भवन निर्माण नियम तैयार किए जाएंगे और केन्द्र सरकार की मंजूरी के साथ उन्हें अधिसूचित किया जाएगा।

प्राधिकरण अन्य ऐतिहासिक/1962 से पूर्व विकसित क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र घोषित कर सकता है। (स्रोत : एमपीडी–2021.)

2.5 दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय और योजना आयोग से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना–2021 को समय पर और प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाए ताकि दिल्ली में पलायन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की धारणा के पीछे यही प्रमुख उद्देश्य भी रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का समर्थन दिल्ली की प्रथम बृहत् योजना–1961 में किया गया था और भारत सरकार ने इसे स्वीकार किया था।

3- iokl

3-1 देश में सभी बड़े शहरों और विश्व के भी बड़े शहरों की भांति राष्ट्रीय राजधानी शहर दिल्ली को हर वर्ष भारी संख्या में आंतरिक प्रवास की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इससे मौजूदा बुनियादी ढांचे और रख–रखाव सेवा पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। किन्तु, दिल्ली सरकार विभिन्न नागरिक ढांचागत सुविधाओं के निरतंर उन्नयन के जरिये इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है। सरकार प्रवासियों की जीवन स्थितियों में सुधार के भी उपाय करती है, जिनमें से ज्यादातर लोग आर्थिक रूप में कमजोर वर्गो से संबद्ध होते हैं। दिल्ली में प्रवास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों का उल्लेख नीचे विवरण में किया गया है :–

fooj.k 14-2

iokl h&iyk;u d oxhZdr dkj.k

कारण	% प्रवास	
	1981-91	1991-2001
रोजगार	31.29	37.6
व्यापार	4.07	0.5
शिक्षा	2.28	2.7
परिवार का स्थानांतरण	41.45	36.8
विवाह	15.62	13.8
प्राकृतिक आपदा	0.13	-
अन्य	5.16	8.6

3-2 निम्नांकित विवरण में पिछले निवास के आधार पर प्रवासियों का वर्गीकरण किया गया है।

fooj.k 14-3

iokl h& fiNy fuokl LFkku d vk/kkj ij oxhZdj.k

पिछला निवास स्थान	दिल्ली में प्रवासी (प्रतिशत)	
	1981-91	1991-2001
उत्तर प्रदेश	48.25	40.05
हरियाणा	11.51	7.87
बिहार	10.69	19.09
उत्तरांचल	-	5.11
राजस्थान	6.00	4.06
पंजाब	5.28	2.16
पश्चिम बंगाल	2.72	3.88
मध्यप्रदेश	2.64	1.82
अन्य	**12.91**	**15.96**

3.3 इसके अतिरिक्त नौकरी, चिकित्सा देखभाल, अध्ययन और शॉपिंग आदि के लिए हर रोज बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में आते हैं, जिन्हें दिल्ली की अस्थायी आबादी के रूप में जाना जाता है।

3.4 जुलाई और दिसम्बर, 2002 में कराए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 58वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2002 में करीब 33234 परिवार दिल्ली में स्थानांतरित हुए, जिनमें से 84.89 प्रतिशत परिवार स्थायी रूप में और 15.11 प्रतिशत मौसमी आधार पर दिल्ली आए।

4- vkokl

4.1 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 25.54 लाख परिवार थे, जबकि 1991 की जनगणना की संख्या 18.62 लाख थी। 2001 की जनगणना में यहां मकानों की संख्या 33.80 लाख आंकी गई थी, जिनमें से 30.2 लाख मकानों में लोग रह रहे थे, जबकि 3.78 लाख खाली पड़े थे। आबाद मकानों में से केवल 23.16 लाख (78.18 प्रतिशत) का ही इस्तेमाल केवल रिहायश के लिए किया जा रहा था। भारत सरकार द्वारा संशोधित दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम अभी अधिसूचित किया जाना है। दिल्ली में कुल मौजूदा मकानों के बेहतर और पूर्ण उपयोग के लिए दिल्ली किराया अधिनियम को तत्काल अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है।

4.2 2001 में 19.24 लाख परिवारों को नलों से पानी उपलब्ध कराया जा रहा था, जबकि 1991 में इस तरह के परिवारों की संख्या 14.09 लाख थी। जहां 1991 की जनगणना में 20.06 प्रतिशत परिवार हैंडपम्पों के पानी पर निर्भर थे, वहीं 2001 की जनगणना में यह निर्भरता घटकर 18.68 प्रतिशत रह गई। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वितरण में होने वाली पानी की क्षति और बेहिसाब–किताब हो रहे पानी के प्रवाह पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली में विभिन्न प्रकार की बस्तियों के लोगों के लिए अधिक पानी उपलब्ध कराया जा सके।

4.3 2001 में 23.72 लाख परिवारों (92.86%) को बिजली उपलब्ध थी और शेष 7.14 प्रतिशत परिवार मिट्टी के तेल, सौर ऊर्जा पर निर्भर थे। बिजली के वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बाद बिजली के कनेक्शन लेने की प्रक्रिया सरल बनाई गई है और उसमें सुधार किया गया है।

4.4 शौचालय सुविधा 11.61 लाख परिवारों को उपलब्ध थी। 12.55 लाख परिवार बंद निकासी प्रणाली से जुड़े थे, जबकि 10.41 लाख परिवार खुली निकासी प्रणाली पर निर्भर थे। प्रत्येक वार्षिक योजना में पर्याप्त धन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि सीवर रहित बस्तियों को सीवर प्रणाली नेटवर्क से जोड़ा जा सके। ऐसी बस्तियों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी किया जा रहा है, जहां घरों में शौचालय सुविधाएं नहीं हैं।

4.5 2001 में 16.87 लाख परिवारों को अलग रसोई घर की सुविधा उपलब्ध थी 17.37 लाख परिवार खाना पकाने के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे थे।

4.6 भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप मिशन–दो ''शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)'' के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों और स्लॅम निवासियों के लिए मकान बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा अब तक 1814.46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 15 परियोजनाएं (डीएसआईआईडीसी की 10, डीडीए की 1 और दिल्ली नगर निगम के स्लम विंग की 4 परियोजनाएं) मंजूर की जा चुकी हैं।

5- cfLr;k dk izdkj

5.1 विभिन्न श्रेणियों के लोगों को विकसित भूमि पर्याप्त और उचित दामों पर उपलब्ध न होने और प्रवासियों के निरन्तर प्रवाह के कारण दिल्ली में कई तरह की अनियोजित बस्तियां बस गई हैं। दिल्ली के भू–परिदृश्य में नागरिक सुविधाओं के स्तर और मकानों तथा भूमि की स्थिति के अनुसार निम्नांकित प्रकार की बस्तियां यहां मौजूद हैं। डीयूईआईआईपी–2021 के अनुसार विभिन्न प्रकार की बस्तियों में वर्ष 2000 में अनुमानित जनसंख्या विवरण 14.4 में दी गई है।

fooj.k& 14-4

cfLr;k dk izdkj

क्र. सं.	बस्ती का प्रकार	2000 में अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	कुल अनुमानित जनसंख्या का %
1.	झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियां	20.72	14.8
2.	निर्दिष्ट स्लम क्षेत्र	26.64	19.1
3.	अनधिकृत कालोनियां	7.40	5.3
4.	झुग्गी–झोंपड़ी पुनर्वास कालोनियां	17.76	12.7
5.	ग्रामीण गांव	7.40	5.3
6.	नियमित–अनधिकृत कालोनियां	17.76	12.7
7.	शहरी गांव	8.88	6.4
8.	योजनाबद्ध कालोनियां	33.08	23.7
	कुल	**139.64**	**100.00**

lkr % दिल्ली शहरी पर्यावरण और आधारभूत संरचना सुधार परियोजना (डीयूईआईआईपी–2021)

5.2 विभिन्न प्रकार की बस्तियों, विशेष रूप से अनियोजित बस्तियों के बसने से दिल्ली में शहरी परिदृष्य बड़ा ही अजीबो–गरीब हो गया है और संबद्ध एजेंसियों के लिए इसका प्रबंधन बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली सरकार इन बस्तियों को लोगों के रहने योग्य बनाने के उद्देश्य से उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारी खर्च उठा रही है। नीचे के अनुच्छेदों में यह बात स्पष्ट हो जाएगी।

fu;fer&vuf/kd`r dkyksfu;k

5.3 भारत सरकार ने 1977 में 567 कालोनियों को नियमित किया था। इन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1979–80 में एक योजनागत कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। मार्च 2009 तक इन कालोनियों के विकास के लिए 1242.25 करोड़ रुपये (योजनागत कोष से) जारी किए जा चुके थे। इस राशि में बिजलीकरण और ठोस कचरा निपटान प्रणाली की लागत शामिल नहीं है। 567 कालोनियों में से मार्च 2009 तक 526 कालोनियों में सीवर सुविधा उपलब्ध कराई गई । बाकी 41 कॉलोनियों को भी यह सुविधा चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

>qXxh&>ksiM+h iquokZl dkyksfu;k

5.4 दिल्ली में झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के पुनर्वास की योजना 1961 में प्रारम्भ हुई थी। इस योजना की शुरुआत झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में रहने वाले 3560 परिवारों को दो कमरों के आवास उपलब्ध कराने से हुई। बाद में इस तरह की बस्तियों में रहने वाले परिवारों को फिर से बसाने के लिए 80 वर्ग मीटर के प्लॉट उपलब्ध कराए गए। बाद में प्लॉट का आकार घटाकर 40 वर्ग मीटर और इसे फिर से घटाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया। 1975–77 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 26 नई पुनर्वास बस्तियों का विकास कर उनमें करीब 1.97 लाख परिवारों को बसाने का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया। 1979–80 में इन 44 पुनर्वास बस्तियों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और इनमें सुधार के लिए एक योजनागत कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस तरह झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों के करीब 2.4 लाख परिवारों का पुनर्वास किया गया। 1988–89 में इन झुग्गी–झोंपड़ी पुनर्वास बस्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित किया गया । 1979–80 से मार्च 2009 तक दिल्ली सरकार इनके रखरखाव के लिए योजना खर्च के अंतर्गत 730.23 करोड़ रुपये (योजना राशि जारी) और गैर योजना खर्च के अंतर्गत 1063.87 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है । सभी 44 झुग्गी–झोंपड़ी पुनर्वास कालोनियों में नलों के जरिए जलापूर्ति और सीवर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

'kgjhd`r xk¡o

5.5 दिल्ली की मास्टर प्लान–1961 के अनुसार विकास कार्य प्रारम्भ होने के साथ ही दिल्ली के शहरी क्षेत्र में स्थित गांवों को शहरीकृत गांव घोषित किया गया। 1961 में दिल्ली में 20 शहरीकृत गांव थे और इस समय शहरीकृत गांवों की संख्या करीब 135 है। शहरीकृत गांवों में नागरिक सेवाओं में सुधार का एक योजना कार्यक्रम 1979–80 में शुरू किया गया। 1987–88 तक इस कार्यक्रम को भी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा था।

इसके बाद उसे दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित किया गया। 1979–80 से मार्च 2009 तक इन गांवों के विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड को 366.09 करोड़ रुपये (योजना राशि) जारी किए गए।

vf/kd`r dkyksfu;k

5.6 हालांकि अधिकृत कालोनियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना मूल रूप से दिल्ली नगर निगम का दायित्व है, लेकिन निगम के पास धनाभाव के कारण 1997–1998 में स्वीकृत कालोनियों के विकास के लिए एक नया योजना कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, तब से लेकर मार्च 2009 तक इन कालोनियों में सड़क, नालियों, उद्यानों, फुटपाथ आदि बनाने जैसे विकास कार्यों के लिए 539.90 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

vuf/kd`r dkyksfu;k

5.7 1993 में दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की एक सूची शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई थी। इसके अनुसार 1071 अनधिकृत कालोनियां थीं। मुकद्दमेबाजी और अन्य नीतिगत मुद्दो की वजह से इन कालोनियों को नियमित किए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सका। दिल्ली सरकार ने 1997–98 में इन कालोनियों में सड़कों का निर्माण, सड़क के दोनों ओर नालियों का निर्माण और स्वच्छता स्थितियां बनाए रखने के लिए निचले क्षेत्रों में भराव, जैसी न्यूनतम नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक योजना कार्यक्रम शुरू किया। ये न्यूनतम सुविधाएं केवल उन अनधिकृत कालोनियों में प्रदान की जा रही है, जो निजी भूमि पर स्थित हैं। दिल्ली सरकार ने इस योजना कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2008 तक 1153.46 करोड़ रुपए योजना राशि के रूप में जारी किए। 2008–09 की वार्षिक योजना के अंतर्गत इसके लिए 915.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए एक बोर्ड मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मे गठित किया है जो कि दिल्ली सरकार को इन कालोनियों को नियमित करने की सलाह देगी । कुल 1639 प्रार्थना पत्र इन कालोनियों से प्राप्त हुए हैं तथा 1223 कालोनियों को 2008 में अस्थाई नियमित प्रमाणापत्र दिए गये थे। नियमित करने का कार्य प्रगति पर है।

>Xxh&>ksiM+h cfLr;k

5.8 एक ओर लोगों के बाहर से आकर बसते रहने और दूसरी ओर आवास सुविधा की कमी, खासतौर पर गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध न होने से दिल्ली में झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में लोगों के बसने का सिलसिला स्वतंत्रता से पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन 1970 तक ऐसी बस्तियां नियंत्रण में थीं और इनमें रहने वाले अधिकतर परिवारों (43,000) का पुनर्वास कर दिया गया था। 1970 के बाद दिल्ली में आकर बसने वालों की संख्या में जो भारी बढ़ोतरी हुई है, उससे झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों की बाढ़ आ गई है।

5.9 दिल्ली सरकार ने 1990 में एक सर्वेक्षण के जरिए झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों की सही–सही संख्या का पता लगाने का प्रयास किया था। इसमें 929 बस्तियों और उनमें रहने वाले 2.59 लाख परिवारों का पता चला था। दिल्ली

नगर निगम की स्लम शाखा के अनुमानों के अनुसार दिल्ली में इस समय 1100 झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियां हैं जिनमें लगभग 6 लाख परिवार रहते हैं। लेकिन 2001 की जनगणना के नतीजों से संकेत मिलता है कि दिल्ली में केवल 20 लाख लोग स्लम और झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में रह रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी झुग्गी–झोंपड़ी वासियों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कुछ झुग्गी बस्तियों में यथा स्थान सुविधाओं में सुधार का कार्य भी किया गया। तब से मार्च 2009 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 796.13 करोड़ रुपये (योजना राशि जारी) खर्च किये जा चुके हैं। स्लम शाखा द्वारा योजना कार्यक्रमों को लागू किए जाने के साथ ही कई अन्य एजेंसियां/विभाग इस तरह की बस्तियों में रहने वाले परिवारों के कल्याण के लिए योजनागत कार्यक्रम चला रहे हैं। कुल मिलाकर विभिन्न विभाग इन कार्यक्रमों को लागू करने में हर साल करीब 80–100 करोड़ रुपये की योजना राशि व्यय कर रहे हैं।

5.10 जुलाई और दिसम्बर, 2002 में कराए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 58वें दौर के अनुसार स्लॅम क्षेत्रों में निम्नांकित विशेषताएं सामने आयीं।

fooj.k 14-5

1	स्लॅम बस्तियों की कुल संख्या	1867
2	परिवारों की कुल संख्या	3.79 लाख
3	अधिसूचित स्लॅम	16.71%
4	गैर–अधिसूचित स्लॅम	83.29 %
5	निम्नांकित में स्लॅम का प्रतिशत	
	क. स्थानीय निकायों के स्वामित्त्व वाली भूमि	65.56
	ख. सरकारी एजेंसियों के स्वामित्त्व वाली भूमि	13.58
	ग. अज्ञात के स्वामित्त्व वाली भूमि	22.00
6	स्थल के अनुसार स्लॅम का प्रतिशत	
	क. नालों के आस पास	17.68
	ख. रेलवे लाइन के आस पास	45.00
	ग. अन्य स्थानों पर	37.32
7	निम्नांकित के इर्द–गिर्द स्लॅम का प्रतिशत	
	क. रिहायशी क्षेत्रों	60.00
	ख. औद्योगिक क्षेत्रों	37.00
	ग. वाणिज्यिक क्षेत्रों	1.60
	घ. अन्य प्रकार के क्षेत्रों	1.40
8	झुग्गी–झोपडियों का प्रतिशत जिनमें ये उपलब्ध हैं।	
	क. पक्की सड़के	45
	ख. कच्ची सड़कें	55

>Xxh&>kiMh fuokfl;k dk iuokl

5.11 परियोजना स्थलों पर झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में रहने वालों के अतिक्रमण से योजनाओं को लागू करने वाले विभागों/एजेंसियों को अपनी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बड़ी मुसीबतें आती हैं। परियोजना स्थलों पर अतिक्रमण की इस समस्या के समाधान के लिए स्लम शाखा के माध्यम से वर्ष 1990 में एक योजनागत कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से मार्च 2008 स्लम शाखा ने झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में रहने वाले 66,175 परिवारों का पुनर्वास किया है।

5.12 1990–2008 के बीच जिन 66,175 परिवारों का पुनर्वास किया गया, उनमें से 12,346 परिवार दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन से, 8,861 लोक निर्माण विभाग की भूमि से, 8,615 एल और डीओ की जमीन से, 4,830 को दिल्ली नगर निगम की जमीन से और 3,030 परिवारों को नई दिल्ली नगर परिषद की जमीन से हटाकर बसाया गया। इसके अलावा 3,354 परिवारों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, 2,427 महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, 3,994 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, 2,759 को दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन, 15,959 को पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, वन विभाग, बिक्री कर विभाग आदि की जमीन से हटाया गया। दिल्ली सरकार झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों से हटाए गए प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये की योजनागत सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2009 तक 185.48 करोड़ (योजना राशि जारी) खर्च किए जा चुके थे।

6- ;euk ikj {k=h; fodkl ckM

6.1 यमुना पार इलाके के कारगर विकास के लिए 1994 में यमुना पार क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड यमुना पार क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्य की स्वीकृति और सिफारिश करता है। 1994–95 से 2007–08 के दौरान दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विद्युत बोर्ड, लोक निर्माण विभाग जैसी विभिन्न एजेंसियों को 982.10 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसमें से इन एजेंसियों ने इस इलाके में बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए 882.67 करोड़ रुपये खर्च किए। विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा किए गए योजना खर्च का ब्योरा तालिका 14.7 में दिया गया है।

7- jk"Vh; jkt/kkuh {k=

7.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास की विशेषता यह है कि जहां दिल्ली में भौतिक और आर्थिक विकास की चमक दिखायी देती है, वहीं इस क्षेत्र के अन्य हिस्से अपेक्षाकृत अल्प विकसित हैं। यह संसाधनों के अभावों की नहीं, बल्कि मुख्य रूप से आपसी संबंधों की समस्या है, जिससे इस क्षेत्र में असंतुलित विकास हुआ है। इसमें बाहरी क्षेत्रों, जो मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि पर आधारित हैं, के आर्थिक दृष्टि से अधिशेष संसाधनों का दोहन मुख्य क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है, और परिधीय क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत विकास दिखायी देता है, वह ज्यादातर मुख्य क्षेत्र की विस्तारित आवश्यकताओं का नतीजा है।

7.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने जनवरी, 1989 में क्षेत्रीय योजना 2001 अधिसूचित की। इसके अंतर्गत 30,242 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया। अब इस क्षेत्र को बढ़ाकर 33,578 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। राजस्थान के समूचे अलवर जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना 2021 में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित इलाके शामिल हैं:–

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (1,483 वर्ग किलोमीटर)
- हरियाणा उप क्षेत्र (13,413 वर्ग किलोमीटर), जिसके अंतर्गत फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, रिवाडी, झज्जर और पानीपत जिले शामिल हैं।
- राजस्थान उप क्षेत्र (7,829 वर्ग किलोमीटर), जिसके अंतर्गत समूचा अलवर जिला शामिल है।
- उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र (10.853 वर्ग किलोमीटर), जिसके अंतर्गत मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर और बागपत जिले शामिल हैं।

7.3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने समूचे एनसीआर के विकास लिए ''क्षेत्रीय योजना 2021 तैयार की'' और उसे 17.09.2005 को अधिसूचित किया। क्षेत्रीय योजना में परिधीय एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण, क्षेत्रीय रेल नेटवर्क, बिजली, पानी, दूरसंचार, ठोस कचरा प्रबंधन, सीवर व्यवस्था, सिंचाई और ग्रामीण विकास जैसी ढांचागत सुविधओं की व्यवस्था है।

7.4 दिल्ली सरकार ने संबद्ध राज्य सरकारों और विकास प्राधिकरणों द्वारा इस क्षेत्र में चलायी जाने वाली विभिन्न बुनियादी विकास परियोजनाओं, के लिए मार्च, 2009 तक एनसीआर योजना बोर्ड को 350.75 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

जारी किए गए धन का वर्षवार ब्योरा नीचे दिया गया है :–

fooj.k 14-6

क्र.स.	पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजना	जारी धन (करोड़ रुपये में)
1	5वीं पंचवर्षीय योजना	13.75
2	6 वीं पंचवर्षीय योजना	120.00
3	2003-04	30.00
4	2004-05	30.00
5	2005-06	30.00
6	2006-07	27.00
7	2007-08	50.00
8	2008-09	50.00
	कुल	**350.75**

8- पुराना शहर का विकास

पुरानी दिल्ली क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने और इसके परंपरागत स्वरूप को बनाए रखने के लिए जामा मस्जिद क्षेत्र के वास्ते पुनर्विकास की एक व्यापक योजना तैयार की गयी है। इसमें जामा मस्जिद, चांदनी चौक और लालकिला क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और अतीत का गौरव बहाल करने के लिए विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा व्यवसायियों को शामिल किया गया है। सीआरआरआई ने इस क्षेत्र में कराए गए व्यवस्थित अध्ययन के आधार पर एक परिवहन प्रबंधन योजना भी विकसित की है, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपाय सुझाए गए हैं। पुराने शहर /शाहजहानाबाद के पुर्नविकास के लिए एक स्पेशल वाहन की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

9- प्रवेश बिंदुओं का सौन्दर्यीकरण

सरकार ने दिल्ली के सभी प्रमुख प्रवेश बिंदुओं के सौन्दर्यकरण की योजना बनायी है। पहले प्रमुख प्रवेश बिंदु, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–1 का विकास सिंघु बार्डर पर गुरु तेग बहादुर के स्मारक के रूप में किया जा रहा है। इस प्रयोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और डीटीटीडीसी विभाग द्वारा स्मारक के विकास का काम शुरु कर दिया गया है। 2008–09 तक भूमि और भवन विभाग को भूमि की लागत के लिए 2.93 करोड़ रुपये और डीटीटीडीसी को स्मारक के विकास और निर्माण के लिए 21.61 करोड़ रुपये दिये गए हैं। निर्माण कार्य प्रगति पर है और वित्त वर्ष 2009–10 में इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजमार्ग–1 के सौंदर्यकरण के अलावा दिल्ली में प्रवेश क कुछ अन्य बिन्दुओं के सौंदर्यकरण का भी प्रस्ताव है।

10- शहरी नवीकरण मिशन

10.1 दिल्ली सरकार ने ''जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन'' के अंतर्गत कुछ प्रमुख प्राथमिकता परियोजनाओं को लागू करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत परियोजनाओं का चयन करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति बनायी गयी है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाएं निम्नांकित हैं:–

क. उच्च क्षमता बस प्रणाली सहित एकीकृत बहु–माध्यम परिवहन प्रणाली

ख. दिननि और नदिनप द्वारा बहुस्तरीय पार्किंग परिसर

ग. सीवर प्रणाली में सुधार

घ. कम लागत के मकान

ङ गरीबों के लिए रैन बसेरे

भारत सरकार ने उपमिशन ''शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं'' के अंतर्गत अब तक 1814.46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 15 परियोजनाएं मंजूर की हैं।

10.2 राराक्षे. दिल्ली सरकार ने 41 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इन परियोजनाओं पर 8189.33 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इनके अंतर्गत गलियारा सुधार, फ्लाई ओवरों, ग्रेड सेपरेटरों, अंडर पासों का निर्माण, दिल्ली में जलापूर्ति और स्वच्छता प्रणाली में सुधार जैसे क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सृजित करना/उनका परिश्कार करना और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के उपमिशन–1,''बुनियादी ढांचा और प्रशासन'' के अंतर्गत दिल्ली को सुन्दर बनाने संबंधी अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कनाट प्लेस के पुनर्विकास के लिए 2008–09 के दौरान 253.78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नदिनप द्वारा लागू की जा रही पुनर्विकास परियोजना को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने 2008–09 के दौरान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 285.11 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जा रही एक अन्य परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत 4 नये मल–जल उपचार संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा।

11- jk"VeMy [ky

दिल्ली 2010 में होने वाले राश्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला शहर हैं। खेलों की सफलता पूर्वक मेजबानी करने के लिए मौजूदा ढांचे को उन्नत बनाने और खेलों के लिए विकसित किए जाने वाले नये परिसरों में ढांचागत सुविधाएं प्रदान की आवश्यकता है। इसके लिए 8942.45 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न परियोजनाओं की पहचान की गयी है, और वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इन चुनी हुई परियोजनाओं को लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली जल बोर्ड, शिक्षा निदेशालय, परिवहन विभाग और चिकित्सा विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण, अक्षरधाम मंदिर के निकट खेल गांव और अन्य ढांचे का विकास कर रहा है।

v/;k; 15
f'k{kk

1. शिक्षा के महत्त्व की अनदेखी नहीं कभी नहीं की जा सकती क्योंकि व्यापक सामाजिक मुद्दे और सुधार इसके साथ जुड़े हुए हैं। लोगों को कौशल और ज्ञान प्रदान करने में शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेश है। शिक्षा लोगों के लिए आर्थिक अवसरों में सुधार लाने और उनमें क्षमताओं का सष्जन, उनके कौशल स्तर में बढ़ोतरी तथा उन्हें अधिक उत्पादक रोजगार प्रदान करके उनके जीवन की गुणवता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 2007–08 में करीब 100264 शिक्षक 5,022 स्कूलों में दाखिल करीब 34.90 करोड़ बच्चों को पढ़ा रहे थे। इनमें 2620 पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्कूल, 643 मिडिल स्कूल, और 1759 उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ मा यमिक स्कूल थे (तालिका 15.1)।

2. दिल्ली की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। दिल्ली के करीब 82 प्रतिशत लोग साक्षर हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता की औसत 65 प्रतिशत है। परन्तु, मुम्बई (87 प्रतिशत) की तुलना में दिल्ली इस क्षेत्र में पीछे है। दिल्ली में साक्षरता की दर 1951 में 38.4 प्रतिशत थी, जो 2001 में बढ़कर 81.8 प्रतिशत हो गयी। इसी अवधि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता 18.3 प्रतिशत से बढकर 65.4 प्रतिशत पर पहुंच गयी। पिछले दशक (1991–2001 में दिल्ली की साक्षरता दर में 6.5 प्रतिशत का सुधार हुआ है, जबकि इसकी तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर 13.2 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

pkVZ 15-1

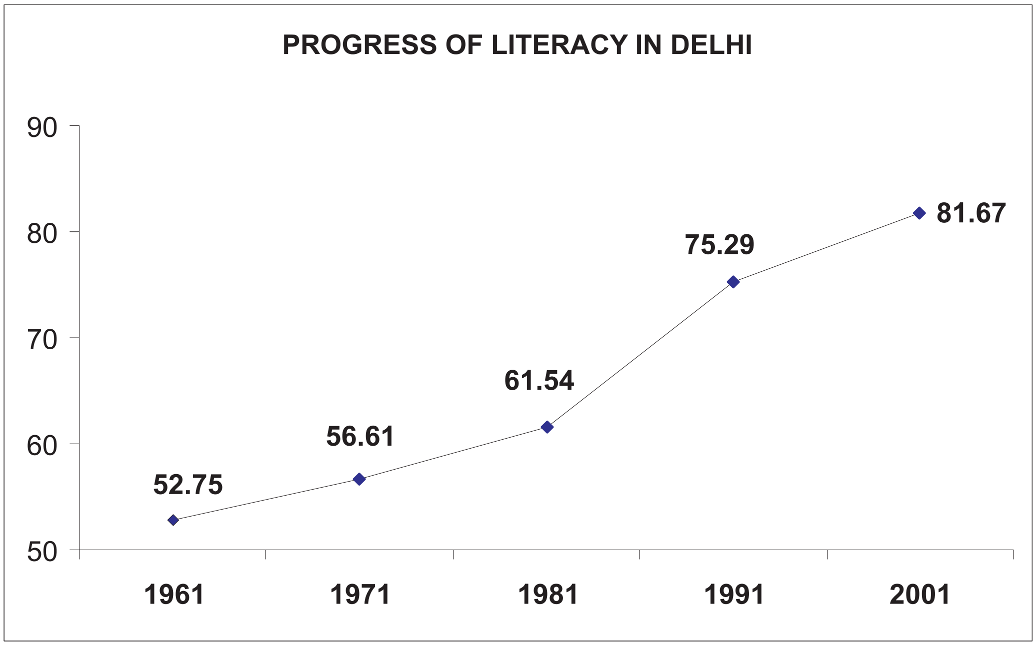

3. साक्षरता के मामले में अखिल भारतीय परिदृष्य की तुलना में दिल्ली की स्थिति बेहतर है। दिल्ली में पुरुषों की साक्षरता की दर 1991 के 82.01 प्रतिशत की तुलना में 2001 में 87.4 प्रतिशत हो गयी। राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों की साक्षरता की दर 1991 की 64.1 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 75.8 प्रतिशत हो गयी। महिलाओं के मामले में दिल्ली में उनकी साक्षरता 1991 में 67 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2001 में 75 प्रतिशत हो गयी। राष्ट्रीय स्तर पर महिला साक्षरता दर 39.3 प्रतिशत से बढ़कर 54.2 प्रतिशत हो गयी। स्वयं दिल्ली के भीतर साक्षरता की दर 78 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक दर्ज हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में साक्षरता की दर सबसे कम और पूर्वी दिल्ली में सबसे अधिक है। दिल्ली में अन्य राज्यों से लोगों के लगातार यहां आकर बसने से पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य बहुत दूर लगता है। साक्षरता दर की तुलनात्मक जानकारी तालिका 15.2 में दर्शायी गयी है।

f'k{kk {k= e fuos'k

4 शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए दिल्ली सरकार कुल योजना आवंटन का 10 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र पर खर्च कर रही है। पिछले पांच वर्षों में दिल्ली सरकार के कुल योजना खर्च में शिक्षा क्षेत्र (सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कला एवं संस्कृति और खेल) की हिस्सेदारी विवरण 15.1 में दर्शायी गयी है।

fooj.k&15-1

f'k{kk {k= d vrxr 0;;

¼#i;s djksM+ e½

योजना	वर्ष	कुल योजना व्यय	शिक्षा के क्षेत्र में व्यय	कुल योजना व्यय का प्रतिशत
वार्षिक योजना	2004-05	4260.53	361.81	8.49
वार्षिक योजना	2005-06	4286.30	353.71	8.25
वार्षिक योजना	2006-07	5083.70	478.76	9.42
वार्षिक योजना	2007-08	8747.55	745.81	8.53
वार्षिक योजना	2008-09	10000.00	1032.20	10.32

CHART 15.2

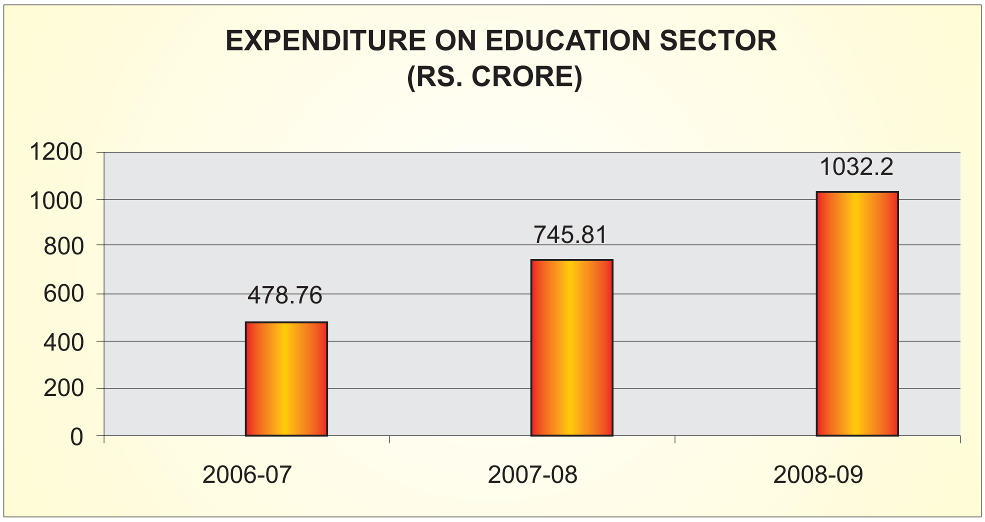

f'k{kk ij 0;;

5. दिल्ली सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.56 प्रतिशत से 1.83 प्रतिशत तक शिक्षा पर खर्च कर रही है। निम्नांकित विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

fooj.k&15.2

Idy jkT; ?kjsyw mRikn ds ifr'kr ds :i esa f'k{kk ij [kpZ

वर्ष	जीएसडीपी* (करोड़ रु. में)	शिक्षा पर व्यय ** (करोड़ रु. में)	जीएसडीपी के % के रूप में शिक्षा पर खर्च
2003-04	79468	1272	1.60
2004-05	92053	1682	1.83
2005-06	105815	1662	1.57
2006-07	125282	1952	1.56
2007-08	143911	2475	1.72

Ikzr % * आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

**आरबीआई पब्लिकेशन स्टॅडी ऑन बजट–2008

ifr O;fDr O;;

6. दिल्ली में शिक्षा (खेल और कला एवं संस्कृति सहित) पर प्रति व्यक्ति खर्च राष्ट्रीय स्तर से काफी ऊंचा है।

fooj.k& 15-3

f'k{kk ij ifrO;fDr O;;*

¼#i;s e½

वर्ष	दिल्ली	सभी राज्य
2005—06	1050	722
2006—07	1198	820
2007—08	1477	968
2008—09	1753	1098

*इसमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और कला एवं संस्कृति क्षेत्र के लिए योजना + गैर योजना व्यय शामिल है।

CHART 15.3

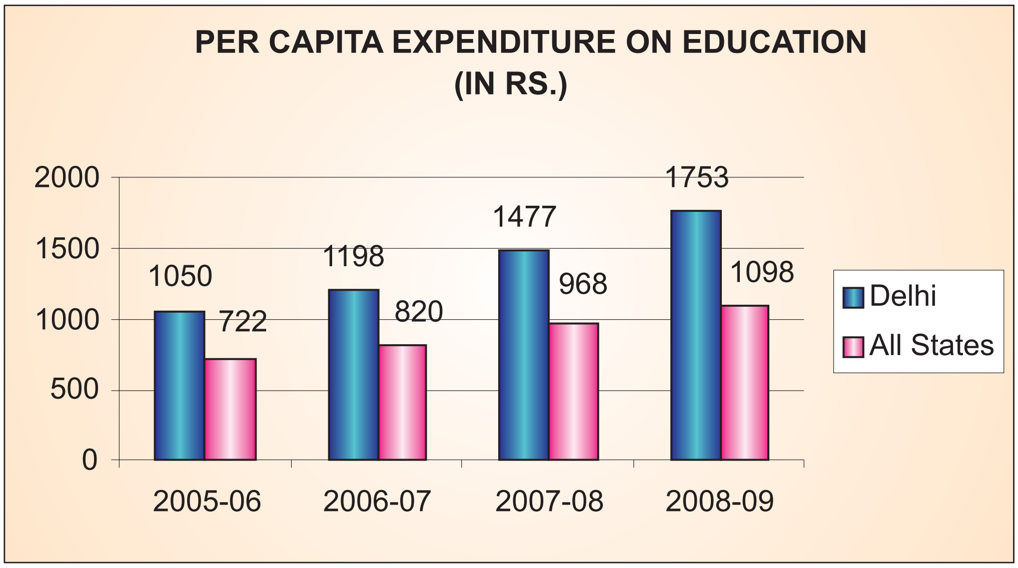

7. एनएसएस 62वें दौर (राज्य नमूना) के आधार पर परिवार उपभोक्ता खर्च संबंधी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005–06 में दिल्ली में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 5.09 प्रतिशत है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दिल्ली में 2005–06 में शिक्षा पर मासिक परिवार उपभोक्ता खर्च 401.13 रुपये था, जबकि 2004–05 में यह 533.08 रुपये था।

8- ikFkfed f'k{kk

दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से स्थानीय निकायों–दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड का दायित्व है। किंतु, शिक्षा निदेशालय ने भी दिल्ली सरकार के 364 सर्वोदय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ की हैं। प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1980–81 में 1,726 थी, जो 2007–08 में बढ़कर 2620 हो गयी। प्राथमिक स्कूलों में नाम दर्ज कराने वाले बच्चों की संख्या भी 1980–81 की 6.68 लाख से बढ़कर 2007–08 में 17.60 लाख हो गयी। प्राथमिक स्तर पर 62.47 प्रतिशत बच्चे दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात 1:48 हैं।

ikFkfed f'k{kk ij ;ktuk vkj Xkj&;ktuk 0;;

¼djkM #i;s e½

क्र.स.	कक्षा	2005–06	2006–07	2007–08
1	पूर्व–प्राथमिक / प्राथमिक	630.45	673.36	811.97

CHART 15.4

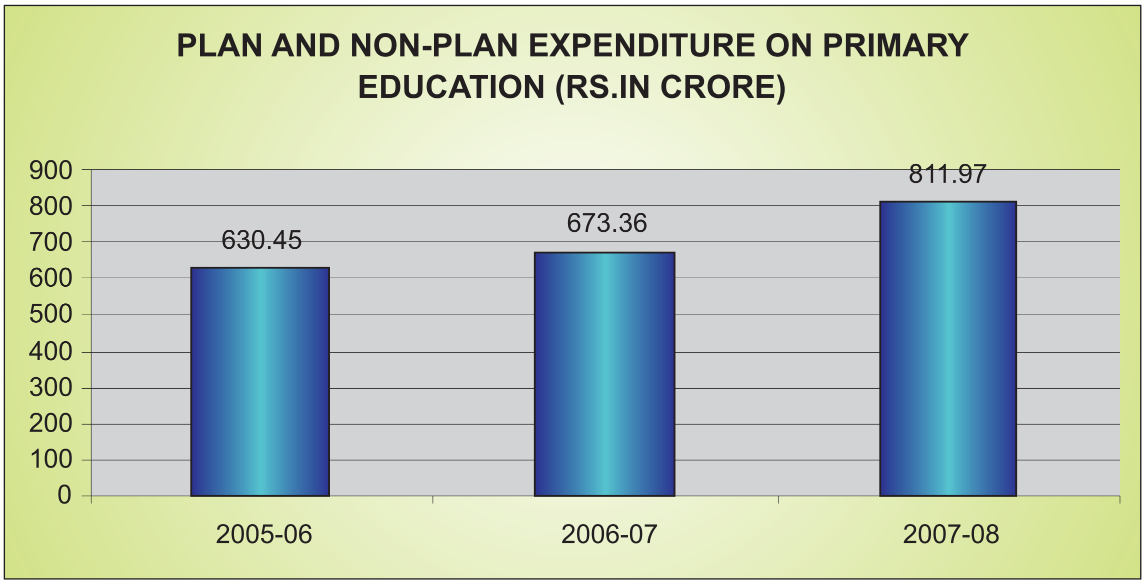

ek/;fed vkSj ofj"B ek/;fed f'k{kk

9 दिल्ली में माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा का दायित्व मुख्य रूप से दिल्ली सरकार पर है। 1980–81 में दिल्ली में 704 माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल थे, जो 2007–08 में बढ़कर 1759 हो गए। विद्यार्थियों के दाखिलों की संख्या भी 1980–81 की 2.54 लाख से बढ़कर 2007–08 में 7.93 लाख पर पहुंच गयी। स्थान की कमी वजह से अधिकतर स्कूल 2 पारियों में चलाए जाते हैं। इनमें अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात 1 : 48 है।

ek/;fed vkSj ofj"B ek/;fed f'k{kk ij ;kstuk vkSj XkSj&;kstuk O;;

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	कक्षा	2005–06	2006–07	2007–08
1	माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा	1727.19	2089.17	2619.81

CHART 15.5

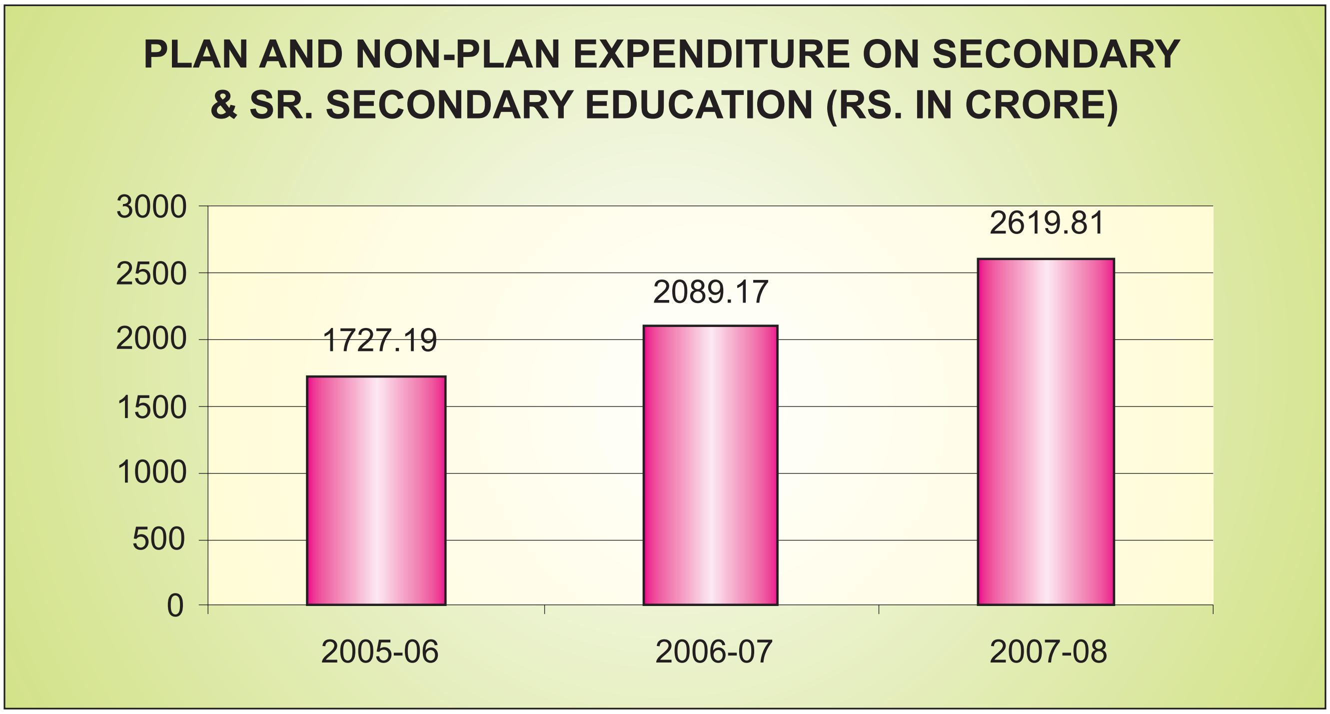

10 स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिलों और स्कूल शिक्षकों की संख्या तालिका 15.3 और 15.4 में दी गयी है।

11 निम्नांकित तालिका में पिछले दो दशकों में स्कूली शिक्षा के बारे में संक्षेप में ब्योरा दिया गया है:

fooj.k 15-4

Ldwyh f'k{kk

कक्षा	दाखिले (लाख में)				स्कूलों की संख्या			
	1991–92	2001–02	2006–07	2007–08	1991–92	2001–02	2006–07	2007–08
पूर्व प्राथमिक / प्राथमिक	9.64	14.34	17.50	17.60	2029	2406	2646	2620
मिडिल	5.35	7.81	8.88	9.39	502	666	640	643
माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक	4.02	5.65	7.57	7.93	1178	1576	1750	1759
कुल	**19.01**	**27.80**	**33.95**	**34.92**	**3703**	**4648**	**5036**	**5022**

CHART 15.6

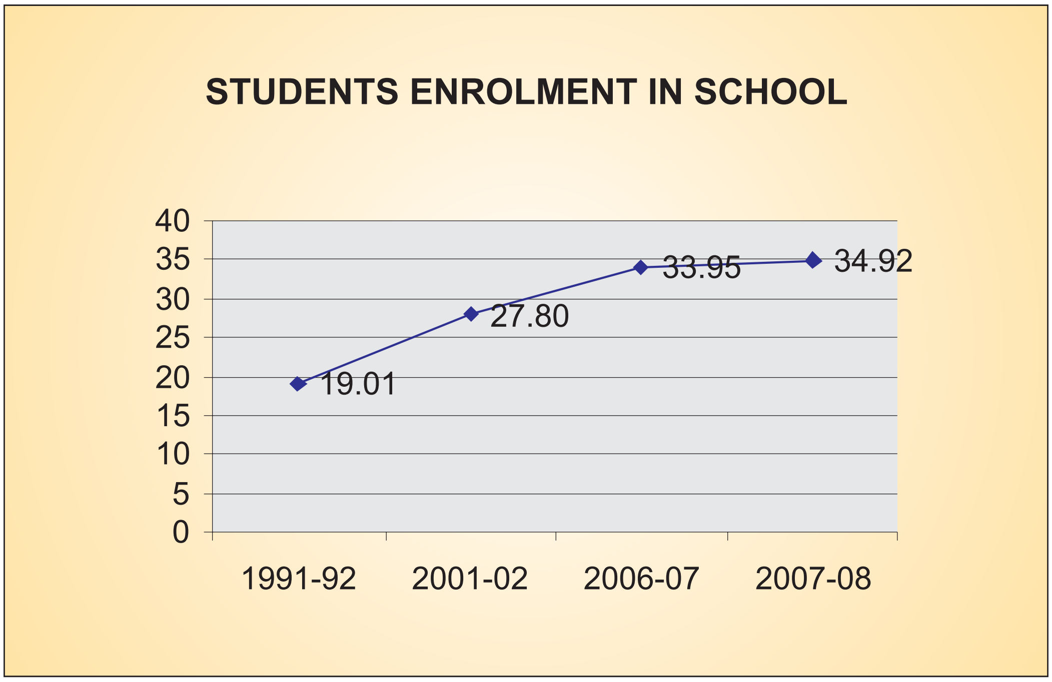

CHART 15.7

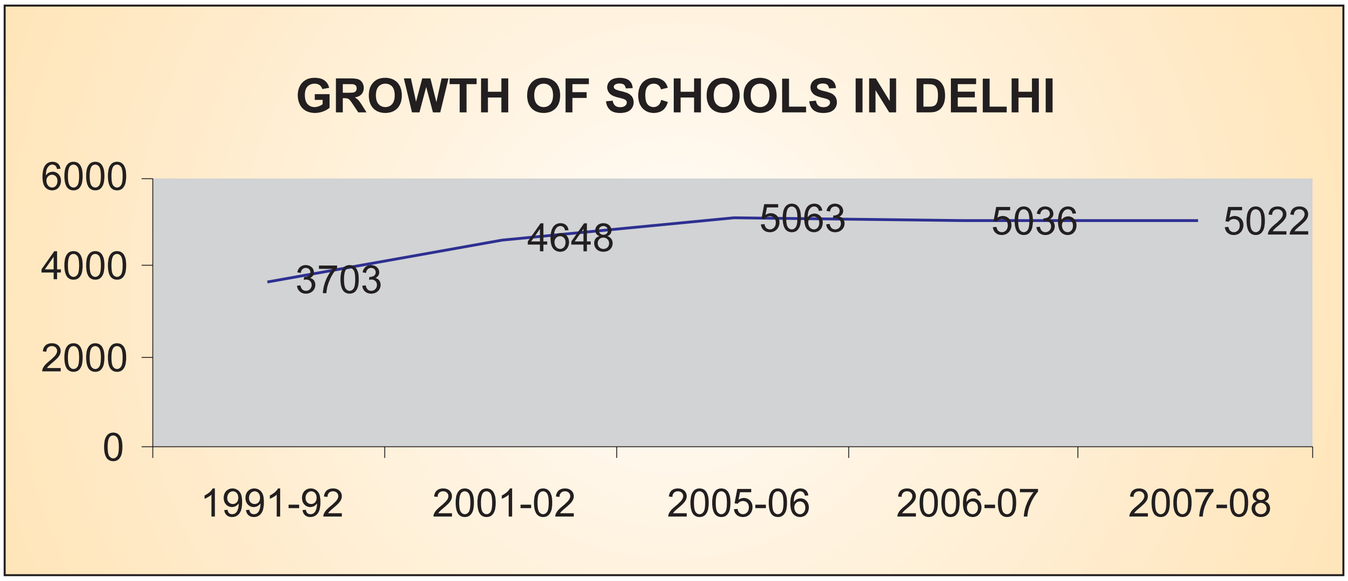

yMfd;k d nkf[ky

12. स्कूल स्तर पर लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात अधिक है। 2007–08 के दौरान 16.35 लाख लड़कियों ने दाखिला लिया, जो कुल दाखिलों का 46.32 प्रतिशत था। इसका ब्योरा नीचे दिया गया है।

fooj.k 15-5
fnYyh e 2007&08 d nkjku fo|kfFk;k d nkf[ky

(लाख में)

कक्षाएं	लड़के	लड़कियां	कुल
पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक	9.43	8.17	17.60
मिडिल	4.94	4.45	9.39
उच्च माध्यमिक	2.45	2.17	4.62
उच्चतर माध्यमिक	1.75	1.56	3.31
कुल	**18.57**	**16.35**	**34.92**

CHART 15.8

STUDENT ENROLMENT IN DELHI 2007-08 (LAKH STUDENTS)

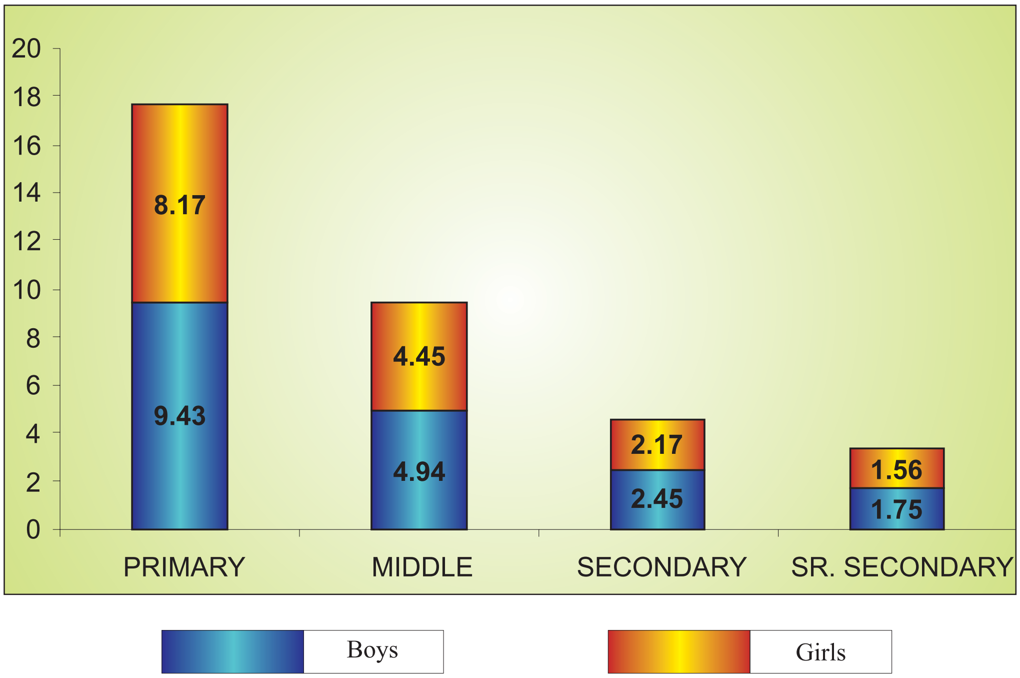

futh {k= dh Hkkxhnkjh

13. प्राथमिक स्तर पर करीब 27.10 प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेते हैं। किंतु उच्च स्कूल स्तर पर 34. 17 प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। (विवरण 15.6)

fooj.k&15-6

fnYyh esa 2007&08 esa Ldwyh f'k{kk esa futh {k= dh Hkkxhnkjh

(लाख में)

कक्षा	कुल दाखिले	प्राइवेट स्कूलों में दाखिले	कुल दाखिलों का प्रतिशत
प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक	17.60	4.77	27.10
मिडिल	9.39	2.71	28.86
उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक	7.93	2.71	34.17
सभी कक्षाएं	**34.92**	**10.19**	**29.18**

Idy nkf[kyk vuqikr

14 सकल दाखिला अनुपात को स्कूल जाने वाले बच्चों के आयु समूह, यानी 7–18 वर्ष की आयु के बच्चों की अनुमानित संख्या में से वास्तव में स्कूल जाने वाले बच्चों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मार्च 2007 में दिल्ली में सकल दाखिला अनुपात नीचे दिया गया है।

fooj.k& 15-7
Idy nkf[kyk vuqikr

क्र. सं.	आयु–समूह	मार्च 2007 में अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	मार्च 2007 में स्कूलों में वास्तविक दाखिले (लाख में)	सकल दाखिला अनुपात (%)
1	7–11 वर्ष (प्राथमिक)	19.78	17.60	88.98
2	12–14 वर्ष (मिडिल)	9.69	9.39	96.90
3	15–18 वर्ष (माध्यमिक)	14.43	7.93	54.95
4	7–18 वर्ष (सभी कक्षाएं)	43.90	34.92	79.54

mRrh.kZ fo|kFkhZ;ksa dk ifr'kr

15. उच्च माध्यमिक स्तर पर उत्तीर्ण प्रतिशत 2005 में 48 प्रतिशत था, जो 2009 में बढ़कर 89.44 प्रतिशत हो गया। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भी यह 2005 के 76.44 प्रतिशत से बढ़कर 2009 में 87.14 प्रतिशत पर पहुंच गया।

fooj.k&15-8
Ihch,Ibl ifj.kkeksa esa Ijdkjh Ldwyksa dk mÙkh.kZ ifr'kr

वर्ष	माध्यमिक (मुख्य)	वरिष्ठ माध्यमिक (मुख्य)
2005	48.00	76.44
2006	59.73	78.07
2007	77.12	82.73
2008	83.69	85.70
2009	89.44	87.14

0;kolkf;d f'k{kk

16. वर्तमान में, सरकारी/सहायता प्राप्त 194 स्कूलों में 17 व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। व्यावसायिक स्कूलों में कुल 13150 विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ भी भागीदारी कायम की है ताकि कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भाषा प्रयोगशालाएं कायम की जा सकें।

dEI;Vj f'k{kk ifj;kstuk (lhbih)

17 इस परियोजना का लक्ष्य दिल्ली के सभी स्कूलों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के साथ कम्प्यूटर साक्षरता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत स्कूलों में छठी से 10वीं कक्षा तक पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना को एक वैकल्पिक विषय तथा 11वीं और 12वीं कक्षाओं में एक अनिवार्य विषय बनाने की व्यवस्था की गयी है। + 2 स्तर पर एक अनिवार्य विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान की शुरूआत 2000–01 में 115 स्कूलों में की गयी थी, अब यह कार्यक्रम शिक्षा निदेशालय के सभी सरकारी/सरकारी–सहायता प्राप्त स्कूलों में चलाया जा रहा है ।

Ldy Hkouk dk fuek.k

18 वर्तमान में 664 भवनों में 917 स्कूल चलाये जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप करीब 300 स्कूल दो पालियों में चलाए जा रहे हैं। 2006–07 में लोक निर्माण विभाग ने चार भवनों व डीएसआईआईडीसी ने 2 भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया है ।

लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में नाथू कालोनी/अशोक नगर (लोनी रोड के पूर्व में), शास्त्री नगर, जैडपी–ब्लॉक पीतमपुरा और चिल्ला ढल्लूपुरा में चार पक्के स्कूल भवनों और 100 एसपीएस क्लास रूमों का निर्माण कार्य पूरा किया ।

डीएसआईआईडीसी भी 198 स्कूलों में भवनों के उन्नयन, ढांचा सुधार और अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्य कर रहा है। ये स्कूल उत्तर–पष्चिम ए, उत्तर–पूर्व और पूर्वी जिले में स्थित हैं ।

,lih,l Dykl :e : 2007–08 के लिए 100 एसपीएस क्लास रूम बनाने लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस अवधि में करीब 400 एसपीएस क्लास रूम बनाये गये हैं। 2008–09 में 150 एसपीएस क्लास रूम बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

ic/ku lpuk i.kkyh (,evkb,l)

19. शिक्षा निदेशालय ने निम्नांकित क्षेत्रों के लिए एमआईएस के वास्ते कम्पयूटरीकष्त मोडयूल्स विकसित किए हैं

(i) शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ का स्थानांतरण/नियुक्ति

(ii) कार्मिक सूचना प्रणाली

(iii) विद्यार्थियों के दाखिले

(iv) वित्तीय बजट नियंत्रण

(v) स्कूल बुनियादी ढांचा

(vi) इंटरनेट पर कर्मचारियों की हाजिरी

(vii) शिक्षा निदेशालय के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन दाखिले

dSYVwUt+ %

20. कैल्टून्ज़ सभी ऐनिमेटिड कार्टून्स को परिवर्तित करने की एक बेजोड़ परियोजना है। कैल्टून्ज़ के जरिये बोर करने वाली, अरुचिकर और अकल्पनाशील पाठ्यपुस्तकों और कक्षाओं को ज़िंदादिल, आकर्शक पाठों में तबदील करने में सफलता मिली है। इन पाठों को देखने और सुनने में आनन्द आता है। इस परियोजना की विद्यार्थियों ने सराहना की है।

fo|ky; dY;k.k lfefr ¼oh-d-,l-½

21 स्कूल भवनों के प्रबंधन और रख–रखाव में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक स्कूल भवन के लिए विद्यालय कल्याण समिति का गठन किया गया है। समिति में स्कूलों के प्रमुख के अलावा संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत पीटीए, आरडब्ल्यूए और गैर सरकारी संगठनों के सदस्य भी शामिल किए गये हैं। विद्यालय कल्याण समितियों को मजबूत बनाने के लिए बजटीय आवंटन 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.00 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।

ckyk

22 शिक्षा निदेशालय के स्कूल भवनों में विद्यालय कल्याण समिति के तत्वावधान में **ckyk** नाम की एक नई योजना शुरू की गई है जो स्कूल के प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी के लिए बेजोड़ मंच प्रदान करती है। इन समितियों के नियंत्रण में प्रति स्कूल भवन के लिए 4 लाख रुपये रखे गये हैं। इनमें से 2 लाख रुपये प्रति स्कूल भवन बाला के लिए निर्धारित किए गये हैं।

nksigj dk Hkkstu

23 स्कूलों में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम दिल्ली के अत्यन्त सफल कार्यक्रमों में से एक है। नवंबर 2001 में उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को आदेश दिया कि वे सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक बच्चे को वर्ष में कम से कम 200 दिन हर रोज ऐसा ''पका हुआ खाना'' उपलब्ध करायें, जिसमें न्यूनतम

300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम तक प्रोटीन हो। 2004–05 तक सरकारी और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में पका पकाया भोजन दिया जा रहा था। 2005–06 से इस कार्यक्रम का विस्तार सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में भी किया गया। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए दोपहर के भोजन पर व्यय 2008–09 में 2/– रू0 प्रति बच्चा प्रतिदिन से बढ़ाकर 2.50 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन कर दिया गया है ।

कार्यक्रम का विस्तार उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं (आठवीं कक्षा तक) कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति विद्यार्थी कैलोरी की मात्रा 300 से बढ़ाकर 450 प्रतिदिन कर दी गई है।

mPp f'k{kk

24. वर्ष 2007–08 में दिल्ली में 175 डिग्री कालेज थे। इनमें से 86 कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध थे और शेष 89 कालेज जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी से संबद्ध थे। इनमें दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित 28 दिल्ली विश्वविद्यालय कालेज भी शामिल हैं, जिनमें से 12 पूरी तरह दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं और 16 के लिए दिल्ली सरकार पांच प्रतिशत धन देती है। दिल्ली में एक मुक्त विश्वविद्यालय सहित 6 विश्वविद्यालय, द्वारका स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम का एक नया विश्वविद्यालय (दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोशित), 11 समकक्ष विश्वविद्यालय और दो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। (तालिका 15.5 देखें)।

सरकार ने कानून के विद्यार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर शिक्षा देने के लिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 2008 पारित किया है। विश्वविद्यालय ने द्वारका, नई दिल्ली में शैक्षिक सत्र 2008–09 से काम करना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य कानून की सभी शाखाओं में आधुनिक अध्ययन का प्रावधान और संचालन करना तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालय कानूनी जानकारी और कानूनी प्रक्रिया के संप्रेषण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका उजागर करने के लिए भी कार्य करेगा। इसके लिए व्याख्यानों, सेमिनारों, विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों जैसी गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। विश्वविद्यालय ने बीएएलएलबी (आनर्स) पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम जुलाई 2008 से प्रारंभ कर दिया है। इसमें 80 सीटें हैं।

दिल्ली सरकार ने जुलाई 2008 में डॉ. बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है। यह विश्वविद्यालय द्वारका में समेकित प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में काम कर रहा है। विश्वविद्यालय ने विकास अध्ययन, मनोविज्ञान और पर्यावरण एवं विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमे के साथ काम करना शुरू कर दिया है।

25. दिल्ली में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के 46 तकनीकी शिक्षा संस्थान एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा गुरु गोबिन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र में 20 संस्थान डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। इनमें से 19 संस्थान तकनीकी शिक्षा बोर्ड, दिल्ली से संबद्ध हैं, और एक दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है। सरकारी और निजी क्षेत्र में 73 संस्थान (सरकारी क्षेत्र में 18 आईटीआई, और निजी क्षेत्र में 55 आईटीआई) प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, जो बीटीई/एससीवीटी/एनसीवीटी से संबद्ध हैं। प्रत्येक स्तर पर सीटों की स्वीकृत संख्या विवरण 15.9 में दी गयी है।

सरकार पीपीपी यानी सार्वजनिक–निजी–भागीदारी के आधार पर एक अत्याधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित कर रही है। डिजाइन और नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के जरिये तकनीकी शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली नॉलिज डिवेलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना की गई है। विशेषज्ञता पूर्ण संस्थान के रूप में आईआईआईटी की भी स्थापना की गयी है।

दिल्ली के विकास में योगदान के उद्देश्य से दिल्ली स्किल मिशन की स्थापना की गई है। यह मिशन ऐसे क्षेत्रों में अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति जुटाने के प्रयास करेगा जिनकी बाजार में मांग है। यह मिशन दिहाड़ी और स्वरोजगार के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराएगा, जिससे दिल्ली के समग्र आर्थिक विकास में योगदान किया जा सकेगा।

दिल्ली सरकार ने इसरो के सहयोग से एडुसेट सुविधा कायम की है ताकि विभिन्न स्थानों पर विशिष्ट संकाय सदस्यों के व्याख्यान आयोजित किए जा सके। दिल्ली का एडुसेट केन्द्र 50 संस्थानों में सेवाएं प्रदान कर रहा है। दिल्ली सरकार ने तकनीकी शिक्षा समुदाय पहुंच कार्यक्रम (टीईसीओएस) भी शुरू किया है। यह कार्यक्रम 15 स्वयंसेवी संगठनों के जरिये लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और दिल्ली की विभिन्न स्लम बस्तियों में स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ देने वाले बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रत्येक तकनीकी शिक्षा संस्थान में तकनीकी शिक्षा संस्थान कल्याण समिति का गठन किया है। इसका उद्देश्य उद्योग जगत एवं संस्थान के बीच संपर्क कायम करना है।

fooj.k 15-9
rduhdh f'k{kk laLFkku

स्तर	संस्थानों की संख्या (2007–08)				सीटों की संख्या (2007–08)			
	सरकारी	सहायता प्राप्त/ प्रायोजित	प्राइवेट	कुल	सरकारी	सहायता प्राप्त/ प्रायोजित	प्राइवेट	कुल
स्नातकोत्तर								
एमटैक/एम.ई. (पूर्णकालिक)	2	-	-	2	258	-	-	258
एम.टैक/एमई (अशंकालिक)	1			1	50			50
एमएफए	1	-	-	1	21	-	-	21
एम.फार्मा	1	-	-	1	26	-	-	26
एमसीए.	1	-	16	17	90	-	820	910
डिग्री स्तर		-						
बी.टैक (पूर्णकालिक)	8	-	9	17	1960	-	3180	5140
बी.टैक (अंशकालिक)	1	-		1	120			120
बी.आर्क	-	-	2	2	-	-	80	80
बी. फार्मा	1	-	1	2	60	-	60	120
बी. एचएमसीटी	-	-	1	1	-	-	120	120
बी.एफए. /बी/डिजाइन	1	-	1	2	108	-	-	108
डिप्लोमा स्तर (पूर्णकालिक)	10	1	8+1 BSF	20	3005	20	1470	4495
डिप्लोमा स्तर (अंशकालिक)	4	-	-	4	620	-	-	620
प्रमाणपत्र स्तर आईटीआईज/आईटीसीज़/ सीएसआईज (पूर्णकालिक)	18*	19**	36	73	10897	680	2936	14513
प्रमाणपत्र स्तर आईटीआईज/आईटीसीज़/ सीएसआईज (आईटीआई स्तर पर अंशकालिक पाठ्यक्रम)	3	-	-	3	316	-	-	316

lkzr % प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार।

* सरकारी आईटीआई संस्थानों सहित (डीटीटीई, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आईटीआईज/सीएसआई के विस्तार केन्द्र)

** अन्य विभागों जैसे समाज कल्याण/दिल्ली पुलिस/सीआरपीएफ/नदिनप आदि द्वारा संचालित आईटीसी।

v/;k; 16
LokLF;

1. दिल्ली उपचार की अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ देश में सबसे आधुनिक चिकित्सा देखभाल और सार्वधिक योग्य चिकित्सक प्रदान करने वाले राज्यों में से एक है। दिल्ली में भारत के कुछ सर्वोत्कृष्ट सुपर स्पेशलिष्ट अस्पताल हैं। उनकी विशेषज्ञता और प्रतिष्ठा को देखते हुए ये अस्पताल दुनियाभर से रोगियों को आकर्षित करते हैं। अनुमान है कि दिल्ली के अस्पतालों में एक तिहाई रोगी पड़ोसी राज्यों से आते हैं। दिल्ली सरकार के स्वयं के औषधालयों और अस्पतालों के नेटवर्क के अतिरिक्त केन्द्र सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, रेलवे, छावनी बोर्ड, ईएसआई, जैसी सरकारी एजेंसियां दिल्ली में लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने में सक्रिय हैं।

2. दिल्ली सरकार द्वारा वसन्त कुंज में इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलिएरी साइंसेज (आईएलबीएस) की स्थापना की जा रही है। भवन के निर्माण कार्य का पहला चरण लगभग पूरा हो गया है। दूसरे चरण में 280 बिस्तर वाले आईएलबीएस के भवन का निर्माण डीएमआरसी के जरिये किया जाएगा। खेड़ा डाबर में चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान की स्थापना की जा रही है। इस संस्थान से संबद्ध अस्पताल में आयुर्वेद, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के जरिये उपचार किया जाएगा।

3. वर्तमान में कैट्स के अंतर्गत 35 ऐम्बुलेंस काम कर रही है। 150 ऐम्बुलेंसों (141 बुनियादी जीवन रक्षक सुविधाओं और 9 अत्याधुनिक जीवन रक्षक सुविधाओं से युक्त) का बेड़ा बनाने का प्रस्ताव है। इनमें से 39 ऐम्बुलेंस कैट्स के जरिये और 111 सरकारी–निजी–भागीदारी (पीपीपी) आधार पर संचालित की जाएंगी । दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन का गठन किया गया है। जिला स्वास्थ्य योजना और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों का गठन किया गया है और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। करीब 2300 **vk'kk** कार्यकर्त्ताओं के साथ **vk'kk** योजना शुरू की गई है। अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए 27 नर्सिंग होमों के साथ **eerk** योजना भी शुरू की गई है और इसमें अधिक संख्या में नर्सिंग होमों को भागीदार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त दिल्ली में निजी क्षेत्र के अनेक स्वास्थ्य संस्थान भी हैं। दिल्ली में कुल अस्पताल शैयाओं का करीब 42 प्रतिशत (15189) निजी क्षेत्र में उपलब्ध हैं।

5 अपने स्वास्थ्य नेटवर्क की बदौलत दिल्ली महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय/स्वास्थ्य मानदंड हासिल कर चुकी है। कुछ का ब्योरा नीचे दिया गया है :–

fooj.k 16-1

मानदण्ड	दिल्ली	भारत
जनसंख्या की दशकीय वृद्धिदर (%) जनगणना–2001	47.00	21.54
अपरिष्कृत जन्म दर (एसआरएस–20047)	18.4	23.1
अपरिष्कृत मृत्यु दर (एसआरएस–2007)	4.8	7.4
शिशु मृत्यु दर (एसआरएस–2007)	36.0	55.00
दंपत्ति संरक्षा (कप्पल प्रोटेक्शन) दर (%)		
क) नसबंदी (स्टेरिलाइजेशन) द्वारा (एनएफएसएच–3) ख) जन्म अंतराल पद्धति द्वारा (एनएफएसएच–3)	23.8 32.8	38.3 10.2
लिंग अनुपात (जनगणना–2001)	821	933
लिंग अनुपात (0–6 वर्ष आयु समूह जनगणना–2001)	865	927
एक का एनआरआर हासिल करने का संभावित वर्ष	हासिल हो चुका है।	2026
नव प्रसव मृत्यु दर 2005	20	37
सुरक्षित प्रसुति (एनएफएचएस–3)	65.1	48.3
अस्पताल आदि संस्थाओं में प्रसव		
प्रसव उपरांत देखभाल (क) (एनएफएसएच–3) (ख) एनआईएमएस (आईसीएमआर)–2006	60.7 74.4 82.7	40.7 50.7
शिशु मृत्यु दर (0–4 वर्ष)	8.3	17.3
टीकाकरण		
क) एनएफएसएच–3	63.2	43.5
ख) यूनिसेफ 2005	79.8	लागू नहीं
ग) एनआईएमएस/आईसीएमआर–2006	83.2	लागू नहीं

lkr % नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (अक्टूबर, 2007) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान (आईसीएमआर)–दिल्ली के लिए सर्वेक्षण–2006. दिल्ली में जन्म एंव मृत्यु संबंधी वार्षिक रिपोर्ट–2007.

Chart – 16.1

MEDICAL COLLEGES

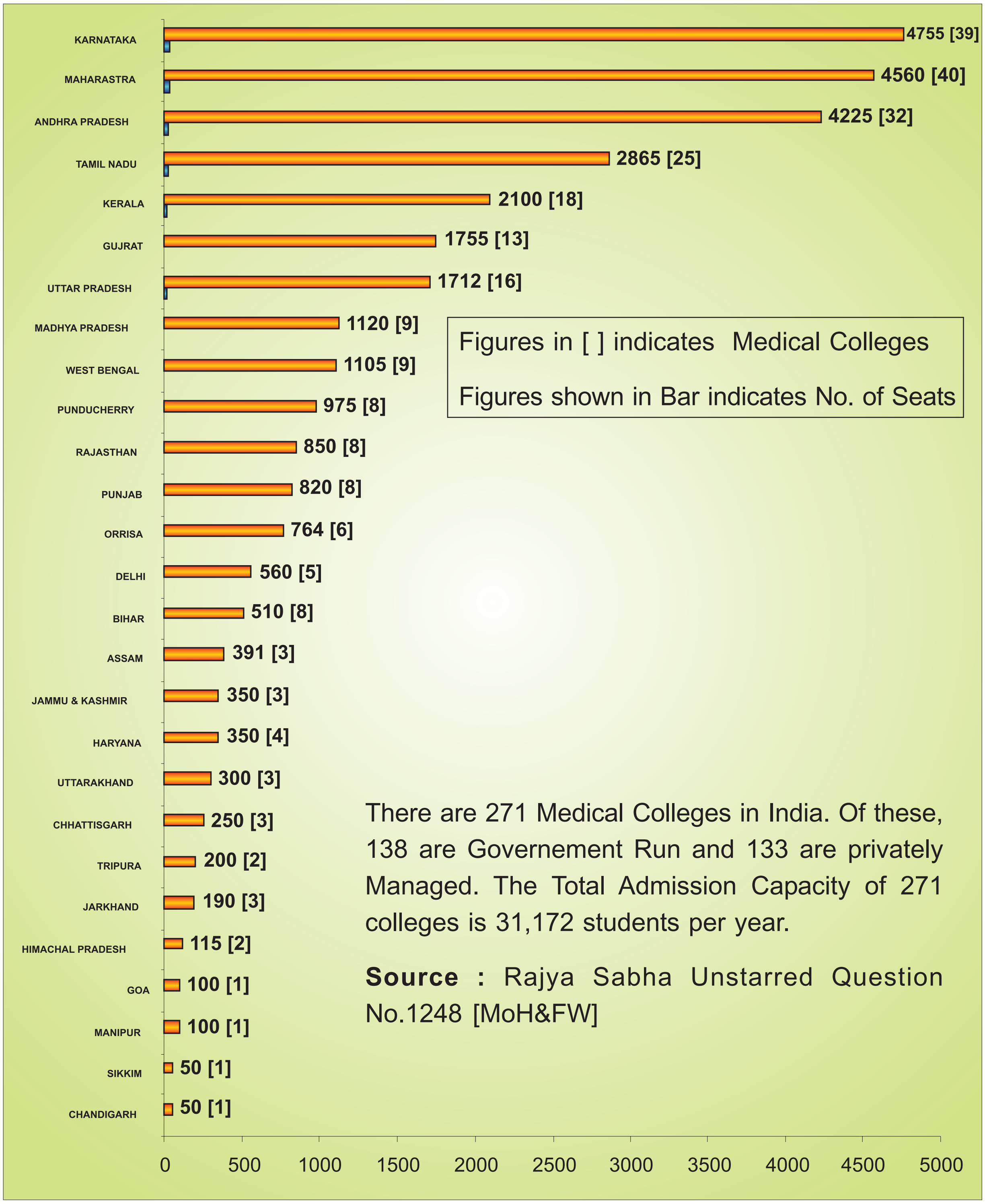

There are 271 Medical Colleges in India. Of these, 138 are Governement Run and 133 are privately Managed. The Total Admission Capacity of 271 colleges is 31,172 students per year.

Source : Rajya Sabha Unstarred Question No.1248 [MoH&FW]

LokLF; {k= e fuo'k

6 2004–05 की वार्षिक योजना से अब तक दिल्ली सरकार के कुल योजना खर्च में स्वास्थ्य क्षेत्र की हिस्सेदारी नीचे दी गयी है :

fooj.k 16-2

LokLF; {k= d vrxr ifj0o;

वार्षिक योजना	कुल योजना खर्च (करोड़ रुपये)	स्वास्थ्य क्षेत्र खर्च (करोड़ रुपये)	कुल योजना खर्च का प्रतिशत
2004-2005	4260.53	469.89	11.03
2005-2006	4280.87	543.33	12.69
2006-2007	5083.70	720.50	14.17
2007-2008	8747.53	864.37	9.88
2008-09(सं.अ.)	10000.00	945.37	9.45

ifr 0;fDr [kp

7 दिल्ली पर प्रति व्यक्ति खर्च राश्टीय स्तर की तुलना में काफी अधिक है।

विवरण 16-3

स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय

(रुपये में)

वर्ष	दिल्ली	सभी राज्य
2004 -05	549	180
2005 -06	625	230
2006 -07	685	260
2007 -08	693	उ0न0

दिल्ली में जुलाई 2005 और जून 2006 के बीच कराए गए एनएसएस 62वें दौर के सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति मासिक औसत उपभोक्ता खर्च 7876.00 रुपये था। इसमें से 141.55 (1.79 प्रतिशत) रुपये

स्वास्थ्य पर खर्च किए गए। इस प्रकार प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर करीब 1699/–रुपये प्रति वर्ष खर्च हुए।

th,lMhih dk lnHkZ esa LokLF; ij [kpZ

8. स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति रही है। 2003–04 में इस क्षेत्र पर जीएसडीपी का 0.89 प्रतिशत धन इस्तेमाल किया गया, जो 2007–08 में बढ़कर 1.19 प्रतिशत हो गया। निम्नांकित विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है :–

fooj.k 16-4

वर्ष	प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी (करोड़ रुपये में)	स्वास्थ्य पर खर्च (करोड़ रुपये में)	स्वास्थ्य पर जीएसडीपी का प्रतिशत
2003-04	79468	705	0.89
2004-05	92053	832	0.90
2005-06	105815	907	0.86
2006-07	125281	1123	0.90
2007-08	143911	1715	1.19

lzksr % अ0 एवं सां0 नि0

खर्च संबंधी आंकड़ें डिमांड बुक 2007–08 (योजना–गैर–योजना)

LokLF; n[kHkky lLFkkuksa dk fodkl

9. दिल्ली में पिछले पांच वर्शों में चिकित्सा संस्थानों का विकास नीचे दर्शाया गया है :

fooj.k 16-5
fpfdRlk lLFkkuksa dk fodkl

वर्ष	अस्पतालों की संख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	औषधालयों की संख्या	प्रसूति केंद्रों और उप–केंद्रों की संख्या	पॉलिक्लिनिक	नर्सिंग होमों की संख्या	विशेष क्लिनिकों की संख्या
2004	87	7	993	209	05	559	44
2005	**86**	**7**	**972**	**204**	**05**	**558**	**44**
2006	**85**	**8**	**1022**	**284**	**10**	**611**	**21**
2007	**85**	**8**	**1030**	**284**	**10**	**607**	**21**
2008	**85**	**8**	**1035**	**284**	**10**	**609**	**21**

lzksr % स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राराराक्षे. दिल्ली सरकार

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में आने वाली प्रमुख समस्याओं में भूमि उपलब्ध न होना, प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव और प्रशासनिक एजेंसियों की अधिकता शामिल है। इसके अतिरिक्त रोगियों की बड़ी संख्या के कारण दिल्ली के सभी अस्पतालों में भारी भीड़ है ।

vLirkyksa esa 'kS;kvksa dh fLFkfr

10- 31 मार्च 2008 को दिल्ली के चिकित्सा संस्थानों में शैयाओं की कुल संख्या 36352 थी। एजेंसीवार ब्योरा विवरण 16.6 में दर्शाया गया है:

fooj.k&16-6

fpfdRlk laLFkkuksa esa 'kS;kvksa dh {kerk

एजेंसी	संस्थानों की संख्या	शैयाओं की संख्या
दिल्ली सरकार	32	6813
दिननि	63	4046
नदिनप	4	220
भारत सरकार	25	10064
अन्य स्वायत्त निकाय	01	20
प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पताल/स्वयं सेवी संगठन	599	15189
कुल	**724**	**36352**

lkzksr % स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राराराक्षे. दिल्ली सरकार

11. विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुसार सन 2000 तक जनसंख्या के अनुपात में प्रति एक हजार 5 बिस्तर उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया जाना था। दिसंबर 2006 तक दिल्ली में जनसंख्या : शैया अनुपात 2.04 प्रति एक हजार था। 2004 से बिस्तरों की संख्या में वृद्धि और बिस्तर : जनसंख्या अनुपात नीचे दिया गया है :

fooj.k 16-7

1982 ls 'kS;kvksa dh {kerk esa of)

वर्ष	बिस्तरों की संख्या	प्रति 1000 व्यक्ति बिस्तरों की संख्या
2004	32941	2.14
2005	32998	2.08
2006	33278	2.04
2007	35520	2.12
2008	36352	2.14

lkzksr % LokLF; lsok,a foHkkx] jkjkjk{ks- fnYyh ljdkj

Chart 16.2

ikFkfed LokLF; n[kHkky

12- दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में औषधालयों और स्वास्थ्य केंदों की श्रृंखला कायम की है.(तालिका 16.5) और इस नेटवर्क का, खासकर तंग बस्तियों, पुनर्वास कालोनियों और अनधिकृत कालोनियों में विस्तार किया जा रहा है।

vLirkyk dh fLFkfr

13. दिल्ली सरकार के अस्पतालों की स्थिति नीचे दी गई है जो विस्तार, निर्माण, उन्नयन की स्थिति में हैं या जिनकी स्थापना प्रस्तावित है :–

• इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलिएरी साइंसेज, वसन्तकुंज	भवन के प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
• आर्थोपेडिक ब्लॉक, एल एन अस्पताल	एबीसी ब्लॉक के ढांचे का 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
• नसीरपुर अस्पताल (64 बिस्तर का प्रसूति अस्पताल)	अस्पताल भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। 8.5.2008 से ओपीडी सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। आईपीडी सेवाएं भी 8.4.09 से प्रारंभ हो गई हैं।
• ईडीपी–एंव–रेफरल सेन्टर/ओपीडी – एंव–प्रशासनिक ब्लॉक, जीबी पंत अस्पताल	निर्माण कार्य प्रगति पर है और 31.3.2009 तक 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।
• 500 बिस्तर का नया वार्ड ब्लॉक, जीटीबी अस्पताल	52.35 करोड रुपये की अनुमानित लागत से नये वार्ड ब्लॉक की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है और 55 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

• 750 बिस्तर का अस्पताल एंव मेडिकल कॉलेज, द्वारका	350 करोड रुपये की अनुमानित लागत इस परियोजना की मंजूरी ईएफसी द्वारा पहले ही दी जा चुकी है।
• 200 बिस्तर का अस्पताल, कोकीवाला बाग, अशोक विहार	92.68 करोड रुपये की अनुमानित लागत से अस्पताल की मंजूरी ईएफसी द्वारा 22.01.08 को दी जा चुकी है।
• भारतीय चिकित्सा पद्धति संस्थान और बहु–चिकित्सा पद्धति केंद्र, खेड़ा डाबर	कैबिनेट ने 102.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को 30.03.2006 को मंजूरी दी थी। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

14- tUe&ej.k d vkdM

tUe iathdj.k

i.) 2007 में 3.22 लाख जन्म पंजीकृत हुए, जबकि 2006 में 3.23 लाख जन्म पंजीकृत हुए थे। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इसमें मामूली कमी आई।

ii) दिल्ली में 2007 में प्रतिदिन औसतन 882 शिशु पैदा हुए, जबकि 2006 में प्रतिदिन औसत 884 शिशु पैदा हुए थे।

iii.) कुल पंजीकृत शिशुओं में 1.74 लाख (54.12 प्रतिशत) लड़के और 1.48 लाख लड़कियां (45.88 प्रतिशत) लड़कियां थीं।

iv.) कुल पैदा हुए शिशुओं में 2.40 लाख (74.54 प्रतिशत) का जन्म अस्पताल आदि संस्थानों में और 0.82 लाख (25.46 प्रतिशत) का जन्म घर पर ही हुआ।

15- eR;q iathdj.k

i.) दिल्ली में 2007 के दौरान 100974 मौतें पंजीकृत हुईं, जबकि 2006 में यह संख्या 98908 थी।

ii.) पंजीकृत की गई कुल मौतों में 63461 (62.85 प्रतिशत) पुरूष और 37553 (37.15 प्रतिशत) महिलाएं थीं।

iii) पंजीकृत की गई कुल मौतों में से 77.91 प्रतिशत दिननि., 20.50 प्रतिशत नदिनप. और मात्र 1.59 प्रतिशत दि.छा.बो. द्वारा पंजीकृत की गईं।

iv.) दिल्ली में 2007 में प्रति दिन औसत मृत्यु 277 थी जबकि 2006 में यह संख्या 271 थी।

v.) 2007 के दौरान 58.68 प्रतिशत मौते चिकित्सा संस्थानों द्वारा पंजीकृत करायी गई जबकि 41.32 प्रतिशत मौतों का पंजीकरण घरेलू स्तर पर कराया गया।

fooj.k 16-9

fnYYkh e ekr d ie[k dkj.k

मौत के कारण (2007 में चिकित्सा या अन्य प्रकार से प्रमाणित)		
क्र स.	मृत्यु का कारण	मौतों की संख्या
1.	हृदय रोग और दिल का दौरा पड़ना	15442
2.	क्षयरोग	2516
3.	कैंसर	2597
4.	निमोनिया	879
5.	परिवहन दुर्घटनाएं	1088
6.	अनीमिया (रक्त की कमी)	662
7.	खसरा	52
8.	मधुमेह	3920
9.	अग्नि दुर्घटनाएं	824
10.	मेनिन जाइटिस	476
11.	हैजा	54
12.	अन्य	72464
	कुल	**100974**

16- tUe nj] eR;q nj vkj f'k'kq eR;q nj

दिल्ली बनाम राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

fooj.k 16-10

fnYyh e tUe nj vkj eR;q nj dh jk"Vh; Lrj l rqyuk

वर्ष	जन्म दर		मृत्यु दर	
	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत
1991	28.48	29.50	6.35	9.80
2001	21.24	25.40	5.81	8.40
2004	20.03	24.10	5.59	7.50
2005	20.63	23.80	5.99	7.60
2006	19.95	23.50	6.11	7.50
2007	19.35	23.10	6.07	7.40

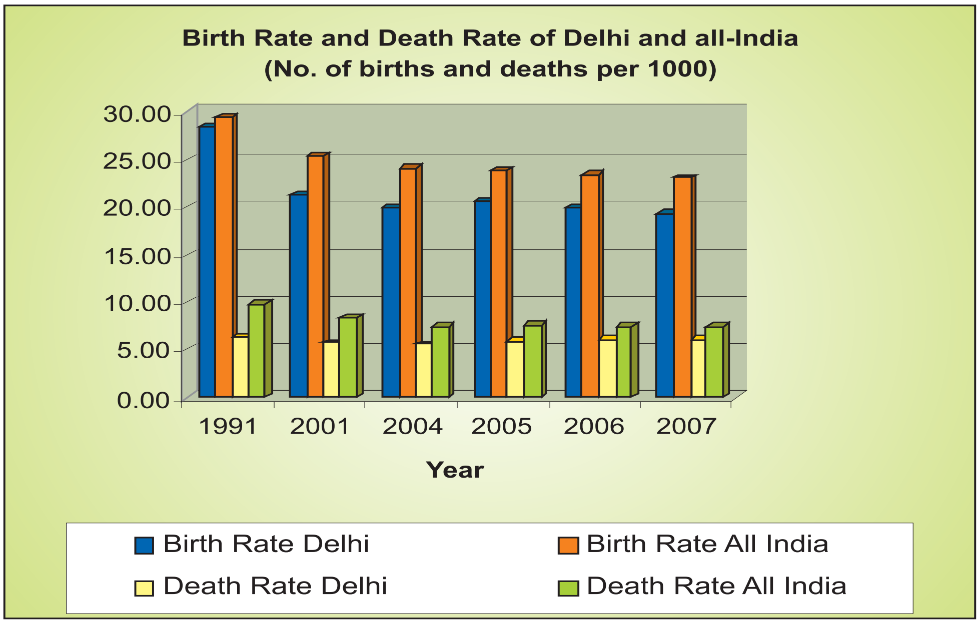

Infant Mortality Rate		
	Delhi	All India
1991	32.37	80
2001	23.93	66
2004	13.08	58
2005	12.89	58
2006	18.05	57
2007	25.44	55

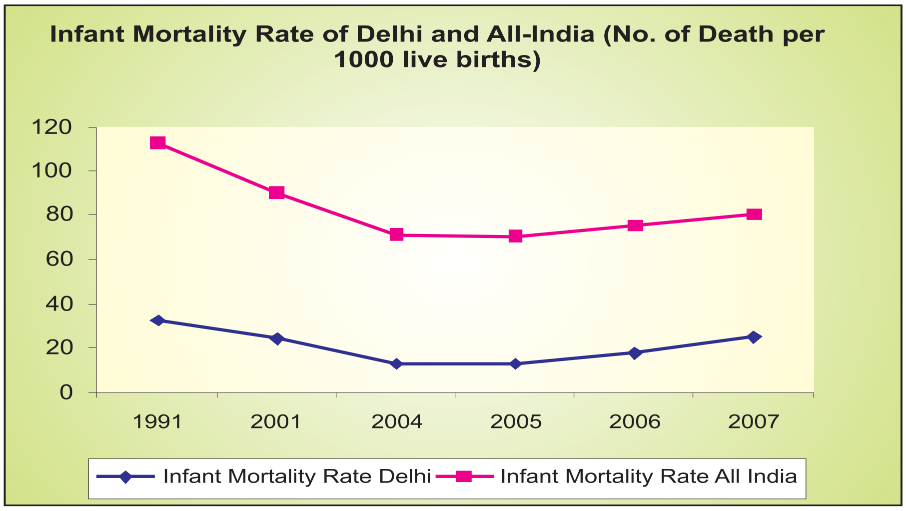

Hkkjrh; fpfdRlk i)fr ¼vkbZ,l,e½ vkSj gksE;ksiSFkh

17. भारतीय चिकित्सा पद्धति (आईएसएम) और होम्योपैथी को प्रोत्साहित करने के लिए अगस्त 1996 में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी निदेशालय की स्थापना की गयी। नेहरू होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज और अस्पताल बीएचएमएस उपाधि प्रदान करता है और इसमें 100 सीटें हैं। इस संस्थान में चिरकालिक रोगियों का होम्योपैथिक उपचार करने के लिए अंतरंग विभाग में 150 शैयाओं की व्यवस्था है। पिछले शैक्षिक सत्र से इस संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। सरकार ने डाक्टर बी आर सूर होम्योपैथिक कालेज और अस्पताल को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जहां 50 सीटों के साथ डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस अस्पताल में अंतरंग रोगियों के उपचार के लिए 50 शैंयाओं की व्यवस्था भी शुरू की गयी है। 1998 में सरकार ने आयुर्वेदिक और यूनानी तिबिया कालेज का प्रबंधन भी अपने हाथ में ले लिया था। यह कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है और बीएएमएस तथा बीयूएमएस डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करता है। इसमें 88 विद्यार्थियों (बीएएमएस के लिए 44 और बीयूएमएस के लिए 44) को दाखिला देने की क्षमता है। संस्थान आयुर्वेद और यूनानी में क्रमशः कायाचिकित्सा, शरीर क्रिया और मौलिजात जैसे विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी संचालित कर रहा है। इस संस्थान में 150 बिस्तरों की भी व्यवस्था है। आयुर्वेदिक और यूनानी तिबिया कालेज में 60 बिस्तर के नये प्रसूति ब्लॉक ने भी काम करना शुरू कर दिया है। अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना की गयी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिबिया कालेज में पंचकर्म इकाइयां स्थापित की गयी हैं। नजफगढ़ के पास खेड़ा डाबर में 90 एकड़ जमीन पर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के आधुनिक केंद्र की स्थापना के लिए एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गयी है। भवन का निर्माण कार्य करीब 50 प्रतिशत पूरा हो गया है।

LokLF; vkSj ifjokj dY;k.k dh fo'ks"k dk;Øe

18. दिल्ली सरकार ने नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किए हैं। कुछ कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

1) **{k; jksx fu;U=.k dk;Øe**

1993 में भारत सरकार ने डॉट्स रणनीति के साथ दिल्ली में 5 लाख की आबादी के एक हिस्से में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की थी। इसके परिणाम अत्यन्त उत्साहजनक रहे और मृत्यु दर में पांच प्रतिशत की कमी आई तथा उपचार की सफलता दर बढ़कर 90 प्रतिशत पर पहुंच गई। प्रायोगिक परियोजना के नतीजों से उत्साहित

होकर भारत सरकार ने डॉट्स रणनीति को 1997 में दिल्ली की पूरी आबादी पर लागू करने का निर्णय किया। वर्तमान में दिल्ली में 180 निर्दिष्ट माइक्रोस्कोपी सेन्टर और 560 डॉट सेन्टर हैं। 2006 में 47,536 रोगियों का डॉट्स के अंतर्गत उपचार किया गया जबकि 2005 में 45,647 रोगियों का इस पद्धति से उपचार किया गया था। 2006 में 13,719 नये संक्रमित रोगी उपचार में शामिल किए गये जबकि 2005 में ऐसे रोगियों की संख्या 12,703 थी। नये संक्रमित रोगियों की पहचान की दर 2006 में बढ़कर 91 प्रतिशत हो गई जबकि 2005 में यह 85 प्रतिशत थी। वर्ष 2006 में तीन महीने के उपचार के बाद 89 प्रतिशत संक्रमित रोगियों को संक्रमण से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली। नये संक्रमित रोगियों को संक्रमण मुक्त करने में सफलता की दर 2005–2006 में 87 प्रतिशत थी। मृत्यु दर 2006 में घटकर 2 प्रतिशत रह गई जबकि 2005 में यह 2.3 प्रतिशत थी।

2) cky LokLF; %

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राराराक्षे दिल्ली सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है, जो इस प्रकार हैं :–

d- **Vhdkdj.k dk;Øe** % सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए सभी टीकों के अतिरिक्त राज्य के लिए दो विशेष टीके (एमएमआर, और टाइफॉइड वैक्सीन), दिल्ली के पांच वर्ष तक के बच्चों को राज्य निधि से प्रदान किए गए। दिल्ली में टीकाकरण कार्यक्रम की कवरेज में निरंतर सुधार हो रहा है। उन क्षेत्रों मे एएनएम भेजी जा रही हैं जिनमें टीकाकरण कार्यक्रम की कवरेज नहीं हुई है/कम कवरेज हुई है। यूनिसेफ और एनआईएमएस–आईसीएमआर द्वारा 2006 में कराए गए दो सर्वेक्षणों से पता चलता है कि दिल्ली में टीकाकरण कार्यक्रम की पूर्ण कवरेज रही है जो इन सर्वेक्षणों में क्र म ष ा 81.9 प्रतिशत और 83.2 प्रतिशत बतायी गयी है।

[k- **dqiksf"kr cPpksa ds mipkj ds fy, vLirkyksa dk lqn`<+hdj.k x;k** % कुपोषित बच्चों के उपचार की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए 2007–08 से प्रत्येक जिले में आईवाईसीएफ सेन्टर की वित्तीय और तकनीकी सहायता से एक अस्पताल खोला जा रहा है।

x- **#X.krk] LokLF; ns[kHkky vkSj Vhdkdj.k**

जनवरी से जून, 2004 के बीच कराए गए एनएसएस के 60वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार रुग्णता, स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण के बारे में प्राप्त किए निष्कर्ष इस प्रकार हैं।

क्र.स.	महत्त्वपूर्ण संकेतक	निष्कर्ष
1	दिल्ली अनुमानित रुग्णता दर	प्रति लाख आबादी पर 1727
2	दिल्ली में अस्पताल में उपचार के मामलों की कुल संख्या	2.53 लाख (6.35 प्रतिशत ग्रामीण और 93.65 प्रतिशत शहरी)
3	दिल्ली में प्रति लाख आबादी पर अस्पताल में उपचार की दर	ग्रामीण 1559 शहरी 1683
4	दिल्ली में अस्पतालों में भर्ती लोगों के उपचार में सरकारी अस्पतालों की भागीदारी	ग्रामीण 46.39 % शहरी 58.75 %
5	दिल्ली में अस्पताल में उपचार के मामलों की कुल संख्या में प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क वार्ड सुविधा की हिस्सेदारी	2.61 %
6	दिल्ली में अस्पताल में भर्ती प्रत्येक मामले में उपचार पर औसत खर्च	ग्रामीण 5695 शहरी 8851
7	दिल्ली में 0–4 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण पर परिवार द्वारा किया जाने वाला औसत खर्च	ग्रामीण 52 रुपये शहरी 206
8	किसी न किसी रूप में टीकाकरण किए जाने वाले बच्चों का प्रतिशत	ग्रामीण 89 % शहरी 91 %

fooj.k 16-11

jkT;ksa esa cPpksa ¼0&4 o"kZ½ ds Vhdkdj.k dk izfr'kr

क्र.स.	राज्य	बच्चों (0–4 वर्ष) के टीकाकरण का प्रतिशत			प्रति बच्चा टीकाकरण पर औसत खर्च		
		बालक	बालिका	बच्चे	बालक	बालिका	बच्चे
1.	आन्ध्र प्रदेश	97	95	96	46	53	50
2.	असम	85	86	85	24	45	35
3.	बिहार	81	79	80	40	39	39
4.	छतीसगढ़	91	88	90	14	18	16
5.	दिल्ली	92	90	91	299	129	177
6.	गुजरात	92	94	93	56	53	55
7.	हरियाणा	87	89	87	48	22	36
8.	हिमाचल प्रदेश	94	92	93	4	24	14
9.	जम्मू–कश्मीर	97	95	96	63	38	51

क्र.स.	राज्य	बच्चों (0–4 वर्ष) के टीकाकरण का प्रतिशत			प्रति बच्चा टीकाकरण पर औसत खर्च		
		बालक	बालिका	बच्चे	बालक	बालिका	बच्चे
9.	जम्मू–कश्मीर	97	95	96	63	38	51
10.	झारखंड	88	87	87	37	32	35
11.	कर्नाटक	98	98	98	33	32	33
12.	केरल	94	96	95	67	68	68
13.	मध्य प्रदेश	88	90	89	19	13	16
14.	महाराष्ट्र	97	96	96	82	81	81
15.	उड़ीसा,	95	95	95	14	7	10
16.	पंजाब	95	90	92	62	39	51
17.	राजस्थान	94	91	93	5	8	7
18.	तमिलनाडू	97	97	97	71	56	64
19.	उत्तरांचल	93	99	95	23	47	33
20.	उत्तरप्रदेश	85	86	86	19	20	19
21.	पश्चिमबंगाल	93	92	93	37	34	35
	भारत	90	90	90	41	37	39

lkr% एनएनएस का 60वां दौर–डीईएस

fnYyh jkT; LokLF; fe'ku

2008&09 ds nkSjku fnYyh jkT; LokLF; fe'ku dh miyfC/k;k¡%&

1. जिला नोडल अधिकारियों द्वारा जिला स्वास्थ्य योजनाएं तैयार की गई और उन्हें राज्य योजना में समेकित किया गया।
2. राज्य और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां स्थापित की गईं हैं और वे अपना काम सुचारू रूप से कर रहीं हैं।
3. आशा योजना प्रारंभ की गई और करीब 2300 आशा कार्यकर्त्ताओं का चयन किया गया, उन्हें प्रशिक्षित किया गया और गतिविधियों पर अमल के लिए क्षेत्र में भेजा गया।
4. अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ममता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके लिए 27 नर्सिंग होमों की पहचान पहले की कर ली गई है और सेवाएं प्रदान करने के बारे में उनके साथ करार पर हस्ताक्षर किए गये

हैं। अन्य नर्सिंग होमों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ममता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसव पूर्व करीब 1700 पंजीकरण किये गये और 400 प्रसवों को अस्पतालों में अंजाम दिया गया।

5. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए पीयूएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए दिल्ली संबंधी विशिष्ट मानक प्रस्तावित किए गये हैं।

6. कार्मिकों और उपकरणों के संदर्भ में 20 प्रसूति गृहों (24 घंटें और सातों दिन सेवाएं प्रदान करने के लिए पहचान किये गये) को सुदृढ़ बनाया गया।

3½ ekr` LokLF;

d½ eerk dk;Øe

दिल्ली में हर वर्ष करीब 3.2 लाख प्रसव कराये जाते हैं, जिनमें से 63 प्रतिशत (एनएफएचएस–3 सर्वेक्षण रिपोर्ट 2005 के अनुसार) प्रसव अस्पतालों आदि संस्थानों में कराये जाते हैं। राराराक्षे. दिल्ली में आबादी के अनेक ऐसे हिस्से हैं, जिनमें संस्थागत प्रसव की दर बहुत कम है। दिल्ली सरकार ममता कार्यक्रम के जरिये यह प्रयास कर रही है कि सभी प्रसव अस्पतालों में कराये जाएं। इस योजना के लिये भारत सरकार, एन0 आर0 एच0 एम0 के तहत राशि प्रदान करती है ।

नवम्बर 2008 तक राज्य के छह जिलों मे 36 नर्सिंग होम ममता कार्यक्रम के अंतर्गत पैनल में शामिल किए गये और अजा/अजजा/बीपीएल श्रेणी से संबद्ध 1371 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। 328 महिलाओं के प्रसव भी नर्सिंग होमों में कराये गये।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को दिये जाने वाले स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रमुख लाभ इस प्रकार है :–

- पंजीकृत गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड सहित सभी अनिवार्य जांचों के साथ कम से कम तीन प्रसव–पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण।
- आरसीएच कार्यसूची के अनुसार सभी गर्भवती महिलाओं को टीटी के इन्जेक्शन और आयरन फोलिक एसिड की गोलियां देना, संस्थागत प्रसव सुविधाओं का प्रावधान, सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में प्रासविक देखभाल और नवजात शिशुओं का जन्म के समय दी जाने वाली प्रतिरक्षक टीकों सहित सभी अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना।
- प्रसव के बाद एक सप्ताह के भीतर, लेकिन 14 दिन से पहले एक प्रसव उपरांत स्वास्थ्य परीक्षण।

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार महिला को दिल्ली की निवासी होने के साथ साथ बीपीएल/अजा/अजजा श्रेणी से संबद्ध होना चाहिए।
- गर्भवती महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- गर्भवती महिला का एक से अधिक जीवित बच्चा नहीं होना चाहिए।
- आयु का प्रमाण जैसे राशन कार्ड/स्कूल प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/कोई अन्य संबद्ध दस्तावेज/किसी प्रमाण के अभाव में उपचार कर रहे डॉक्टर का क्लिनिकल मूल्यांकन और दिल्ली का निवासी होने का प्रमाण पत्र (राशन कार्ड/इलेक्शन आई–कार्ड/पते की पुष्टि संबंधी कोई अन्य दस्तावेज) भी प्रस्तुत करना होगा।
- जीवित बच्चों की संख्या के बारे में शपथ पत्र।
- गर्भवती महिला के पंजीकरण को प्रथम तिमाही (12 सप्ताह) में वरीयता दी जानी चाहिए।
- बीपीएल कार्ड/एसडीएम से बीपीएल प्रमाण–पत्र/ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अजा/अजजा प्रमाण–पत्र।
- अन्य लाभ
- ममता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसव कराने वाली महिला को 600 रुपये का नक़द प्रोत्साहन भी मिलेगा।
- ममता कार्यक्रम के अंतर्गत अगर कोई महिला लड़की को जन्म देती है तो उस बालिका को राराराक्षे. दिल्ली सरकार के समाज कल्याण निदेशालय की 'लाडली योजना' कें अंतर्गत लाभ प्राप्त होंगे।
- नर्सिंग होम/प्राइवेट अस्पताल को वित्तीय पैकेज।
- गर्भवती महिला को व्यापक देखभाल प्रदान करने वाले प्राइवेट अस्पताल को 4000/– रुपये दिये जाएंगे। इसमें प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु की देखभाल और प्रसव उपरांत देखभाल खर्च शमिल है। केवल संस्थागत प्रसव कराने वाले नर्सिंग होम को 3000/–रुपये और यदि सिर्फ प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान की गई हो तो 2000/– रुपये का आंशिक भुगतान भी किया जा सकता है।

[k½ tuuh l|j{kk ;kstuk% अजा/अजजा अथवा बीपीएल महिला को किसी सरकारी अस्पताल/मैटर्निटी होम में प्रसव कराने पर संबद्ध अस्पताल की ओर से तत्काल नक़द लाभ के रूप में 600 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2006–07 से लागू है। इस कार्यक्रम की प्रगति संतोशजनक है और इसके बेहतर नतीजे सामने आये हैं। दिसम्बर 2008 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15,500 महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया जबकि 2008–09 के पूरे वर्ष के लिए 12,000 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया था। इसकी तुलना में 2007–08 के दौरान केवल 7135 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया।

4½ ih,uMhVh@,eVhih vf/kfu;e

किसी भी युग में समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को दर्षाने में लिंग अनुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू है। दिल्ली के अस्पतालों में जन्म के समय लिंग अनुपात पर निगरानी संबंधी आंकड़ों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किये गए संकलन से पता चलता है कि दिल्ली में जन्म के समय लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों के पीछे 875 लड़कियां हैं। भारत सरकार ने पीएनडीटी अधिनियम बनाया है ताकि प्रसव पूर्व भ्रूण के लिंग का पता लगाने की पद्धति पर रोक लगायी जा सके जिसकी परिणति कन्या भ्रूण हत्याओं के रूप में सामने आती है। दिल्ली में इस अधिनियम के अनुपालन का दायित्व स्वास्थ्य सेवायें निदेशालय और परिवार कल्याण निदेशालय पर है। अधिनियम के अंतर्गत राराराक्षे दिल्ली में 1692 यूनिटें पंजीकृत की गयी हैं। पीएनडीटी अधिनियम का प्रभावकारी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सक्षम अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है और सलाहकार समिति का गठन किया गया है। दिल्ली के 40 बड़े अस्पतालों में मासिक आधार पर जन्म के समय लिंग अनुपात पर निगरानी रखी जा रही है। पीएनडीटी अधिनियम के अनुपालन के लिए समूची दिल्ली में नियमित रूप से निरीक्षण और सर्वेक्षण किए जाते हैं ताकि अपंजीकृत क्लिनिकों और अधिनियम का उल्लंघन करने वालों का पता लगाया जा सके।

एमटीपी अधिनियम में यह प्रावधान है कि विशिष्ट चिकित्सा निर्देशों के अंतर्गत पंजीकृत स्थानों पर सुरक्षित और कानूनी गर्भपात कराए जा सकते हैं। वर्ष 2004–05 में एमटीपी अधिनियम को विकेन्द्रीकृत करते हुए उपयुक्त जिला अधिकारियों को अधिकार सौंपे गए ताकि इस कानून के तहत लोग अपने क्लिनिकों को पंजीकृत करा सकें। लिंग अनुपात असंतुलित होने के दुश्प्रभावों और अपंजीकृत क्लिनिकों की विद्यमानता के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए उपयुक्त प्रचार किया जा रहा है।

5½ d|"B jksx mUewyu vfHk;ku

दिल्ली में सभी सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में कुश्ठ रोग का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। दिल्ली में 31 मार्च, 2006 को विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में 3221 कुश्ठ रोगियों का इलाज चल रहा था। 31 मार्च, 2007 तक दिल्ली में कुश्ठ रोग के 2641 मामलों का उपचार जारी था। इस प्रकार दिल्ली की आबादी में कुष्ठ रोग की विद्यमानता की दर 1.5/10,000 है। अप्रैल से दिसम्बर 2007 की अवधि में प्रमुख अस्पतालों और औषधालयों में कुश्ठ रोग के 2456 मामले पंजीकृत हुए, जिनमें से 1010 अकेले दिल्ली से थे। फिलहाल, दिल्ली में राज्य और पड़ोसी राज्यों के कुल 2947 रोगियों को एमडीटी प्रदान की जा रही है।

v/;k;&17
lkekftd lqj{kk

1. मानवीय पहलुओं का ध्यान रखते हुए अधिक समग्र वृद्धि एंव विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए दिल्ली सरकार (i) मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों की वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने (ii) लक्ष्य समूहों का दायरा बढ़ाने (iii) कुछ कार्यक्रमों/गतिविधियों के प्रमुख लक्ष्यों को फिर से निर्धारित करने और (iv) जरूरत आधारित कार्यक्रम विकसित करने और उन्हें अपनाने पर अधिक बल दे रही है। इसलिए दिल्ली सरकार एक तरफ विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए यह सुनिश्चित करने के संगठित प्रयास कर रही है कि समाज के कमजोर वर्गों, उपेक्षित समूहों और शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों की बेहतर देखभाल की जा सके, उन्हें सहायता और संबल प्रदान किया जा सके, वहीं दूसरी ओर सरकार अपने विशेष कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को आर्थिक अधिकार प्रदान करने और वृद्धों तथा अन्य बेसहारा लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की विभिन्न योजनाओं पर सक्रिय रूप से अमल कर रही है। सरकार बच्चों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के उपाय कर रही है ताकि उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो और बच्चों को आगे बढ़ने तथा आत्म–निर्भर बनने के लिए एक स्वस्थ माहौल मिले सके। लक्षित समूहों को अधिकारिता प्रदान करने के इस प्रयास में आमतौर पर नागरिक समाज और विशेष रूप से स्वयं सेवी संगठनों को भागीदार बनाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह महसूस किया गया है कि इस दृष्टिकोण के साथ सरकार उन समाजिक सरोकारों को पूरा कर सकेगी, जो दिल्ली की खुशहाली, मानवाधिकारों के संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए जरूरी हैं।

2. उपरोक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही महिलाओं एवं बच्चों की जरूरतों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए दिल्ली सरकार ने नवम्बर 2007 में महिला एवं बाल विकास के लिए अलग विभाग बनाने का फैसला किया। इससे समाज कल्याण विभाग वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गो पर अविभाजित ध्यान केन्द्रित कर सकेगा।

3. इस अध्याय के भाग–क के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं तथा कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। भाग–ख में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों और अन्य कमजोर वर्गो से संबंधित उपायों का उल्लेख किया गया है।

भाग-क

महिला एवं बाल विकास

4. योजनाएं और कार्यक्रम

4.1 समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस)

समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस), के अर्न्तगत दिल्ली के विभिन्न भागों में 50 आईसी डीसी केन्द्र काम कर रहे हैं। इन केन्द्रों से आर्थिक दृष्टि से शोषित 6 वर्ष तक की आयु के 7.85 लाख बच्चों और गर्भवती तथा पोषण करने वाली माताओं की लक्षित आबादी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आई सी डी एस के अर्न्तगत 2008–09 के दौरान 6106 आंगनवाड़ियों के माध्यम से 6.98 लाख बच्चों और महिलाओं को पूरक पोषण प्रदान किया गया। वर्तमान में प्रत्येक लाभार्थी को करीब 300 दिन के लिए हर रोज 4/–रुपये प्रति कुपोषित बच्चे और 4/– रुपये प्रति महिला की दर से पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड और स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी से विभाग द्वारा पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए 60 आंगनवाड़ी केन्द्र भी चलाये जा रहे हैं।

4.2 लाडली योजना

यह एक नया कार्यक्रम है जो 01.01.08 से प्रारंभ किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य बालिकाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यह कार्य शिक्षा से संबद्ध वित्तीय सहायता क जरिये किया जा रहा है। पात्रता की शर्तो के अनुसार बालिका का जन्म दिल्ली में होना चाहिए। उसके माता–पिता आवेदन करने की तारीख से पिछले कम से कम तीन वर्ष से दिल्ली के निवासी अवष्य होने चाहिए और उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता इस प्रकार दी जाएगी : कार्यक्रम के अंतर्गत 11,000/–रुपये बालिका के नाम उसके जन्म के समय जमा करा दिये जाएंगे बषर्ते उसका जन्म राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी अस्पताल/नर्सिंग होम में 01.01.2008 को या उसके बाद हुआ हो। यदि बालिका का जन्म 01.01.2008 को या उसके बाद अस्पताल से अन्यत्र हुआ हो तो उसके नाम 10,000/– रुपये जमा कराये जाएंगे। बालिका के प्रथम कक्षा, छठी कक्षा, नौवीं कक्षा और बारहवी कक्षा में प्रवेष के समय हर बार 5000–/रुपये उसके नाम जमा कराये जाएंगे। परिपक्वता राशि का दावा बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने और नियमित विद्यार्थी के रूप में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने अथवा 12 वीं कक्षा में प्रवेश लेने के समय किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के लिए 2008–09 के लिए के दौरान संशोधित परिव्यय 90.60 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 85.00 करोड़ रुपये काम में लाये गये और 1,15,000 आवेदन मंजूर किये गये।

4-3 cky vf/kdkj vk;kx

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम वर्ष 2006 में अस्तित्व में आया । इस अधिनियम में राज्य बाल आयोग और बच्चों के खिलाफ आरोपों अथवा बाल अधिकारों के उल्लंघन तथा तत्संबंधी आकस्मिक मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए बाल अदालतें गठित करने का प्रावधान है। तदनुरूप 08.09.08 को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया।

4-4 cky dY;k.k lfefr;k

बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास संबंधी मामलों में शीघ्र और समयानुकूल निर्णय सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत बाल कल्याण समितियों के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में 4 बाल कल्याण समितियों और 2 किषोर न्याय बोर्ड गठित किये गये हैं।

4-5 fd'kkjk dk dY;k.k

विभाग ने 24 किशोर गृहों (12 सांविधिक और 12 असांविधिक) की स्थापना की है, ताकि उपेक्षित और अपराधी किशोरों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके।

5- efgykvk d fofHkUu dk;Øe

5.1 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में महिलाओं की जनसंख्या 62.43 लाख थी। इस प्रकार दिल्ली की कुल जनसंख्या में 45.08 प्रतिशत महिलाएं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 48.26 प्रतिशत है। दिल्ली में महिलाओं की साक्षरता दर 2001 में 74.71 प्रतिशत थी, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 87.33 प्रतिशत और कुल आबादी में साक्षरता 81.67 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की साक्षरता की दर 53.6 प्रतिशत थी। दिल्ली में महिला कार्मिकों की संख्या 5.58 लाख थी, जो कुल कार्मिकों का 12.87 प्रतिशत और दिल्ली की कुल महिला आबादी का 9.37 प्रतिशत थी।

5.2 दिल्ली की महिलाओं की आबादी की आवश्यकता को देखते हुए समाज कल्याण विभाग उनके कल्याण और अधिकारिता के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करता है। विभाग महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थानों का संचालन करता है, जैसे आफ्टर केयर होम, विधवा गृह, शार्ट स्टे होम और निर्मल छाया। इन संस्थानों का उद्देश्य मुसीबत में फंसी महिलाओं को आश्रय, सहायता, प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और परामर्श प्रदान करना है। निर्मल छाया एक सांविधिक संस्थान है, जो वेश्यालयों से मुक्त करायी गई महिलाओं और लड़कियों, अनैतिक जोखिम में फंसी महिलाओं और मानव व्यवहार एवं संबद्व विज्ञान संस्थान से छुटटी मनोरोगियों को भर्ती करती है।

5.3 कामकाजी महिलाओं को आवास प्रदान करने के लिए नई दिल्ली नगर परिषद ने 3 महिला होस्टल स्थापित किये हैं। ऐसा ही एक अन्य होस्टल दिल्ली सरकार द्वारा पूर्वी दिल्ली कें विश्वासनगर में बनाया गया है। इसमें 100

कामकाजी महिलाओं के रहने की व्यवस्था है। इसका संचालन गैर–सरकारी संगठन वाई डब्ल्यू सी ए को सौंप दिया गया है। एक अन्य महिला होस्टल का निर्माण रोहिणी मे किया जा रहा है। विभाग ने कामकाजी महिलाओं के लिए इस तरह के और होस्टल बनाने के लिए 9 स्थानों पर डीडीए से जमीन खरीदी है।

5.4 वर्ष 2007–08 के दौरान आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवाओं को आय का नियमित स्रोत प्रदान करने के लिए 600/– रुपये प्रति माह पेंशन देने की योजना शुरू की थी । इसका लाभ उन विधवाओं को मिलता है जिनका आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है और जिनकी वार्षिक आय 48,000/– रुपये तक है। इसके तहत 6288 विधवाओं को 1.49 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। अप्रैल, 2008 से परिवार आय की सीमा 48,000/– रुपये से बढ़ाकर 60,000/– रुपये वार्षिक कर दी गई। पेंशन की राशि भी बढ़ाकर 1000 /– रुपये प्रतिमाह कर दी गई। वर्ष 2008–09 के दौरान 18,400 विधवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2200 करोड़ रुपये का संशोधित परिव्यय प्रदान किया गया।

5.5 वर्ष 2007–08 के दौरान उन विधवाओं को बेटी की शादी के लिए 20,000/– रुपये दिये गये, जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 48,000/– रुपये से कम है। लाभार्थी दिल्ली की निवासी होनी चाहिए। यह लाभ परिवार में केवल दो लड़कियों तक दिया जाता है। 2007–08 में 2655 लाभार्थियों के लिए 5.31 करोड़ रुपये जारी किये गये। परिवार की आय की सीमा अप्रैल 2008 से 48,000/– रुपये से बढ़ाकर 60,000/– रुपये वार्षिक कर दी गई। वर्ष 2008–09 के दौरान इसके लिए 5.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया।

5.6 महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग की भूमिका निभा रहा है। यह अधिनियम 26.10.2006 से लागू हो गया है। इसका उद्देश्य पत्नि/लिव–इन पार्टनर के रूप में रह रही महिला को उसके पति या लिव–इन–पार्टनर पुरूष या उसके संबंधियों के हाथों की जाने वाली हिंसा से संरक्षण प्रदान करना है। अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में वास्तविक दुर्व्यवहार या गैर कानूनी दहेज की मांग द्वारा महिला या उसके संबंधियों को तंग करना भी शामिल है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली के प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए 18 संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये हैं।

6. fnYyh efgyk vk;kx

महिलाओं के हितों की रक्षा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 1996 में दिल्ली महिला आयोग की स्थापना की गई। आयोग ने 38 महिला पंचायतों का गठन किया है। वर्तमान में 15 स्वयं सेवी संगठन इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आयोग ने स्वयं सहायता समूहों जैसी परियोजनाएं भी शुरू की हैं और 3686 महिलाओं को शामिल करते हुए 252 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। इसके अतिरिक्त आयोग सहयोगिनी नाम से परिवार

परामर्ष एकक भी संचालित कर रहा है। सहयोगिनी के जरिए आयोग ने एक ऐसा मंच प्रदान किया है, जहां संवेदनशील पारिवारिक मुद्दों पर विचार किया जा सकता है, सलाह ली जा सकती है, और मुकदमेबाजी से बचने के लिए सुलह सफाई का प्रयास किया जा सकता है। आयोग ने दिल्ली पुलिस और स्वयं सेवी संगठनों की मदद से दिल्ली के नौ जिलों में बलात्कार की पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए क्राइसिस इन्टरवेन्शन सेन्टर यानी संकट सहायता केन्द्र भी प्रारंभ किये हैं।

6.1 दिल्ली महिला आयोग ने मार्च 2000 में एक हेल्पलाइन भी शुरू की है। इस सेवा के माध्यम से मुसीबत में फंसी महिलाओं को टेलीफोन के जरिए परामर्श दिया जाता है। सहयोगिनी के माध्यम से 855 और हेल्पलाइन के जरिए 355 मामलों का निपटारा किया गया।

7- tMj ctV

पहली बार योजना कार्यक्रमों के रूप में महिलाओं के कल्याण की विशेष योजनाओं की पहचान की गयी और उन्हें 2006–07 के आम बजट में शामिल किया गया। ये योजनाएं अब बजट दस्तावेज का हिस्सा हैं। 2007–08 के दौरान उन योजनाओं के लिए 99.61 करोड़ रुपये प्रदान किये गये, जो महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष रूप से चलायी जा रहीं है। किन्तु, यह महसूस किया गया कि अनेक ऐसी योजनाएं भी हैं, जिनका कुछ हिस्सा महिलाओं के कल्याण से संबद्ध होता है। 2008–09 में महिला कल्याण की विशेष योजनाओं के लिए 131.73 करोड़ रुपये मंजूर किये। इसके अलावा अनेक ऐसी योजनाओं की पहचान की गई जिनके परिव्यय का कुछ हिस्सा महिलाओं से संबंधित होता है। 2008–09 के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए 177.13 करोड़ रुपये मंजूर किये गये।

8- fyax lalk/ku dsUnz ¼L=h 'kfDr½

लिंग संसाधन केन्द्र स्त्री शक्ति कार्यक्रम की एक श्रृंखला है, जिसमें शिविर आधारित दृष्टिकोण की बजाय समुदाय के पास–पड़ोस में स्थायी केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया। लिंग संसाधन केन्द्रों में महिलाओं, विशेष रूप से समाज के उपेक्षित वर्गो से संबद्ध महिलाओं को सम्पूर्ण अधिकार प्रदान करने, यानी उन्हें स्वास्थ्य, साक्षरता, कानूनी–जागरूकता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के प्रयास किये जाते हैं। वर्तमान में दिल्ली के 9 जिलो में 80 लिंग संसाधन केंन्द्र काम कर रहे हैं। भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग ने ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया है जो स्वास्थ्य, पोषण और कानूनी मुद्दों के बारे में जरूरत आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करते हों। स्वास्थ्य क्लिनिकों के जरिये 15112 महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया। 4853 महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श दिया गया। विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के जरिये 14181 महिलाओं को सौदर्य प्रसाधन,

कटिंग और टेलरिंग, ड्रेस मैंकिंग, फोटो ग्राफी और वीडियोग्राफी, कम्प्यूटर होम मैंजमेंट और कैटरिंग, कशीदाकारी तथा पट्सन के थैले बनाने जैसे व्यवसायों को प्रशिक्षण दिया गया। लघु उद्यमों और उद्यमशीलता के लिए 32 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया।

9. **fnYyh jkT; lekt dY;k.k ijke'k cksMZ ¼Mh,l,lMCY;w,ch½** ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए अनेक गतिविधियां/सेवाएं शुरू की हैं, जैसे परामर्श सेवाएं, स्वयं सहायता समूहों का गठन, जीआईए मामले, स्वयंसेवी संगठनो के जरिये शिशुसदनों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन आदि। इसके अतिरिक्त मदनपुर खादर परियोजना (आंगनवाड़ी) के संचालन करने का कार्य भी इस बोर्ड को सौंपा गया है।

Hkkx&[k

lekt dY;k.k

दिल्ली सरकार अनेक कार्यक्रमों के जरिये एक ओर यह सुनिश्चित करने के एकजुट प्रयास कर रही है कि समाज के कमजोर वर्गो, उपेक्षित समूहों और शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों को बेहतर देखभाल और सहायता मिले, वहीं दूसरी ओर अन्य विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिये वरिष्ठ नागरिकों तथा अन्य जरूरतमंद समूहों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। ऐसे सभी कल्याण उपायों को मूर्त रूप देने में समाज कल्याण विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। इसके लिए विभाग के अन्तर्गत आवासीय देखभाल गृहों और गैर संस्थागत सेवाओं का एक नेटवर्क जो पूरी दिल्ली में फैला हुआ है। विभाग द्वारा लागू किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्योर नीचे दिया गया है।

;kstuk,a vkSj dk;Øe

11- ofj"B ukxfjdksa dk dY;k.k

दिल्ली सरकार ने ''वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति'' तैयार की है, जो राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है। इस नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों की विशेष जरूरतों को पूरा करना है। नीति के अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ''वरिष्ठ नागरिक'' समझे जाने का प्रावधान है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। नीति का लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करना है ताकि वृद्धा अवस्था की समस्याओं से सक्षमता पूर्वक निपट सकें। इसमें सरकारी विभागों से भी यह अपेक्षा की गई है कि वे नागरिक समाज के साथ मिलकर रचनात्मक कार्रवाई करें ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं को अधिक अनुकूल और उनकी जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सके। दिल्ली सरकार लोक शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर भी विचार कर रही है ताकि लोगों को वृद्धावस्था के लिए तैयार करने और इस अवस्था को गरिमापूर्ण ढंग से लेने तथा जीवन

के बाद के वर्षो में आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित बने रहने के लिए प्रेरित किया जा सके।

2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल 1,38,50,507 की आबादी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक), पुरुषों और महिलाओं, दोनों की कुल संख्या करीब 7,19,650 थी। इसमें 3,66,466 (51 प्रतिशत) पुरुष और 3,53,184 (4.9 प्रतिशत) महिलाएं थीं।

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा अनेक योजनायें लागू की जा रही हैं। इनमें प्रमुख हैं, वृद्धावस्था पेंशन और वृद्ध आश्रमों की स्थापना। वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के अंतर्गत तिमाही आधार पर भुगतान किया जाता है। यह राशि रिजर्व बैंक की इलेक्ट्रोनिक क्लिरिंग प्रणाली के जरिए लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते में जमा कर दी जाती है। दिल्ली के वे सभी निवासी वृद्धावस्थ्या पेंशन का लाभ पाने के हकदार हैं, जिनके परिवार की सालाना आमदनी 48,000 रूपये से कम है और जिनकी आयु 60 वर्ष (विकलांग के मामले में 55 वर्ष) है। आय में आश्रित पुत्रों और पुत्रियों की आय नहीं जोड़ी जाती। इसके लिए क्षेत्र के विधायक/सांसद की अनुशंसा अनिवार्य हैं। आवेदक के पास वैध राशन कार्ड या निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र अवष्य होना चाहिए। 2007–08 के दौरान 1.85 लाख लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही थी और इसके लिए 126 करोड़ रुपये खर्च किये गये। अप्रैल 2008 से पेंशन की राशि 600/– रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000/– प्रतिमाह कर दी गई। पात्रता के लिए आय की सीमा भी बढ़ाकर 60,000/–रुपये वार्षिक की गई। 2008–09 के दौरान 2,40,000 लाभार्थियों को वरिष्ठ नागरिक पेंशन दी गई।

विभाग की दिल्ली के विभिन्न भागों में वृद्ध आश्रम खोलने की योजना है। कालकाजी और तिलक विहार में ऐसे दो आश्रम पहले से काम कर रहे हैं। द्वारका और लामपुर में दो वृद्ध आश्रमों के लिए भवन तैयार हो गये है। द्वारका में वृद्ध आश्रम के लिए विभाग ने पीपीपी यानी सार्वजनिक–निजी–भागीदारी के जरिये संचालन हेतु एक स्वयंसेवी संगठन के साथ समझौते के ज्ञापन हस्ताक्षर किये गये हैं। जनकपुरी, रोहिणी और कांतिनगर में वृद्ध आश्रमों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। बिंदापुर में वृद्ध आश्रम के निर्माण का काम डीएसआईआईडीसी को सौंपा गया है।

योजना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मनोरंजन केंद्र खोलने के लिए विभाग ने दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद को क्रमष 40 और 2 मनोरंजन केंद्र परिचालित करने के लिए धन जारी किया गया। इनमें से दिल्ली नगर निगम के 15 और नई दिल्ली नगर परिषद के 2 केंद्रो ने काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर ऐसी नीति विकसित की जा रही है कि भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत निवासी कल्याण समितियों/वरिष्ठ नागरिक संगठनों के सहयोग से बंद पड़े मनोरंजन केंद्रो को फिर से खोला जाए और नये मनोरंजन केंद्र शुरू किए जाएं। विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केन्द्र संचालित करने

हेतु 28 स्वयंसेवी संगठनों और निवासी कल्याण संगठनों (आरडब्ल्यूए) को 50,000/– रुपये की एकबारगी गैर–आवर्ती सहायता प्रदान की। योजना कार्यक्रम के अनुसार इस तरह के 140 केन्द्र खोले जाएंगे और स्वयंसेवी संगठनों को मनोरंजन केन्द्रों के रख–रखाव के लिए 15000/– रुपये प्रतिमाह आवर्ती अनुदान के रूप में दिये जाएंगे।

12- 'kkjhfjd@ekufld nf"V ls ckf/kr 0;fDr;ksa dk dY;k.k

अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जुलाई 2002 और दिसम्बर 2002 के बीच कराए गए 58वें दौर के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार निम्नांकित तथ्य सामने आए।

- सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया कि दिल्ली में 1 अक्टूबर 2002 को विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या 1,02,427 थी, जो उस समय की कुल आबादी का 0.71 प्रतिशत है। इनमें से 4,966 ग्रामीण क्षेत्रों में और 97,461 शहरी क्षेत्रों में रह रहे थे।
- लिंगवार वर्गीकारण से पता चलता है कि विकलांगों में 65,351 (63.80%) पुरुष और 37,076 (36.20%)महिलाएं थीं।
- कुल विकलांगों में 12,970 (12.66%) मानसिक विकलांग, 7308 (7.17%) दृष्टि विकलांग, 5,326 (5.20%) अभिव्यक्ति विकलांग, 70026 (68.37%) गति संबंधी विकलांग और 6797 (6.64%) बहु विकलांगताओं से ग्रस्त थे।
- सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली में प्रति लाख आबादी में 707 व्यक्ति विकलांग है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह अनुपात 1755 व्यक्तियों का है। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिलाख आबादी पर 502 और शहरी क्षेत्रों में प्रति लाख आबादी पर 722 विकलांग व्यक्ति पाये गये हैं।
- दिल्ली में कुल विकलांग व्यक्तियों (5 वर्ष से अधिक आयु के) में से 63.08% साक्षर हैं और 36.92% निरक्षर हैं।
- 9.84% विकलांग 10+2 स्तर तक और 7.63 % माध्यमिक स्तर तक, 13.21 % मिडिल स्तर तक और 32.40 % प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त थे।
- **fodykxrk dk foLrkj** :– विकलांगों में 58.62% ऐसे थे, जो बिना किसी सहायता/उपकरण के अपनी देखभाल स्वयं कर सकते थे, और 18.05% सहायता/उपकरणों पर निर्भर थे, जबकि 19.08% विकलांग ऐसे थे, जो अपनी देखभाल स्वयं करने में असमर्थ थे।
- दिल्ली में 28.60% विकलांग कार्मिक षक्ति का हिस्सा थे, जबकि शेष 71.40% श्रम शक्ति से बाहर थे।

विकलांग समूहों के लिए कार्यक्रम तैयार करते समय संबद्ध विभागों द्वारा उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखा जाता है।

समाज कल्याण विभाग बधिर विक्लांगों के लिए 4 स्कूल, जिनमें 976 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, 3 प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र और शारीरिक विकलांगों के लिए 2 आश्रय कार्यशालाएं, कालेज स्तर के दृष्टिहीन विद्यार्थियों के

लिए 1 होस्टल, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए 1 विद्यालय, जिसमें 113 विद्यार्थी हैं, और मंदबुद्धि बच्चों के लिए 1 स्कूल, जिसमें 682 विद्यार्थी हैं, का संचालन कर रहा है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग बधिर विक्लांगों के लिए नेहरू विहार में 5.50 करोड़ रुपये की लागत से 1 प्राथमिक स्कूल का निर्माण कर रहा है ताकि स्कूल जाने की उम्र के बधिर बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। विभाग विक्लांग व्यक्यिों के पुनर्वास के एक कार्यक्रम का भी संचालन कर रहा है। दिल्ली में अपंग व्यक्तियों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न जिलों में विकलांग शिविरों का आयोजन किया गया।

अपंग व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के अलावा दिल्ली सरकार सभी श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों को उनके पाठ्यक्रम के स्तर के अनुसार रुपये 125 से लेकर रुपये 500/–प्रतिमाह तक वजीफ़ा और छात्रवषत्तियां भी प्रदान करती है। छात्रवृत्ति के लिए परिवार की आय की सीमा अप्रैल 2008 से 24,000/– रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 60,000/– रुपये वार्षिक कर दी गई है। 18 से 55 वर्ष के बीच आयु वाले ऐसे विक्लांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 600/– रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया गया, जिनका नाम पिछले दो वर्ष से रोजगार कार्यालय में दर्ज था, और जिनकी विक्लांगता 40 प्रतिशत से अधिक थी। अप्रैल, 2008 से रोजगार कार्यालय में 2 वर्ष के पंजीकरण की शर्त हटा दी गई और भत्ते की राशि 600/– रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000/– रुपये प्रति माह कर दी गई। इसी प्रकार परिवार की आय का मानदंड भी 48,000/– रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 60,000/– रुपये वार्षिक कर दिया गया है।

13- tu Jh chek ;kstuk

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे और गरीबी की रेखा से थोड़ा ऊपर गुजर–बसर करने वाले व्यक्तियों को जीवन बीमा लाभ पहुंचाने के उद्देष्य से 2003–04 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से '' जनश्री'' बीमा योजना आरम्भ की गयी। अप्रैल, 2008 से लाभार्थियों का बीमा दुर्घटना मृत्यु के मामले में 50,000 रुपये, प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 20,000/– रुपये और स्थायी विक्लांगता के मामले में 50,000 रुपये के लिए किया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत 50 प्रतिशत प्रीमियम राज्य सरकार और शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। मूल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से प्रीमियम लेने का प्रावधान था जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।

14. jk"Vªh; ifjokj ykHk dk;Øe

आजीविका कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर निर्धन परिवार को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत प्रमुख कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को 10,000/– रुपये दिये जाते हैं, भले ही मृत्यु दुर्घटना से हुई हो या स्वाभाविक।

15. भिखारी

दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भिखारियों की देखभाल के लिए 12 संस्थान कार्यरत हैं। ये संस्थान उस समय भिखारियों की सहायता करते हैं जब उन्हें बम्बई भीख रोकथाम अधिनियम, 1959, जो संघशासित प्रदेश, दिल्ली पर भी लागू है, के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है और इन संस्थानों में भेज दिया जाता है।

16. कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों का कल्याण

कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास केन्द्र (आरसीएल) की स्थापना 1980–81 में की गई थी। समाज कल्याण विभाग वर्तमान में आरसीएल लाभार्थियों को 850 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दे रहा है। आर सी एल आवासीय गृह नहीं है। अधिकतर लाभार्थी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं जैसे ताहिरपुर (यमुनापार), आर के पुरम, श्रीनिवासपुरी और पटेल नगर आदि। कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्यिों की प्रमुख कालोनी ताहिरपुर है, जहां आश्रय कार्यशाला और प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थित हैं। इन केन्द्रों में विभाग उत्पादन कार्य सुविधाएं प्रदान करता है ताकि कुश्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। विभाग इन केन्द्रों में हथकरघा चलाने, जूते बनाने, चाक बनाने, हैडलूम से बनी अन्य वस्तुएं आदि बनाने की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है।

17. समाज कल्याण के अन्य उपाय

क्षयरोग से पीड़ित अधिकतर लोगों को लापरवाही या वित्तीय कठिनाइयों की वजह से समुचित चिकित्सा नहीं मिल पाती। समाज कल्याण विभाग प्रत्येक क्षयरोगी को उपचार के लिए 300/–रुपये प्रतिमाह की सहायता देता है।

18. मिशन कन्वर्जेन्स (सामाजिक सुविधा संगम)

दिल्ली में सीमान्त और उपेक्षित समुदायों की सामाजिक–आर्थिक कमजोरी के मुद्दों को निपटारा करने के लिये मिशन कन्वर्जेन्स एक शुरूआत है। मिशन ने कल्याण कार्यक्रमों के लिए लाभर्थियों की पहचान के वास्ते संवेदनशीलता के आधार पर नई मानदंड का विकास किया है । निचले स्तर पर लिंग संसाधन केन्द्र–सुविधा केन्द्र (जीआरसी–एसकेएस) स्थापित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भागीदार बनाया गया है, जो समुदाय में पहुंच केन्द्रो और नागरिकों के लिए प्रथम संपर्क बिन्दु के रूप मे काम करेंगे।

v/;k;&18

vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr@vU; fiNM+k oxZ @vYila[;dksa dk dY;k.k

1 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल आबादी (1,38,50,507) में अनुसूचित जातियों (अजा) की आबादी 23.43 लाख (दिल्ली की कुल आबादी का 16.92 प्रतिशत) है। जनगणना के रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली में अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी नहीं है, क्योंकि शहर में किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। अभी तक दिल्ली पिछड़ा आयोग (डी बी सी) ने दिल्ली में 65 जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के रूप में अधिसूचित किया है, किन्तु अपिव आबादी के बारे में कोई प्रमाणिक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

2 दिल्ली में अनुसूचित जाति ज्यादातर शहरों में ही है और केवल 8.04 प्रतिशत लोग ही गांव में रहते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की ग्रामीण अजा आबादी कुल ग्रामीण आबादी का 19.94 प्रतिशत और शहरों में अजा आबादी कुल शहरी जनसंख्या का 16.70 प्रतिशत थीं। दिल्ली में 1961 से 2001 के बीच गांव और शहर की आबादी के आंकड़े तालिका 18.3 में दिये गये हैं। 1961–2001 के दौरान दिल्ली की जनसंख्या वृद्धि दर 47 प्रतिशत से 53 प्रतिशत के बीच रही, जबकि इस अवधि में दिल्ली में अजा आबादी की वृद्धि दर 31 प्रतिशत से 86 प्रतिशत के बीच रही।

3 तालिका 18.4 में दिल्ली की आबादी और अनुसूचित जातियों की कुल आबादी में साक्षरता की दर प्रदर्षित की गयी है। ये आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जातियों में साक्षरता का स्तर लगातार बढ़ता गया है और यह 1961 के 20.86 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 70.85 प्रतिशत पर पहुंच गया है। हालांकि 2001 में अजा साक्षरता दर दिल्ली की साक्षरता दर 81.70 प्रतिशत से कम थी। लेकिन यह साक्षरता की राष्ट्रीय दर 64.80 प्रतिशत से काफी ऊंची थीं।

4 दिल्ली में कामगारों की आबादी 2001 में 45.45 लाख थीं, जिसमें अजा समुदाय की संख्या 7.10 लाख थी, जो कुल कामगारों का 15.62 प्रतिशत है। दिल्ली में कुल जनसंख्या का 33 प्रतिशत लोग रोजगार में हैं और इनमें 23.43 लाख यानी 30 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों के हैं।

vuqlwfpr tkfr mi&;kstuk ¼,llh,lih½

5. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) की धारणा के अनुसार सभी विभाग अनुसूचित जातियों के सामाजिक/आर्थिक विकास के लिए विशेष योजनायें प्रारंभ करेंगे। इसका सार ये था कि योजनायें उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वी पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 2002–03 से 2008–09 में अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) का आकार नीचे दिया गया हैः–

fofoj.k 18-1

(लाख रुपये में)

क्र.स.	पंचवर्षीय/वार्षिक योजना	राराराक्षे दिल्ली के लिए स्वीकृत परिव्यय	विशेष घटक योजना के लिए प्रावधान	प्रतिशत
1.	2	3	4	5
1.	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)	2399628.00	229198.03	9.55
2.	वार्षिक योजना (2002–03)	470000.00	26770.35	5.70
3.	वार्षिक योजना (2003–04)	486400.00	29466.58	6.06
4.	वार्षिक योजना (2004–05)	453228.00	30799.60	6.80
5.	वार्षिक योजना (2005–06)	470000.00	45599.78	9.70
6.	वार्षिक योजना (2006–07)	520000.00	96561.72	18.57
7.	वार्षिक योजना (2007–08)	900000.00	153405.54	17.04
8.	वार्षिक योजना (2008–09)	1000000.00	169414.80	16.94

6. अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के तीव्र शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है। इनमें अनुदान और ऋण के रूप में आर्थिक सहायता और विद्यार्थियों को छात्रवृति के रूप में वित्तीय सहायता जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान 5005.74 लाख रुपये (98.63प्रतिशत) परिव्यय निर्धारित किया गया था जबकि संशोधित परिव्यय 5075.00 लाख रुपये रहा। वर्ष 2008–09 के दौरान दिल्ली सरकार ने अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करने के लिए 4970.00 लाख रुपये मंजूर किये। इस अवधि (2008–09) में 5002.00 लाख रुपये के संशोधित परिव्यय में से 4922.00 लाख रुपये खर्च किये गये।

'kSf{kd dk;Øe

7. अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध विद्यार्थियों को स्टेशनरी खरीदने के लिए कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक 450 रुपये से 750 रुपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए परिवार की आय एक लाख रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2007–08 के दौरान इसके लिए 1099.98 लाख रुपये खर्च किये गये और इस योजना का लाभ 193058 विद्यार्थियों को पहुंचा। वर्ष 2008–09 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 1,40,000 विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने के लिए 1100.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इस अवधि में 767.00 लाख रुपये के संशोधित परिव्यय में से 762.14 लाख रुपये खर्च किये गये।

8. दिल्ली सरकार अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के छठीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियो को 500 रुपये से 1700 रुपये वार्षिक तक मैरिट स्कॉलरशिप प्रदान करती है। अजा/अजजा समुदायों के मामले में परिवार की आय की कोई सीमा लागू नहीं होती जबकि अपिव और अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध विद्यार्थियों के मामले में परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2007–08 के दौरान इसके लिए 441.92 लाख रुपये खर्च किये गये और इस योजना का लाभ 44259 विद्यार्थियों को पहुंचा। वर्ष 2008–09 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 40000 विद्यार्थियों को मैरिट स्कॉलरशिप देने के लिए 430.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इस अवधि में 689.00 लाख रुपये के संशोधित परिव्यय में से 683.91 लाख रुपये खर्च किये गये।

9. दिल्ली सरकार कॉलेज/व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययरत अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को 350 रुपये प्रतिमाह से 800 रुपये प्रतिमाह तक मैरिट स्कॉलरशिप भी प्रदान कर रही है। अजा/अजजा समुदायों के मामले में परिवार की आय की कोई सीमा लागू नहीं होती जबकि अपिव और अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध विद्यार्थियों के मामले में परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2007–08 के दौरान इसके लिए 2081 विद्यार्थियों को लाभ पहुचांने के लिए 165.00 लाख रुपये के संशोधित परिव्यय में से 151.19 लाख रुपये खर्च किये गये। वर्ष 2008–09 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 1300 विद्यार्थियों को मैरिट स्कॉलरशिप देने के लिए 160 लाख रुपये स्वीकष्त किये गये। इस अवधि में 1984 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 160.00 लाख रुपये के संशोधित परिव्यय में से 146.80 लाख रुपये खर्च किये गये।

10. अजा/अजजा विद्यार्थियों के मामले में दिल्ली सरकार पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस और अन्य अनिवार्य फीस का 75 प्रतिशत हिस्सा अदा करती है, बषर्तें, परिवार की आय 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो। परिवार की आय 48 हजार रुपये तक होने की स्थिति में शत–प्रतिशत फीस अदा की जाती है। वर्ष 2007–08 में 378 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 32.62 लाख रुपये खर्च किये गये। इस योजना का लाभ अपिव और अल्पसंख्यक समुदायों को भी पहुंचाया जा रहा है। वर्ष 2008–09 के दौरान 1122 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 83.00 लाख रुपये के संशोधित परिव्यय में से 65.19 लाख रुपये खर्च किये गये।

11. अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के पुरुष और महिला विद्यार्थियों को दिलशाद गार्डन, दिल्ली में छात्रावास सुविधाएं भी प्रदान की जा रहीं हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान 93 छात्रों और 25 छात्राओं को छात्रावास

सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्रमशः 48.03 लाख और 5.84 लाख रुपये खर्च किये गये। वर्ष 2008–09 के दौरान 100 छात्रों और 33 छात्राओं को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्रमशः 50.91 लाख और 9.24 लाख रुपये खर्च किये गये।

12. डीएससीएफडीसी शिक्षा ऋण की एक योजना लागू कर रहा है। इस योजना के अनुसार पांच लाख रुपये तक वार्षिक परिवार आय वाले अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को देश और विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थानों में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण की सीमा 7.50 लाख रुपये और विदेश में अध्ययन के लिए 15.00 लाख रुपये निर्धारित की गई है। 50 हजार रुपये के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता। 50000/–रुपये से 5 लाख तक के ऋण पर केवल छह प्रतिशत और पांच लाख रुपये से ऊपर के ऋण पर केवल 8 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। 2008–09 के दौरान 2 अजा विद्यार्थियों ने शिक्षा ऋण प्राप्त किया।

vkfFkd mRFkku dk;Øe

13. अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (डी एस सी एफ डी सी) की स्थापना की गयी। अपिव/अल्पसंख्यक/शावि व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी निगम को सौंपा गया। निगम को अब अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/शावि के लिए स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसी (एससीए) घोषित किया गया है। डीएससीएफडीसी इन समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए संबद्ध षीर्श निगमों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम लागू कर रहा है। यह निगम अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/शावि समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए लाभार्थियों को ऋण प्रदान करता है। 2007–08 के दौरान कम्पोजिट ऋण योजना के अंतर्गत 426 लोगों को 1 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किये गये। अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/शावि समुदायों से संबद्ध 325 लोगों को 2008–09 के दौरान कम्पोजिट ऋण दिये गये।

14. वित्त वर्ष 2007–08 में डीएससीएफडीसी को अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 30 लाख रुपये का एकबारगी अनुदान दिया गया ताकि निगम के परिसर में वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद (एईपीसी) द्वारा एक वस्त्र प्रशिक्षण और डिजाइन सेन्टर (एटीडीसी) स्थापित किया जा सके। इस प्रशिक्षण केन्द्र का उद्देश्य

कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ क्षमता निर्माण करना भी है। वस्त्र प्रशिक्षण और डिजाइन सेन्टर सावदा घेवरा के स्लम निवासियों सहित पूरी दिल्ली से इन समुदायों के उम्मीदवारों के लाभ के लिए विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करेगा। शुरू में इसकी योजना केवल सावदा घेवरा के स्लम निवासियों के लिए बनाई गई थी।

LokLF; vkokl vkj vU;

15. विभाग ''अजा/अजजा बस्ती सुधार'' कार्यक्रम भी लागू कर रहा है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति की बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए खरंजा बिछाना, सड़क निर्माण, नालियां बनाना, चौपालों/बरातघरों का निर्माण आदि विकास कार्य किये जा रहे हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान 48 बस्तियों और दो चौपालों में सुधार कार्यो के लिए 2376.85 लाख रुपये खर्च किये गये। 2008–09 में 50 बस्तियों और चौपालों में सुधार कार्यों के लिए 2200.00लाख रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया। इस अवधि में 45 बस्तियों और छह चौपालों में सुधार कार्यो के लिए स्वीकष्त 2890.00 लाख रुपये के संशोधित परिव्यय में से 2887.00 लाख रुपये खर्च किये गये।

u;: mik;

16- अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक सहित आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो से संबद्ध 3 हजार युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का एक कार्यक्रम मंजूर किया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण एप्रेल टेक्स्टाइल डिजाइन सेंटर (एटीडीसी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) द्वारा डीएससीएफडीसी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। अम्बेडकर भवन, रोहिणी में एटीडीसी के उपग्रह केन्द्र की स्थापना की गई है।

17. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में हाथ से मैला ढोने वालों की समस्या पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार एटीडीसी और एनएसआईसी को शंकर आश्रम, दिलषाद गार्डन में निःशुल्क स्थान प्रदान कर रही है ताकि हाथ से मैला ढोने वाले चुने हुए लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। ''हाथ से मैला ढोने वालो के पुनर्वास कार्यक्रम'' के अंतर्गत वर्ष 2008–09 में 118 सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

v/;k; 19
lkoZtfud forj.k iz.kkyh

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) राशन कार्ड धारियों को अनिवार्य वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करती है। इन वस्तुओं में चुने हुए अनाज, चीनी और मिट्टी का तेल शामिल है। पीडीएस उन वस्तुओं के खुले बाजार भाव पर नियंत्रण करने में भी सहायक है, जो इसके जरिए बेची जाती हैं। दिल्ली में दिल्ली सरकार का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955, और उसके तहत जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशों का पालन करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करता है। ताकि अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति व वितरण और व्यापार एवं वाणिज्य का नियमन किया जा सके। विभाग इन वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने या उसमें बढ़ोतरी करने और उचित दर दुकानों पर उनका समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे कार्य करता है।

2. पीडीएस के जरिए वितरित की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में चावल और गेहूं जैसे अनाज और चीनी (केवल गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को) तथा मिटटी का तेल जैसी अनिवार्य चीजें शामिल हैं। मार्च 2008 के अंत तक दिल्ली में 2546 उचित दर दुकानें थीं। प्रत्येक उचित दर दुकान औसतन 1,000 राषन कार्डधारियों को चीजों की आपूर्ति करती है। एपीएल कार्डों की छटनी किए जाने को देखते हुए दिल्ली में राशनकार्ड धारकों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले 2006–07 में कमी आयी।

3 राशनकार्डों के वितरण, अनाज व चीनी की यूनिटों और अन्य संबद्ध आंकडें ¼वर्शवार½ विवरण 19.1 में दिए गए हैं। (पीडीएस के बारे में समय श्रृंखलाबद्ध आंकड़ें तालिका 19.1 में देखे जा सकते हैं)।

fooj.k 19-1

fnYYkh esa lkoZtfud forj.k iz.kkyh dk dqN egRoiw.kZ lwpd

क्र.स.	मद	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
1	कार्डों की संख्या (हजार में)	3689	3838	3867	3990	2595	2814	2803
2	अनाज की इकाइयों की संख्या (हजार में)	33900	38400	39320	39100	25430	28968	**
3	चीनी इकाइयों की संख्या (हजार में)	15900*	2000	1900	2230	2201	1587	**
4	उचित दर दुकान (संख्या में)	2975	2953	3131	3114	2731	2772	2546
5	मिट्टी के तेल की लाइसेंस वाली दुकानों की संख्या	2508	2521	2528	2475	2443	2443	2346

ukV * मार्च 2001 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्डों की चीनी इकाइयां।

**रारारा. दिल्ली में पीडीएस के अंतर्गत अनाज/चीनी की कोई इकाई प्रणाली प्रचलित नही है।

4. दिल्ली को आवंटित अनाज और चीनी की मात्रा तथा 2006–08 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण का ब्योरा विवरण 19.2 में दिया गया है।

fooj.k 19-2

vukt dk forj.k

(क्विंटल में)

क्र. स.	विवरण	वस्तु					
		चावल		गेहूं		चीनी	
		2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
क	**आवंटित मात्रा**						
1	गरीबी की रेखा से ऊपर(एपीएल)	1127190	1871640	3017770	3792370	-	-
2	गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल)	445440	393231	1039200	910112	336360	364794
3	अन्त्योदय अन्न योजना	**66600**	**118262**	**166560**	**295648**		
ख	**वितरण के लिए प्राप्त की गयी मात्रा**						
1	गरीबी की रेखा से ऊपर(एपीएल)	954127	1656865	2818334	3550935	-	-
2	गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल)	433330	387474	1022051	902481	315981	294413
3	अन्त्योदय अन्न योजना	**66100**	**112672**	**166402**	**282679**		
ग	**वितरण का प्रतिशत**						
1	गरीबी की रेखा से ऊपर (एपीएल)	84	100	93	99.34	-	-
2	गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल)	97	99.85	98	100	94	80.71
3	अन्त्योदय अन्न योजना	99	99.26	100	98.62		

chih,y ;ktuk

5. समाज के गरीब और जरूरतमंद तबकों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए पीडीएस में सुधार और परिष्कार के सरकार के संकल्प की परिणति 2001 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में सामने आयी। इसका लक्ष्य उन लोगों/परिवारों की पहचान और उनके लिए एक विशेष राशनकार्ड जारी करना है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करते हैं। इन परिवारों को पीडीएस दुकानों के जरिए निर्दिष्ट अनाज विशेष रियायती दरों पर, यानी सामान्य जारी मूल्य से आधी कीमत पर बेचा जाता है। दिल्ली में 24,200

रुपये प्रति वर्ष या इससे कम आमदनी वाले परिवारों की पहचान गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के रूप में की है। भारत सरकार के योजना आयोग के अनुसार 2004–05 में दिल्ली में करीब 23.93 लाख परिवार गरीबी की रेखा से नीचे थे।

रा. रा. रा. क्षे. दिल्ली में मार्च 2008 में 229666 बीपीएल और 150235 अन्त्योदय अन्न योजना राशनकार्ड और 109 अन्नपूर्णा कार्ड जारी किए गए। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह प्रति परिवार 25 किलोग्राम गेहूँ और 10 किलो0ग्रा0 चावल दिया जाता है। गेहूं और चावल खाने वालों के अनुसार यह मात्रा परस्पर परिवर्तित कर दी जाती है। गेहूँ का निर्धारित मूल्य 4.65 रूपये प्रति किलोग्राम और चावल का मूल्य 6.15 रूपये प्रति किलोग्राम है। इस योजना के अंतर्गत 4.38 लाख राषन कार्ड तैयार किए गए हैं।

fooj.k 19-3

yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh ¼VhihMh,l½ dk C;kjk

1.	आय सीमा (रुपये प्रति वर्ष)	24200
2.	अनुमानित व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	22.93
3.	बीपीएल/एएवाई राशनकार्डों की संख्या (लाख में)	4.38
4.	प्रति परिवार आपूर्ति किए गए अनाज की मात्रा (कि0ग्रा0/माह)	35

vUR;ksn; vUu ;kstuk

6. यह योजना समाज के ऐसे निर्धनतम वर्ग के लिए है, जो वर्ष भर लगातार दो जून की रोटी हासिल करने में भी असमर्थ है और उनकी क्रय शक्ति इतनी कम है कि वे वर्ष भर बीपीएल दरों पर भी अनाज खरीदने की स्थिति में नहीं है। योजना के अंतर्गत इन परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है। यह योजना शुरू में बीपीएल परिवारों में निम्नतम 15.33 प्रतिशत लोगों ही तक सीमित थी। भारत सरकार के योजना आयोग के अनुसार विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कारकों से दिल्ली में ऐसे परिवारों की संख्या 62,600 थी। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत 30 प्रतिशत बीपीएल कार्ड एएवाई परिवारों को जारी किए गए हैं।

vUui.kk ;ktuk

7. इस योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के उन बेसहारा लोगों को निशुल्क अनाज (10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह) दिया जाता है, जिन्हें सरकार द्वारा कोई वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी जा रही हो। इसका लाभ राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ पाने के अधिकारी 20 प्रतिशत लोगों तक सीमित रखा गया है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या करीब 8915 है। इसके लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी जाएगी। व्यापक प्रचार के बावजूद इस योजना के तहत मात्र 406 आवेदन प्राप्त हुए। पात्र लाभार्थियों को केवल 183 कार्ड जारी किए गए और 2008 में इसके तहत 109 लाभार्थी थे। इस योजना के अंतर्गत कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने की वजह शायद यह है कि ज्यादातर लाभार्थी 10 किलोग्राम अनाज की बजाय मासिक पेंशन को तरजीह देते हैं। इसके अतिरिक्त लोग ए ए वाई योजना को भी वरीयता देते हैं, जिसमें 25 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 10 किलोग्राम चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है और पेंशन पर कोई रोक नहीं लगायी जाती।

ihMh,l vkj vU; lkrk ls ikfIr

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लोकप्रियता का अनुमान पीडीएस और खुले बाजार से की गयी खरीद की तुलना करके लगाया जा सकता है। अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा जूलाई 2006 से जून 2007 की अवधि में कराए गए एनएसएस 63वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार पीडीएस और अन्य स्रोतों से रोजमर्रा इस्तेमाल आने वाली चुनी हुई चीज़ों की खरीद के संदर्भ में आंकड़े एकत्र किए गए।

fooj.k 19-4

fnYYkh e lkoZtfud forj.k i.kkyh vkj vU; lkrk ls dh x;h [kjhn

(मात्रा %में)

मद	प्रतिशत (मात्रा)					
	एनएसएस 61वां दौर जुलाई 2004–जून 2005		एनएसएस 62वां दौर जूलाई 2006 से जून 2007		एनएसएस 63वां दौर जनवरी–जून 2004	
	पीडीएस से	अन्य स्रोतों से	पीडीएस से	अन्य स्रोतों से	पीडीएस से	अन्य स्रोतों से
चावल	3.05	96.95	5.18	94.82	9.24	90.76
गेहूं/आटा	2.76	97.24	5.35	94.65	12.79	87.21
मिट्टी का तेल	29.09	70.91	57.18	42.82	52.16	47.84

सर्वेक्षण (63वें दौर) के नतीजों से पता चलता है कि परिवारों द्वारा गेहूं/आटे की कुल मात्रा में से 1279 प्रतिशत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से और 87.21 प्रतिशत खुले बाजार से खरीदी गयी। चावल के मामले में पीडीएस से की गयी खरीद का प्रतिशत नगण्य रहा। मिट्टी के तेल के मामले में करीब एक आधी जरूरत पीडीएस दुकानों से पूरी की गयी। चीनी का वितरण फिलहाल सिर्फ बीपीएल कार्डधारकों को किया जा रहा है।

v/;k; 20

0;kikj vkSj okf.kT;

1. दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विकास में व्यापार और वाणिज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने और कर राजस्व के संदर्भ में इस क्षेत्र का निर्णायक योगदान रहा है। दिल्ली उत्तर भारत का विशालतम उपभोग केंद्र है। दिल्ली ने अपने को गोदाम व्यापार केन्द्र के रूप में स्थापित किया है, जिसका अर्थ है कि दिल्ली के आर्थिक क्रियाकलाप का बड़ा हिस्सा अन्य स्थानों पर विनिर्मित या उत्पादित वस्तुओं के पुनर्वितरण से संबद्ध है। ये वस्तुएं स्थानीय बिक्री और अन्य राज्यों को निर्यात यानी अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए आयात की जाती है। भौगोलिक स्थिति और अन्य ऐतिहासिक कारणों, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता आदि से दिल्ली को प्रमुख वितरण केंद्र का दर्जा प्राप्त है। दिल्ली के एक प्रमुख वितरण केंद्र होने की पुष्टि इस बात से भी होती है कि 49 प्रतिशत ईंधन तेल, 47 प्रतिशत अनाज, 44 प्रतिशत लोहा एवं इस्पात तथा 78 प्रतिशत फल और सब्जियां दिल्ली में लायी जाती हैं, और यहां से पुनः निर्यात की जाती हैं। दिल्ली के थोक बाजारों में करीब 27 प्रमुख वस्तुओं का व्यापार होता है, इनमें टैक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और मशीनरी, स्टेशनरी, खाद्य वस्तुएं और इस्पात व लोहा शामिल हैं। (दिविप्रा का मास्टर प्लान, 2001 दस्तावेज)।

df"k brj mRiknksa esa 0;kikj :

संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कृषि–इतर व्यापार गतिविधियों के बारे में सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार आदि में व्यापार और वाणिज्य के योगदान को मापने का कोई एक संतोषजनक तरीका नहीं है। लेकिन मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी, जनगणना से प्राप्त श्रम संबंधी आंकड़ों और रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय द्वारा लगाए गए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद संबंधी अनुमानों से इस क्षेत्र के सापेक्षिक महत्व के बारे में कुछ सार्थक आकलन उपलब्ध होता है।

2006–07 में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 18.41 प्रतिशत भागीदारी (स्थिर मूल्यों 1999–2000 पर) ''व्यापार, होटल और रेस्तरां'' क्षेत्र की थीं। मौद्रिक संदर्भ में इस उपक्षेत्र का योगदान 2001–02 के 13883 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006–07 में 22950.60 करोड़ रुपये हो गया ।

विवरण 20.1 में दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की सहायता से व्यापार और वाणिज्य के महत्वपूर्ण मापदंड दर्शाये गये हैं।

fooj.k 20-1

fnYYkh e fcØh dj@fnYyh oV vf/kfu;e d vrxr ithdr Mhyj vkj ikfIr;k

वर्ष	पंजीकृत डीलर	बिक्रीकर/दिल्ली वैट प्राप्तियां (करोड़ रुपये)		
		स्थानीय	केन्द्रीय	कुल
2000-2001	155868	2685.55	704.34	3389.89
2001-2002	161824	3008.07	697.60	3705.67
2002-2003	167446	3099.64	784.70	3884.34
2003-2004	171868	3588.83	849.03	4437.86
2004-2005	161283	4205.96	997.07	5203.03
2005-2006	174264	5560.64	939.18	6499.82 (शुद्ध)
2006-2007	189957	6308.72	1056.94	7365.66 (शुद्ध)
2007-2008	206510	7292.51	1201.43	8493.94 (शुद्ध)

दिल्ली वैट के अंतर्गत पंजीकृत डीलरों की संख्या 2000–2001 में 1.56 लाख थी, जो 2007–2008 में बढ़कर 2. 07 लाख हो गयी। (इसमें केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत डीलर शामिल नहीं हैं)। इसी प्रकार बिक्रीकर/ दिल्ली वैट की प्राप्तियां भी 2000–01 में 3389.89 करोड रुपये थीं, जो 2007–2008 में बढ़कर 8493. 94 करोड़ रुपये हो गयीं।

vkfFkd x.kuk

2. 2005 में करायी गयी 5वीं आर्थिक गणना में दिल्ली में कृषि (फसल पैदावार, बागान को छोड़कर), और गैर–कृषि क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्यमों को शामिल किया गया। गणना के अंतिम नतीजों से पता चलता है कि दिल्ली में 2005 में 7.58 लाख उद्यम थे। यह संख्या 1998 में करायी गयी चौथी आर्थिक गणना के मुकाबले 10.5 प्रतिशत अधिक है। कुल उद्यमों में गैर–कृषि उद्यमों की हिस्सेदारी 99.57 रही है। इनमें से 96.52 प्रतिशत उद्यम शहरी क्षेत्रों में और 3.48 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। कुल उद्यमों में घरेलू सदस्यों के साथ प्रचालित स्व उद्योगों की भागीदारी 41 प्रतिशत है। 2005 में उद्यमों में कुल 10.52 लाख व्यक्ति नियोजित थे, जिनमें 51.59 प्रतिशत व्यक्तियों को 3.91 लाख व्यापारिक उद्यमों में रोजगार प्राप्त था।

fnYYkh e vlxfBr 0;kikfjd {k= dh Hkfedk

अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय ने 1997 में भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रायोजित 53वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर (राज्य नमूना) के तहत दिल्ली में असंगठित व्यापारिक गतिविधियों का सर्वेक्षण

कराया। सर्वेक्षण में 2 प्रकार के उद्यमों को शामिल किया गया, यानी परिवार के सदस्यों द्वारा बिना श्रमिक लगाए स्व प्रचालित व्यापारिक उद्यम और नॉन डायरेक्टरी व्यापारिक उद्यम, यानी ऐसे उद्यम जिनमें कम से कम एक श्रमिक नियमित आधार पर बाहर से नियुक्त किया गया था, लेकिन परिवार के सदस्यों सहित 6 से अधिक श्रमिक कार्यरत नहीं थे। सर्वेक्षण में अनुमान व्यक्त किया गया कि दिल्ली में असंगठित व्यापारिक उद्यमों की कुल संख्या 1.99 लाख थी और उनमें 3.18 लाख व्यक्ति नियोजित थे। इस क्षेत्र का दिल्ली की अर्थ व्यवस्था में सकल मूल्य संवर्द्धित योगदान 1.01 लाख प्रति उद्यम प्रति वर्ष आंका गया। 1997 के बाद इस विषय में कोई नमूना सर्वेक्षण नहीं कराया गया।

fnYYkh e vlxfBr lok {k= dk ;kxnku

अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय ने जुलाई 2001 और जून 2002 की अवधि में भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रायोजित 57वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर (राज्य नमूना) के तहत दिल्ली में असंगठित सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का सर्वेक्षण कराया। इसके अनुसार कुल उद्यमों की संख्या 244873 थी, जिसमें से 169577 (69.25 प्रतिशत) उ़द्यम स्व संचालित (यानी ऐसे उद्यम जिनमें बाहर से कोई दिहाड़ी मजदूर नहीं लगाया गया था) थे और 75296 (30.75 प्रतिशत) ऐसे थे, जिनमें कम से कम एक दिहाड़ी मजदूर लगाया गया था। असंगठित सेवा क्षेत्र में कुल 5.92 लाख कर्मचारी नियोजित थे। असंगठित सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्द्धन प्रतिवर्ष प्रति उद्यम 1.52 लाख रुपये मूल्य का हुआ। इस क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष मूल्य संवर्द्धन करीब 62998 रुपये रहा। ओएई में प्रति श्रमिक प्रति वर्ष मूल्य संवर्द्धन रुपये 37844 और स्थापना में रुपये 77939 रहा।

d`f"k mRiknk dk foi.ku

3. दिल्ली में कृषि उपज का विपणन नियमित बाजारों के नेटवर्क से किया जाता है। दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी) शीर्ष संगठन है, जिसकी स्थापना 1977 में दिल्ली कृषि उपज विपणन (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत की गयी थी। 1998 में इस अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम लाया गया। बोर्ड विभिन्न कृषि उपज मंडियों की देखरेख और उन पर नियंत्रण का काम करता है तथा कृषि उपज के बेहतर विपणन को प्रोत्साहित करता है। इसके लिए बोर्ड बुनियादी सुविधाओं का विकास करता है और ग्रेडिंग तथा मानकीकरण की सुविधायें प्रदान करता है।

इस समय दिल्ली में 9 प्रमुख मंडियां काम कर रही हैं। नीचे दिए गए मानचित्र में 9 प्रमुख मंडियों के स्थान दर्षाए गए हैं।

fnYYkh df"k foi.ku ckMZ (Mh,,ech)

4. दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड की वित्तीय हालत मजबूत है और इसे रा.रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुदान की आवश्यकता नहीं पडती। पिछले पांच वर्शों से डीएएमबी की आय और व्यय का ब्योरा विवरण 20.2 में दिया गया है।

fooj.k 20-2
2000&2005 dh vof/k esa fnYyh df"k foi.ku ckMZ dh vk;@O;;

(लाख रुपये में)

क्र.स	शीर्ष	वर्ष				
		2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
1	आय	1241.62	1202.20	1348.02	1220.46	1862.60
2	व्यय	680.94	514.02	480.89	396.06	2025.42
3	खर्च से अधिक आय	560.68	688.18	867.13	824.40	(-) 162.82

ukV %& वर्ष 2007–08 के दौरान आय से अधिक व्यय होने का कारण पूंजी (निर्माण के लिए) पर अधिक खर्च होना है।

,e,uvkbZ vktknqij dh ,ih,elh

5. एमएनआई आज़ाद पुर की एपीएमसी के अंतर्गत आजादपुर फल एवं सब्जी मंडी एशिया में सफल और सब्जियों की सबसे बडी मंडी है। यह विश्व की विशालतम मंडियों में से एक है।यह मंडी सेब, केला, संतरा, और आम जैसे फलों और आलू, प्याज, लहसून, तथा अदरक जैसी सब्जियों के लिए एक राष्ट्रीय वितरण केन्द्र के रूप में काम करती है। इस मंडी की स्थापना 1977 में की गयी थी। इसमें फिलहाल 4016 कमीशन एजेंट/थोक व्यापारी हैं। यह बाजार 76 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहां हर रोज लगभग 13,000 मीट्रिक टन फल/सब्जियां आती हैं। एपीएमसी, आज़ादपुर के विपणन अहाते में 118 वस्तुएं (यानी 50 फल एवं 68 सब्जियां) विपणन के लिए अधिसूचित हैं। मंडी समिति व्यापारियों से किसानों को बकाया राशि दिलवाने में मदद करती है। यह किसानों को फसल पूर्ववर्ती और परवर्ती देखरेख के बारे में शिक्षित करने के लिए सेमिनारों का आयोजन करती है। समिति किसानों को गोदाम भी उपलब्ध कराती है, ताकि वे अपनी तैयार फसलों को सीधे खरीददारों को बेच सकें और इस तरह बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त किया जा सके।

विवरण 20.3 में पिछले पांच वर्शों के दौरान इस मंडी की आय, व्यय और फल एवं सब्जियों की आवक का ब्योरा दिया गया है :

fooj.k 20-3

2003&2008 dh vof/k esa ,e,uvkbZ vktknqij dh ,ih,elh dk vk;@O;; dk C;kjk

(लाख रुपये में)

क्र.स.	शीर्ष	वर्ष				
		2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
I	कुल आय	5029.44	5966.04	5229.029	5926.970	5553.613
II	कुल खर्च	2864.12	5653.04	4879.954	4895.309	3184.977
III	खर्च से अधिक आय	2165.32	313.00	349.075	1031.661	2368.636
IV	आवक लाख टन में					
	फल	24.75	24.15	24.26	20.59	24.27
	सब्जियां	21.03	21.77	18.41	18.51	21.39
	कुल	**45.78**	**45.92**	**42.67**	**39.10**	**45.66**

यह मंण्डी वित्तीय दृष्टि से रा.रा.रा.क्षे. दिल्ली की सबसे सशक्त मण्डी है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रोनिक नीलामी, मानकीकरण, ग्रेडिंग/छंटाई तथा भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था करते हुए इस मंडी के आधुनिकीकरण की योजनायें अमल में लायी जा रही हैं।

,ih,elh ujsyk

6. करीब 4 एकड़ क्षेत्र में फैली एपीएमसी नरेला की स्थापना 1959 में की गयी और यह दिल्ली में अनाज की सबसे बड़ी नियमित मंडी है। मंडी के अधिसूचित जिंसों में धान, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का,, ज्वार, गुड़, चीनी, खांडसारी आदि शामिल हैं। इस मंडी से आवक मुख्य रूप से हरियाणा, उतर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से होती है। ए पी एम सी नरेला के अधिसूचित मार्किट क्षेत्र में दिल्ली के 76 गांव शामिल हैं। वर्तमान बाज़ार 33 एकड़ क्षेत्र में फैला है। पिछले पांच वर्शों में इस मंडी में आवक और इसकी आय/व्यय की स्थिति विवरण 20.4 में दी गयी है।

fooj.k 20-4
2003&2008 dh vof/k esa ,ih,elh ujsyk dh vk;@O;; dk C;kjk

(लाख रुपये में)

क्र.स.	शीर्ष	वर्ष				
		2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
I	कुल आय	473.97	517.86	454.19	659.08	1001.76
II	कुल खर्च	383.11	510.51	345.61	437.44	682.95
III	खर्च से अधिक आय	90.86	7.35	108.58	221.64	318.81
IV	आवक लाख टन में	2.27	3.66	3.31	4.22	4.33

ukV % आय/व्यय में राजस्व और पूंजी दोनों शामिल हैं।

,ih,elh utQx<+

7- एपीएमसी नजफगढ़ की स्थापना भी 1969 में की गयी और यह करीब 12 एकड़ क्षेत्र में फैली है। इसमें भी एपीएमसी नरेला के समान कृषि जिन्सों का विपणन होता है। मंडी में 95 प्रतिशत आवक हरियाणा से और 5 प्रतिशत दिल्ली से आते हैं। वर्तमान मंडी 53.0215 एकड़ क्षेत्र में फैली है। पिछले पांच वर्शों में आवक का ब्योरा विवरण 20.5 में दिया गया है।

fooj.k 20-5
2003&2008 dh vof/k e ,ih,elh utQx< d vk;@0;; dk C;kjk

(लाख रुपये में)

क्र.स.	शीर्ष	वर्ष				
		2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
I	कुल आय	173.27	146.26	131.40	240.42	276.93
II	कुल खर्च	158.54	113.95	106.87	154.65	217.59
III	खर्च से अधिक आय	14.73	32.31	24.53	85.77	59.34
IV	आवक लाख टन में	1.02	0.91	0.84	1.54	1.49

एपीएमसी नरेला और एपीएमसी नजफगढ़ दोनों में ही हरियाणा तथा राजस्थान से गेहूं और सरसों की आवक में कमी आ रही है। धान के आगमन में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन नरेला और नजफगढ़ मंडियों में आने वाला धान बासमती की संकर प्रजाति है, जिसका दाम बहुत अच्छा नहीं मिलता।

eNyh] exh ,o vMk foi.ku lfefr] xkthiqj

8. इस समिति की स्थापना 1992 में की गयी। पिछले पांच वर्शों में इस बाजार में आने वाले पोल्ट्री उत्पादों, यानी चिकन और मछली का ब्योरा नीचे दिया गया है।

वर्ष	कुल आवक	
	पोल्ट्री	मछली
	टेम्पों में	ट्रक/टेम्पो/रेहड़ी में
2003-2004	32145	15363
2004-2005	35424	16270
2005-2006	35076	16507
2006-2007	37039	16077
2007-2008	38441	16248

गाजीपुर मंडी में 88 दुकानें पोल्ट्री की हैं और 196 दुकानें मछली बाजार के लिए बनायी गयी हैं। मछली बाज़ार का क्षेत्रफल 60,000 वर्गमीटर और पोल्ट्री बाज़ार का क्षेत्रफल 15.808 एकड़ है।

fooj.k 20.6

2003&2008 dh vof/k esa eNyh] iksYVªh vkSj vMk cktkj xkthiqj dh vk;@O;; dk C;kSjk

(लाख रुपये में)

क्र.स.	शीर्ष	वर्ष				
		2003-2004	**2004-2005**	**2005-2006**	**2006-2007**	**2007-2008**
I	कुल आय	247.16	214.31	248.96	286.33	336.75
II	कुल खर्च	287.71	202.21	233.26	263.06	454.20
III	खर्च से अधिक आय	-40.55	12.10	15.70	23.27	-117.45

एक यंत्रीकृत प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की योजना है, जिसकी क्षमता हर घंटे 2000 से 10,000 पक्षियों का वध करने की होगी। प्रसंस्करण के दौरान बचे–खुचे उत्पाद का पूर्ण उपयोग मुर्गीदाना बनाने में किया जा सकेगा।

,ih,elh 'kkgnjk ¼xkthiqj½

9. गाजीपुर में 37.5 एकड़ क्षेत्र में फैली एपीएमसी, शाहदरा में फलों और सब्जियों, चारा, अनाज, षक्कर और खांडसारी का विपणन होता है। पिछले पांच वर्शो में मंडी समिति की आय, व्यय और आवक का विवरण 20.7 में दिया गया है।

fooj.k 20.7

2003&2008 dh vof/k esa ,ih,e,lh 'kkgnjk dh vk;@O;; dk C;kSjk

(लाख रुपये में)

क्र.स.	शीर्ष	वर्ष				
		2003-2004	**2004-2005**	**2005-2006**	**2006-2007**	**2007-2008**
I	कुल आय	179.93	209.83	220.73	216.42	248.96
II	कुल खर्च	169.05	197.41	172.18	268.58	271.17
III	खर्च से अधिक आय	10.88	12.42	48.55	52.16	22.21
IV	आवक लाख टन में	1.46	2.20	2.27	2.00	2.43

आधुनिक बाज़ार का ब्लॉक वार निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

,ih,e lh] d'kkij

10. इस मंडी की स्थापना 2001 में की गयी, जो 15.68 एकड़ क्षेत्र में फैली है। इसमें 244 दुकाने हैं और फल एवं सब्जियों का विपणन होता है। अपर्याप्त आय के कारण समिति अपना परिचालन खर्च पूरा करने में सक्षम नहीं है।

fooj.k 20-8

2003&2008 dh vof/k e ,ih,e lh] d'kkij dh vk;@0;; dk C;kjk

(लाख रुपए में)

क्र.स.	शीर्ष	वर्ष				
		2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
I	कुल आय	212.25	228.48	179.40	196.40	213.41
II	कुल खर्च	351.31	235.60	255.07	297.40	315.21
III	खर्च से अधिक आय	-139.06	-7.12	-75.67	-101.00	-101.80
IV	आवक लाख टन में	2.00	1.96	2.35	2.38	2.75

fnYyh pkjk foi.ku lfefr exkyiqjh

11. मंगोलपुरी में 11 एकड़ क्षेत्र में स्थित इस मंडी में चारा वस्तुओं की खरीद–फरोख्त होती है। पहले यह मंडी टिकरी कलां से संचालित थी, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। पिछले पांच वर्ष में आवकों और मंडी की आय एवं व्यय का ब्योरा विवरण 20.9 में दिया गया है।

fooj.k 20-9

2003&2008 dh vof/k e Mh,Q,e lh fVdjh dyk dh vk;@0;; dk C;kjk

(रुपये लाख में)

क्र.स.	शीर्ष	वर्ष				
		2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
I	कुल आय	29.47	31.50	38.30	39.52	78.99
II	कुल खर्च	30.68	28.82	43.15	41.79	36.10
III	खर्च से अधिक आय	-1.21	2.68	-4.85	-2.27	42.89
IV	आवक लाख टन में	0.81	1.13	1.13	1.01	1.09

[kk|k@ekok ckt kj lfefr] ckx nhokj

12. इस समिति की स्थापना 1997 में की गयी। 955.044 वर्गमीटर क्षेत्र में फैली यह मंडी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने फतेहपुरी, दिल्ली में बाग दीवार से संचालित की जा रही है।

fooj.k 20-10

2003&2008 dh vof/k e: [kk;k@ekok cktkj lfefr dh vk; 0;; dk C;kjk

(लाख रुपये में)

क्र.स.	शीर्ष	वर्ष				
		2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
I	कुल आय	26.27	23.68	23.35	19.61	13.78
II	कुल खर्च	26.64	28.25	34.53	28.97	21.91
III	खर्च से अधिक आय	-0.37	-4.57	-11.18	-9.36	-8.13
IV	आवक लाख टन में	0.49	0.44	0.44	0.32	0.041

समिति अपना परिचालन खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पायी है।

Qy ekfdZV lfefr] egjkSyh

13. फूल मार्किट समिति ने 1997 में कार्य करना शुरू किया। महरौली के फूल बाजार को फूल मार्किट समिति का प्रमुख यार्ड घोषित किया गया है, जबकि फतेहपुरी और कनाट प्लेस स्थित फूल बाजारों को उप यार्ड का दर्जा दिया गया है। इन फूल बाजारों को ओखला स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड ने 142 दुकानों/प्लेटफार्म का निर्माण किया है। पिछले पांच वर्शों में इस समिति की आय/व्यय का ब्योरा विवरण 20. 11 में दिया गया है।

fooj.k 20-11

2003&2008 dh vof/k e: Qy ekfdZV lfefr egjkSyh dh vk; 0;; dk C;kjk

(लाख रुपये में)

क्र.स.	शीर्ष	वर्ष				
		2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
I	कुल आय	22.25	42.22	35.05	42.08	51.36
II	कुल खर्च	28.81	37.51	42.32	36.13	53.40
III	खर्च से अधिक आय	-6.56	4.71	-7.27	5.95	-2.04

समिति को परिचालन संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यह 2003–04 तक वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ नहीं हो पायी थी। किंतु समिति ने 2006–07 के दौरान 36.13 लाख रुपये खर्च की तुलना में 42.08 लाख रुपये की आय अर्जित की। इस तरह उसने 5.95 लाख रुपये खर्च से अधिक अर्जित किए। किन्तु, 2007–08 में समिति को 2.04 लाख रुपये का घाटा हुआ। दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड ने एपीएमसी (शाहदरा), गाजीपुर के निकट एक प्लाट पर नीलामी केन्द्र और टोल प्लाजा के साथ अत्याधुनिक फूल बाज़ार के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ की है।

v/;k; 21
fnYyh esa xjhch js[kk

योजना आयोग ने 'न्यूनतम जरूरतें और प्रभावी उपभोक्ता मांगों' संबंधी कार्यदल (1979) की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण और शहरी भारत के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर अलग अलग निर्धनों की संख्या और अनुपात का अनुमान लगाया है। कार्यदल ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) को परिभाषित किया। इसके लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता स्तर की उस लागत को आधार बनाया गया, जिसमें कैलोरी संबंधी मानदंड पूरे होते हों। इन मानदंडों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी तय की गयी। इन कैलोरी मानंदडों को मौद्रिक संदर्भों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 1973–74 के मूल्यों के आधार पर क्रमशः 49.09 रुपये और 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तय किया गया। 'गरीबी की रेखा की धारणा और अनुमान' संबंधी एक अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर 1977–78, 1983 और 1987–88 में गरीबी की रेखा को अद्यतन बनाने के लिए राष्ट्रीय लेखा साख्यिकी से एक प्राइवेट कंजम्सन डिफ्लेटर चुना गया।

बाद में स्वर्गीय प्रोफेसर डीडी लाकडावाला की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक दल ने इस मुद्दे पर विचार किया। विशेषज्ञ दल ने गरीबी की रेखा की परिभाषा और आधार वर्ष आंकडो को स्वीकार किया, लेकिन गरीबी की रेखा की गणना के लिए एक वैकल्पिक पद्धति का सुझाव दिया। इसने सिफारिश की कि गरीबी की रेखा को अद्यतन बनाने के लिए खेतिहर श्रमिकों के मामले में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और श्रमिकों तथा शहरी शारीरिक श्रम से इतर कर्मचारियों के मामले में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के भारित वस्तु आंकड़ों की सामान्य औसत को आधार बनाया जाए। योजना आयोग ने विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को स्वीकार किया, लेकिन गरीबी की रेखा को अद्यतन बनाने के तरीके में संशोधन किया। आयोग ने शहरी गरीबी रेखा की गणना और उसे अद्यतन बनाने के लिए औद्योगिक श्रमिकों के वास्ते केवल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। तदनुरूप अनुमान संशोधित और जारी किए जा रहे हैं।

योजना आयोग ने हाल ही में राज्यों से संबद्ध गरीबी रेखा और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61वें दौर (जुलाई 2004–जून 2005) के अनुसार राज्यों का क्रम जारी किया है। तदनुरूप ग्रामीण दिल्ली के लिए गरीबी की रेखा की सीमा 410.38 रुपये निर्धारित की है जबकि इसी क्षेत्र के लिए अखिल भारतीय स्तर पर यह सीमा 356.30 रुपये है। इसी प्रकार शहरी दिल्ली के लिए गरीबी की रेखा 612.91 रुपये और अखिल भारतीय स्तर पर शहरी गरीबी 538.60 रुपये निर्धारित की है। इस

दृष्टि से दिल्ली में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों लोगों की कुल संख्या 22.93 लाख है जो कुल आबादी का 14.7 प्रतिशत है। क्षेत्रवार वर्गीकरण से पता चलता है कि ग्रामीण आबादी में 6.9 प्रतिशत (0.63 लाख) और शहरी आबादी में 15.2 प्रतिशत (22.30 लाख) लोग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। दिल्ली में 1999–2000 में 11.49 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे जो 2004–05 में बढ़कर 22.93 लाख हो गये। इस अवधि में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों लोगों की संख्या दुगुनी हो गई।

निम्नांकित विवरण में दिल्ली (षहरी और ग्रामीण अलग अलग) के लिए गरीबी की रेखा और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या और जनसंख्या प्रतिशत दिया गया है।

fooj.k 21-1

ekfld ifr O;fDr xjhch js[kk] fnYYkh 1973&1974 ls 2004&05

वर्ष	ग्रामीण		शहरी		लोगों की कुल संख्या (लाख में)
	मासिक प्रति व्यक्ति गरीबी रेखा (रुपये)	लोगों की संख्या (लाख में)	मासिक प्रति व्यक्ति गरीबी रेखा (रुपये)	लोगों की संख्या (लाख में)	
1973-74	49.95	1.06 (24.44)	67.95	21.78 (52.23)	22.84 (49.61)
1977-78	59.37	1.35 (30.19)	80.17	16.81 (33.51)	18.16 (33.23)
1983	88.57	0.44 (7.66)	123.29	17.95 (27.89)	18.39 (26.22)
1987-88	122.90	0.10 (1.29)	176.91	10.15 (13.56)	10.25 (12.41)
1993-94	233.79	0.19 (1.90)	309.48	15.32 (16.03)	15.51 (14.69)
1996-97	289.31	-	404.96	-	-
1999-2000	362.68	0.07 (0.40)	454.11	11.42 (9.42)	11.49 (8.23)
2004-2005	410.38	0.63 (6.9)	612.91	22.30 (15.2)	22.93 (14.7)

ukV ½ कोष्ठक में दिए गए आंकडे कुल आबादी का प्रतिशत दर्शाते हैं।

Ikr ½ योजना आयोग

अनुमानों से पता चलता है कि दिल्ली में पिछले दो दशकों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली आबादी

में कमी आयी है। 1973–74 में 49.61 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे थी, जो 1999–2000 में घटकर मात्र 8.23 प्रतिशत रह गयी। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली सहित)के लिए 1973–74, 1977–78, 1983, 1987–88, 1993–94, 1999–2000 और 2004–05 के लिए गरीबी की रेखा संबंधी संशोधित अनुमान तालिका 21.1 में दिए गए हैं।

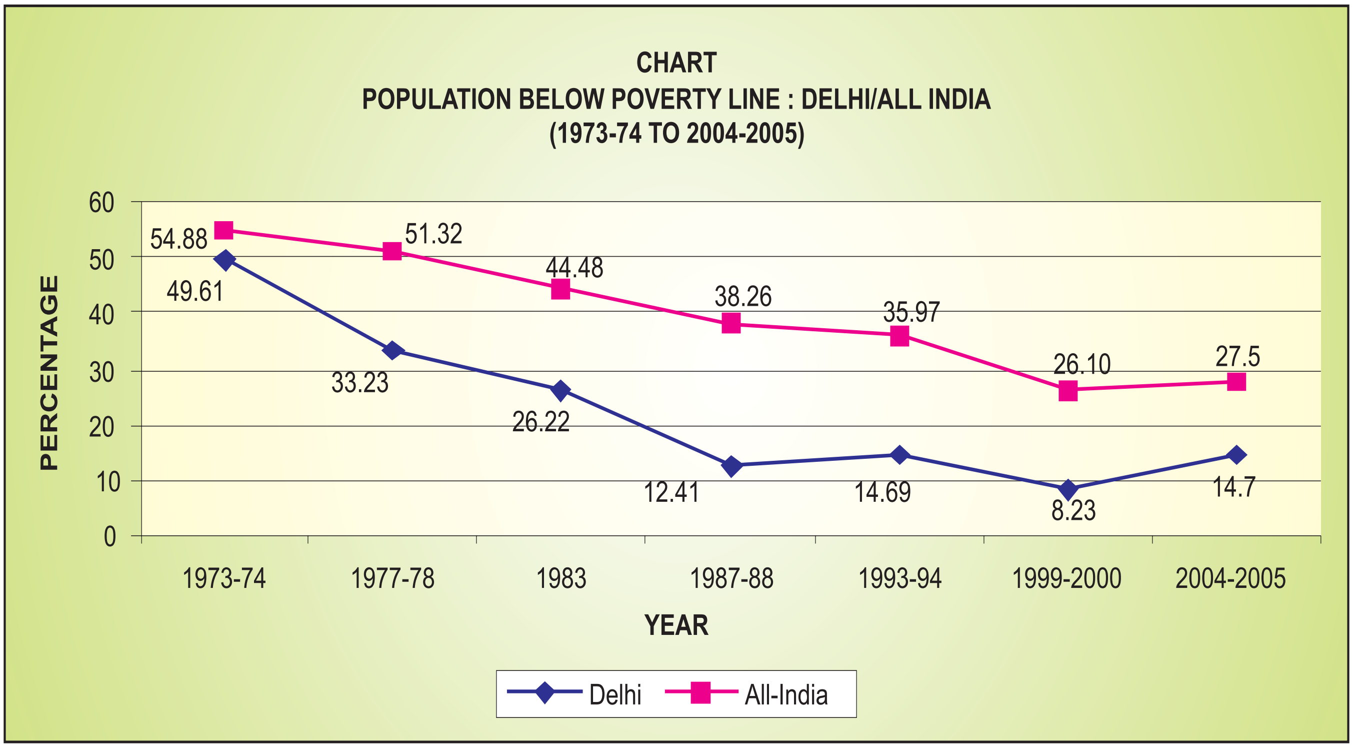

2- fnYYkh e: ifjokj miHkksDrk [kpZ dk Lrj vkSj iSVuZ

अर्थ और संख्या निदेशालय दिल्ली में परिवार उपभोक्ता खर्च के स्तर और पैटर्न के बारे में अनुमान तैयार करता है। ये अनुमान समय–समय पर कराये जाने वाले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (राज्य नमूना) के दौरों पर आधारित होते हैं। विवरण 21. 2 में क्षेत्रवार खाद्य और गैर–खाद्य समूहों का परिवार उपभोक्ता खर्च दर्शाया गया है। ये आंकडे एनएसस के 63वें दौर (जुलाई 2006 से जून 2007) के सर्वेक्षण से संबद्ध हैं। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 1838.47 रुपये आंका गया है। इसमें से 697.40 रुपये (37.93 प्रतिशत) खाद्य वस्तुओं पर और 1141.07 रुपये (62.07 प्रतिशत) गैर खाद्य वस्तुओं पर खर्च किए गए। दिल्ली में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोक्ता खर्च 8554.11 रुपये आंका गया।

STATEMENT 21.2

Per capita/Household Monthly consumer expenditure by sector

SECTOR	FOOD	NON-FOOD	TOTAL
MONTHLY PER CAPITA EXPENDITURE (Rs)			
RURAL	553.05	751.22	1304.27
URBAN	733.53	1238.66	1972.19
DELHI	697.40	1141.07	1838.47
AVERAGE MONTHLY HOUSEHOLD CONSUMER EXPENDITURE (Rs)			
RURAL	2929.21	3978.85	6908.06
URBAN	3312.26	5593.14	8905.40
DELHI	3244.89	5309.22	8554.11

प्रमुख समूहों के बारे में मासिक प्रति व्यक्ति खर्च का ब्योरा विवरण 21.3 में दिया गया है। इससे पता चलता है कि शहरी दिल्ली में खर्च किए जाने वाले प्रत्येक 100 रुपये में से करीब 37 रुपये खाद्य वस्तुओं पर और 63 रुपये गैर खाद्य वस्तुओं पर खर्च किए जाते हैं, जबकि अखिल भारतीय स्तर (शहरी) पर यह औसत 39 रुपये खाद्य वस्तुओं पर और 61 रुपये गैर खाद्य वस्तुओं पर आती है। आगे अध्ययन से पता चलता है कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च का 21 प्रतिशत विविध उपभोक्ता सेवाओं पर, 10 प्रतिशत दूध एवं दूध उत्पादों पर, 6 प्रतिशत अनाज पर, 6 प्रतिशत मकान किराये पर, 7 प्रतिशत वस्त्रों एवं फुटवियर पर और 9 प्रतिशत ईंधन तथा प्रकाश पर, 7 प्रतिशत शिक्षा पर, और 6 प्रतिशत पेय पदार्थों पर खर्च किया जाता है।

fooj.k 21-3

[kk| vkj xj [kk| oLrqvk d lnHk e ie[k legk d ifr 0;fDr ekfld [kp dk oxhdj.k ¼ifr'kr½

क्र.स	वस्तु	दिल्ली (शहरी)	दिल्ली (ग्रामीण)
1.	2.	3.	4.
क	**खाद्य वस्तुएं**		
1	अनाज और अन्न पदार्थ	6	9
2	दालें और	2	2
3	दालें और संबद्ध जिन्स	10	7
4	दूध और दूध उत्पाद	2	3
5	खाद्य तेल	2	3
6	मास, अंडा	4	4
7	सब्जियां	3	2
8	फल (ताजा) और मेवे	2	3
9	चीनी/नमक /मसालें	6	6
	खाद्य कुल	**37**	**39**
ख	**गैर खाद्य वस्तुएं**		
1	पान/तम्बाकू/मादक द्रव्य	1	1
2	इंधन और प्रकाश	9	9
3	वस्त्र, बिस्तर और फुटवियर	7	6
4	**विविध उपभोक्ता वस्तुएं**	5	6
5	कार्मिक सेवा के लिए सामान	21	14
6	किराया	6	5
7	उपभोक्ता कर	1	1
8	स्थायी वस्तुएं	3	5
9	शिक्षा	7	7
10	चिकित्सा–संस्थागत और गैर संस्थागत	3	6
	गैर खाद्य वस्तुएं–कुल	**63**	**61**
ग	कुल खर्च (क+ख)	**100.00**	**100.00**

lkr % अर्थ एवं संख्या निदेशालय, दिल्ली सरकार (सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का एनएसएस 63 वां दौर 2006–07)

TABLE : 2.1

GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITY

AT CURRENT PRICES

STATE : DELHI (Rs.lakh)

S.No.	INDUSTRY	1999-00®	2000-01®	2001-02®	2002-03®	2003-04®	2004-05®	2005-06®	2006-07(P)	2007-08(Q)
A.	**PRIMARY SECTOR (1+2)**	**76331**	**82814**	**83823**	**86141**	**88176**	**88277**	**91076**	**96096**	**100644**
1	Agriculture and Allied Activities	76152	82054	83411	85723	87229	87826	91076	96096	100644
1.1	Agriculture & Live Stock	73840	79898	81810	84473	85845	86799	90371	95273	99650
1.2	Forestry & Logging	129	146	166	210	263	266	287	364	480
1.3	Fishing	2183	2010	1435	1040	1121	761	418	459	514
2	Mining & Quarrying	179	760	412	418	947	451	0	0	0
B.	**SECONDARY SECTOR (3+4+5)**	**1008170**	**1160186**	**1169976**	**1345122**	**1436411**	**1874521**	**2169145**	**2521013**	**2914349**
3	Manufacturing	630048	634373	643544	740326	728755	871033	983571	1114718	1259155
3.1	Mfg. Registered	270589	201590	213973	265737	210743	245867	267395	280586	313116
3.2	Mfg. Un-Registered	359459	432783	429571	474589	518012	625166	716176	834132	946039
4	Electricity, Gas & Water Supply	67334	70835	84629	65535	74416	141436	135518	184470	209481
5	Construction	310788	454978	441803	539261	633240	862052	1050056	1221825	1445713
C.	**TERTIARY SECTOR (6+7+8+9)**	**4437515**	**4769500**	**5248947**	**5704854**	**6422214**	**7242518**	**8321234**	**9911051**	**11376124**
6	Trade, Hotels & Restaurants	1174806	1295259	1427930	1547081	1701857	1929663	2461544	2947970	3352000
7	Transport, Storage & Communications	584783	642378	667042	695403	795334	890109	994008	1170435	1351690
7.1	Railways	25569	31127	30918	38628	55977	56732	63586	82475	96446
7.2	Transport by Other Means	318965	353267	376820	413324	455724	498567	552737	596532	652764
7.3	Storage	2482	2797	3030	3039	3268	3529	3819	4307	4461
7.4	Communications	237767	255187	256274	240412	280365	331281	373866	487121	598019
8	Fin., Ins., Real Estate /Business Services	1780774	1865519	2142134	2387615	2785767	3051929	3339224	4129530	4805074
8.1	Banking & Insurance	1166049	1090372	1250757	1367470	1570947	1583259	1683657	2037586	2334183
8.2	Real Estate/Own. Dwelling & Busi. Services	614725	775147	891377	1020145	1214820	1468670	1655567	2091944	2470891
9	Community, Social & Personal Services	897152	966344	1011841	1074755	1139256	1370817	1526458	1663116	1867360
9.1	Public Administration	328004	344849	354261	367999	393348	514827	576457	614430	694569
9.2	Other Services	569148	621495	657580	706756	745908	855990	950001	1048686	1172791
GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT (A+B+C)		**5522016**	**6012500**	**6502746**	**7136117**	**7946801**	**9205316**	**10581455**	**12528160**	**14391117**
	Population (in lakh)	131.51	136.44	141.50	145.26	149.52	153.86	158.31	162.91	167.60
	PER CAPITA GSDP (Rs.)	**41989**	**44067**	**45956**	**49127**	**53149**	**59829**	**66840**	**76902**	**85866**

TABLE : 2.2

NET STATE DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITY

AT CURRENT PRICES

STATE : DELHI (Rs.lakh)

S.No.	INDUSTRY	1999-00®	2000-01®	2001-02®	2002-03®	2003-04®	2004-05®	2005-06®	2006-07(P)	2007-08(Q)
A.	**PRIMARY SECTOR (1+2)**	**75608**	**81930**	**82915**	**85224**	**87102**	**87193**	**90022**	**94925**	**99415**
1	Agriculture and Allied Activities	75466	81320	82586	84874	86311	86827	90022	94925	99415
1.1	Agriculture & Live Stock	73373	79380	81208	83801	85107	85946	89401	94185	98514
1.2	Forestry & Logging	125	141	155	198	250	253	273	347	461
1.3	Fishing	1968	1799	1223	875	954	628	348	393	440
2	Mining & Quarrying	142	610	329	350	791	366	0	0	0
B.	**SECONDARY SECTOR (3+4+5)**	**888578**	**1015006**	**1008276**	**1167902**	**1237464**	**1582852**	**1838584**	**2121794**	**2478213**
3	Manufacturing	530747	521650	518614	603198	570526	676593	751225	841759	956400
3.1	Mfg. Registered	249111	177178	186639	236269	178234	207955	222647	226742	255122
3.2	Mfg. Un-Registered	281636	344472	331975	366929	392292	468638	528578	615017	701278
4	Electricity, Gas & Water Supply	56465	52429	63211	44297	55242	70075	65846	90737	111250
5	Construction	301366	440927	426451	520407	611696	836184	1021513	1189298	1410563
C.	**TERTIARY SECTOR (6+7+8+9)**	**4153278**	**4453115**	**4904817**	**5332501**	**6002480**	**6716042**	**7720599**	**9225757**	**10610771**
6	Trade, Hotels & Restaurants	1146465	1262618	1390821	1507559	1655989	1878470	2402469	2875716	3274816
7	Transport, Storage & Communications	473905	522774	542858	563394	648895	697295	779229	918916	1059842
7.1	Railways	22786	28060	27469	34738	45681	47414	49933	68107	80391
7.2	Transport by Other Means	262373	285657	303568	333000	369869	384985	426378	466330	510924
7.3	Storage	2306	2606	2810	2811	2991	3232	3477	3913	4058
7.4	Communications	186440	206451	209011	192845	230354	261664	299441	380566	464469
8	Fin., Ins., Real Estate /Business Services	1704644	1779835	2040218	2275460	2657543	2899719	3165848	3932438	4591858
8.1	Banking & Insurance	1132556	1054617	1211572	1328438	1528182	1535796	1632170	1978901	2268434
8.2	Real Estate/Own. Dwelling & Busi. Services	572088	725218	828646	947022	1129361	1363923	1533678	1953537	2323424
9	Community, Social & Personal Services	828264	887888	930920	986088	1040053	1240558	1373053	1498687	1684255
9.1	Public Administration	273790	282982	294950	305148	324986	427939	476588	503627	572242
9.2	Other Services	554474	604906	635970	680940	715067	812619	896465	995060	1112013
NET STATE DOMESTIC PRODUCT (A+B+C)		**5117464**	**5550051**	**5996008**	**6585627**	**7327046**	**8386087**	**9649205**	**11442476**	**13188399**
	Population (in lakh)	131.51	136.44	141.50	145.26	149.52	153.86	158.31	162.91	167.60
	PER CAPITA INCOME (Rs.)	**38913**	**40678**	**42375**	**45337**	**49004**	**54505**	**60951**	**70238**	**78690**

N.B.:- ®-Revised, (P)-Provisonal, (Q)-Quick Estimates

TABLE : 2.3

GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITY

AT CONSTANT (1999-00) PRICES

STATE : DELHI (Rs.lakh)

S.No.	INDUSTRY	1999-00®	2000-01®	2001-02®	2002-03®	2003-04®	2004-05®	2005-06®	2006-07(P)	2007-08(Q)
A.	**PRIMARY SECTOR (1+2)**	**76331**	**78271**	**76739**	**75492**	**76765**	**76750**	**74067**	**74094**	**71344**
1	Agriculture and Allied Activities	76152	77395	76150	74858	75612	76180	74067	74094	71344
1.1	Agriculture & Live Stock	73840	75229	74360	73505	74283	75204	73449	73455	70679
1.2	Forestry & Logging	129	145	166	211	263	261	262	280	302
1.3	Fishing	2183	2021	1624	1142	1066	715	356	359	363
2	Mining & Quarrying	179	876	589	634	1153	570	0	0	0
B.	**SECONDARY SECTOR (3+4+5)**	**1008170**	**1112932**	**1078716**	**1242320**	**1244486**	**1501176**	**1678324**	**1795589**	**1878797**
3	Manufacturing	630048	601250	600571	677878	632590	706600	770184	827033	879621
3.1	Mfg. Registered	270589	194269	202934	246243	185445	201664	210714	209377	220074
3.2	Mfg. Un-Registered	359459	406981	397637	431635	447145	504936	559470	617656	659547
4	Electricity, Gas & Water Supply	67334	73228	78148	81739	87314	98988	101970	106989	124366
5	Construction	310788	438454	399997	482703	524582	695588	806170	861567	874810
C.	**TERTIARY SECTOR (6+7+8+9)**	**4437515**	**4569266**	**4827699**	**5117480**	**5479456**	**6020282**	**6685327**	**7838905**	**8969955**
6	Trade, Hotels & Restaurants	1174806	1221476	1314815	1390111	1452761	1538448	1868717	2106696	2252928
7	Transport, Storage & Communications	584783	654066	669886	734048	846283	964916	1026189	1372031	1861536
7.1	Railways	25569	31930	32473	38919	54765	54076	63503	74504	81428
7.2	Transport by Other Means	318965	336111	351048	373144	388659	405648	429089	450133	470018
7.3	Storage	2482	2614	2754	2655	2773	2793	2796	2907	2776
7.4	Communications	237767	283411	283611	319330	400086	502399	530801	844487	1307314
8	Fin., Ins., Real Estate /Business Services	1780774	1780856	1917756	2048519	2209766	2418814	2646919	3204689	3651835
8.1	Banking & Insurance	1166049	1068266	1130924	1188455	1247737	1320146	1491167	1836871	2145659
8.2	Real Estate/Own. Dwelling & Busi. Services	614725	712590	786832	860064	962029	1098668	1155752	1367818	1506176
9	Community, Social & Personal Services	897152	912868	925242	944802	970646	1098104	1143502	1155489	1203656
9.1	Public Administration	328004	330952	326406	326011	336435	418975	445546	445181	471401
9.2	Other Services	569148	581916	598836	618791	634211	679129	697956	710308	732255
GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT (A+B+C)		**5522016**	**5760469**	**5983154**	**6435292**	**6800707**	**7598208**	**8437718**	**9708588**	**10920096**
	Population (in lakh)	131.51	136.44	141.50	145.26	149.52	153.86	158.31	162.91	167.60
	PER CAPITA GSDP (Rs.)	**41989**	**42220**	**42284**	**44302**	**45484**	**49384**	**53299**	**59595**	**65156**

N.B.:- ®-Revised, (P)-Provisonal, (Q)-Quick Estimates

TABLE : 2.4

NET STATE DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITY

AT CONSTANT (1999-00) PRICES

STATE : DELHI (Rs.lakh)

S.No.	INDUSTRY	1999-00®	2000-01®	2001-02®	2002-03®	2003-04®	2004-05®	2005-06®	2006-07(P)	2007-08(Q)
A.	**PRIMARY SECTOR (1+2)**	**75608**	**77411**	**75904**	**74669**	**75832**	**75881**	**73270**	**73245**	**70494**
1	Agriculture and Allied Activities	75466	76680	75391	74095	74813	75379	73270	73245	70494
1.1	Agriculture & Live Stock	73373	74722	73803	72902	73642	74523	72720	72671	69895
1.2	Forestry & Logging	125	140	156	200	252	250	251	268	289
1.3	Fishing	1968	1818	1432	993	919	606	299	306	310
2	Mining & Quarrying	142	731	513	574	1019	502	0	0	0
B.	**SECONDARY SECTOR (3+4+5)**	**888578**	**974153**	**932256**	**1085219**	**1075900**	**1272904**	**1435249**	**1515318**	**1589270**
3	Manufacturing	530747	493591	487626	556621	499482	556600	602019	638658	686015
3.1	Mfg. Registered	249111	171109	178184	219933	157220	170824	176113	169558	178097
3.2	Mfg. Un-Registered	281636	322482	309442	336688	342262	385776	425906	469100	507918
4	Electricity, Gas & Water Supply	56465	55424	58575	62838	70803	42110	49567	39587	55488
5	Construction	301366	425138	386055	465760	505615	674194	783663	837073	847767
C.	**TERTIARY SECTOR (6+7+8+9)**	**4153278**	**4266134**	**4514001**	**4785482**	**5117647**	**5599088**	**6230421**	**7342373**	**8427914**
6	Trade, Hotels & Restaurants	1146465	1190550	1281114	1354610	1413121	1497336	1823605	2054226	2200317
7	Transport, Storage & Communications	473905	539997	556044	615257	718010	805969	858328	1183077	1646621
7.1	Railways	22786	28960	29197	35349	46511	47791	54835	65566	72069
7.2	Transport by Other Means	262373	272058	283649	299880	311002	308186	324973	345201	355408
7.3	Storage	2306	2432	2555	2454	2540	2561	2543	2633	2494
7.4	Communications	186440	236547	240643	277574	357957	447431	475977	769677	1216650
8	Fin., Ins., Real Estate /Business Services	1704644	1698885	1826234	1950336	2101720	2302004	2521285	3067927	3504920
8.1	Banking & Insurance	1132556	1034322	1095415	1153637	1210782	1281859	1451880	1794120	2099807
8.2	Real Estate/Own. Dwelling & Busi. Services	572088	664563	730819	796699	890938	1020145	1069405	1273807	1405113
9	Community, Social & Personal Services	828264	836702	850609	865279	884796	993779	1027203	1037143	1076056
9.1	Public Administration	273790	270663	271478	269566	276920	348769	369078	364660	387820
9.2	Other Services	554474	566039	579131	595713	607876	645010	658125	672483	688236
NET STATE DOMESTIC PRODUCT (A+B+C)		**5117464**	**5317698**	**5522161**	**5945370**	**6269379**	**6947873**	**7738940**	**8930936**	**10087678**
	Population (in lakh)	131.51	136.44	141.50	145.26	149.52	153.86	158.31	162.91	167.60
	PER CAPITA INCOME (Rs.)	**38913**	**38975**	**39026**	**40929**	**41930**	**45157**	**48885**	**54821**	**60189**

N.B.:- ®-Revised, (P)-Provisonal, (Q)-Quick Estimates

Table 4.1
Revenue Receipts

Rs.In Crore

	Item	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (Pr. Ac)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Total Revenue Receipts (1+2)	**6665.94**	**7348.53**	**8562.63**	**10843.53**	**12193.60**	**14912.39**	**16222.43**
1	**Own Tax Revenue**	**5324.19**	**5884.17**	**7106.13**	**8939.28**	**10155.80**	**11782.80**	**12180.70**
	Land Revenue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Stamps and registration	436.80	435.23	668.34	827.65	917.97	1318.40	788.00
	State Excise	725.68	710.12	843.68	1024.80	1133.18	1301.25	1420.91
	VAT (including entry Tax)	3884.36	4435.68	5200.88	6500.67	7365.80	8310.49	9152.09
	Taxes on Vehicles	160.40	175.24	195.98	298.74	362.84	420.20	419.12
	Other taxes & duties on goods and services	116.95	127.90	197.25	287.42	376.01	432.46	400.58
2	**Total Non-Tax Revenue(i+ii)**	**1341.75**	**1464.36**	**1456.50**	**1904.25**	**2037.80**	**3129.59**	**4041.73**
(I)	**Own non-tax Revenue**	**829.56**	**950.33**	**921.39**	**1398.96**	**1463.58**	**1816.70**	**2286.46**
	Interest Receipts	741.41	868.83	821.96	1254.17	1284.98	1634.78	2101.41
	Dividends and profits	7.19	6.03	3.75	38.62	22.17	31.15	29.92
	Services Charges etc	80.96	75.47	95.68	106.17	156.43	150.77	155.13
(ii)	**Grants from the centre**	**512.19**	**514.03**	**535.11**	**505.29**	**574.22**	**1312.89**	**1755.27**

TABLE 4.2
RECEIPTS IN CONSOLIDATED FUND OF DELHI GOVERNMENT DURING 2002-03 to 2008-09
REVENUE RECEIPT

(Rs. in crore)

Year	Tax Revenue	Non Tax Revenue	Total (2+3)	Block Grant	Share in Central Taxes	Other Grants	Grants for CSS	Total (5+6+7+8)	Total Revenue Receipt (4+9)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2002-03	5324.19	829.56	6153.75	164.88	325.00		22.31	512.19	6665.94
2003-04	5884.17	950.33	6834.50	144.54	325.00		44.49	514.03	7348.53
2004-05	7106.13	921.39	8027.52	163.16	325.00	6.28	40.67	535.11	8562.63
2005-06	8939.28	1398.96	10338.24	134.26	325.00	2.03	44.00	505.29	10843.53
2006-07	10155.80	1463.59	11619.39	179.53	325.00	22.19	47.50	574.22	12193.61
2007-08	11782.80	1816.70	13599.50	720.30	325.00	209.33	58.26	1312.89	14912.39
2008-09 (Pre-Ac)	12180.70	2286.46	14467.16	677.58	325.00	680.32	72.37	1755.27	16222.43

Includes Rs. 1.34 Cr. as reimbursment towards Bomb Blast Victims and Rs. 0.69 Cr. for TSUNAMI VICTIMS.

CAPITAL RECEIPT

Year	Block Loan	Small Saving Loan/Loan from NSSF	Loan under CSS	Total (12+13+14)	Loans & Advances (Recovery)	Total (15+16)
11	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
2002-03	384.73	3276.84	0.16	3661.73	206.63	3868.36
2003-04	256.41	4408.07	0.10	4664.58	255.73	4920.31
2004-05	278.97	3732.38		4011.35	527.96	4539.31
2005-06	0.00	5896.45		5896.45	319.68	6216.13
2006-07	0.00	4002.14		4002.14	228.64	4230.78
2007-08	0.00	746.02	0.00	746.02	231.26	977.28
2008-09 (Pre-Ac)	0.00	0.00	0.00	428.74	799.00	1227.74

RECEIPT IN CONSOLIDATED FUND

Year	Total Rev. Receipts	Total Capital Receipts	Opening Balance	Consolidated Fund (19+20+21)
18	19	20	21	22
2002-03	6665.94	3868.36	501.70	11036.00
2003-04	7348.53	4920.31	675.37	12944.21
2004-05	8562.63	4539.31	1224.04	14325.98
2005-06	10843.53	6216.13	1450.56	18510.22
2006-07	12193.61	4230.78	7326.11	23750.50
2007-08	14912.39	977.28	10826.46	26716.13
2008-09 (Pre-Ac)	16222.43	1227.74	8556.49	26006.66

Source : Actuals for 2002-03 to 2007-08 from Finance Accounts, Govt. of NCT of Delhi.

Table 4.3

DISBURSEMENT FROM CONSOLIDATED FUND OF DELHI GOVERNMENT

(Rs. in Crore)

Item	Revenue Account			Capital Account				
	Revenue Expenditure	of which Intt. Payment	of which Compensation, Assignment& Non-Plan Grants to Local Bodies.	Capital Expenditure	of which Capital Outlay	of which Repayment/ pre-payment of Loan	of which Loans & Advances by State Govt.	Total Disbursement (2+5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2002-03								
Plan	1192.23			3186.84	779.76		2407.08	4379.07
Non-Plan	3380.00	1114.78	526.24	2420.85	126.70	944.50	1349.65	5800.85
C.S.S.	25.97			7.61	7.61			33.58
Total	4598.20	1114.78	526.24	5615.30	914.07	944.50	3756.73	10213.50
2003-04								
Plan	1296.48			3240.70	884.99		2355.71	4537.18
Non-Plan	3765.17	1367.27	529.98	3405.32	-42.35	1700.21	1747.46	7170.49
C.S.S.	25.44			10.08	10.08			35.52
Total	5087.09	1367.27	529.98	6656.10	852.72	1700.21	4103.17	11743.19
2004-05								
Plan	1347.68			2869.00	1354.54		1514.46	4216.68
Non-Plan	4435.36	1568.56	851.47	4171.58	63.62	2301.65	1806.31	8606.94
C.S.S.	44.44			7.36	7.36			51.80
Total	5827.48	1568.56	851.47	7047.94	1425.52	2301.65	3320.77	12875.42
2005-06								
Plan	1609.32			2650.12	1437.64		1212.48	4259.44
Non-Plan	4866.95	1672.82	775.08	1974.23	62.78	223.66	1687.79	6841.18
C.S.S.	39.12			2.00	2.00			41.12
Total	6515.39	1672.82	775.08	4626.35	1502.42	223.66	2900.27	11141.74
2006-07								
Plan	1980.14			3067.49	1931.09		1136.40	5047.63
Non-Plan	5734.82	2210.23	1034.73	2143.45	-148.15	133.75	2157.85	7878.27
C.S.S.	40.52							40.52
Total	7755.48	2210.23	1034.73	5210.94	1782.94	133.75	3294.25	12966.42
2007-08								
Plan	3267.83			5456.03	3761.36		1694.67	8723.86
Non-Plan	6441.51	2504.34	1270.16	2933.08	3.09	975.09	1954.90	9374.59
C.S.S.	61.18							61.18
Total	9770.52	2504.34	1270.16	8389.11	3764.45	975.09	3649.57	18159.63
2008-09 (Pr. Ac)								
Plan	3876.92			5670.88				9547.80
Non-Plan	7828.99	2511.87	1058.18	2907.72	3.37	386.03	2518.32	10736.71
C.S.S.	62.44							62.44
Total	11768.35	2511.87	1058.18	8578.60	3.37	386.03	2518.32	20346.95
Growth over previous year	20.45	0.30	-16.69	2.26	-99.91	-60.41	-31.00	12.04

Source : Actuals for 2002-03 to 2007-08 from Finance Accounts, Govt. of NCT of Delhi.

Table 4.4

RECEIPT, EXPENDITURE AND SURPLUS/DEFICIT POSITION OF GOVT. OF DELHI

(Rs in Crore)

Sl.No.	Item	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (Pr. Ac)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Revenue Receipts**	**6665.94**	**7348.53**	**8562.63**	**10843.53**	**12193.61**	**14912.38**	**16222.43**
2	Own Tax Revenue	5324.19	5884.17	7106.13	8939.28	10155.80	11782.80	12180.70
3	Non Tax revenue	1341.75	1464.36	1456.50	1904.25	2037.81	3129.58	4041.73
4	**Capital Receipts**	**3868.36**	**4920.31**	**4539.31**	**6216.13**	**4230.78**	**977.28**	**1227.74**
5	Recoveries of loans	198.21	249.64	521.88	314.74	224.76	227.83	795.78
6	Loan repayment by Government Servants	8.42	6.09	6.08	4.94	3.88	3.43	3.22
7	Loans from the Centre	3661.73	4664.58	4011.35	5896.45	4002.14	746.02	428.74
8	**Total Receipts (1+4)**	**10534.30**	**12268.84**	**13101.94**	**17059.66**	**16424.39**	**15889.66**	**17450.17**
9	**Non Plan Expenditure(10+12)**	**5800.85**	**7147.47**	**8606.94**	**6841.18**	**7878.27**	**9374.59**	**10736.71**
10	On Revenue Account	3380.00	3765.17	4435.36	4866.95	5734.82	6441.51	7828.99
11	Of which,---Interest Payment	1114.78	1367.27	1568.56	1672.82	2210.23	2504.34	2511.87
12	On Capital Account	2420.85	3382.30	4171.58	1974.23	2143.45	2933.08	2907.72
13	Of which---- Loan repayment/pre-payment	944.50	1700.21	2301.65	223.66	133.75	975.11	386.03
14	**Plan Expenditure (15+16)**	**4412.65**	**4572.70**	**4268.48**	**4300.56**	**5088.15**	**8785.04**	**9610.24**
15	On Revenue Account	1218.20	1321.92	1392.12	1648.44	2020.66	3329.01	3939.36
16	On Capital Account	3194.45	3250.78	2876.36	2652.12	3067.49	5456.03	5670.88
17	**Total Expenditure (9+14)**	**10213.50**	**11720.17**	**12875.42**	**11141.74**	**12966.42**	**18159.63**	**20346.95**
18	Revenue Expenditure (10+15)	4598.20	5087.09	5827.48	6515.39	7755.48	9770.52	11768.35
19	Capital Expenditure (12+16)	5615.3	6633.08	7047.94	4626.35	5210.94	8389.11	8578.60
20	**Revenue Surplus(+)/Deficit(-) (1-18)**	**2067.74**	**2261.44**	**2735.15**	**4328.14**	**4438.13**	**5141.86**	**4454.08**
21	**Capital Surplus(+)/Deficit(-) (4-19)**	**-1746.94**	**-1712.77**	**-2508.63**	**1589.78**	**-980.16**	**-7411.83**	**-7350.86**
22	**Fiscal deficit(1+5+6+13-17)**	**-2396.43**	**-2415.70**	**-1483.18**	**245.13**	**-410.42**	**-2040.88**	**-2939.49**
23	**Primary deficit(22+11)**	**-1281.65**	**-1048.43**	**85.38**	**1917.95**	**1799.81**	**463.46**	**-427.62**
24	**Overall Surplus(+)/Deficit(-) during the year (8-17)**	**320.80**	**548.67**	**226.52**	**5917.92**	**3457.97**	**-2269.97**	**-2896.78**
25	Opening Balance	354.57	675.37	1224.04	1450.56	7368.48	10826.46	8556.49
26	**Closing Balance (24+25)**	**675.37**	**1224.04**	**1450.56**	**7368.48**	**10826.46**	**8556.49**	**5659.71**

Source : Actuals for 2002-03 to 2007-08 from Finance Accounts, Govt. of NCT of Delhi.

Table 4.4 (a)

RECEIPTS, EXPENDITURE AND SURPLUS/DEFICIT POSITION OF DELHI GOVT. AS PERCENTAGE OF GSDP

		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	*2*	*11*	*12*	*13*			
1	**Revenue Receipts**	9.34	9.25	9.30	10.25	9.73	10.36
2	Own Tax Revenue	7.46	7.40	7.72	8.45	8.11	8.19
3	Non Tax revenue	1.88	1.84	1.58	1.80	1.63	2.17
4	**Capital Receipts**	5.42	6.19	4.93	5.87	3.38	0.68
5	Recoveries of loans	0.28	0.31	0.57	0.30	0.18	0.16
6	Loan repayment by Government Servants	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
7	Loans from the Centre	5.13	5.87	4.36	5.57	3.19	0.52
8	**Total Receipts (1+4)**	14.76	15.44	14.23	16.12	13.11	11.04
9	**Non Plan Expenditure(10+12)**	8.13	8.99	9.35	6.47	6.29	6.51
10	On Revenue Account	4.74	4.74	4.82	4.60	4.58	4.48
11	Of which,---Interest Payment	1.56	1.72	1.70	1.58	1.76	1.74
12	On Capital Account	3.39	4.26	4.53	1.87	1.71	2.04
13	of which Loan repayment	1.32	2.14	2.50	0.21	0.11	0.68
14	**Plan Expenditure (15+16)**	6.18	5.75	4.64	4.06	4.06	6.10
	On Revenue Account	1.71	1.66	1.51	1.56	1.61	2.31
16	On Capital Account	4.48	4.09	3.12	2.51	2.45	3.79
17	**Total Expenditure (9+14)**	14.31	14.75	13.99	10.53	10.35	12.62
18	Revenue Expenditure (10+15)	6.44	6.40	6.33	6.16	6.19	6.79
19	Capital Expenditure (12+16)	7.87	8.35	7.66	4.37	4.16	5.83
20	**Revenue Surplus(+)/Deficit(-)(1-18)**	2.90	2.85	2.97	4.09	3.54	3.57
21	**Capital Surplus(+)/Deficit(-)(4-19)**	-2.45	-2.16	-2.73	1.50	-0.78	-5.15
22	**Fiscal deficit(1+5+6+13-17)**	-3.36	-3.04	-1.61	0.23	-0.33	-1.42
23	**Primary deficit(22+11)**	-1.80	-1.32	0.09	1.81	1.44	0.32
24	**Overall Surplus(+)/Deficit(-)(8-17)**	0.45	0.69	0.25	5.59	2.76	-1.58
	GSDP DELHI	71361.17	79468.01	92053.16	105814.55	125281.60	143911.17

(Rs in Crore)

Table 4.5

Plan and Non-Plan Expenditure - Revenue and Capital Component-wise of all States

S. N.	Items	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (RE)	2008-09 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Plan Expenditure**							
a)	Revenue	47841.90	51349.00	60987.00	69626.00	90189.00	127038.00	162489.00
b)	Capital	40761.20	51384.00	50825.00	74967.00	98221.00	127323.00	147502.00
II.	**Non-Plan Expenditure**							
a)	Revenue	287608.80	326331.00	347511.00	368408.00	415510.00	479178.00	528920.00
b)	Capital	44250.20	902683.00	98981.00	48680.00	53360.00	53950.00	53872.00
III.	**Total Expenditure**	**420462.10**	**1331747.00**	**558304.00**	**561681.00**	**657280.00**	**787489.00**	**892783.00**
IV.	**Total Plan Expenditure (Ia+Ib)**	**88603.10**	**102733.00**	**111812.00**	**144593.00**	**188410.00**	**254361.00**	**309991.00**
V.	**Total Non-Plan Expenditure (IIa+IIb)**	**331859.00**	**1229014.00**	**446492.00**	**417088.00**	**468870.00**	**533128.00**	**582792.00**
VI.	**IV as percentage of III**	21.07	7.71	20.03	25.74	28.67	32.30	34.72
VII.	**V as percentage of III**	78.93	92.29	79.97	74.26	71.33	67.70	65.28

Source : Reserve Bank of India Bulletin (Finances of State Govts.)

TABLE 4.6

TAX REVENUE IN RESPECT OF NON SPECIAL CATEGORY STATES

(Rs. in Crore)

Own Tax Revenue

Sl.No.	Name of State	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (RE)	2008-09 (BE)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Andhra Pradesh	12617.60	13806.00	16254.50	19207.40	23926.00	31402.00	37866.00
2	Bihar	2764.70	3361.00	3341.86	3560.78	4033.00	4875.00	5259.00
3	Jharkhand	2277.80	2278.00	2401.88	2888.47	3128.00	3550.00	5536.00
4	Goa	602.20	710.00	856.53	1096.49	1292.00	1326.00	1566.00
5	Gujarat	9520.50	11173.00	12957.55	15697.91	18465.00	21473.00	23650.00
6	Haryana	5549.70	6348.00	7440.03	9078.64	10928.00	12589.00	14294.00
7	Karnataka	10043.70	12570.00	16072.32	18631.55	23301.00	27218.00	31876.00
8	Kerala	7302.50	8089.00	8963.65	9778.62	11942.00	13997.00	15781.00
9	Madhya Pradesh	6170.30	6789.00	7772.97	9114.70	10473.00	11886.00	14215.00
10	Chattisgarh	2327.40	2588.00	3227.87	4052.02	5046.00	5814.00	6538.00
11	Maharashtra	22811.00	25162.00	30605.75	33540.25	40099.00	46612.00	51893.00
12	Orissa	2871.80	3302.00	4176.60	5002.28	6065.00	6793.00	7272.00
13	Punjab	5711.00	6146.00	6944.63	8989.37	9017.00	10347.00	11247.00
14	Rajasthan	6253.30	7246.00	8414.82	9880.22	11608.00	12841.00	14562.00
15	Tamil Nadu	14341.70	15945.00	19357.04	23326.02	27771.00	29248.00	33156.00
16	Uttar Pradesh	12766.90	13601.00	15692.61	18857.90	22998.00	27703.00	32313.00
17	West Bengal	7046.40	8768.00	9924.45	10388.38	11695.00	13774.00	16223.00
18	Delhi	5324.19	5884.17	7106.13	8939.30	10156.00	11783.00	13840.00
19	All States	142143.00	159920.73	189133.44	212307.34	252548.00	293392.00	336810.00

Source : Reserve bank of India Bulletin (Finances of State Govts.)

TABLE 4.6 (A)

Own Tax Revenue as % of GSDP

	Name of State	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	Andhra Pradesh	7.50	7.23	7.72	8.14	8.89	10.05
2	Bihar	4.25	5.07	4.56	4.44	4.08	4.64
3	Jharkhand	6.00	5.37	4.68	5.25	4.99	5.11
4	Goa	7.43	7.63	7.46	8.21	8.90	0.00
5	Gujarat	6.73	6.65	6.85	7.14	7.25	0.00
6	Haryana	7.65	7.70	7.95	8.53	8.64	8.53
7	Karnataka	8.52	9.73	10.73	11.09	12.38	12.64
8	Kerala	8.40	8.37	8.13	7.86	8.38	8.62
9	Madhya Pradesh	7.11	6.60	7.25	7.84	8.17	0.00
10	Chattisgarh	7.16	3.76	7.20	7.36	7.85	7.59
11	Maharashtra	7.59	7.37	7.90	7.66	7.87	0.00
12	Orissa	5.72	5.38	5.85	6.37	6.65	6.58
13	Punjab	6.94	6.84	7.13	8.19	7.31	7.53
14	Rajasthan	7.06	6.49	7.18	7.63	7.82	7.71
15	Tamil Nadu	9.07	9.09	9.57	10.16	10.57	10.08
16	Uttar Pradesh	6.16	5.99	2.87	6.74	7.37	0.00
17	West Bengal	4.19	4.64	4.76	4.43	4.29	0.00
18	Delhi	7.46	7.40	7.72	8.45	8.11	8.19
19	All States	6.29	6.30	6.57	6.47	6.68	6.79

Table 4.7

RESOURCES FOR ANNUAL PLAN & CENTRALLY SPONSORED SCHEME (C.S.S.) IN DELHI DURING 2002-03 to 2008-09

(Rs. in Crore)

S.No.	Item	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (Pr. Ac)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I	**Annual Plan**							
A	**State's Own Resources (3+4+5+6+7)**	**4463.42**	**5309.80**	**5185.77**	**11451.44**	**15663.91**	**16532.33**	**14492.28**
1	Own Tax and Non-Tax Revenue, Share in Central Taxes and Other Grants from GOI	6478.75	7159.50	8358.80	10665.27	11985.13	14133.83	15472.48
	(Of which share in Central Taxes)	(325.00)	(325.00)	(325.00)	(325.00)	(325.00)	(325.00)	(325.00)
2	Net Non Plan Revenue Expenditure (excluding grants/subsidies to Public Utilities)	3380.00	3713.14	4435.36	4662.50	5734.82	6441.51	7828.99
3	Balance from Current Revenues (1-2)	3098.75	3446.36	3923.44	6002.77	6250.31	7692.32	7643.49
4	Contribution of Public Enterprises	-1287.99	-1798.73	-1555.73	-1891.80	-1656.71	-1878.69	-2517.20
(I)	State Electricity Board	-90.48	-556.73	-262.71	-221.71			
(ii)	Road Transport Corporation	-586.87	-621.00	-565.27	-1107.23	-882.37	-1092.07	-1557.80
(iii)	Other Enterprises (DJB)	-610.64	-621.00	-727.75	-562.86	-774.34	-786.62	-959.40
5	Misc. Capital Receipts (i-ii)	-926.23	-1379.86	-2087.89	32.80	-258.09	-823.13	408.48
(I)	Capital Receipts	206.63	255.73	527.96	319.68	228.64	231.26	799.00
(ii)	Net Non-Plan Capital Expenditure (Excl. Non-Plan loan to DTC/DJB/DPCL etc.,)	1132.86	1635.59	2615.85	286.88	486.73	1054.39	390.52
	(Of which Pre-Payment)	(822.01)	(1530.88)	(2200.00)	(165.41)		(752.90)	
6	Loans against small savings	3276.84	4408.07	3732.38	5896.45	4002.14	746.02	428.74
7	Adj. Opening Balance	302.05	633.96	1173.57	1411.22	7326.26	10795.81	8528.77
B	**Central Assistance (C.A.) (8 to 10)**	**549.62**	**400.95**	**442.13**	**134.26**	**179.53**	**720.30**	**677.58**
8	Normal Central Assistance	360.00	367.73	370.05	99.28	149.99	164.98	166.36
9	Assistance for EAPs				0.00	0.00	0.00	0.00
10	Others	189.62	33.22	72.08	34.98	29.54	555.32	511.22
C	**Aggregate Plan Resources (A+B)**	**5013.04**	**5710.75**	**5627.90**	**11585.70**	**15843.44**	**17252.63**	**15169.86**
D	Plan Outlay/Expenditure	4379.08	4537.18	4216.68	4259.44	5047.63	8723.86	9547.80
E	Surplus (+)/Deficit (-) in Resources under Annual Plan (C-D)	633.96	1173.57	1411.22	7326.26	10795.81	8528.77	5622.06
II	**Centrally Sponsored Scheme (C.S.S.)**							
11	Opening Balance under CSS	52.52	41.41	50.48	39.34	42.22	30.64	27.72
12	Grants from the Centre for CSS	22.31	44.49	40.66	44.00	28.94	58.26	72.37
13	Loan from the Centre for CSS	0.16	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0
14	Exp. On CSS	33.58	35.52	51.80	41.12	40.52	61.18	62.44
F	Surplus(+)/Deficit(-) in Resources under CSS(11 to 14)	41.41	50.48	39.34	42.22	30.64	27.72	37.65
G	Closing Balance (E+F)	675.37	1224.05	1450.56	7368.48	10826.45	8556.49	5659.71

Source : Actuals for 2002-03 to 2007-08 from Finance Accounts, Govt. of NCT of Delhi.

TABLE 4.8

COMPARATIVE FISCAL INDICATORS 2002-03 to 2008-09

(Rs. in crore)

Sl. No.	Item	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 RE	2008-09 BE
1	2	8	4	5	6	7	8	9
1	Revenue Receipts							
	All States	280339.60	316536.00	372075.00	431021.12	530556.00	628742.00	719835.00
	Delhi	6665.94	7348.53	8562.63	10843.53	12193.61	14912.39	17647.97
2	Revenue Expenditure							
	All States	335450.80	377681.00	408497.00	438033.92	505699.00	606216.00	691409
	Delhi	4598.20	5087.09	5827.48	6515.39	7755.48	9770.52	11192.19
3	Revenue Surplus (+)/ Deficit (-)							
	All States	-55111.20	-61145.00	-36422.00	-7012.80	24857.00	22526.00	28426.00
	Delhi	2067.74	2261.44	2735.15	4328.14	4438.13	5141.87	6455.78
4	States Own Tax Revenue							
	All States	142143.00	159920.73	189133.44	212307.34	252548.45	293391.74	336809.69
	Delhi	5324.19	5884.17	7106.13	8939.28	10155.80	11966.50	13840.00
5	States Own Tax Revenue as percentage of Revenue Expenditure							
	All States	42.37%	42.34%	46.30%	48.47%	49.94%	48.40%	48.71%
	Delhi	115.79%	115.67%	121.94%	137.20%	130.95%	122.48%	123.66%
6	State's Own Non Tax Revenue							
	All States	35858.7	38189	104392	124690	63263.28	62577.96	66848.44
	Delhi	829.56	950.33	921.39	1398.96	1463.58	1816.70	2069.50
7	States Own Non-Tax Revenue as percentage of Revenue Expenditure							
	All States	10.69%	10.11%	25.56%	28.47%	12.51%	10.32%	9.67%
	Delhi	18.04%	18.68%	15.81%	21.47%	18.87%	18.59%	18.49%
8	Interest Payment to Centre							
	All States	30856.30	30238.00	25625.00	13150.00	13181.00	13470.47	12683.3
	Delhi	1114.78	1367.27	1568.56	1672.82	2210.23	2504.34	2475.00
9	Interest Payment as percentage of Revenue Receipts							
	All States	11.01%	9.55%	6.89%	3.05%	2.48%	2.14%	1.76%
	Delhi	16.72%	18.61%	18.32%	15.43%	18.13%	16.79%	14.02%
10	States' Outstanding debt (end March)							
	All States	797684	922263	1029174	1167866	1257362	1333656	1451026
	Delhi	11353.11	14317.38	16027.08	21699.86			
11	Gross Fiscal Deficit(-)/Surplus(+)(GFD)							
	All States	99726	120631	107774	90084	77508	107958	112653
	Delhi	-2396.43	-2438.72	-1483.18	245.13	-410.42	-2040.89	-1868.24
12	Gross Domestic Product (GDP)							
	All India	2261415	2538170	2877701	3282385	3779385	4320892	
	Delhi	71361	79468	92053	105815	125282	143911.17	
13	GFD as % of GDP							
	All States	4.41%	4.75%	3.75%	2.74%	2.05%	2.50%	
	Delhi	-3.36%	-3.07%	-1.61%	0.23%	-0.33%	-1.42%	
14	Revenue Surplus (+) / deficit (-) as % of GDP							
	All States	-2.44%	-2.41%	-1.27%	-0.21%	0.66%	0.52%	
	Delhi	2.90%	2.85%	2.97%	4.09%	3.54%	3.57%	
15	State's Outstanding debt as % of GDP							
	All States	35.27%	33.40%	35.76%	35.58%	33.27%	30.87%	
	Delhi	15.91%	18.02%	17.41%	20.51%	0.00%	0.00%	
	Source:							
	(i) Reserve Bank of India Bulletin (Finances of State Government)							
	(ii) GDP at market prices (All India) from Economic Survey 2007-08, Govt of India.							
	(iii) The figures in case of Delhi for the years is Latest Estimate.							
Note:	1. Actuals for Delhi for 2007-08							
	2. Latest Estimates are taken for Delhi for 2008-09 (RE)							

Table 4.9

REVENUE SURPLUS/DEFICIT IN RESPECT OF NON SPECIAL CATEGORY STATES

(Rs in Crore)

S.N.	State	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (RE)	2008-09 (BE)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Andhra Pradesh	-3054.0	-2962.00	-2558.00	-64.00	2807.00	451.00	709.00
2	Bihar	-2456.6	-1107.00	-1076.00	81.00	2498.00	3793.00	4613.00
3	Chhattisgarh	-112.7	-641.00	146.00	1381.00	2647.00	1789.00	1778.00
4	Goa	-167.1	-140.00	-123.00	-22.00	141.00	3.00	226.00
5	Gujarat	-3564.8	-3707.00	-4037.00	-399.00	1770.00	2340.00	52.00
6	Haryana	-685.1	-274.00	-258.00	1213.00	1590.00	1495.00	1414.00
7	Jharkhand	-330.7	142.00	-1111.00	-1553.00	-1090.00	-1484.00	2200.00
8	Karnataka	-2645.7	-525.00	1638.00	2311.00	4152.00	2981.00	1527.00
9	Kerala	-4122.2	-3680.00	-3669.00	-3129.00	-2638.00	-4644.00	-3367.00
10	Madhya Pradesh	-1169.4	-4476.00	1717.00	33.00	3332.00	3356.00	2840.00
11	Maharashtra	-9371.3	-8310.00	-10033.00	-3842.00	810.00	2760.00	965.00
12	Orissa	-1575.9	-1421.00	-522.00	481.00	2261.00	1682.00	564.00
13	Punjab	-3754.0	-3563.00	-3391.00	-1242.00	-1749.00	-1691.00	-200.00
14	Rajasthan	-3933.9	-3424.00	-2143.00	-660.00	638.00	247.00	1183.00
15	Tamil Nadu	-4851.0	-1565.00	-703.00	1951.00	2648.00	916.00	84.00
16	Uttar Pradesh	-5117.3	-18583.00	-6993.00	-1268.00	4901.00	9015.00	10978.00
17	West Bengal	-8635.3	-9149.00	-8228.00	-7391.00	-8333.00	-8139.00	-7370.00
18	Delhi	2067.7	2261.44	2735.15	4328.14	4438.13	5141.87	8100.30

Table 4.9 A

REVENUE SURPLUS(+)/DEFICIT(-) AS % OF GSDP

S.N.	State	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Andhra Pradesh	-1.82	-1.55	-1.22	-0.03	1.04	0.14	
2	Bihar	-3.78	-1.67	-1.47	0.10	2.52	3.61	
3	Chhattisgarh	-0.30	-1.51	0.28	2.51	4.22	2.57	
4	Goa	-2.06	-1.51	-1.07	-0.16	0.97		
5	Gujarat	-2.52	-2.21	-2.13	-0.18	0.70		
6	Haryana	-0.94	-0.33	-0.28	1.14	1.26	1.01	
7	Jharkhand	-0.28	0.11	-0.74	-0.92	-0.58	-0.69	
8	Karnataka	-3.04	-0.54	1.49	1.86	2.91	1.84	
9	Kerala	-4.75	-3.58	-3.42	-2.69	-2.06		
10	Madhya Pradesh	-3.60	-6.51	3.83	0.06	5.19	4.38	
11	Maharashtra	-3.12	-2.43	-2.59	-0.88	0.16		
12	Orissa	-3.14	-2.31	-0.73	0.61	2.48	1.63	
13	Punjab	-4.56	-3.97	-3.48	-1.13	-1.42	-1.23	
14	Rajasthan	-4.44	-3.07	-1.83	-0.51	0.43	0.15	
15	Tamil Nadu	-3.07	-0.89	-0.35	0.85	1.01	0.32	
16	Uttar Pradesh	-2.47	-8.18	-1.28	-0.45	1.57		
17	West Bengal	-5.14	-4.84	-3.94	-3.15	-3.06		
18	Delhi	2.90	2.85	2.97	4.09	3.54	3.57	

Table 4.10

Plan Expenditure/Outlay of States during 2002-03 to 2008-09

(Rs. crore)

Sl.No.	State	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (RE)	2008-09 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Andhra Pradesh	8315.0	10759	11457	13439	18207	29982	44000
2	Bihar	2207.0	2627	3196	4465	8550	10200	13000
3	Chattisgarh	1767.0	2404	2833	3465	1507	7414	9600
4	Goa	423.0	568	767	958	1070	1430	1738
5	Gujarat	5403.0	7585	7603	11000	14384	16000	21000
6	Haryana	1776.0	1866	2108	2997	4233	5500	6650
7	Jharkhand	2797.0	1772	2991	4079	3883	6676	8015
8	Karnataka	8164.0	8619	11741	12678	18309	17783	26053
9	Kerala	3944.0	3618	3544	3878	4559	6950	7700
10	Madhya Pradesh	5330.0	5087	6610	7443	9532	12011	14183
11	Maharashtra	7739.0	8188	9817	14674	15681	20200	25000
12	Orissa	2474.0	2437	2739	2819	3631	5520	7500
13	Punjab	1766.0	1586	1959	3825	5752	5111	6210
14	Rajasthan	4431.0	6044	6591	7700	8969	11950	14000
15	Tamil Nadu	5841.0	7088	8286	8784	12677	14000	16000
16	Uttar Pradesh	6618.0	6132	8428	13523	20342	25000	35000
17	West Bengal	2673.0	2529	4268	5990	6935	9637	11602
18	Delhi	4412.65	4573	4268	4301	5048	8724	10000
Source:	Reserve bank of India bulletin (Finances of State Govt.)							

Table 4.10 A

Plan Expenditure/Outlay of States as % to GSDP

Sl.No.	State	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (RE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Andhra Pradesh	4.95	5.64	5.44	5.69	6.76	9.59	
2	Bihar	3.40	3.97	4.36	5.57	8.64	9.70	
3	Chattisgarh	4.65	5.66	5.52	6.30	2.40	10.67	
4	Goa	5.22	6.11	6.68	7.17	7.37		
5	Gujarat	3.82	4.51	4.02	5.01	5.65		
6	Haryana	2.45	2.26	2.25	2.82	3.35	3.73	
7	Jharkhand	2.37	1.37	2.00	2.43	2.06	3.10	
8	Karnataka	9.40	8.91	10.65	10.19	12.85	10.95	
9	Kerala	4.54	3.52	3.30	3.33	3.56		
10	Madhya Pradesh	16.40	7.39	14.75	13.52	14.84	15.68	
11	Maharashtra	2.58	2.40	2.53	3.35	3.08		
12	Orissa	4.93	3.97	3.83	3.59	3.98	5.34	
13	Punjab	2.14	1.77	2.01	3.49	4.66	3.72	
14	Rajasthan	5.00	5.42	5.62	5.95	6.04	7.17	
15	Tamil Nadu	3.69	4.04	4.09	3.83	4.83	4.82	
16	Uttar Pradesh	3.20	2.70	1.54	4.83	6.52		
17	West Bengal	1.59	1.34	2.05	2.55	2.54		
18	Delhi	6.18	5.75	4.63	4.06	4.03	6.06	

Source: 1. Plan Expenditure/Outlay from Reserve Bank of India Bulletin (Finances of State Governments)

2. GSDP of States at current prices from estimates of Central Statistical Organination, Government of India.

Table 4.11

Devolution to Local Bodies

Rs.In Crore

SN	Item	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (Pre-Ac)
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**Grant in Aid**	**215.64**	**220.68**	**488.33**	**367.41**	**500.48**	**602.94**	**622.74**
	MCD	200.74	205.12	455.66	344.51	469.41	565.70	584.28
	NDMC	13.65	14.09	31.05	21.25	29.22	35.20	36.35
	DCB	1.25	1.47	1.62	1.65	1.85	2.04	2.11
2	**Compensation & Assignments**	**310.60**	**309.29**	**363.14**	**407.79**	**534.25**	**667.32**	**455.95**
	MCD	296.80	295.29	347.01	389.79	511.12	640.06	432.42
	NDMC	9.50	9.60	11.29	12.68	17.27	20.82	14.85
	DCB	4.30	4.40	4.84	5.32	5.86	6.44	8.68
3	**Total (1+2)**	**526.24**	**529.97**	**851.47**	**775.20**	**1034.73**	**1270.26**	**1078.69**
	MCD	497.54	500.41	802.67	734.30	980.53	1205.76	1016.70
	NDMC	23.15	23.69	42.34	33.93	46.49	56.02	51.20
	DCB	5.55	5.87	6.46	6.97	7.71	8.48	10.79
	Source :							

Table 4.12

GSDP/GDP at Current Prices in respect of Non-special category states/ Govt. of India

(Rs in Crore)

S.N.	Name of the State	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Andhra Pradesh	168143	190880	210449	236034	269173	312509
2	Bihar	65000	66253	73221	80157	98957	105148
3	Jharkhand	37967	42449	51323	55031	62676	69503
4	Goa	8100	9301	11482	13354	14523	
5	Gujarat	141534	168080	189118	219780	254533	
6	Haryana	72544	82468	93627	106385	126475	147576
7	Karnataka	117919	129181	149854	167975	188274	215282
8	Kerala	86895	96698	110260	124389	142470	162415
9	Madhya Pradesh	86832	102839	107282	116322	128202	
10	Chhattisgarh	32493	68802	44813	55059	64242	76588
11	Maharashtra	300476	341424	387390	438058	509356	
12	Orissa	50223	61422	71428	78536	91151	103304
13	Punjab	82339	89818	97452	109735	123397	137486
14	Rajasthan	88550	111606	117275	129509	148444	166629
15	TamilNadu	158144	175355	202352	229543	262692	290286
16	Uttar Pradesh	207103	227086	546618	279766	312107	
17	West Bengal	168045	189087	208613	234737	272597	
18	Delhi	71361	79468	92053	105815	125282	143911
19	All India GDP (at current market price)	2261415	2538170	2877701	3282385	3779385	4320892

Source : (I) GSDP of states at current prices from CSO Website
(ii) GSDP(Delhi) at current prices as per Dte. of Eco. & Stats., GNCTD

Table No.4.13

ACHIEVEMENT OF RESOURCES DURING TENTH PLAN(2002-07)

(Rs. In Crore)

			(at current prices)						(at 2001-02 prices)					
S.No	Item	10th Plan(Est.) (2002-07) (At 2001-02 Prices)	2002-03 Actuals	2003-04 Actuals	2004-05 Actuals	2005-06 Actuals	2006-07 Actuals	10th Plan(Ac) (2002-07) (At current Prices)	2002-03 Actuals	2003-04 Actuals	2004-05 Actuals	2005-06 Actuals	2006-07 Actuals	10th Plan(Ac) (2002-07) (At 2001-02 Prices)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Tax Revenue**													
1.1	VAT	24875.41	3884.36	4435.68	5200.88	6500.67	7365.80	27387.39	3745.77	4146.27	4586.31	5459.54	5891.70	23829.58
1.2	Stamps & Regd. Fees	2261.28	436.80	435.23	668.34	827.65	917.97	3285.99	421.22	406.83	589.37	695.10	734.26	2846.77
1.3	Taxes on Motor Vehicle	1383.00	160.40	175.24	195.98	298.74	362.84	1193.20	154.68	163.81	172.82	250.89	290.23	1032.43
1.4	State Excise	4033.00	725.68	710.12	843.68	1024.80	1133.18	4437.46	699.79	663.79	743.99	860.67	906.40	3874.63
1.5	Other Taxes & Duties on Commodities & Services	728.99	116.95	127.90	197.25	287.42	376.01	1105.53	112.78	119.56	173.94	241.39	300.76	948.42
(i)	Entertainment Tax (incl. Cable TV Tax)	226.32	41.94	27.37	35.23	38.15	43.87	186.56	40.44	25.58	31.07	32.04	35.09	164.23
(ii)	Betting Tax	14.89	2.91	3.02	2.87	3.37	4.52	16.69	2.81	2.82	2.53	2.83	3.62	14.61
(iii)	Luxury Tax	487.78	72.10	97.51	159.15	245.89	327.62	902.27	69.53	91.15	140.34	206.51	262.05	769.58
	Own Tax Revenue	**33281.68**	**5324.19**	**5884.17**	**7106.13**	**8939.28**	**10155.80**	**37409.57**	**5134.22**	**5500.25**	**6266.43**	**7507.58**	**8123.34**	**32531.83**
2	**Own Non Tax Revenue**	**2966.43**	**829.56**	**950.34**	**921.39**	**1398.96**	**1463.58**	**5563.83**	**799.96**	**888.33**	**812.51**	**1174.91**	**1170.68**	**4846.39**
3	**Share in Central Taxes**	**1998.24**	**325.00**	**325.00**	**325.00**	**325.00**	**325.00**	**1625.00**	**313.40**	**303.80**	**286.60**	**272.95**	**259.96**	**1436.70**
4	**Other Grants GOI**				**6.28**	**2.03**	**40.75**	**49.06**	**0.00**	**0.00**	**5.54**	**1.70**	**32.59**	**39.84**
5	**Total Revenue Receipt (1+2+3+4)**	**38246.35**	**6478.75**	**7159.51**	**8358.80**	**10665.27**	**11985.13**	**44647.46**	**6247.59**	**6692.38**	**7371.08**	**8957.14**	**9586.57**	**38854.76**
6	**Net Non Plan Revenue Expdr.**	**17142.68**	**3380.00**	**3713.14**	**4435.36**	**4866.95**	**5734.82**	**22130.27**	**3259.40**	**3470.87**	**3911.25**	**4087.47**	**4587.12**	**19316.12**
7	**Balance from Current Revenue (BCR) (5-6)**	**21103.67**	**3098.75**	**3446.37**	**3923.44**	**5798.32**	**6250.31**	**22517.19**	**2988.19**	**3221.51**	**3459.82**	**4869.67**	**4999.45**	**19538.64**
8	**Contribution of Public Enterprises (i+ii+iii)**	**-2881.60**	**-1287.99**	**-1798.73**	**-1555.73**	**-1687.35**	**-1656.71**	**-7986.51**	**-1242.03**	**-1681.37**	**-1371.90**	**-1417.11**	**-1325.16**	**-7037.56**
(i)	DTC	-2036.92	-586.87	-621.00	-565.27	-974.49	-882.37	-3630.00	-565.93	-580.48	-498.47	-818.42	-705.78	-3169.09
(ii)	Delhi Transco Ltd.(DTL) /Delhi Power Co. Ltd. (DPCL) etc.	0.00	-90.48	-556.73	-262.71	-150.00	0.00	-1059.92	-87.25	-520.41	-231.67	-125.98	0.00	-965.30
(iii)	DJB	-844.68	-610.64	-621.00	-727.75	-562.86	-774.34	-3296.59	-588.85	-580.48	-641.75	-472.71	-619.37	-2903.18
9	**Net Misc. Capital Receipt (MCR) (9.1-9.2)**	**-611.96**	**-926.23**	**-1379.86**	**-2087.89**	**32.80**	**-258.09**	**-4619.27**	**-893.18**	**-1289.83**	**-1841.17**	**27.55**	**-206.44**	**-4203.08**
9.1	Total Capital Receipt	499.15	206.63	255.73	527.96	319.68	228.64	1538.64	199.26	239.04	465.57	268.48	182.88	1355.24
9.2	Capital Expenditure (Exe.Non-plan loan to DTC/DJB/DPCLetc.,)	1111.11	1132.86	1635.59	2615.85	286.88	486.73	6157.91	1092.44	1528.87	2306.75	240.93	389.32	5558.32
	(Of which, pre-payment of loan)		(822.01)	(1530.88)	(2200.00)	(165.41)			-792.68	-1431.00	-1940.04	-138.92	0.00	
10	**Small Saving Loan**	**3200.74**	**3276.84**	**4408.07**	**3732.38**	**5896.45**	**4002.14**	**21315.88**	**3159.92**	**4120.46**	**3291.34**	**4952.09**	**3201.20**	**18725.01**
11	Opening Balance		302.05	633.96	1173.57	1411.22	7326.26	10847.06	291.27	592.60	1034.89	1185.20	5860.07	8964.04
12	**Central Plan Assistance**	**2189.16**	**549.62**	**400.95**	**442.13**	**134.26**	**179.53**	**1706.49**	**530.01**	**374.79**	**389.89**	**112.76**	**143.60**	**1551.04**
(i)	Normal Assistance	1842.50	360.00	367.73	370.05	99.28	149.99	1347.05	347.16	343.74	326.32	83.38	119.97	1220.57
(ii)	Addl. Central Assistance for Externally Aided Projects	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Addl. Central Assistance for Specific Schemes.	346.66	189.62	33.22	72.08	34.98	29.54	359.44	182.85	31.05	63.56	29.38	23.63	330.48
13	**Achievement Resources for Plan (7+8+9+10+12) (excluding opening balance)**	**23000**	**4710.99**	**5076.80**	**4454.33**	**10174.48**	**8517.18**	**32933.78**	**4542.90**	**4745.56**	**3927.98**	**8544.96**	**6812.65**	**28574.05**
14	**Plan Expenditure/Size**	**23000**	**4379.08**	**4537.18**	**4216.68**	**4259.44**	**5047.63**	**22440.01**	**4222.84**	**4241.15**	**3718.41**	**3577.26**	**4037.46**	**19797.11**
	Deflator		**1.0370**	**1.0698**	**1.1340**	**1.1907**	**1.2502**							

Table 4.14

TYPE AND REGION-WISE DISTRIBUTION OF THE NUMBER OF REPORTING BANK OFFICES, AGGREGATE DEPOSITS AND GROSS BANK CREDIT IN DELHI AND ALL INDIA - SEPTEMBER, 2008

(Rs.inCrore)

	Rural			Semi - Urban			Urban/Metropolitan			Total			Credit Deposit Ratio
Union Territory	Offices	Deposits	Credit	Offices	Deposits	Credit	Offices	Deposits	Credit	Offices	Deposits	Credit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. State Bank of India and its Associates													
Delhi	25	1270	345	10	623	87	325	90426	64180	360	92319	64612	69.99
All India	5397	76030	45222	4657	166146	92985	5468	551896	461172	15522	794072	599379	75.48
2. Nationalised Banks													
Delhi	28	2142	2674	17	818	115	1202	248872	179745	1247	251832	182534	72.48
All India	13248	167399	93572	8291	206437	101759	16631	1291551	1033698	38170	1665387	1229029	73.80
3. Foreign Banks													
Delhi							40	30891	41845	40	30891	41845	135.46
All India							265	199758	183701	265	199758	183701	91.96
4. Regional Rural Banks													
Delhi													
All India	11408	62360	38181	2624	26741	14581	703	12395	4945	14735	101496	57707	56.86
5. Other Scheduled Commercial Banks													
Delhi				5	24	27	424	101548	46934	429	101572	46961	46.23
All India	1064	14966	6097	2522	55184	24647	4789	593237	464310	8375	663387	495054	74.63
6. All Scheduled Commercial Banks													
Delhi	53	3411	3019	32	1465	229	1991	471737	332705	2076	476613	335953	70.49
All India	31117	320755	183072	18096	454695	234983	27856	2648836	2147826	77069	3424286	2565881	74.93

Source :- Quarterly Statistics on Deposits and Credit of Scheduled Commercial Banks RBI, Mumbai.

Table 5.1
STATE-WISE POPULATION AND WORKERS (1991 AND 2001 CENCUS)

(Population in lakh)

S. NO	Name of the State	Total Population		Total Workers		% of workers in total population		% increase in work-force over 1991
		1991	2001	1991	2001	1991	2001	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Andhra Pradesh	665.08	762.10	299.64	348.94	45.05	45.79	16.45
2	Arunachal Pradesh	8.65	10.98	4.00	4.83	46.24	43.99	20.75
3	Assam	224.14	266.56	80.89	95.39	36.09	35.79	17.93
4	Bihar	645.31	829.99	277.77	279.75	43.04	33.71	0.71
5	Goa	11.70	13.48	4.13	5.23	35.30	38.80	26.63
6	Gujrat	413.10	506.71	166.21	212.56	40.23	41.95	27.89
7	Haryana	164.64	211.45	51.03	83.77	30.99	39.62	64.16
8	Himachal Pradesh	51.71	60.78	22.14	29.92	42.82	49.23	35.14
9	Jammu & Kashmir	78.04	101.44	NA	37.54	NA	37.01	-
10	Karnataka	449.77	528.51	188.87	235.35	41.99	44.53	24.61
11	Kerala	290.99	318.41	91.46	102.84	31.43	32.30	12.44
12	Madhya Pradesh	485.66	603.48	283.40	257.94	58.36	42.74	(-)8.98
13	Maharashtra	789.37	968.78	339.10	411.73	42.96	42.50	21.42
14	Manipur	18.37	21.67	7.75	10.70	42.19	49.38	38.06
15	Meghalaya	17.75	23.18	7.57	9.70	42.65	41.85	28.14
16	Mizoram	6.90	8.89	3.37	4.67	48.84	52.53	38.58
17	Nagaland	12.10	19.90	5.16	8.48	42.64	42.61	64.34
18	Orissa	316.60	368.05	118.83	142.76	37.53	38.79	20.14
19	Punjab	202.82	243.59	62.62	91.27	30.87	37.47	45.75
20	Rajasthan	440.06	565.07	171.04	237.67	38.87	42.06	38.96
21	Sikkim	4.06	5.41	1.69	2.63	41.63	48.61	55.62
22	Tamil Nadu	558.59	624.06	241.94	278.78	43.31	44.67	15.23
23	Tripura	27.57	31.99	8.59	11.60	31.16	36.26	35.04
24	Uttar Pradesh	1319.99	1661.98	447.99	539.84	33.94	32.48	20.50
25	West Bengal	680.78	801.76	219.15	294.82	32.19	36.77	34.53
26	Utranchal	71.13	84.89	NA	31.34	NA	36.92	-
27	Jharkhand	218.44	269.46	NA	101.09	NA	37.52	-
28	Chhatisgarh	176.15	208.34	NA	96.80	NA	46.46	-
Union Territories								
29	Andman & Nikobar	2.81	3.56	0.99	1.36	35.23	38.20	37.37
30	Chandigarh	6.42	9.01	2.24	3.40	34.89	37.74	51.79
31	Dadar &Nagar Haweli	1.38	2.20	0.74	1.14	53.62	51.82	54.05
32	Daman & Diu	1.02	1.58	0.38	0.73	37.25.	46.20	92.11
33	Delhi	94.21	138.50	29.80	45.45	31.63	32.82	52.52
34	Lakshadweep	0.52	0.61	0.14	0.15	26.92	24.59	7.14
35	Pondicherry	8.08	9.74	2.67	3.43	33.04	35.22	28.46
All India		**8463.91**	**10286.11**	**3141.30**	**4023.60**	**37.12**	**39.11**	**28.09**

Source: 1. Registrar General & Census Commissioner of India.
2. D.E.S. Hand Book-2007.

Table 5. 2
DISTRIBUTION OF POPULATION - 55th, 57th, 59th, 60th & 61th ROUNDS (STATE SAMPLE)

(Fig. in lakh)

S.No	Particulars	55th Round (July,1999-June,2000)	57th Round (July2001-June, 2002)	59th Round (Jan--Dec 2003)	60th Round (Jan.-June 2004)	61 th Round (July,2004 June2005)	62nd Round (July,2005 June2006)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Employed	38.95 (29.29%)	41.75 (29.93%)	45.49 (30.68%)	48.57 (32.11%)	50.55 (32.47%)	54.26 (33.87%)
2	Unemployed	5.59 (4.20%)	2.95 (2.12%)	2.21 (1.49%)	2.94 (1.94%)	1.65 (1.06%)	2.28 (1.42%)
3	Labour Force(1+2)	44.54 (33.49%)	44.70 (32.05%)	47.70 (32.17%)	51.51 (34.05%)	52.20 (33.53%)	56.54 (35.29%)
4	Out of Labour Force	88.44 (66.51%)	94.80 (67.95%)	100.58 (67.83%)	99.77 (65.95%)	103.49 (66.47%)	103.67 (64.71%)
5	Population (3+4)	132.98 (100.00%)	139.50 (100.00%)	148.28 (100%)	151.28 (100%)	155.69 (100%)	160.21 (100%)
6	Percentage of Unemployed persons to Labour Force	12.55	6.61	4.64	5.71	3.16	4.02

Note: Figures in bracket are percentage to population.
Source : Directorate of Economics & Statistics Govt. of Delhi.
(Based on N.S.S.0. 62nd Round July,2005-June ,2006)

Table 5.3

UNEMPLOYMENT IN DELHI (AS PER LIVE REGISTER)

As on 31st December, 2006

Year	Below Matric	Matriculates & under graduates	Graduates & post graduates	Other diploma holders	Total applicants	Annual Average growth rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1995	243905	522291	245919	21705	1033820	6.57
1996	255457	545221	258537	22085	1081300	4.59
1997	251514	562633	261433	21873	1097453	1.49
1998	273364	559068	273476	22280	1128188	2.80
1999	253606	496918	194908	20689	966121	(-) 14.37
2000	238386	528554	203081	20646	990667	2.54
2001	230695	562781	193941	18825	1006242	1.57
2002	233695	594999	210548	19763	1059005	5.24
2003	226663	635623	216917	19774	1098977	3.77
2004	160434	294928	164815	16023	636200	(-) 42.11
2005	186662	296527	176537	14126	673852	5.91
2006	171601	216894	140366	28006	556867	(-) 17.36

Source: Dte. of Employment, Govt. of N.C.T. of Delhi

TABLE NO. 5.4

GROWTH IN EMPLOYMENT AND EMPLOYMENT ELASTICITY IN DELHI AS PER 55TH ROUND AND 60TH ROUND N.S.S.O. SURVEY

(Fig. in Lakh)

		Employment			Gross State Domestic Product (GSDP)			
S.No	Activities	55 Round (1999-2000)	60th Round (January - June 2004)	Annual Compound Growth (1999-2000 to Jan. - June 2004) (%)	1999-2000	2003-04	Annual Compound Growth (%)	Employment Elasticity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	**Primary Sector**							
(i)	Agriculture	0.60 (1.54)	0.83 (1.71)	8.45	90047	105572	4.06	1.99
(ii)	Mining		0		179	946	1.62	
	Total (I)	**0.60(1.54)**	**0.83(1.71)**	**8.45**	**90226**	**106518**	**4.24**	**1.99**
2.	**Secondary Sector**							
(i)	Manufacturing	8.78 (22.55)	11.88 (24.46)	7.82	629818	728206	3.70	2.11
(ii)	Electricity, Gas, Water etc.	0.11 (0.28)	0.51 (1.05)	46.74	67316	74373	2.52	18.55
(iii)	Construction	2.26 (5.80)	2.52 (5.19)	5.60	310674	632763	9.46	0.59
	Total (II)	**11.51(28.63)**	**14.91 (30.70)**	**7.52**	**1007808**	**1435342**	**9.24**	**0.81**
III	**Tertiary Sector**							
(i)	Trade, Hotel and Restaurants	11.31(29.05)	13.76(28.33)	5.02	1174375	1650518	8.88	0.57
(ii)	Transport, Communication etc.	2.91(7.47)	4.16(8.56)	9.34	562463	782049	8.59	1.09
(iii)	Finance and Business Activities	2.49(6.40)	4.43(9.12)	15.49	1780713	2785397	11.83	1.30
(iv)	Public Admn. Education, Health etc.	10.48(26.91)	10.48(21.58)	0.00	896944	1139914	6.18	--
	Total (III)	**27.19(69.83)**	**32.83(67.59)**	**4.83**	**4414495**	**6357878**	**3.36**	**1.44**
	Total (I+II+III)	**38.94(100.00)**	**48.57(100.00)**	**5.68**	**5512529**	**7899738**	**9.41**	**0.60**

Source: GSDP from Directorate of Economics & Statistics as per 1999-2000 Series (Revised)

Note: Figure in bracket indicates percentage share.

TABLE NO :6.1

WHOLESALE PRICE INDEX -ALL INDIA

MONTH AND YEAR WISE WHOLESALE PRICE INDEX NUMBERS OF ALL INDIA

(BASE 93-94=100)

MONTH /YEAR	1998-99	99-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
APRIL	136.9	142.4	151.7	159.9	162.3	173.1	180.9	191.6	199.0	211.5
MAY	138.2	142.8	151.8	160.3	162.8	173.4	182.1	192.1	201.3	212.3
JUNE	139.8	143.3	152.7	160.8	164.7	173.5	185.2	193.2	203.1	212.3
JULY	140.9	143.7	153.1	161.1	165.6	173.4	186.6	194.6	204.0	213.6
AUGUST	140.6	144.6	153.4	161.7	167.1	173.7	188.4	195.3	205.3	213.8
SEPTEMBER	140.8	145.3	154.7	161.7	167.4	175.6	189.4	197.2	207.8	215.1
OCTOBER	142.0	146.9	157.9	162.5	167.5	176.1	188.9	197.8	208.7	215.2
NOVEMBER	142.6	147.0	158.2	162.3	167.8	176.9	190.2	198.2	209.1	215.9
DECEMBER	142.1	146.1	158.5	161.8	167.2	176.8	188.8	197.2	208.4	216.4
JANUARY	140.9	145.9	158.6	161.0	167.8	178.7	188.6	196.3	208.8	218.1
FEBRUARY	141.4	146.4	158.6	160.8	169.4	179.8	188.8	196.4	208.9	219.9
MARCH	141.6	149.5	159.1	161.9	171.6	179.8	189.4	196.8	209.8	225.5
ANNUAL AVERAGE	140.7	145.3	155.7	161.3	166.8	175.9	187.3	195.6	206.2	215.8
% VARIATION OVER PREVIOUS YEAR	5.9	3.3	7.2	3.6	3.4	5.5	6.5	4.4	5.4	4.7

Source: Office of the Economic Advisor ,Ministry of Industry

TABLE NO. 6.2					
GROUP/SUB-GROUPWISE CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR INDUSTRIAL WORKERS IN DELHI FOR THE YEAR 2007 & 2008					
(BASE 2001=100)					
GROUP	SUB-GROUP	WEIGHT	2007	2008	% variation in 2008 over 2007
1	2	3	4	5	6
1-A	**FOOD**				
(A)	Cereals & Products	8.31	128	133	3.9
(B)	Pulses & Products	2.99	140	157	12.1
(C)	Oils&Fats	2.81	152	186	22.4
(D)	Meat, Fish,& Eggs	1.85	149	168	12.8
(E)	Milk& Products	11.41	121	135	11.6
(F)	Condiments&Spices	2.39	143	144	0.7
(G)	vegetables & Fruits	6.36	133	147	10.5
(H)	Others food	7.63	113	132	16.8
	FOOD TOTAL	43.75	129	142	10.1
1-B	1-B Pan,Supari, Tobacco&	2.12	117	124	6.0
	Intoxicants				
2	Fuel & Light	5.39	149	152	2.0
3	Housing	20.72	122	124	1.6
4	Clothing,Bedding & Footwear	5.68	112	116	3.6
	MISCELLANEOUS				
(A)	Medical Care	3.30	148	155	4.7
(B)	Education, Recreation &	6.30	154	159	3.2
	Amusement				
(C)	transport & Communication	5.12	124	127	2.4
(D)	personal & Effects	4.44	118	127	7.6
(E)	Others	3.18	123	133	8.1
	Miscellaneous Total	22.34	135	141	4.4
	General Index	100.00	128	137	7.0
Source:- Labour Bureau Shimla					
Base Year 1982=100 changed to 2001=100 wef 1.1.2006					

TABLE NO. 6.3 CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR INDUSTRIAL WORKERS 1998-2005 (Metro Cities)(BASE-1982=100) 2005-2008=(BASE-2001=100)										
Year	All India	% Variation	Delhi	% Variation	Kolkata	% Variation	Chennai	% Variation	Mumbai	% Variation
1998	405	13.1	447	17.6	416	15.9	425	11.3	453	13.3
1999	424	4.7	480	7.4	437	5.0	446	4.9	468	3.3
2000	441	4.0	514	7.1	451	3.2	475	6.5	505	7.9
2001	458	3.9	529	2.9	492	9.1	487	2.5	528	4.6
2002	477	4.1.	550	4.0	530	7.7	513	5.3	558	5.7
2003	496	4.0	570	3.6	541	2.1	533	3.9	583	4.5
2004	514	3.6	598	4.9	565	4.4	549	3.0	604	3.6
2005	536	4.3	648	8.4	587	3.9	565	3.0	611	1.2
2005 *	116	4.3	116	8.4	115	3.9	114	3.0	118	1.2
2006	123	6.0	122	5.2	121	5.2	118	3.5	126	6.8
2007	131	6.5	128	4.9	132	9.1	124	5.1	134	6.3
2008	142	8.4	137	7.0	142	7.6	135	8.9	144	7.5

Source : Labour Bureau Shimla

***Converted figure according to base year 2001=100**

Base Year 1982=100 changed to 2001=100 w.e.f. 1.1 2006

TABLE NO. 6.4

GROUP WISE CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR INDUSTRIAL WORKERS OF METRO CITIES FOR THE YEAR 2007 & 2008

(BASE 2001=100)

2007

SR. NO.	GROUP	ALL INDIA	DELHI	KOLKATA	CHENNAI	MUMBAI
1	2	3	4	5	6	7
1	FOOD	134	129	138	128	134
2	Pan,Supari, Tobacco & Intoxicants	125	117	133	133	125
3	Fuel & Light	132	149	129	114	140
4	Housing	130	122	134	119	127
5	Clothing,Bedding & Footwear	117	112	121	107	130
6	MISCELLANEOUS	129	135	121	127	139
	GENERAL INDEX	131	128	132	124	134

2008

SR. NO.	GROUP	ALL INDIA	DELHI	KOLKATA	CHENNAI	MUMBAI
1	2	3	4	5	6	7
1	FOOD	149	142	151	145	148
2	Pan,Supari, Tobacco & Intoxicants	136	124	142	143	137
3	Fuel & Light	141	152	140	120	158
4	Housing	135	124	137	126	129
5	Clothing,Bedding & Footwear	121	116	131	112	131
6	MISCELLANEOUS	139	141	129	134	146
	GENERAL INDEX	142	137	142	135	144

% OF INCREASE/ DECREASE IN 2008

SR. NO.	GROUP	ALL INDIA	DELHI	KOLKATA	CHENNAI	MUMBAI
1	2	3	4	5	6	7
1	FOOD	15(11.2)	13(10.7)	13(9.4)	17(13.3)	14(10.4)
2	Pan,Supari, Tobacco & Intoxicants	11(8.8)	7(6.0)	9(6.8)	10(7.5)	12(9.6)
3	Fuel & Light	9(6.8)	2(1.6)	11(8.5)	6(5.3)	18(12.9)
4	Housing	5(3.8)	2(1.7)	3(2.2)	7(5.9)	2(1.6)
5	Clothing,Bedding & Footwear	4(3.4)	4(3.6)	10(8.3)	5(4.7)	1(0.8)
6	MISCELLANEOUS	10(7.8)	6(4.4)	8(6.6)	7(5.5)	7(5.0)
	GENERAL INDEX	11(8.4)	9(7.0)	10(7.6)	11(8.9)	10(7.5)

Base1982=100 changed to 2001=100 w.e.f. 01.01.2006

SOURCE : LABOUR BUREAU, SHIMLA

TABLE NO: 6.5											
CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR URBAN NON-MANUAL EMPLOYEES											
STATE/CENTRE WISE CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR URBAN NON-MANUAL EMPLOYEES											
(GENERAL INDEX)											
(BASE: 1984-85=100)											
STATE/U.TS/CENTRE	WEIGHT	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ANDHRA PRADESH											
01 Hyderabad	1.99	344	357	383	410	427	440	459	488	526	560
02 Kurnool	1.30	352	361	379	404	416	426	439	456	482	516
03 Vijayawada	1.30	368	385	403	424	455	477	496	517	539	559
04 Visakhapatnam	1.60	343	350	372	399	414	429	441	465	493	527
05 Warangal	1.49	364	350	396	417	428	442	455	479	518	562
ASSAM											
06 Guwahati	0.95	339	357	378	395	402	414	428	451	482	512
BIHAR											
07 Patna	1.28	332	340	344	359	366	382	396	418	451	484
08 Muzaffarpur	1.54	321	338	353	374	390	411	423	450	494	528
09 Ranchi	1.63	328	336	350	362	372	394	415	443	489	519
GUJARAT											
10 Ahmedabad	1.68	298	316	337	350	361	371	385	400	426	449
11 Bhavnagar	1.21	344	351	372	392	403	413	423	435	466	491
12 Rajkot	1.52	315	321	343	357	369	380	393	408	434	461
13 Surat	1.56	292	304	334	348	355	360	364	383	421	443
HARYANA											
14Rohtak	1.66	352	386	413	430	440	454	463	481	517	541
HIMACHAL PRADESH											
15 Shimla	0.40	337	356	377	394	409	430	444	462	490	511
JAMMU & KASHMIR											
16 Srinagar	0.32	336	364	393	403	403	419	430	449	475	513
17 Jammu	0.34	336	354	373	395	404	418	430	453	480	511
KARNATAKA											
18 Bangalore	2.75	351	365	389	412	424	442	456	480	513	546
19 Gulbarga	1.08	353	358	358	379	395	407	428	451	477	518
20 Hubli-Dharwar	1.24	349	358	371	396	414	434	459	493	517	545
21 Mangalore	1.29	337	349	364	383	409	440	454	474	507	529
KERALA											
22 Thiruvanthpuram	1.36	322	338	362	384	406	426	449	479	507	535
23 Calicut	1.11	338	348	367	373	383	395	409	430	447	465

TABLE NO: 6.5											
CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR URBAN NON-MANUAL EMPLOYEES											
STATE/CENTRE WISE CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR URBAN NON-MANUAL EMPLOYEES											
(GENERAL INDEX)											
(BASE: 1984-85=100)											
STATE/U.TS/CENTRE	**WEIGHT**	**1998-99**	**1999-2000**	**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
MADHYA PRADESH											
24 Bhopal	1.64	339	343	361	375	386	391	394	417	458	482
25 Gwalior	1.68	349	372	393	415	432	449	455	486	525	560
26 Indore	1.65	335	346	363	383	397	413	427	452	485	507
27 Jabalpur	1.40	320	330	342	358	368	376	387	404	437	467
MAHARASHTRA											
28 Mumbai	8.40	339	353	375	395	406	415	434	450	478	504
29 Aurangabad	2.46	345	369	393	420	443	470	486	499	547	583
30 Nagpur	2.80	327	339	359	375	388	407	421	438	469	486
31 Pune	2.77	336	355	384	404	421	439	453	471	509	547
32 Solapur	1.67	336	342	359	368	386	402	412	425	450	481
MANIPUR											
33 Imphal	0.22	322	347	356	374	378	398	405	437	468	506
MEGHALAYA											
34 Shillong	0.22	344	359	382	406	422	435	445	466	499	565
NAGALAND											
35 Kohima	0.13	363	395	412	429	453	464	493	540	573	623
ORISSA											
36 Cuttack	0.92	331	357	365	379	390	428	428	447	479	507
37 Sambalpur	1.05	301	309	316	338	346	358	370	386	409	435
PUNJAB											
38 Amritsar	3.25	294	301	317	330	343	355	369	381	402	423
RAJASTHAN											
39 Jaipur	1.39	348	357	371	388	403	411	427	443	477	515
40 Ajmer	1.29	367	375	392	418	435	443	449	471	509	532
41 Jodhpur	1.30	332	345	361	379	391	400	412	435	465	487
SIKKIM											
42 Gangtok	0.06	353	379	405	427	452	462	472	482	507	533
TAMIL NADU											
43 Chennai	3.86	368	386	420	456	486	502	520	543	569	605
44 Coimbatore	1.61	380	399	428	454	474	495	497	528	571	604
45 Madurai	1.80	389	409	428	441	454	466	474	496	517	544
46 Salem	1.43	357	376	409	428	448	461	472	492	516	544
47 Tiruchirapalli	1.83	356	379	397	413	441	454	467	484	507	539

TABLE NO: 6.5											
CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR URBAN NON-MANUAL EMPLOYEES											
STATE/CENTRE WISE CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR URBAN NON-MANUAL EMPLOYEES											
(GENERAL INDEX)											
(BASE: 1984-85=100)											
STATE/U.TS/CENTRE	**WEIGHT**	**1998-99**	**1999-2000**	**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
TRIPURA											
48 Agartala	0.19	359	392	413	437	463	486	502	526	561	587
UTTAR PRADESH											
49 Lucknow	1.53	323	326	342	364	383	401	421	438	465	484
50 Agra	1.29	319	328	349	383	398	415	436	462	492	518
51 Allahabad	1.27	352	372	386	408	427	450	471	513	545	571
52 Kanpur	1.44	320	327	338	357	372	388	402	418	450	481
53 Meerut	1.36	302	315	326	347	367	385	404	419	451	478
WEST BENGAL											
54 Kolkata	6.92	316	328	344	355	364	382	398	416	439	476
55 Asansol	1.06	319	348	374	398	408	415	444	466	484	506
56 Kharagpur	1.11	319	344	355	375	394	409	423	449	493	534
57 Silliguri	1.06	325	390	404	418	430	444	457	477	495	521
58 Chandigarh	0.78	393	429	445	464	482	525	561	605	637	665
59 Delhi	6.56	338	359	381	398	412	425	446	472	499	521
ALL INDIA	100	337	352	371	390	405	420	436	456	486	515
Source : Central Statistical Organisation											

Table N0. 7.1
Sector wise plan outlay in FYP

(Rs. In Crore)

S.No.	Sector	9th FYP (1997-02)		10th FYP (2002-07)		11th FYP (2007-12)	
		Plan Outlay	% to the Outlay	Plan Outlay	% to the outlay	Plan Outlay	% to the outlay
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Agr. & Allied Services	198.80	1.28	134.45	0.58	128.00	0.28
2.	Co-operation	4.17	0.03	3.00	0.01	29.50	0.07
3.	Rural Development	597.65	3.85	463.25	2.01	592.45	1.32
4.	Minor Irrigation	13.03	0.08	10.00	0.04	4.00	0.01
5.	Flood Control	133.00	0.86	146.00	0.63	270.00	0.60
6.	Energy	3046.55	19.60	3457.50	15.03	4500.00	10.00

Table N0. 7.1
Sector wise plan outlay in FYP

(Rs. In Crore)

S.No.	Sector	9th FYP (1997-02)		10th FYP (2002-07)		11th FYP (2007-12)	
		Plan Outlay	% to the Outlay	Plan Outlay	% to the outlay	Plan Outlay	% to the outlay
7.	Industries	110.00	0.71	100.00	0.43	450.00	1.00
8.	Transport	3158.40	20.32	5446.71	23.68	15251.70	33.89
9.	Science Tech. & Env.	112.00	0.72	55.00	0.24	44.25	0.10
10.	General Eco.Services	5.88	0.04	12.80	0.06	17.50	0.04
11.	Tourism	32.00	0.21	60.00	0.26	76.00	0.17
12.	Survey & Statistics	10.00	0.06	12.50	0.05	34.00	0.08
13.	Civil Supplies	30.00	0.19	20.00	0.09	12.00	0.03
14.	Weight & Measure	0.50	0.00	2.00	0.01	3.00	0.01
15.	General Education	860.75	5.54	1840.00	8.00	2930.00	6.51
16.	Technical Education	220.00	1.42	250.00	1.09	516.50	1.15
17.	Art & Culture	44.25	0.28	68.60	0.30	76.50	0.17
18.	Sports & Youth Services	75.50	0.49	60.00	0.26	143.20	0.32
19.	Medical	1021.85	6.58	2223.50	9.67	4190.00	9.31
20.	Public Health	79.55	0.51	158.00	0.69	170.00	0.38
21.	Water Supply & Sanitation	2540.00	16.34	3766.00	16.37	7494.00	16.65
22.	Housing	155.00	1.00	200.00	0.87	599.00	1.33
23.	Urban Development	2070.75	13.32	2940.25	12.78	4828.00	10.73
24.	Information & Publicity	12.50	0.08	15.00	0.07	0.00	0.00
25.	Welare of SC/ST/OBC/ Minorities	87.25	0.56	158.00	0.69	235.00	0.52
26.	Labour & Labour Welfare	34.00	0.22	43.25	0.19	75.00	0.17
27.	Social Welfare	108.60	0.70	322.50	1.40	1001.00	2.22
28.	Nutrition	150.00	0.97	202.30	0.88	270.50	0.60
29.	Jail	95.00	0.61	160.00	0.70	200.00	0.44
30.	Public Works	240.00	1.54	300.10	1.30	371.50	0.83
31.	Other Admn. Services	294.30	1.89	369.29	1.61	487.40	1.08
	TOTAL	15541.28	100.00	23000.00	100.00	45000.00	100.00

Table No. 7.1 (a)

Sector Wise Plan Exp. druing 10th FYP [2002-07] at Current Prices and Constant Prices [2000-01]

[Rs. In Crore]

S.No.	Sector	10th FYP (2002-07)					
		10th FYP (2002-07) Approved outlay	% to the outlay	10th FYP [2002-2007] Exp. (at current prices)	% to the Total Exp. (at current prices)	10th FYP [2002-2007] Exp. (at 2000-01 prices)	% to the Total Exp (at 2000-01 prices)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Agr. & Allied Services	134.45	0.58	221.30	0.98	193.21	0.97
2.	Co-operation	3.00	0.01	1.02	0.00	0.92	0.00
3.	Rural Development	463.25	2.01	465.20	2.05	404.98	2.03
4.	Minor Irrigation	10.00	0.04	0.71	0.00	0.65	0.00
5.	Flood Control	146.00	0.63	106.20	0.47	93.26	0.47
6.	Energy	3457.50	15.03	4437.54	19.60	4098.49	20.51
7.	Industries	100.00	0.43	132.11	0.58	117.22	0.59
8.	Transport	5446.71	23.68	4874.84	21.53	4230.17	21.17
9.	Science Tech. & Env.	55.00	0.24	14.38	0.06	12.57	0.06
10.	General Eco.Services	12.80	0.06	8.71	0.04	7.61	0.04
11.	Tourism	60.00	0.26	31.36	0.14	27.78	0.14
12.	Survey & Statistics	12.50	0.05	13.52	0.06	11.96	0.06
13.	Civil Supplies	20.00	0.09	12.23	0.05	10.67	0.05
14.	Weight & Measure	2.00	0.01	1.47	0.01	1.30	0.01
15.	General Education	1840.00	8.00	1499.60	6.62	1313.88	6.57
16.	Technical Education	250.00	1.09	200.74	0.89	173.10	0.87
17.	Art & Culture	68.60	0.30	54.70	0.24	48.10	0.24
18.	Sports & Youth Services	60.00	0.26	37.13	0.16	32.03	0.16
19.	Medical	2223.50	9.67	2339.78	10.33	2030.50	10.16
20.	Public Health	158.00	0.69	113.83	0.50	100.02	0.50
21.	Water Supply & Sanitation	3766.00	16.37	3589.02	15.85	3148.25	15.75
22.	Housing	200.00	0.87	122.78	0.54	105.93	0.53
23.	Urban Development	2940.25	12.78	2915.17	12.87	2557.33	12.80
24.	Information & Publicity	15.00	0.07	21.32	0.09	19.26	0.10
25.	Welare of SC/ST/OBC	158.00	0.69	124.74	0.55	110.91	0.56
26.	Labour & Labour Welfare	43.25	0.19	45.35	0.20	39.38	0.20
27.	Social Welfare	322.50	1.40	415.30	1.83	360.10	1.80
28.	Nutrition	202.30	0.88	172.93	0.76	151.46	0.76
29.	Jail	160.00	0.70	92.74	0.41	81.81	0.41
30.	Public Works	300.10	1.30	262.12	1.16	224.27	1.12
31.	Other Admn. Services	369.29	1.61	317.81	1.40	276.29	1.38
	TOTAL	23000.00	100.00	22645.65	100.00	19983.41	100.00

Table 7.2

Plan Expenditure under Social Services

S.No	Name of Sector	10th FYP (2002-07)		Annual Plan 2002-03		Annual Plan 2003-04		Annual Plan 2004-05		Annual Plan 2005-06		Annual Plan 2006-07		XI FYP 2007-12		Annual Plan 2007-08	
		Approved outlay	% of Total Outlay [23000 Cr]	Revised Outlay	% of Total Outlay [4700 Cr]	Revised Outlay	% of Total Outlay [4864Cr]	Revised Outlay	% of Total Outlay [4532 Cr]	Revised Outlay	% of Total Outlay [4700 Cr]	Revised Outlay	% of Total Outlay [5200 Cr]	Proposed Outlay	% of Total Outlay [45000 Cr]	Proposed Outlay	% of Total Outlay [9000 Cr]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16
1	General Education	1840.00	8.00	271.75	5.78	282.53	5.81	348.86	7.70	336.53	7.16	396.37	7.62	2930.00	6.51	540.00	6.00
2	Technical Education	250.00	1.09	27.88	0.59	36.62	0.75	38.71	0.85	50.19	1.07	70.01	1.35	516.50	1.15	156.50	1.74
3	Sports and Youth Services	60.00	0.26	6.25	0.13	6.00	0.12	8.69	0.19	7.24	0.15	15.94	0.31	143.20	0.32	48.40	0.54
4	Art & Culture	68.60	0.30	12.84	0.27	12.73	0.26	12.53	0.28	12.97	0.28	14.78	0.28	76.50	0.17	17.00	0.19
5	Medical and Public Health	2381.50	10.35	356.35	7.58	421.80	8.67	523.07	11.54	586.75	12.48	761.60	14.65	4360.00	9.69	995.00	11.06
6	Water Supply and Sanitation	3766.00	16.37	633.50	13.48	619.71	12.74	699.24	15.43	823.75	17.53	833.51	16.03	7494.00	16.65	1268.00	14.09
7	Housing	200.00	0.87	34.41	0.73	10.18	0.21	12.10	0.27	20.35	0.43	56.60	1.09	599.00	1.33	64.90	0.72
8	Urban Development	2940.25	12.78	551.65	11.74	564.84	11.61	579.47	12.79	667.50	14.20	710.92	13.67	4828.00	10.73	1284.50	14.27
9	Information and Publicity	15.00	0.07	4.85	0.10	6.10	0.13	5.60	0.12	6.00	0.13		0.00		0.00		0.00
10	Welfare of SC/ST/OBC/ Minorities	158.00	0.69	36.38	0.77	39.01	0.80	36.06	0.80	39.45	0.84	31.30	0.60	235.00	0.52	50.00	0.56
11	Labour and Employment	43.25	0.19	5.67	0.12	8.86	0.18	11.32	0.25	14.69	0.31	13.59	0.26	75.00	0.17	26.00	0.29
12	Social Welfare	322.50	1.40	54.60	1.16	81.99	1.69	94.94	2.09	107.23	2.28	127.00	2.44	1001.00	2.22	165.20	1.84
13	Nutrition	202.30	0.88	33.10	0.70	30.05	0.62	39.14	0.86	41.41	0.88	47.60	0.92	270.50	0.60	52.10	0.58
	Total [Social Services]	**12247.40**	**53.25**	**2029.23**	**43.18**	**2120.42**	**43.59**	**2409.73**	**53.17**	**2714.06**	**57.75**	**3079.22**	**59.22**	**22528.70**	**50.06**	**4667.60**	**51.86**

Table 7.3

Plan Outlay & Expenditure - 2008-09 and Proposed Outlay 2009-10

(Rs. in Lakh)

S. No.	Name of Sector	Approved Outlay 2008-09	Anticipated Exp. 2008-09	% Anticipated Expenditure	Proposed Outlay 2009-10
1	2	3	4	5	6
1	Agr. & Allied Services	1590.00	2326.00	0.23	
2	Co-operation	130.00	42.00	0.00	
3	Rural Development	18230.00	22206.00	2.22	16310.00
4	Minor Irrigation	5300.00	190.00	0.02	20.00
5	Flood Control	3360.00	4105.00	0.41	3720.00
6	Energy	101565.00	58575.00	5.86	46100.00
7	Industries	2440.00	2738.62	0.27	4700.00
8	Transport	293334.00	282138.00	28.21	306876.00
9	Science, Technology & Environment	905.00	1595.00	0.16	12900.00
10	General Eco.Services	157.00	225.60	0.02	133.00
11	Tourism	1525.00	200.00	0.02	525.00
12	Survey & Statistics	1120.00	3248.00	0.32	
13	Civil Supplies	385.00	535.00	0.05	
14	Weight & Measure	250.00	192.00	0.02	
15	General Education	71200.00	64376.00	6.44	65000.00
16	Technical Education	14865.00	11989.00	1.20	11525.00
17	Art & Culture	1692.00	2417.00	0.24	2195.00
18	Sports & Youth Services	16755.00	21725.00	2.17	24510.00
19	Medical	82180.00	104783.80	10.48	97470.00
20	Public Health	5190.00	6451.77	0.65	4475.00
21	Water Supply & Sanitation	150700.00	148490.00	14.85	136565.00
22	Housing	18646.00	8472.00	0.85	16070.00
23	Urban Development	130053.00	147517.00	14.75	136361.00
24	Welfare of SC/ST/OBC/Minorities	4970.00	5002.00	0.50	4700.00
25	Labour & Labour Welfare	2803.00	1752.00	0.18	1500.00
26	Social Welfare	27310.00	44830.00	4.48	33350.00
27	Women & Child Development			0.00	16500.00
28	Nutrition	6100.00	11280.00	1.13	13610.00
29	Jail	3700.00	6900.00	0.69	10000.00
30	Public Works	21000.00	25615.00	2.56	25535.00
31	Other Administrative Services	12545.00	10083.21	1.01	9350.00
	TOTAL	**1000000.00**	**1000000.00**	**100.00**	**1000000.00**

Table 7.4

Plan Outlay & Expenditure - Annual Plan 2007-08

[Rs in Crore]

S. No.	Sector	Approved Outlay	% Outlay wrt Total Approved Outlay	Exp. 2007-08	% Anticipated Exp
1	2	3	4	5	6
1.	Agr. & Allied Services	22.80	0.25	19.96	0.23
2.	Co-operation	27.40	0.30	0.19	0.00
3.	Rural Development	131.35	1.46	201.17	2.30
4.	Minor Irrigation	20.00	0.22	0.27	0.00
5.	Flood Control	49.00	0.54	27.94	0.32
6.	Energy	1250.00	13.89	1256.75	14.37
7.	Industries	263.50	2.93	14.12	0.16
8.	Transport	2269.78	25.22	2049.96	23.43
9.	Science Technology & Environment	17.25	0.19	16.67	0.19
10.	General Eco.Services	2.17	0.02	1.89	0.02
11.	Tourism	16.00	0.18	6.77	0.08
12.	Survey & Statistics	8.25	0.09	7.60	0.09
13.	Civil Supplies	2.50	0.03	4.27	0.05
14.	Weight & Measure	7.10	0.08	1.54	0.02
15.	General Education	540.00	6.00	557.09	6.37
16.	Technical Education	156.50	1.74	95.27	1.09
17.	Art & Culture	17.00	0.19	17.02	0.19
18.	Sports & Youth Services	48.40	0.54	76.43	0.87
19.	Medical	937.00	10.41	821.44	9.39
20.	Public Health	58.00	0.64	42.93	0.49
21.	Water Supply & Sanitation	1268.00	14.09	1345.97	15.39
22.	Housing	64.90	0.72	191.93	2.19
23.	Urban Development	1284.50	14.27	1342.33	15.35
24	Welfare of SC/ST/OBC	50.00	0.56	50.06	0.57
25	Labour & Labour Welfare	26.00	0.29	18.96	0.22
26	Social Welfare	165.20	1.84	141.23	1.61
27	Women & Child Development			23.37	0.27
28	Nutrition	52.10	0.58	59.70	0.68
29	Jail	35.00	0.39	26.47	0.30
30	Public Works	100.00	1.11	218.57	2.50
31	Other Admn. Services	110.30	1.23	109.68	1.25
	TOTAL	**9000.00**	**100.00**	**8747.55**	**100.00**

Table 7.5

Plan Outlay & Expenditure - Five Year Plan / Annual Plan - GNCTD of Delhi

(Rs. in Crore)

S. No	Five Year Plan / Annual Plan	Plan Outlay	Plan Exp.
1	2	3	4
1	Ist Five Year Plan 1951-56	6.30	4.70
2	Iind Five Year Plan 1956-61	17.00	15.37
3	IIIrd Five Year Plan 1961-66	99.33	93.10
4	Annual Plan 1966-97	24.10	22.37
5	Annual Plan 1967-68	27.50	22.44
6	Annual Plan 1968-69	23.40	22.55
7	IVth Five Year Plan 1969-74	168.77	155.16
8	Vth Five Year Plan 1974-79	363.75	341.34
9	**VI Five Year Plan 1980-85**	**1039.38**	**1041.95**
10	Annual Plan 1980-81	120.38	127.17
11	Annual Plan 1981-82	164.00	178.67
12	Annual Plan 1982-83	215.00	213.81
13	Annual Plan 1983-84	251.00	236.37
14	Annual Plan 1984-85	289.00	285.93
15	**VIIth Five Year Plan 1985-90**	**2537.34**	**2631.47**
16	Annual Plan 1985-86	335.00	400.48
17	Annual Plan 1986-87	483.00	497.34
18	Annual Plan 1987-88	541.34	538.55
19	Annual Plan 1988-99	558.00	557.79
20	Annual Plan 1989-90	620.00	637.30
21	Annual Plan 1990-91	800.00	742.81
22	Annual Plan 1991-92	920.00	819.15
23	**VIIIth Five Year Plan 1992-97**	**4500.00**	**6208.32**
24	Annual Plan 1992-93	920.00	910.63
25	Annual Plan 1993-94	1075.00	969.58
26	Annual Plan 1994-95	1560.00	1149.00
27	Annual Plan 1995-96	1720.00	1298.25
28	Annual Plan 1996-97	2104.94	1879.88
29	**IX Five Year Plan 1997-2002**	**15541.28**	**13465.09**
30	Annual Plan 1997-98	2331.73	1978.31
31	Annual Plan 1998-99	2700.00	2054.56
32	Annual Plan 1999-2000	3000.00	2298.20
33	Annual Plan 2000-01	3300.00	3129.11
34	Annual Plan 2001-02	3800.00	4004.91
35	**Xth Five Year Plan (2002-07)**	**23000.00**	**22645.63**
36	Annual Plan 2002-03	4700.00	4405.89
37	Annual Plan 2003-04	4864.00	4609.21
38	Annual Plan 2004-05	4532.28	4260.53
39	Annual Plan 2005-06	4700.00	4286.30
40	Annual Plan 2006-07	5200.00	5083.70
41	**XIth Five Year Plan (2007-12) - Proposed Outlay**	**45000.00**	
42	Annual Plan 2007-08	9000.00	8747.53
43	Annual Plan 2008-09	10000.00	9521.00*

* Tentative

Table 10.1

LAND USE PATTERN

[Area in Hectares]

S. No.	Classification	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Total Area available as per village record	147488	147488	147488	147488	147488	147488	147488	147488
2	Forests	1078	9453	9453	1034	1026	1026	1477	1477
3	Area not available for cultivation	76597	116988	92206	74891	74280	74167	75867	75867
4	Other uncultivated land excluding fallow land	11143	11143	11143	11143	11143	9293	11142	11143
5	Fallow-land	11544	19427	18649	19014	19316	15663	19348	19344
6	Net area shown	34034	29116	29477	26971	24214	23809	23325	23056
7	Total cropped area	52817	48445	43391	41508	36948	33063	32941	33078

Source : Development Department , Government of NCT of Delhi

Table 10.2

FOOD GRAIN PRODUCTION IN DELHI

Sl. No.	Name of the Crop	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008	
		Production (MT)	Yield (Kg/Ia)	Production (MT)	Yield (Kg/Ia)	Production (MT)	Yield (Kg/Ia)	Production (MT)	Yield (Kg/Ia)	Production (MT)	Yield (Kg/Ia)	Production (MT)	Yield (Kg/Ia)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	**Wheat**	79710	4014	75000	3953	80800	4322	79404	4344	77885	4355	79475	4355
2	**Paddy**	19361	3176	25888	3953	42324	5020	31638	4215	31222	4230	31382	4230
3	**Jawar**	4013	433	10727	1235	6350	690	7843	880	8354	945	8351	9450
4	**Bajra**	2804	1807	5767	2471	3117	1825	3081	1845	2945	1850	2934	1849
5	**Potato**	47532	2352	41832	1708	38290	1940	--	--	30485	--	889	15875
	Total	**153420**		**159214**		**170881**		**121966**		**150891**		**123031**	

Source: Development Department, Government of NCT of Delhi

Table 10.3

AREA IRRIGATED BY DIFFERENT SOURCES

[In Hectares]

S.No	Source of Irrigation	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Canals	2494	2498	2454	2384	2301	2277	2265	2249
2	Wells	31136	26414	22955	22671	22529	21953	21829	21783
3	Net area Irrigated	33630	28912	25409	25055	24830	24230	24094	24032

Table 10.4

LIVESTOCK PRODUCTION

S.No	Item	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Milk	MT	292.00	294.00	296.00	298.15	303.44	285.56	287.42	281.21
2	Eggs	No. in million	41.52	37.24	27.06	26.41	26.43	19.56	18.64	18.11
3	Meat	MT	33175	29148	32380	32040	31082	31204	33072	10950

Source: Development Department

Table 10.5

VETERINARY SERVICES IN DELHI

S.No	Item	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Veterinary Hospitals	No.	48	48	48	47	47	47	47	47	47
2	Veterinary Dispensaries	No.	27	27	27	27	27	27	27	28	28
3	Animals treated	No.	363555	364592	376734	390023	405009	506017	470879	485501	462778 (tentative)
4	Private Clinic	No.	72	72	72	72	72	72	72	200	210
5	Laboratories/ Research Centre	No.	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Source: Development Department

Table 10.6

DETAILS OF FOREST AREAS AND PLANTATION

S.No	Item	Unit	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Total Geographical area	Sq.km	1483	1483	1483	1483	1483	1483
2	Forest and tree cover*	Sq.km	26	26	26	88	151	151
3	Plantation of Trees of Govt land	No.in Lakh	3.21	3.35	3.39	2.69	3.27	3.01
4	Distribution of seedlings/saplings to agencies/ individuals	No.in Lakh	3.61	3.25	1.85	2.46	3.00	4.28
5	Revenue generated through raids, fines etc.	Rs. in Lakh	4.98	7.40	-	-	3.11	6.19

Source: **Forest Department, Govt. of NCT of Delhi.**

*Source: **Forest Survey of India, Dehradun.**

Table 10.7

GROWTH OF RURAL POPULATION IN DELHI

S.No	Year	No. of inhabited villages	Total population in Delhi	Rural population	Percentage of rural population
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	1951	304	17,44,072	3,06,938	18
2	1961	276	26,58,612	2,99,204	11
3	1971	243	40,65,698	4,18,675	10
4	1981	214	62,20,406	4,52,206	7
5	1991	199	94,20,644	9,49,019	10
6	2001	165	1,38,50,507	9,44,727	6.82

Source : DSHB 2007

Table 10.8

SECTORAL DISTRIBUTION OF RURAL POPULATION

S.No	Item	1971	1981	1991	2001
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Total Rural Population	418675	452206	949019	944727
2	Total Work Force	111460	125853	272864	301064
3	Population Engaged in				
I	Agricultural & Allied Services	42986	45895	46468	35056
II	Population Engaged in Industrial Activities	39896	45713	152220	7269
III	Population Engaged in other Services	28578	34245	74176	258739

Source: Delhi Statistical Hand Book, 1998- & 2004, Dte. of Eco. and Stat., Govt. of NCT of Delhi.

Table 11.1

AVAILABILITY OF ELECTRICITY

(In Million Units)

Year	Locally Generated	Purchased from NTPC & other sources	Total
1980 -81	1313	1613	2926
1981 -82	1113	2153	3266
1982 -83	1077	2520	3597
1983 -84	1037	2993	4030
1984 -85	1255	3283	4538
1985-86	1158	3759	4917
1986 -87	1402	4157	5559
1987 -88	1359	4832	6191
1988 -89	1088	5732	6820
1989 -90	1662	5962	7624
1990 -91	2063	6378	8441
1991 -92	2415	6973	9288
1992 -93	2433	8115	10548
1993 -94	2281	8645	10926
1994 -95	2280	9905	12185
1995 -96	2212	10789	13007
1996 -97	2052	11656	13708
1997 -98	2218	12530	14748
1998 -99	2051	13991	16042
1999 -00	2289	14707	16996
2000 -01	2553	14997	17550
2001 -02	2454	16180	18634
2002 -03	3313	16556	19869
2003 -04	4967	15667	20634
2004 -05	5401	18156	23557
2005 -06	5023	18514	23537
2006 -07	9778	13416	23194
2007 -08	9896	12475	22372
2008 -09	10002	12004	22006

Source : Delhi Transco Ltd.

Table 11.2
NUMBER OF CONSUMERS OF ELECTRICITY

(in lakh)

Year	Total No. of Consumers
1990-91	17.03
1992-93	18.32
1993-94	18.82
1994-95	19.77
1995-96	19.44
1996-97	20.64
1997-98	21.29
1998-99	22.15
1999-2000	23.67
2000-01	25.48
2001-02	26.45
2002-03	26.71
2003-04	26.98
2004-05	27.87
2005-06	28.38
2006-07	N.A.
2007-08	33.03

Source : Delhi Transco Ltd.

Table 11. 3

PATTERN OF ELECTRICITY CONSUMPTION

(In Million Units)

Year	Domestic	Commercial	Industrial *	Water works & street lights	Others	Total
1980 -81	701	453	590	175	453	2372
1981 -82	746	499	753	61	485	2544
1982 -83	850	598	821	42	530	2841
1983 -84	945	632	858	38	579	3052
1984 -85	1162	709	950	48	597	3466
1985 -86	1286	779	1095	193	598	3951
1986 -87	1385	827	1200	73	599	4084
1987 -88	1483	881	1085	280	639	4368
1988 -89	1687	918	1420	297	641	4963
1989 -90	2108	1046	1751	299	649	5853
1990 -91	2316	1093	1952	347	707	6415
1991 -92	3110	1002	1843	363	781	7099
1992 -93	3741	1024	2067	378	786	7996
1993 -94	3348	1172	1764	363	846	7493
1994 -95	2961	1279	1368	350	883	6840
1995 -96	2835	1501	1537	390	1037	7300
1996 -97	3038	1004	2047	528	931	7548
1997 -98	2789	1021	2341	546	940	7637
1998 -99	2897	1021	2501	533	912	7864
1999 -00	3210	1076	2670	537	914	8407
2000 -01	3762	1156	2949	525	895	9287
2001 -02	3963	1217	3035	554	944	9713
2002 -03	5004	1919	2339	129	868	10259
2003 -04	5648	2312	1681	147	1478	11266
2004 -05	5994	3187	2161	147	1676	13165
2005 -06	6107	3251	2383	246	1596	13583
2006 -07	6825	3730	2518	275	1756	15104
2007 -08	6945	3944	2831	498	683	14901

Table 12.1

GROWTH OF MOTOR VEHICLES IN DELHI

Items	1997-98	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Number of Vehicles	3033045	3375153	3617853	3886072	4160760	4467154	4830136	5232426	5627384
Increase in number of Vehicles	185350	211588	242700	268219	274688	306394	362982	402290	394958
Annual Growth (%)	6.51	8.05	7.19	7.41	7.07	7.36	8.13	8.33	7.55
Numbr of Vehicles per 1000 Population	247	244	254	265	270	282	295	317	332

Source : Transport Department, Government of NCT of Delhi.

Table 12.2

MOTOR VEHICLES IN DELHI

(Numbers)

Types of Vehicle	1997-98	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07			
		During	Cumulaitive	During	Cumulaitive	During	Cumulaitive	During	Cumulaitive	During	Cumulaitive	During	Cumulaitive	During	Cumulaitive	During	Cumulaitive
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Cars & Jeeps	765470	84482	957925	89123	1047048	92705	1139753	104006	1243759	115514	1359273	112585	1471858	127605	1599463	130232	1729695
Motor Cycles & Scooters	1991710	121465	2199051	140872	2339923	162561	2502484	156965	2659449	180389	2839838	238822	3078660	257103	3335763	242436	3578199
Ambulance		77	1498	132	1630	90	1720	137	1857	124	1981	107	2088	134	2222	4	2226
Auto Rickshaws	80210	0	70145	1	70146	0	70146	3292	73438	750	74188	0	74188	12	74200	1097	75297
Taxies	16654	1059	9604	3294	12898	1969	14867	1366	16233	1904	18137	2509	20646	5245	25891	4813	30704
i.Buses	32333	1467	16981	3522	20503	2314	22817	1256	24073	724	24797	714	25511	980	26491	442	26933
ii. Other		964	6577	2842	9419	3374	12793	1939	14732	1634	16366	2012	18378	1373	19751	(-) 784	18967
Passanger vehicles																	
Tractors		5	4595	26	4621	35	4656	41	4697	68	4765	46	4811	48	4859	(-) 4	4855
Goods Vehicles (All Type)	146668	2053	102982	2880	105862	5171	111033	5686	116719	5287	122006	6187	128193	9790	137983	17888	155871
Others		16	5795	8	5803	0	5803	0	5803	0	5803	0	5803	0	5803	(-) 1166	4637
Total	**3033045**	**211588**	**3375153**	**242700**	**3617853**	**268219**	**3886072**	**274688**	**4160760**	**306394**	**4467154**	**362982**	**4830136**	**402290**	**5232426**	**394958**	**5627384**

Source : Transport Department, Government of NCT of Delhi.

Table 12.3

TYPE OF MOTOR VEHICLES IN DELHI AS % SHARE

Type of Vehicle	1990-91	1997-98	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11
Cars & Jeeps	21.98	25.24	28.38	28.94	29.33	29.89	30.43	30.47	30.57	30.74
Motor Cycles & Scooters	67.32	65.67	65.15	64.68	64.40	63.92	63.57	63.74	63.75	63.58
Ambulance			0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Auto Rickshaws	3.48	2.64	2.08	1.94	1.8	1.77	1.66	1.54	1.42	1.34
Taxies	0.56	0.55	0.29	0.36	0.38	0.39	0.41	0.43	0.49	0.54
i.Buses	1.04	1.07	0.50	0.57	0.59	0.58	0.55	0.53	0.51	0.48
ii. Other Passanger vehicles			0.20	0.26	0.33	0.35	0.37	0.38	0.38	0.34
Tractors			0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09
Goods Vehicles	5.62	4.83	3.05	2.92	2.86	2.81	2.73	2.65	2.64	2.77
Others			0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.08
Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Source : Transport Department, Government of NCT of Delhi.

Table 12.4

ANNUAL GROWTH RATE OF MOTOR VEHICLES

Type of Vehicles	1994-95	1997-98	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cars & Jeeps	14.26	11.39	9.21	9.06	8.96	8.84	8.74	8.66	8.64	8.73
Motor Cycles & Scooters	10.66	8.07	6.48	6.06	5.78	5.54	5.36	5.41	5.61	6.03
Auto Rickshaws	10.37	5.09	2.29	0.98	(-)0.05	(-)0.65	(-)1.11	(-)1.39	(-) 1.37	(-) 1.15
Taxies	4.08	6.23	3.55	2.11	1.39	1.12	1.26	1.93	3.71	6.24
i.Buses	7.04	7.67	5.19	3.79	3.18	3.23	3.31	3.63	4.07	4.33
ii. Other Passenger vehicles										
Tractors	8.69	6.69	2.99	1.22	(-)0.09	(-)1.04	(-)1.64	(-)1.71	(-) 1.11	0.02
Goods Vehicles										
Total	**11.18**	**8.62**	**6.85**	**6.44**	**6.18**	**5.96**	**5.81**	**5.84**	**6.06**	**6.42**

Source : Transport Department, Government of NCT of Delhi

Base Year 1984-85

Table 12.5

MAN / ANIMAL DRIVEN VEHICLES IN DELHI

(A) M.C.D	1995-96	1997-98	1999-2000	2001-02	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rickshaws @	46386	56849	70401	15182	49838	66195	44537	12170	2190
Tangas	679	585	497	473	400	422	321	355	242
Rehras	131	70	40	38	58	62	41	57	42
Hand Carts	5515	5247	4932	951	5073	5239	1500	13084	316
Bullock Carts	426	316	280	358	391	379	65	331	137
Cycle, Rickshaws, Trollies	42339	65321	83541	123926	134023	135872	141219	110887	104303
Total	**95476**	**128388**	**159691**	**140928**	**189783**	**208169**	**187683**	**136884**	**107230**
(B) Delhi Cantt. (Rickshows)	**155**	**197**	**232**	**132**	**132**	**115**	**189**	-	-

Source : Delhi Statistical Hand Book - 2007, Dte. of Eco. & Stat., Government of NCT of Delhi

`@ : Registered only

Table 12.6

GROWTH OF ROADS IN DELHI

(In Km.)

Agency	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCD	12129	18673	24885	24885	27139	27139	27139	27139	27139	27139
NDMC	1191	1289	1299	1299	1299	1550	1550	1550	1290	1290
DCB	124	143	144	144	144	144	144	144	144	144
PWD										
(I) National Highways	302	324	388	388	182*	182	182	182	182	182
(ii) Other Roads	570	1135	1792	1792	1934	1934	2168	2168	2168	2230
Total	**14316**	**21564**	**28508**	**28508**	**30516**	**30949**	**31183**	**31183**	**30923**	**30985**

Source : Delhi Statistical Hand Book -2007, Dte. of Eco. & Stat., Government of NCT of Delhi and concerned departments / agencies.

*** Reduction due to transfer of NH-8, NH-1 & NH-2 from PWD to NHAI**

Table 12.7

AVAILABITY OF ROADS IN DELHI

(In Km)

Item	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Total length of road	28508	28508	30698	30949	31183	31183	30923	30985
Average length of road per 100 Sq. km	1922	1922	2070	2087	2103	2103	2085	2089
Road length per 1000 population	2.06	2.00	2.09	2.05	2.00	1.94	1.88	1.83
Road length per 1000 vehicles	8.45	7.88	7.90	7.44	6.98	6.46	5.90	5.51

Source : Delhi Statistical Hand Book, 2007, Dte. of Eco & Stat.

Government of NCT of Delhi and concerned departments/ agencies.

Table 12.8

KEY INDICATORS OF PERFORMANCE OF DTC

Item	Unit	Jan-00	2001-2002	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Total fleet	No.	1932	3286	3082	3656	3470	3469	3444	3537
Fleet utilisation	%	54.76	71.68	79.85	85.49	83.98	90.51	81.47	82.47
Vehicle utilisation (on an average fleet on road)	Km/ bus/ day	245	211	214	224	230	226	199	177
Load factor	%	84.31	82.66	72.51	65.33	67.72	74.42	77.18	87.82
Passengers carried	Million	775	854	918	964	1057	1114	977	880

Source : DUEIIP 2021 & DTC.

Table - 12.9

Identified Multi Modal Public Transit Corridors

	Metro Corridors
1	Rithala - Barwala - Bawana
2	Narela- Bawana- Najafgarh- Kakraula
3	Mundka - Ghevra - Delhi Border
4	Dwarka Sector - 6 Shahabad Mohammadpur
5	Jahangir Puri - Dhaula Kuan - Moolchand - Nehru Place - Kalindi Kunj
6	Jahangir Puri - Sagarpur
	LRT Corridors
7	Qutub Minar - Vasant Kunj - IGI - Shahabad Mohammadpur
8	Pulbangash - RML - Dhaula Kuan
9	Badarpur - Qutub Minar
10	Vasant kunj - R. K. Puram Sector - 1 - Ashoka Hotel - Central Secretariat
11	Malviya Nagar - Asiad Villager - South Extension - J.L.N Stadium - India Gate
12	Dhaula Kuna - Old Gurgaon - Kapashera Border
	Monorail Corridors
13	Shakti Nagar - Wazirpur - Budh Vihar
14	Delhi University - Shakti Nagar - Anand Prabat - Ajmeri Gate - Delhi Gate - Red Fort - SPM Marg - Pulbangash
15	Kondli Scope Tower - Geeta Colony - Darya Ganj
	HCBS Corridors
16	kondli - Gokuplpuri
17	Nand Nagri - Yamuna Marginal Bund - Wazirabad
18	Shastri Park Metro Station - Bhajanpura - Karawal Nagar
19	Ashram - Sarai Kale Khan - Ghazipur - Dilshad Garden - Nand Nagri
20	Punjabi Bagh - ESI - Ranhola
21	Ranhola - Hospital - Shyam Park

Table - 12.9

Identified Multi Modal Public Transit Corridors

22	Mathura Road (Jamia) - Kalindi Kunj
23	Andheria Mor - Dera Mandi
24	Andheria Mor - Fatehpur Beri
25	GTB Nagar - Kamalpur - Hiranki - Bakhtawarpur
26	Bakhtawarpur - Singhola - Narela
27	Sanoth - Khera Khurd
28	Najafgarh - Ibrahimpur
29	Khanjhawala - Bawana
30	Mundka - Puth Khurd
31	Rajendra Nagar - Pragati Maidan
32	Najafgarh - Rajokari
33	Najafgarh - Khaira
34	Najafgarh - Gopal Nagar
35	Palam Riy. Stn. - Domestic Airport - NH-8
36	NSIT - Dwarka - Dabri Mod
37	Sankaracharya Chowk - Palam Airport
38	Chhawal - Dabri Mod
39	Jamia - Tilak Nagar
40	Moolchand - Jahangirpuri
41	Budh Vihar - Kanjhawala
	IRBT Corridors
42	Pulbangash - Sabzi Mandi - Narela
43	Badarpur - Tilak Birdge

Table 13.1

WATER CONSUMPTION IN DELHI

Year	Number of Connections Metered	Un-Metered	Domestic Consumption LKLD	Commercial Industrial Consumption LKLD	Total Consumption LKLD	Per Capita Consumption of Water (Gallons/Day)
1	2	3	4	5		6 7
1976 -77	210931	28673	1174	387	1561	30.38
1977 -78	239854	22633	1414	364	1778	33.17
1978 -79	258307	20159	1529	352	1881	33.65
1979 -80	314763	16131	1519	364	1883	32.26
1980 -81	355157	13143	1542	411	1953	32.07
1981 -82	386167	12620	1556	509	2065	32.24
1982 -83	409184	11396	164 8	490	2138	32.16
1983 -84	437251	11185	NA	NA	NA	NA
1984 -85	475009	10457	1929	507	2436	33.65
1985 -86	501174	10054	2524	513	3037	40.22
1986 -87	547000	26000	2918	483	3401	43.27
1987 -88	580000	30000	NA	NA	NA	NA
1988 -89	625000	126000	NA	NA	NA	NA
1989 -90	637914	206850	3534	523	4067	45.57
1990 -91	678461	226960	4013	527	4540	49.03
1991 -92	700923	245451	4049	556	4605	47.66
1992 -93	745029	253977	4082	567	4649	46.66
1993 -94	804180	294174	4087	424	4511	43.74
1994 -95	826624	311262	4057	433	4490	42.04
1995 -96	853807	315687	4114	627	4841	43.76
1996 -97	915974	284917	8377	1478	9855	80.24
1997 -98	934170	290217	8120	1408	9528	94.11
1998 -99	959432	297182	8451	1491	9942	51.00
99-2000	997057	300102	8451	1491	9942	51.00
2000 -01	1034724	312000	9295	1475	10770	50.00
2001 -02	102326	31 3112	9296	1640	10936	40.00
2002 -03	1139373	322460	9624	1312	10936	39.50
2003 -04	1173693	329278	9770	1332	11102	39.00
2004 -05	1216542	335052	9842	1343	11185	48.02
2005 -06	1256040	342867	9770	1332	11102	47.50
2006 -07	1296094	340651	10976	955	11931	48.00
2007 -08	1329953	345654	11102	1160	12262	48.00

LKLD - Lakh Kilo Liter Daily.

Source : Delhi Statistical Abstract, Delhi Statistical Handbook, Dte. of Economics & Statistics, Govt. of NCT of Delhi.

Table 13.2

Estimated Population, Water Supply, Wastewater Production for the year 2006

Sewerage Zones	Population in lakh			Water Supplied (mld)			Est. Wastewater Generation(mld)
	Served	Un-served	Total	DJB	Other	Total	
Rithala	16.70	5.56	22.26	429.53	107.38	536.91	429.53
Coronation Pillar	7.72	2.57	10.29	198.56	49.63	248.19	198.56
Keshopur	17.36	5.78	23.14	446.50	111.64	558.14	446.50
Trans -Yamuna	20.99	6.99	27.98	499.61	124.90	624.51	449.61
Okhla	26.51	8.84	35.35	682.11	170.53	852.64	682.11
Total	**89.28**	**29.74**	**119.02**	**2256.31**	**564.08**	**2820.39**	**2256.31**

Source: DJB

Table 13.3
DUEIIP PROJECTIONS FOR WATER REQUIREMENTS IN 2021

(a) Domestic Demand

S. No.	Type of settlement	Approx. present Population in Million	Norm of Supply (LPCD)	Total requirement (MLD)
1	Upgraded J.J. Clusters	3.27	150	490.5
2	Upgraded Slums	4.20	150	630.0
3	Upgraded Regularized	1.17	150	175.5
4	Resettlement Colonies	2.79	200	558.0
5	Rural villages	1.17	150	175.5
6	Regularized Colonies	2.79	200	558.0
7	Urban villages	1.39	200	278.0
8	Planned Colonies	5.22	225	1174.5
	Total			**4040.0**

(b) Fire Demand based on 1000 p = 14.83 MLD

(c) Non Domestic Demand (Category -II)

Non Domestic Demand is based on present supply increased in the same proportion as population increase. Therefore Non Domestic Demand (Cat-II) = 120 X 1.64
= 196.8 MLD

(d) Non Domestic Demand (Category -III)

Based on the same principle Non Domestic Demand (Cat-III) = 70.20 MLD

(e) Leakages & Line losses (10%)

It is assumed that with use of better materials, technology up-gradation and strict quality control during construction, replacement of old pipes and fittings, rehabilitation of WTP and BPS, Ground reservoir and OHT, Leakage and line losses will be restricted to 10%.
= 430.80 MLD

Total Future Demand = 4752.63 MLD

Table 13.4

SEWERAGE FACILITIES IN DIFFERENT TYPES OF SETTLEMENTS IN DELHI

SN	Type of settlement	Total No. of Settlements in the year				Sewerage facilities in the settlements in the year (Cumulative)				
		2001	2003	2007	2008	2001	2003	2005	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urban Villages	135	135	135	135	93	93	100	107	108
2	Regularized Unauthorized Colonies	567	567	567	567	402	458	500	517	523
3	JJ Resettlement Colonies	44	44	44	44	39	44	44	44	44

Source: Delhi Jal Board

Table 13.5

Projection of Total Water Demand upto the year 2021

Category of Demand	Water Demand, MLD			
	2005	**2006**	**2011**	**2021**
Domestic	2880	3099	3689	3673
Commercial & Institutional	161	178	248	367
Industrial	722	813	1244	2232
Total	**3763**	**4090**	**5181**	**6272**

Source: - Delhi Jal Board

Table - 13.6

Installed Capacity of Water Treatment Plants at the end of Five Year Plans

(MGD)

S N	Name of Plant	Ist FYP	2nd FYP	3rd FYP	4th FYP	5th FYP	6th FYP	7th FYP	8th FYP	9th FYP	10th FYP
1	Chandrawal	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2	Wazirabad	-	-	40	80	80	80	100	120	120	120
3	Haiderpur	-	-	-	-	50	100	100	200	200	200
4	Bhagirathi	-	-	-	-	-	37	100	100	100	100
5	Nangloi									40	40
6	Rainy Wells/ Tube wells	-	-	-	5	20	30	47	63	88	100
7	Okhla (Iron Removal)	-	-	-	-	-	-	-	7	12	-
	Total	**60**	**90**	**130**	**175**	**240**	**337**	**437**	**580**	**650**	**650**

TABLE No. 13.7

INSTALLED CAPACITY OF SEWAGE TREATMENT PLANTS AT THE END OF FIVE YEAR PLANS

[MGD]

SN	Name of Plant	Ist FYP	2nd FYP	3rd FYP	4th FYP	5th FYP	6th FYP	7th FYP	8th FYP	9th FYP	10th FYP
1	Okhla	36	36	66	66	66	88	100	124	140	140
2	Coronation Pillar	-	20	20	20	20	20	20	20	40	40
3	Keshopur	-	12	12	12	32	32	62	72	72	72
4	Rithala	-	-	-	-	-	-	10	40	80	80
5	Yamuna Vihar	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20
6	Oxidation Pond, Timarpur	-	-	-	-	-	12	12	12	6	6
7	Vasant Kunj	-	-	-	-	-	-	2	2	5	5
8	Kondli	-	-	-	-	-		10	10	45	45
9	Dr. Sen Nursing Home	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.2
10	Najafgarh	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
11	Ghitorni	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
12	Pappankalan	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
13	Narela	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
14	Delhi Gate	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.2
15	Nilothi	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40
16	Mehrauli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
17	Rohini										15
	Total	**36**	**68**	**98**	**98**	**118**	**152**	**216**	**280**	**482.4**	**512.4**

Table No. 13.8

SOURCE OF WATER (CENSUS 2001)

		No. of Households		
S.No.	**Source**	**Total**	**Rural**	**Urban**
1	**All sources**	2554149 (100.00)	169528 (100.00)	2384621 (100.00)
2	**Tap**	1924140 (75.33)	87417 (51.56)	1836723 (77.02)
3	**Hand Pump/Tube Well**	559518 (21.91)	65290 (38.51)	494228 (20.73)
4	**Well**	1019 (0.04)	612 (0.36)	407 (0.02)
5	**Other Including River/Canal/Tank/Spring**	69472 (2.72)	16209 (9.57)	53263 (2.23)

(Figures in the bracket show percentage)

Source: Delhi Statistical Handbook- 2004

Table 14.1
FACILITIES AVAILABLE & HOUSE HOLD As per 1991-2001 CENSUS

Facilities available	No. of House holds			No. of Rural Households			No. of Urban Households		
	1991	2001	% Increase /decrease	1991	2001	% increase /decrease	1991	2001	% Increase /decrease
Total No. of Households	1861576	2554149	37.20	163967	169528	3.39	1697609	2384621	40.47
Electricity	1479620	2371811	60.30	98129	144948	47.71	1381491	2226863	61.19
Toilet	1179797	1991209	68.78	18538	106608	119.64	1133259	1884601	66.30
Both electricity and toilet	1114424	1873914	68.15	31511	93693	197.33	1082913	1780221	64.39
Electricity but no toilet	365196	497897	36.34	66618	51255	-23.06	298578	446642	49.59
Toilet but no electricity	65373	117295	79.42	17027	12915	-24.15	48346	104380	115.90
NO electricity no toilet	316 583	65043	-79.45	48811	11665	-76.10	267772	53378	-80.07
Piped water supply	1409730	1924140	36.49	74327	87417	17.61	1330403	1836723	38.06
*Water from public hydrants	437011	545128	24.74	40562	43334	6.83	396449	501794	26.57
Hand pumps	373355	476999	27.7 6	69896	56821	-18.71	303459	420178	38.46
Well /Tank / other sources	78491	153010	94.94	14744	25290	71.53	63747	127720	100.35

* No. of households availing water from tap and hand pumps from outside the premises

Table 14.2

FUEL USED FOR COOKING As Per 1991 – 2001 CENSUS

Item	No. of House holds			No. of Rural Households			No. of Urban Households		
	1991	2001	% Increase /decrease	1991	2001	% increase /decrease	1991	2001	% Increase /decrease
Total No. of Households	1861576	2554149	37.20	163967	169528	3.39	1697609	2384621	40.4 7
Cooking Gas	865072	1737730	100.88	29439	97498	231.19	835633	1640232	96.29
Kerosene	774348	623298	-19.51	64648	36546	-43.47	709700	586752	-17.32
Cowdung Cakes	88680	50627	-42.91	39490	12965	-67.17	49190	37662	-23.44
Wood	86861	98555	13.46	26238	1729 6	-34.08	60623	81259	34.04
Coal /Coak/ Lig nite /Charcoal	24666	3713	-84.95	2509	338	-86.53	22157	3375	-84.77
Bio -gas	11913	6874	-42.30	725	667	-8.00	11188	6207	-44.52
Electricity	2346	1257	-46.42	216	94	-56.48	2130	1163	-45.40
Others	7269	18798	158.6 1	677	3446	409.01	6592	15353	132.90
All Sources	1861155	2523373	35.58	163942	165465	0.93	1697213	2357908	38.93

Table 14.3

No of Census Houses and their uses

Item No.	Item	Number			
		Total	Percentage	Total	Percentage
		2001		1991	
A	Number of Census Houses	3,379,956	100	2,446,143	100
A.1	Vacant Census Houses	377,790	11.18	293,677	12
A.2	Occupied Census Houses	3,002,166	88.82	2,152,466	88
B	Occupied Census Houses by their uses				
B.1	Total	3,002,166	100	2,152,466	100
B.1.1	Residence	2,316, 996	77.18	1,713,952	79.63
B.1.2	Residence -cum other use	135,406	4.51	88,386	4.11
B.1.3	Shop, Office	319,233	10.63	172,701	8.02
B.1.4	School, College, etc.	7,620	0.25		
B.1.5	Hotel, Lodge, Guest House, etc.	6,005	0.2	2,734	0.13
B.1.6	Hospital, Dispensary, etc.	7,661	0.26		
B.1.7	Factory, Workshop, Work shed etc.	80,165	2.67	86,170	4
B1.8	Place of Worship	8,249	0.27	3,974	0.18
B1.9	Other Non -residential use	120,831	4	84,549	3.93

Source : Census of India, 1991 and 2001, Registrar General of India

Table 14.4
Living Condition of Households Based on Condition of Houses Occupied

Item No.	Item	Number of Houses As per 2000 Census	
		Total	Percentage
A	Total	2,554,149	100
1	Good	1,481,297	58.00
2	Livable	936,233	36.65
3	Dilapidated	136,619	5.35
B	Residential Exclusively		
1	Total	2,420,328	100
2	Good	1,401,972	57.92
3	Livable	886,714	36.64
4	Dilapidated	131,642	5.44
C	Residence -cum Other Use		
1	Total	133,821	100
2	Good	79,325	59
3	Livable	49,519	37
4	Dilapidated	4,977	4
D	Hou seholds by Predominant Material of Roof		
1	Total	2,554,149	100
2	Grass, Thatch, Bamboo, Wood, Mud, etc.	84,154	3.29
3	Plastic, Polythene	66,285	2.60
4	Tiles	16,287	0.64
5	Slate	39,743	1.57
6	G.I, Metal, Asbestos sheets	185,052	7.25
7	Brick	47,283	1.85
8	Stone	711,808	27.87
9	Concrete	1,398,095	54.73
10	Any other material	5,442	0.20

Table No. 14.5
AREA OF DELHI

CENSUS	URBAN AREA (IN SQ.KMS.)	% TO TOTAL AREA	RURAL AREA (IN SQ.KMS.)	% TO TOTAL AREA	TOTAL AREA (IN SQ.KMS.)
1961	326.54	22	1157.52	78	1484
1971	446.30	30	1038.70	70	1485
1981	591.90	40	891.10	60	1483
1991	700.23	47	782.77	53	1483
2001	924.68	62	558.32	38	1483

Table No. 14.6
DENSITY & URBAN POPULATION
(Persons per sq.km. of area)

CENSUS	URBAN	RURAL	TOTAL	URBAN POPULATION (IN LAKH)	%AGE TO TOTAL POPULATION
1961	7225	258	1792	23.59	88.72
1971	8172	403	2738	36.47	89.69
1981	9745	507	4194	57.68	92.73
1991	12098	1212	6532	84.72	89.94
2001	13957	1592	9240	129.06	93.18

Table No. 14.7
TRANS YAMUNA AREA DEVELOPMENT BOARD EXPENDITURE

(Rs. in crore)

SN	Name of Agency	1994-2002	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Total
1.	**DJB**	159.63	24.00	16.00	19.00	22.00	22.00	23.00	285.63
2.	**MCD**	221.92	40.00	40.00	49.00	50.00	50.00	50.00	500.92
3.	**DVB (TRANSCO)**	85.10	-	-	-				85.10
4.	**PWD**	33.99	2.58	1.56	3.12	3.39	0.90	0.25	45.79
5.	**I&FC**	19.69	3.79	2.75	2.00	2.58	2.99	6.50	40.30
6.	**UD**	10.49	7.00	2.08	0.09	2.06			21.72
7.	**DDA**	2.64	-	-	-				2.64
	TOTAL	**533.46**	**77.37**	**62.39**	**73.21**	**80.03**	**75.89**	**79.75**	**982.10**

Table No. 14.8
Distribution of Dwellings by age in years

SN	Item	Age of dwellings (years)							
		0-5	5-10	10-20	20-40	40-60	60-80	80 and above	All
A	**Rural**								
1	Good	8537	24008	25800	14897	3627	0	0	76869
2	Satisfactory	6084	43017	44740	14515	1469	0	0	109825
3	Bad	1094	2802	4536	1583	0	0	0	10016
	Sub total	15715	69827	75076	30995	5096	0	0	196709
	Percentage	7.99	35.50	38.17	15.76	2.59	0.00	0.00	100.00
B	**Urban**								
1	Good	106789	386479	444330	402184	45905	0	0	1385687
2	Satisfactory	42171	262749	593689	251187	61015	1792	0	1212604
3	Bad	21886	88620	58749	28256	4934	0	4717	207161
	Sub total	170847	737848	1096769	681626	111855	1792	4717	2805453
	Percentage	6.09	26.30	39.09	24.30	3.99	0.06	0.17	100.00
C	**Combined**								
1	Good	115326	410487	470130	417081	49532	0	0	1462556
2	Satisfactory	48256	305766	638429	265701	62485	1792	0	1322429
3	Bad	22980	91422	63285	29839	4934	0	4717	217177
	Total	186562	807675	1171845	712621	116951	1792	4717	3002162
	Percentage	6.21	26.90	39.03	23.74	3.90	0.06	0.16	100.00

Source : NSS 58th Round State Sample Report on Housing Conditions in Delhi of DES.

Table No. 14.9

Distribution of households by drainage arrangement

No.	Drainage Arrangement	No. of household					
		Rural	%	Urban	%	Combined	%
1	Under ground	1325	0.67	1501374	53.52	1502700	50.06
2	Covered pucca	18768	9.54	388893	13.85	407671	13.58
3	Open pucca	153213	77.90	773890	27.59	927181	30.88
4	Open katcha	8428	4.28	83186	2.97	91619	3.05
5	No drainage	14975	7.61	58110	2.07	73093	2.43
	All	196709	100.00	2805453	100	3002162	100.00

Source : NSS 58th Round State Sample Report on Housing Conditions in Delhi of DES.

Table No. 14.10
Distribution of households by type of approach road

SN	Item	Number of households					
		Rural	%	Urban	%	Combined	%
A	**Motorable**						
	With street light	76253	38.76	1997736	71.21	2074027	69.08
	Without street light	43378	22.05	154115	5.49	197515	6.58
B	**Others**						
	With street light	9036	4.59	238202	8.49	247243	8.24
	Without street light	65774	33.44	339000	12.08	404808	13.48
C	Direct Opening	2268	1.16	76400	2.73	78669	2.62
	ALL	196709	100.00	2805453	100.00	3002262	100.00

Source : NSS 58th Round State Sample Report on Housing Conditions in Delhi of DES.

Table No. 14.11

Distribution of slums by ownership of land

Slum Type	Land Ownership			
	Local Body	Other Govt. Agency	Not Known	Total
Notified	285	0	27	312
Non Notified	939	232	384	1555
Total	**1224**	**232**	**411**	**1867**
%	35.56	13.58	22.01	100.00

Source : NSS 58th Round State Sample Report on Housing Conditions in Delhi of DES.

Table No. 14.12

Distribution of Slums by their location

Slum Type	Location of Slum			
	Along Nallah	Along Railway Line	Others	All
Notified	30	88	194	312
Non Notified	300	752	503	1555
Total	**330**	**840**	**697**	**1867**
%	17.68	44.99	37.33	100

Source : NSS 58th Round State Sample Report on Housing Conditions in Delhi of DES.

Table 15.1

NUMBER OF SCHOOLS IN DELHI

Year	Primary	Middle	Secondary/ Senior Secondary	Total
1971-72	1414	402	514	2330
1981-82	1726	326	704	2756
1991-92	2029	502	1178	3709
2001-02	2455	679	1605	4739
2002-03	2163	661	1619	4443
2003-04	2178	681	1678	4537
2004-05	2515	635	1712	4862
2005-06	2668	645	1750	5063
2006-07	2646	640	1750	5036
2007-08	2620	643	1759	5022

Source : Delhi Statistical Hand Book and Dte. Of Education, Government of NCT of Delhi

Table 15.2

LITERACY RATE IN INDIA AND STATES

S.NO.	State/Union Territories	1991			2001		
		P	M	F	P	M	F
	All India	52	64	39	65	75	54
	States						
1	**Andhra Pradesh**	44	55	33	61	70	50
2	**Arunachal Pradesh**	42	51	30	54	64	44
3	**Assam**	53	62	43	63	71	55
4	**Bihar**	39	53	23	47	60	33
5	**Goa**	76	84	67	82	89	75
6	**Gujrat**	61	73	49	69	80	58
7	**Haryana**	56	69	41	68	79	56
8	**Himachal Pradesh**	64	75	52	77	85	67
9	**J&K**	--	--	--	56	67	43
10	**Karnatka**	56	67	44	67	76	57
11	**Kerala**	90	94	86	91	94	88
12	**Madhya Pradesh**	44	58	29	64	76	50
13	**Maharasthra**	65	77	52	77	86	67
14	**Manipur**	60	72	48	69	78	60
15	**Meghalaya**	49	53	39	63	65	60
16	**Mizoram**	82	86	79	89	91	87
17	**Nagaland**	62	68	55	67	71	62
18	**Orissa**	49	63	35	63	75	51
19	**Punjab**	58	66	50	70	75	63
20	**Rajasthan**	39	55	20	60	76	44
21	**Sikkim**	57	66	47	69	76	60
22	**Tamil Nadu**	63	74	51	74	82	64
23	**Tripura**	60	71	50	73	81	65
24	**Uttar Pradesh**	42	56	25	56	69	42
25	**West Bengal**	58	68	47	69	77	60
26	**Chattishgarh**				65	77	52
27	**Jharkhand**				54	67	39
28	**Uttaranchal**				72	84	60
	Union Territory						
1	**A&N Islands**	73	79	66	81	86	75
2	**Chandigarh**	78	82	72	82	86	76
3	**D&N Haveli**	41	54	27	58	71	40
4	**Daman & Diu**	71	83	59	78	87	66
5	**Delhi**	75	82	67	82	87	75
6	**Lakshadweep**	82	90	73	87	93	81
7	**Pondicherry**	75	84	66	81	89	74

Notes:1. Literacy rate is defined as percentage of literacy in the population ages 6 years and above.

Source: Registrar General of India

Table 15.3

STUDENT ENROLMENT IN DELHI SCHOOLS

(In Lakh)

Year	Primary	Middle	Sec./Sr. Secondary	Total
1971-72	4.89	2.26	1.59	8.74
1980-81	6.68	3.23	2.54	12.45
1991-92	9.64	5.35	4.02	19.01
2000-01	10.66	2.34	14.56	27.56
2001-02	10.87	2.39	14.84	28.10
2002-03	9.58	2.25	17.11	28.95
2003-04	9.78	2.30	17.48	29.56
2004-05	9.99	2.35	17.86	30.20
2005-06	12.44	2.16	19.70	34.30
2006-07	11.05	2.31	20.59	33.95
2007-08	11.65	2.35	20.92	34.92

Source : Delhi Statistical Hand Book, , Govt. of NCT of Delhi.

Table 15.4
NUMBER OF SCHOOL TEACHERS

Year	Primary	Middle	Sec./ Sr. Secondary	Total
1971-72	14898	4597	21182	40677
1981-82	18415	4861	34239	57515
1991-92	18925	4928	41983	65836
2000-01	23696	8019	54514	86229
2001-02	24244	8205	55773	88222
2002-03	24360	8295	58015	90670
2003-04	24699	9192	59063	92954
2004-05	24744	9210	59146	93100
2005-06	27431	7226	61149	95806
2006-07	28175	7418	62784	98377
2007-08	25570	8003	66691	100264

Source : Delhi Statistical Hand Book, , Govt. of NCT of Delhi.

Table 15.5
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Year	Universities	Deemed Universities	Institutions of National Importance	Colleges
1997-98	4	5	2	82
1998-99	5	5	2	82
1999-2000	5	5	2	127
2000-01	5	5	2	131
2001-02	5	5	2	139
2003-04	5	5	2	144
2005-06	5	8	2	174
2006-07	5	8	2	175
2007-08	6	11	2	175

Source : Delhi Statistical Hand Book, , Govt. of NCT of Delhi and Dte of Hr. Education.

Table 15.6

TECHNICAL EDUCATION INSTITUTIONS UNDER DELHI GOVERNMENT

Item	2005-06	2006-07	2007-08
I. Post Graduation level			
No of Institutions	21	21	22
Intake Capacity	1215	1215	1265
II. Degree Level Institutions			
No. of Institutions	22	21	24
Intake Capacity	4408	4968	5688
III. Diploma Level Institutions			
No. of Institutions	21	19	20
Intake Capacity	4005	3725	5115
IV. Certificate Level Institutions (ITI's)			
No. of Institutions	72	72	73
Intake Capacity	11896	14036	14829

Source: Dte. of Training & Technical Education, Government of NCT of Delhi.

Table 18.1

Scheduled Caste and Scheduled Tribe Population in 2001 Cencus

[in lakh]

S. No.	States / Union Territories	Scheduled Caste(SC)	% SC population to total population	Scheduled Tribe(ST)	% ST population to total population
1	2	3	4	5	6
	INDIA(*)	1665.76	16.20	835.80	8.10
States:					
1	Andhra Pradesh	123.39	16.20	50.24	6.60
2	Arunachal Pradesh	0.06	0.60	7.05	64.20
3	Assam	18.25	6.90	33.08	12.40
4	Bihar	130.48	15.70	7.58	0.90
5	Goa	0.23	1.80	0.01	0.00
6	Gujarat	35.93	7.10	74.81	14.80
7	Haryana	40.91	19.30		0.00
8	Himachal Pradesh	15.02	24.70	2.44	4.00
9	Karnataka	85.63	16.20	34.63	6.60
10	Kerala	31.23	9.80	3.64	1.10
11	Madhya Pradesh	91.55	15.20	122.33	20.30

Table 18.1

Scheduled Caste and Scheduled Tribe Population in 2001 Cencus

[in lakh]

S. No.	States / Union Territories	Scheduled Caste(SC)	% SC population to total population	Scheduled Tribe(ST)	% ST population to total population
1	2	3	4	5	6
	INDIA(*)	1665.76	16.20	835.80	8.10
12	Maharashtra	98.82	10.20	85.77	8.90
13	Manipur	0.37	2.02	6.32	34.41
14	Meghalaya	0.11	0.50	19.92	85.90
15	Mizoram	0.00	0.00	83.90	94.50
16	Nagaland			17.69	88.90
17	Orissa	60.82	16.50	84.45	22.10
18	Punjab	70.28	28.90		0.00
19	Rajasthan	96.94	17.20	70.97	12.60
20	Sikkam	0.27	5.00	1.11	20.60
21	Tamil Nadu	118.57	19.00	6.51	1.00
22	Tripura	5.55	17.40	9.93	31.10
23	Uttar Pradesh	351.48	21.10	1.07	0.10
24	West Bengal	184.52	23.00	44.06	5.50
25	Jammu & Kashmir	7.70	7.60	11.05	10.90
26	Uttaranchal	15.17	17.90	2.56	3.00
27	Jharkhand	31.89	11.80	70.87	26.30
28	Chattisgarh	24.18	11.60	66.16	31.80
Union Territories:					
1	A & N Islands		0.00	0.29	8.30
2	Chandhigarh	1.57	17.50		
3	D & N Haveli	0.04	1.90	1.37	62.20
4	Daman and Diu	0.05	3.10	0.13	8.80
5	Delhi	23.43	16.90		
6	Lakshadweep			0.57	94.50
7	Pondicherry	1.57	16.20		

Source: Population Profiles, Census of India 2001, RGI

Table 18.2

Rural Urban SC Population of Delhi

S. No.	Year	Total Population			SC Population		
		Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1951	306938	1437134	1744072	63993	144619	208612
2	1961	299204	2359408	2658612	69312	272243	341555
3	1971	418675	3647023	4065698	104999	530699	635698
4	1981	452206	5768200	6220406	104012	1017631	1121643
5	1991	949019	8471625	9420644	207709	1587127	1794836
6	2001	944727	12905780	13850507	188378	2154877	2343255

Source : Census Hand Book - 2001

Table 18.3

Decennial Growth of SC Population in Delhi

S. No.	Year	Total Population	SC Population
1	2	3	4
1	1961	52.44	63.73
2	1971	52.93	86.12
3	1981	52.99	76.44
4	1991	51.45	60.00
5	2001	47.02	30.56

Source: Census Hand Book - 2001, Registrar General & Census Commissioner of India

Table 18.4

LITERACY RATE OF SC POPULATION IN DELHI

(Figures in Percentage)

Sl. No.	Year	Literacy rate of Delhi			Literacy rate of SC Population in Delhi		
		Male	Female	Total	Male	Female	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1961	60.75	42.55	52.75	32.15	6.8	20.86
2	1971	63.71	47.75	56.61	39.22	14.32	28.15
3	1981	68.40	53.07	61.54	50.21	25.89	39.30
4	1991	82.01	66.99	75.29	68.77	43.82	57.60
5	2001	87.33	74.71	81.67	80.77	59.07	70.85

Source: Census Hand Book - 2001, Registrar General & Census Commissioner of India

Table 18.5

Distribution of SC Work Force as per 1991 Cencus

Sl.No	Industry	Number of SC workers	Percentage to total SC Workers	Total number of Workers	Percentage to total Workers
1	2	3	4	5	6
1	**Primary Sector**				
	Cultivators, Agriculture Labourers, Animal Husbandry, Forestry, Fishing & Mining	16023	3	84557	3
2	**Secondary Sector**				
	Manufacturing, Electricity, Gas, Water Supply, Construction	192889	37	730951	25
3	**Tertiary Sector**				
	Trade and Commerce, Transport, Storage, Communication & Other Services	312601	60	2152869	72
	Total	**521513**	**100**	**2968377**	**100**
		(29)		**(32)**	
	Total SC Population	**1794836**		**9420644**	
		(100)		**(100)**	
	Total-2001 Census	**709792**		**4545234**	
		(30)		**(33)**	
	Total-SC population	**2343255**		**13850507**	
		(100)		**(100)**	

Note : RGI has not released the data of work force of Census,2001 as per classification mentioned above

Table 18.6

Distribution of SC Workforce-2001 census

Sl.No	Item	Main Worker			Marginal Worker		
		Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cultivator	903	755	1658	332	89	421
2	Agriculture	1319	1180	2499	1384	699	2083
3	House-hold worker	918	15677	16595	380	2884	3264
4	Other workers	45318	582523	627841	4871	50560	55431

Table 21.1

STATEWISE NUMBER AND PERCENTAGE OF POPULATION BELOW POVERTY LINE

(In Lakh)

S. No	States / Union Territories	1973-74		1977-78		1983		1987-88		1993-94		1999-2000	
		No. of Persons	%	No. of Persons	%	No. of Persons	%	No. of Persons	%	No. of Persons	%	No. of Persons	%
1	Andhra Pradesh	225.69	48.86	197.54	39.31	164.58	28.91	160.43	25.86	153.97	22.19	119.01	15.77
2	Arunachal Pradesh	2.66	51.93	3.36	58.32	2.82	40.88	2.83	36.22	3.73	39.35	3.98	33.47
3	Assam	81.83	51.21	103.38	57.15	77.69	40.77	75.75	36.21	96.36	40.86	94.55	36.09
4	Bihar	370.57	61.91	401.82	61.55	462.05	62.22	420.93	52.13	493.35	54.96	425.64	42.60
5	Goa	4.16	44.26	3.88	37.23	2.23	18.90	2.96	24.52	1.91	14.92	0.70	4.40
6	Gujarat	138.42	48.15	130.88	41.23	117.92	32.79	122.36	31.54	105.19	24.21	67.89	14.07
7	Haryana	38.32	35.36	35.48	29.55	29.60	21.37	25.37	16.64	43.88	25.05	17.34	8.74
8	Himachal Pradesh	9.73	26.39	13.04	32.45	7.41	16.40	7.52	15.45	15.88	28.44	5.12	7.63
9	Jammu & Kashmir	20.48	40.83	21.72	38.97	15.60	24.24	16.95	23.82	20.92	25.17	3.46	3.48
10	Karnataka	170.67	54.47	168.17	48.78	149.81	38.24	158.61	37.53	156.48	33.16	104.40	20.04
11	Kerala	135.52	58.79	127.22	52.22	106.77	40.42	88.48	31.79	76.41	25.43	41.04	12.72
12	Madhya Pradesh	276.30	61.78	302.87	61.78	277.97	49.78	264.30	43.07	298.52	42.52	298.54	37.43
13	Maharashtra	287.42	53.24	329.91	55.88	290.89	43.44	296.27	40.41	305.22	36.86	227.99	25.02
14	Manipur	5.86	49.96	7.06	53.72	5.65	37.02	5.29	31.35	6.80	33.78	7.19	28.54
15	Meghalaya	5.52	50.20	6.79	55.19	5.62	38.81	5.48	33.92	7.38	37.92	8.23	33.87
16	Mizoram	1.82	50.32	2.31	54.38	1.96	36.00	1.70	27.52	1.94	25.66	1.85	19.47
17	Nagaland	2.90	50.81	3.74	56.04	3.50	39.25	3.66	34.43	5.05	37.92	5.49	32.67
18	Orissa	154.47	66.18	176.32	70.07	181.31	65.28	165.93	55.58	160.60	48.56	169.09	47.15
19	Punjab	40.49	28.15	30.23	19.27	28.64	16.18	25.17	13.20	25.11	11.77	14.49	6.16
20	Rajasthan	128.51	46.14	116.88	37.42	126.83	34.46	142.90	35.15	128.50	27.41	81.83	15.28
21	Sikkim	1.19	50.86	1.54	55.89	1.35	39.71	1.36	36.06	1.84	41.43	2.05	36.55
22	Tamil Nadu	239.52	54.94	255.47	54.79	260.07	51.66	231.07	43.39	202.10	35.03	130.48	21.12
23	Tripura	8.54	51.00	10.61	56.88	8.95	40.03	8.84	35.23	11.79	39.01	529.89	34.44
24	Uttar Pradesh	535.73	57.07	504.37	49.05	556.74	47.07	536.53	41.46	604.46	40.85	213.49	31.15
25	West Bengal	299.30	63.43	310.57	60.52	318.69	54.85	283.61	44.72	254.56	35.66	0.82	27.02
26	A&N Islands	0.74	55.56	0.91	55.42	1.11	52.13	1.09	43.88	1.06	34.47	0.51	20.99
27	Chandigarh	0.84	27.96	1.03	27.32	1.19	23.79	0.84	14.67	0.80	11.35	0.33	5.75
28	D&N Haveli	0.38	46.55	0.49	37.20	0.18	15.67	0.79	67.11	0.77	50.84	0.06	17.14
29	Delhi	22.84	49.61	18.16	33.23	18.39	26.22	10.25	12.41	15.51	14.69	11.49	8.23
30	Daman & Diu	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	15.80	0.06	4.44
31	Lakshdweep	0.21	59.68	0.20	52.79	0.19	42.36	0.17	34.95	0.14	25.04	0.11	15.60
32	Pondicherry	2.74	53.82	3.00	53.25	3.26	50.05	3.05	41.46	3.31	37.40	2.41	21.67
	ALL INDIA	3213.37	54.88	3288.95	51.32	3228.97	44.48	3070.49	38.86	3203.68	35.97	2602.50	26.10